NOT TO BE ISSUED
FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 19, अंक 24

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2001
2 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 10/6/2002

(खण्ड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 24, शुक्रवार, 24 अगस्त, 2001/2 भाद्रपद, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 464	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 465 से 480	23-43
अतारांकित प्रश्न संख्या 4756 से 4950	44-308
उपभोक्ता कल्याण कोष, बिहार के बारे में दिनांक 10.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2942 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	309
उपभोक्ता संगठन के बारे में दिनांक 10.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2977 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	311
सभा पटल पर रखे गए पत्र	315
राज्य सभा से संदेश	322
कार्य मंत्रणा समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	323
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	323
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	324
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन	324
रेल संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	324
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	326
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयां	
श्री बसुदेव आचार्य	326
श्री काशीराम राणा	326

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री रुपचन्द पाल	330
श्री हन्नान मोल्लाह	331
सभा का कार्य	336
व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० सत्य नारायण जटिया	358
श्री पवनसिंह घाटोवार	360
श्री थावरचन्द गेहलोत	365
श्री बसुदेव आचार्य	369
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	374
श्री सुन्दरलाल तिवारी	375
श्री ए०के०एस० विजयन	379
श्री सी० श्रीनिवासन	381
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति	383
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	384
श्री पी०सी० थामस	389
श्री बालकृष्ण चौहान	389
खंड 2 से 9 और 1	393
पारित करने के लिए प्रस्ताव	394
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	395
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 177 का संशोधन)	
श्री कोलूर बसवनागौड	395
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 130 का संशोधन)	
श्री सुरेश कुरूप	396
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 217 का संशोधन)	
श्री कोलूर बसवनागौड	396
(चार) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन)	
श्री रामानन्द सिंह	397

विषय		कॉलम
(पांच)	उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन)	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	397
(छह)	चलचित्र (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन)	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल . .	398
(सात)	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा 298क से 298ग का अन्त:स्थापन)	
	श्री जी०एम० बनातवाला	398
(आठ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 85 आदि का संशोधन)	
	श्री पवन कुमार बंसल .	399
(नौ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 189 का संशोधन)	
	श्री कोलूर बसवनागौड	399
(दस)	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (पहली अनुसूची का संशोधन)	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	400
(ग्यारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 117 आदि का संशोधन)	
	श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल .	400
(बारह)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक - विचाराधीन	
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	
	श्री अधीर चौधरी	401
	श्री खारबेल स्वाइं	404
	श्री सुकदेव पासवान.	407
	डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	410
	श्री अनादि साहू	415
	सरदार बूटा सिंह	420
	श्री वरकला राधाकृष्णन.	429
	श्री रामदास आठवले	435
	प्रो० रासासिंह रावत	439-442

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2001/2 भाद्रपद, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की गैर-निष्पादक आस्तियां

+

*461. **श्री आर०एस० पाटिल :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए) कुल कितनी धनराशि की है;

(ख) क्या बैंक ने तीन बड़ी चूककर्ता के विरुद्ध मामला दर्ज करने का फैसला किया है;

(ग) यदि हां, तो इन तीन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए कोई अभियान शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, उसकी कुल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 3253 करोड़ रुपए थीं, जो उसके कुल अग्रिमों का 16.06% बैठता है।

(ख) और (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो चूककर्ता कंपनियों अर्थात् मैसर्स मि॰ प्रभु दास मानजी और मैसर्स स्टील ट्यूब इंडिया लि॰ के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और ब्यूरो मैसर्स बेलगुण्डी सीमेन्ट लि० खाते की जांच कर रहा है, जिनके नाम बैंक के पास उनके खाते में बहुत अधिक रकम बकाया है। बैंक ने ऋण वसूली अधिकरण में चूककर्ताओं के विरुद्ध बड़ी संख्या में मामले भी दायर किए हैं।

(घ) और (ङ) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक की योजनाओं तथा स्वयं अपनी वसूली योजनाओं के अधीन अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के खातों में रकमों की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है और उसने वर्ष 2000-2001 के दौरान 368.54 करोड़ रुपए वसूल किए थे।

श्री आर०एस० पाटिल : वर्तमान में, हमारे देश में यू.टी.आई. और सेन्ट्रल बैंक के घोटाले के एक साथ होने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास संकट में पड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रीजी को पहले की सरकारों पर आरोप लगाने की बजाय देश की अर्थव्यवस्था की हालत पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि आज की तिथि के अनुसार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की गैर-निष्पादक आस्तियों की कुल धनराशि कितनी है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया की सभी गैर-निष्पादक आस्तियां कुल निवल मूल्य 1,830 करोड़ हैं। पिछले तीन वर्षों से इसका प्रतिशत घटता जा रहा है। यह वर्ष 1995-96 में 13.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2000-2001 में 9.72 प्रतिशत रह गया है।

श्री आर०एस० पाटिल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बैंक ने तीन बड़ी चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने का फैसला कर लिया है, यदि हां, तो इन तीन कम्पनियों के नाम क्या हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : हमारे लिखित उत्तर में पहले ही नामों का उल्लेख कर दिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले दर्ज कर लिए गए हैं और ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यह मामले वसूली हेतु चरण वसूली न्यायाधिकरण के पास भी है।

श्री आर०एस० पाटिल : मैं इन तीन कम्पनियों के नाम जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनके नाम उत्तर में दिए गए हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : इन कम्पनियों के नाम हैं : मै॰ स्टील ट्यूब इन्डिया लिमिटेड, कारपोरेट फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ इन्डिया की मुम्बई शाखा। उस कम्पनी में यह चार बैंकों का कंसोर्टियम है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, गैर-निष्पादक आस्तियां (नॉन परफॉरमिंग एसैट्स) की जो माननीय मंत्री जी ने बकाया राशि बताई है वह 1830 करोड़ रुपए है। महोदय, यह बहुत बड़ी धनराशि है। हमारा यह अनुभव रहा है कि देहात का किसान या कोई छोटा कास्तकार बैंक में लोन लेने जाता है, तो उससे दुनियाभर के कागजात भरवाए जाते हैं और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा जाता है व अनेक किस्म के दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे बैंक से कर्ज नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नॉन परफॉरमिंग असैट्स की जो धनराशि है, उसका फायदा किन लोगों ने उठाया है और जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नान-परफौर्मिंग असैट्स के मामलों की सी.बी.आई. की तरफ से जांच करवाएगी? अब तक सी.बी.आई. की तरफ कितने मामले हैं, उनका डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. की तरफ से बैंक से सब मिला कर आठ केसेज गए हैं। मैं आपके पहले सवाल से बिल्कुल सहमत हूं कि जब आम या गरीब आदमी बैंक के दरवाजे में जाते हैं तो उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। सरकार की यह कोशिश रही है कि उनको आसानी से ऋण मिले लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि उनको ऋण मिलने में काफी दिक्कत होती है और कभी-कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। इसके लिए भी सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। सरकार ने आम लोगों के लिए बजट में और बजट के बाद कई स्कीम्स ऐनाउंस की हैं ताकि लोगों को धनराशि ठीक से और जल्दी मिले।

आपने तीसरा सवाल कोर्ट केसेज के बारे में पूछा है। यह तय हुआ है कि पूरे एन.पी.ए. के कारण जून आखिर तक प्रपोजल देने वाले थे। जिनके प्रपोजल आ गए हैं, उनके लिए सितम्बर आखिर तक डी.आर.टी. में पूरा मुकदमा हो जाएगा। अभी कुछ केसेज नैगोसिएशन में होने के कारण सबके ऊपर डी.आर.टी. में मुकदमा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : इस कंसोर्टियम का कहना है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, कुछ अज्ञात कारणों या बल्कि मुझे कहना चाहिए कि संदेहास्पद कारणों से देयराशियों के एकमुश्त निपटान के लिए अलग-अलग मानक अपना रहा है। क्या मैं माननीय मंत्रीजी से जान सकता हूं कि क्या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया या किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बैंक एकमुश्त निपटान के लिए लीड बैंकों (संस्थानों) द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों का पालन करते हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा एकमुश्त निपटान के संबंध में भेदभाव का कोई हाल का मामला सरकार के ध्यान में आया है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : जैसा कि मैंने इस सभा में पहले कई अवसरों पर स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर गैर-निष्पादक आस्तियों के निपटान के लिए विवेकपूर्ण और भेदभाव रहित दिशा-निर्देश जारी किए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि किसी बैंक के कर्मचारी/अधिकारी देय-राशियों के निपटान में अलग-अलग तरीके न अपना सकें। इसी कारण यह दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

हमने बैंकों के अध्यक्षों के साथ बैठकों में इन मार्ग-निदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। ताकि भिन्न-भिन्न प्रकार से निपटान के कारण होने वाले भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है तो उसका एक उदाहरण तो वही है जिसे माननीय सदस्य ने हाल ही में मुझे सूचित किया है। मुझे मामले की जांच करवानी पड़ेगी। जैसे ही मुझे सच्चाई का पता चलेगा, मै माननीय सदस्य से सम्पर्क करूंगा।

[हिन्दी]

डा० जसवन्तसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, देश में विभिन्न बैंकों में एन.पी.ए. में बढ़ोत्तरी होने से स्थिति कमजोर हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें सैंट्रल बैंक की भी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और क्या सरकार उनको सुधारने के लिए कोई नए कदम उठाने जा रही है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : माननीय सदस्य की बात सही है कि कुल मिलाकर एन.पी.ए. बढ़ रहा है, लेकिन जब हम टोटल एडवांस के अगेन्स्ट प्रतिशत पर आते हैं तो कुछ बैंकों में सुधार हो रहा है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि सैण्ट्रल बैंक में भी सुधार हो रहा है और इस साल भी बैंक को कोई घाटा नहीं है। वी.आर.एस. का 462 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए भी आज बैंक को 16 करोड़ रुपये का नफा है, इसलिए उनको कोई मदद करने की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चहता हूं। कि गैर-निष्पादक आस्तियों के कितने प्रतिशत भाग पर सामान्य दर से ब्याज लगाया जाता है

जिसे कि आरम्भ से ही लगाया जाना चाहिए था और इसके कितने प्रतिशत भाग पर ब्याज न दिए जाने की स्थिति में दण्डस्वरूप ब्याज, ब्याज पर ब्याज और इसी तरह के अन्य प्रभार लगाए जाते हैं? मेरा अपना मानना है कि प्राय गैर-निष्पादक आस्तियों में अत्यधिक वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि लोग समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं जिसके कारण संस्था दण्डस्वरूप ब्याज, ब्याज पर ब्याज और ऐसे ही अन्य सब प्रभार प्रारम्भ से लगाना शुरू कर देती है। इसलिए, इस प्रकार से 10 लाख की राशि कुछ ही समय में 10 करोड़ की राशि हो जाती है। जब धन की वसूली की दृष्टि से यह अव्यवहार्य है।

माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है या किया जा सकता है कि सामान्य पूंजी के रूप में गैर-निष्पादक आस्तियां कितनी होंगी और इन पर आरम्भिक कितना ब्यान लगा होगा और चूक होने के बाद दण्डस्वरूप ब्याज और अतिरिक्त प्रभार कितने लगए गए होंगे।

दूसरा यह कि क्या वित्त मंत्रालय किसी निपटान आयोग या किसी ऐसी संस्था या बैंक की स्थापना पर विचार करेगा जहां कि संबंधित लोग एक साथ बैक सकें और इस बात का समाधान कर सकें कि वे इसका पुनर्भुगतान किस तरह से कर सकते हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : इस सभा ने बढ़ती जा रही गैर-निष्पादक आस्तियों के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त की है। यह चिंता बिल्कुल सही है। इसी कारण पिछले 14 महीनों के दौरान मैंने अपने स्तर पर बैकों के अध्यक्षों के साथ चार बैठकें यह सुनिश्चित करने के लिए की कि जहां तक सम्भव हो सके गैर-निष्पादक आस्तियों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके और इस समस्या को सुलझाया जा सके। इस संबंध में अन्तरराष्ट्रीय मानदंड है और सामान्यत: हम इन्हीं का अनुकरण करते हैं। इन गैर-निष्पादक आस्तियों में ब्याज, दण्डस्वरूप ब्याज और ब्याज पर ब्याज भी शामिल है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। कतिपय अन्य बातें भी हैं जिनमें कुछ अन्तर है। लेकिन हम अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक दण्डस्वरूप ब्याज और ब्याज पर ब्याज से संबंधित ठीक-ठीक धनराशि का प्रश्न है तो इस संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। हम आंकड़े एकत्र करेंगे और इन्हें माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

माननीय सदस्य ने निपटान आयोग के संबंध में प्रश्न उठाया था तो मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं क्योंकि विगत समय में बैंकों में ही निपटान तंत्र बनाये गये थे और उन्होंने उपयुक्त दिशा में ठीक काम किया है। तत्पश्चात् मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र का जिक्र किया था। यह परिपत्र इस वर्ष 30 जून को व्यपगत हो गया था, इस पर अनुवर्ती कार्रवाई 30 सितम्बर तक किए जाने की सम्भावना है। हम पुन: 30 सितम्बर के बाद बैंकों के साथ बैठक करेंगे और उसमें इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन हमारा मानना है कि बैंक का दृष्टिकोण उपयोगी ही होगा। इसलिए बैंक के अध्यक्षों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते समय माननीय सदस्य के इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री ई० पोन्नुस्वामी : इससे बैकों के कार्य-निष्पादन और गैर-निष्पादन के संबंध में संकेत मिलता है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया ही एकमात्र ऐसा बैंक है जो गैर-निष्पादन दिखा रहा है। इन तीन बड़ी कम्पनियों को चूक करने की अनुमति क्यों दी गई? जब एक आम आदमी बैंक में 1000 या 5000 या 10,000 रुपये निकालने के लिए जाता है तो उसे कई औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है और उसे परेशान होना पड़ता है। यहां तक कि उसे प्रबन्धकों द्वारा बैंक में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी जाती है जबकि बड़े लोग कॉफी या दोपहर के भोजन या रात्रि भोज करने के साथ-साथ बैंक से पैसा ले लेते हैं। जब वे इसका पुनर्भुगतान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हजारों करोड़ रुपये लेने की अनुमति क्यों देते हैं। आम आदमी का हित संकट में है।

गरीब लोगों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि इन ऋणों को कैसे लिया जा सकता है। आवास के लिए 5000 रुपये दिये जाते हैं। यहां तक कि यह पैसा भी नहीं दिया जाता है। तमिलनाडु में टी.ए.डी.सी.ओ. ने आवासों की स्वीकृति दे दी है और आवंटियों को कहा गया है कि वे बैकों से ऋण ले सकते हैं। लेकिन वहां ऋण नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि 5000 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं। जब यह सच्चाई है तो सरकार उन बड़े लोगों और बड़ी कम्पनियों को चूक की अनुमति कैसे दे रही है? खासकर उन्हें जो कि गैर-निष्पादक हैं। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस धन की वसूली के लिए ही नहीं बल्कि उन गरीब लोगों जो कि हमारी जनसंख्या के लगभग 80 से 85 प्रतिशत हैं के लिए ऋण सुविधा मुहैया करवाने के लिए क्या मार्ग-निर्देश दिए गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री ई० पोन्नुस्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरकार बड़े चूककर्ताओं से इस धन की वसूली के लिए ही नहीं बल्कि गरीब लोगों को ऋण प्राप्ति की सुविधा मुहैया करवाने के लिए क्या कदम उठा रही है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : महोदय, बढ़ती गैर-निष्पादक आस्तियों और बैंकिंग प्रणाली में गरीबों को विशेषकर और उपभोक्ताओं को सामान्यतौर पर न्याय कैसे मिलना चाहिए के संबंध में माननीय सदस्य की चिंता का यह सभा पूरा समर्थन करती है। इन तीन बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां इसलिए है क्योंकि कुछ मामले दर्ज किए गए

हैं क्योंकि किसी ने वहां धन को हड़प लिया है और उसका दुरुपयोग किया है।

इसलिए, सी.बी.आई. द्वारा उनके विरुद्ध पहले ही मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बैंक ने भी उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने आम लोगों के लिए कुछ सुझाव दिया है। हम सभी चूककर्त्ताओं के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितना भी बड़ा हो। इसलिए, स्वाभाविक है कि पैसों की वसूली हो जाएगी। यदि कोई नियमों की अनदेखी करने की कोशिश करता है और धनराशि की हेरा-फेरी करता है तो शीघ्र ही उसे दंडित किया जाएगा और उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। इसलिए शुरूआत में ही मैंने कहा कि यह सभा माननीय सदस्य की चिंताओं को पूरी तरह से आपस में बांटती है। हमने बैंक से पहले ही दो या तीन बार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम पुन: ऐसा करेंगे। हम पहले से ही प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। हम उनकी समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बैंक प्रबंधक, शाखा प्रबंधक के स्तर पर ही ऐसा करें। हम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से ग्रामीण शाखाओं और सुदूर शाखाओं का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने के लिए कहेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक-ठाक है। यह बहुत विशाल देश है और इस देश में कई शाखाएं हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कमियां हैं। लेकिन कभी-कभी प्रबंधक आम आदमी के साथ भी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से पेश आते हैं। माननीय सदस्य के सुझावों पर हमने गौर किया है।

यदि अध्यक्ष महोदय सहमत हों, तो हम इस मुद्दे पर एक या दो घंटे तक चर्चा कर सकते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभा इस मुद्दे पर आम सहमति बना सकती है।

सरकारी वित्त के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी

*462. **श्री प्रकाश वी० पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार के वित्त की स्थिरता और व्यवहार्यता के संबंध में कुछ चिन्ताजनक क्षेत्रों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2001 के अपने मासिक बुलेटिन में "भारत सरकार का वित्त: 2001-02" नामक लेख में यह कहा है कि "बजट में राजकोषीय सुदृढ़ता के लिए नई गति देने की परिकल्पना की गई है। फिर भी केन्द्रीय वित्त की स्थिरता और सक्षमता से संबंधित चिन्ता के कुछ विषय हैं। पहला, केन्द्र का राजस्व आधार कमजोर बना हुआ है क्योंकि राजस्व-सं.घ.उ. और कर-सं. घ.उ. अनुपात बढ़ नहीं रहा है। दूसरा, विगत अनुभव को देखते हुए विनिवेश प्राप्तियों की उगाही में कमी होने से राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की प्राप्ति में राजकोष पर दबाव पड़ सकता है। तीसरा, केन्द्र की सकल बाजार उधारी गत अनेक वर्षों से निरन्तर बढ़ती जा रही है।"

(ग) राजकोषीय नीति की दीर्घावधिक सक्षमता राजस्व घाटे को पूरी तरह समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रणीय स्तर के अन्तर्गत बनाए रखने पर निर्भर करती है। राजकोषीय सुदृढ़ता हासिल करने के लिए वर्ष 2000-01 के बजट में केन्द्रीय व्यय की संरचना में ढांचागत परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के जरिए व्यय प्रबंधन, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता करने पर बल दिया गया है। इस प्रयोजन हेतु बजट में कई उपाय किए गए हैं जिनमें अन्यों के अलावा यह शामिल हैं: नई भर्ती को कुल सिविल स्टाफ की संख्या के एक प्रतिशत तक ही सीमित रखना, सरकार और एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभारों में इन सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए संशोधन करना आदि। इसके अलावा, ब्याज भार को कम करने के लिए प्रचलित अधिकांश ब्याज दरों में 1 मार्च, 2001 से 1.5 प्रतिशत की कटौती की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 दिसम्बर, 2000 में संसद में पेश किया गया। इस विधेयक में ऋण, घाटे और उधारी की उच्चतम सीमा निर्धारण से संबंधित प्रावधान निहित है।

श्री प्रकाश वी० पाटील : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बजटीय अनुमान और पुनरीक्षित प्राक्कलनों को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। यदि नहीं, तो क्या सरकार की योजना बजट अनुमानों को पुन: तैयार करने की है; क्या सरकार ने हर्षद मेहता प्रकरण, यू.टी.आई.-64 और प्रतिभूति घोटाले के कारण हुई क्षति का

जायजा लिया है; और क्या यह संभव है कि अर्थव्यवस्था पुन: गति पकड़ लेगी।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जहां तक बजट अनुमानों का संबंध है, इनकी वित्त मंत्रालय में बराबर समीक्षा की जाती है। जहां तक संसदीय प्रक्रिया का संबंध है, हम अगला बजट प्रस्तुत करते समय पुनरीक्षित प्राक्कलन ले आएंगे। इस बीच, जैसा कि हमने इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है; हम अनुपूरक मांगें लाएंगे।

इस वास्तविकता के बावजूद कि इस वर्ष की पहली तिमाही में कर संग्रहण में हम कुछ पीछे हो गए हैं, फिर भी मैं आशावान हूं कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे-जैसे समय बीतेगा, स्थिति में सुधार होता जाएगा। लेकिन वस्तुस्थिति क्या होगी, यही कुछ बातें हैं जिसे हम सभा में अगला बजट प्रस्तुत करते समय सभा के समक्ष रखेंगे।

जहां तक स्टॉक मार्केट घोटाला, यू.टी.आई. और अन्य चीजों का संबंध है, इनका वित्तीय घाटे पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बजट के वित्तीय घाटे में शामिल नहीं है। यह बजट के बाहर है।

जहां तक अर्थव्यवस्था में मंदी का संबंध है, हम इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। यह मंदी विश्वव्यापी है। जहां तक हमारा संबंध है, इस देश में हमने कई कदम उठाये हैं। हम लगातार स्थिति की समीक्षा करेंगे और यह देखने के लिए कदम उठाएंगे कि हम मंदी से कैसे उबरें।

श्री प्रकाश वी० पाटील : योजना व्यय में गिरावट के क्या कारण हैं? मैं जानना चाहूंगा कि क्या इससे देश के सम्पूर्ण विकास पर प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा है तो, यह किस हद तक प्रभावित करेगा? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने रुपये में गिरावट से निपटने हेतु कोई योजना बनाई है।

श्री यशवंत सिन्हा : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान योजना व्यय में आंशिक गिरावट का हमें पता चला है। मैं नहीं समझता यह चिंता का विषय है। मैं अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं जो बजट में भारत सरकार के व्यय के बड़े भाग के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने उन्हें उपलब्ध कराए गए निवेश व्यय और पूंजी व्यय में तेजी लाने के लिए कहा है। इसलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अगले माह से सीजन की शुरूआत होगी, यह व्यय, जैसा कि पिछले वर्षों में अनुभव किया गया है, गति पकड़ेगा।

प्रश्न का दूसरा भाग, जैसा कि मैं समझता हूं, रुपये के अवमूल्यन से संबंधित था। मैं यह कहूंगा कि जहां तक रुपए के अवमूल्यन का संबंध है, यह बाजार निर्धारित है। हमारी एक प्रणाली है जो कुछ समय से प्रचलन में है और रुपए पर विदेश मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है।

श्री खारबेल स्वाइं : माननीय मंत्री ने अपने जवाब में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक के बारे में उल्लेख किया है। जब एक बार वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक पारित हो जाता है तो यह कानून बन जाएगा। तब नागरिक इसके क्रियान्वयन के लिए न्यायालय तक जा सकते हैं, यदि सरकार ऐसा करने में असफल हो जाती है। यदि ऐसा होता है, तो यह संभावना है कि न्यायालय ही इस देश की वित्तीय नीति निर्धारित करें। क्या सरकार ने किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचा है? यदि ऐसा होता है, तो सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?

श्री यशवंत सिन्हा : यह चिंता जायज है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह चिंता स्थायी समिति के कई सदस्यों ने उठायी है। हमारे अधिकारी स्थायी समिति के लगातार सम्पर्क में हैं। मुझे पक्का भरोसा है, स्थायी समिति इस समस्या पर विचार करेगी। हम स्थायी समिति की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : आपने अपने उत्तर में कहा कि विनिवेश प्राप्तियों की उगाही में कमी होने से राजकोष के लक्ष्यों की प्राप्ति पर दबाव पड़ सकता है और कल जब विनिवेश पर चर्चा हो रही थी तो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने यह कहा था कि विनिवेश से जो धन प्राप्त होगा, उसे रूरल डैवलपमेंट पर खर्च करेंगे। आपका जो उत्तर है और कल इसी सदन में ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उन दोनों में काफी अन्तर है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो आप उस अन्तर को कृपया स्पष्ट करें और दूसरे केन्द्र का राजस्व आधार कमजोर बना हुआ है, उसे मजबूत करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी?

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मेरे सहयोगी, ग्रामीण विकास मंत्री इस सभा को बिल्कुल सही कह रहे थे कि विनिवेश से प्राप्त होने वाले धन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि हमारी कई ग्रामीण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो।

महोदय, आप को याद होगा और सभा को भी याद होगा कि बजट में, जिसे मैंने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें बार-बार कहा है कि विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

पहला उसमें यह है कि पहले जो सूद वाले कर्जे हैं, उनको हम चुकायेंगे। दूसरा हमने यह कहा है, पब्लिक सैक्टर के रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में जो बजट के द्वारा टैक्स पेयर्स का पैसा देना पड़ता है, इसमें हम प्रयास करेंगे कि इसमें अधिक राशि प्राप्त हो, तो उस पैसे को हम रिस्ट्रकचरिंग में लगायें। तीसरे हमने कहा है,. मुख्य रूप से जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में इस राशि को लगायें। ये तीनों लक्ष्य हमने डिसइन्वैस्टमेंट प्रोसीड्स के लिए रखे हैं। इसलिए जैसा ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है और जो मैं कह रहा हूं, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है।

दूसरी बात, मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा, जैसा कि सदन को ज्ञात है, इस साल के बजट में हमने 7000 करोड़ रुपए की राशि को एक श्रेणी में रखा है और 5000 करोड़ रुपए की राशि को दूसरी श्रेणी में रखा है। इसका मुख्य कारण, जैसा कि मैंने कहा है, यह है कि वह 12000 करोड़ रुपए बजट में जो हमने इंगित किया है, अगर वह राशि पूरी की पूरी प्राप्त होगी, तो 5000 करोड़ रुपए हम योजना आयोग को उपलब्ध करायेंगे ताकि योजना आयोग उसको ग्रामीण विकास के ऊपर खर्च कर सके। ये लक्ष्य हमने बजट में रखे हैं और अगर सदन में सब लोगों की एक राय बनें, इतनी राशि जो इस वर्ष प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से उसका अधिकांश भाग ग्रामीण विकास की ओर जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, जुलाई, 2001 के मासिक समाचार में बताया गया है कि भारत सरकार का वित्त स्थिर और सतत नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की लागत में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और ब्याज के बोझ को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन तरीकों से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक से स्थिति में सुधार हो सकता है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक पारित करने हेतु विश्व बैंक से कोई निदेश था?

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रश्न के अंतिम हिस्से से आंरभ करता हूं। जनसंचार माध्यमों के कुछ हलकों में यह गलत रिपोर्ट आई थी कि मैंने वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री शिवराज वी० पाटील, जो इस सभा में विराजमान हैं, को यह बताया था कि मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक को यथाशीघ्र पारित करवाने के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में था। जब मैंने समाचार को पढ़ा, तो मैंने तत्काल श्री शिवराज वी० पाटील से संपर्क किया—मुझे याद है वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे, मैंने उनसे बात की और कहा कि मुझे जहां तक याद है मैंने उनसे ऐसा कभी नहीं कहा। वह मुझसे सहमत हुए और कहा कि मैंने उनसे ऐसा कभी नहीं कहा था। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने मुझे सभा में इस मामलें पर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया क्योंकि यह जनसंचार माध्यमों के बीच बड़ी गलतफहमी का विषय रहा है। मैं इस अवसर पर यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि जहां तक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक को पारित करने का संबंध है, भारत सरकार विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य किसी के दबाव में नहीं है।

यह सुनिश्चित करना हमारे ही हित में है कि हम राजकोषीय घाटे को कम करें, यह सुनिश्चित करना हमारे ही हित में है कि हमें बाजार से कम ऋण लें, और यह सुनिश्चित करना हमारे ही हित में है कि हम राजकोषीय दृढ़ीकरण को अपनाएं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने सभा के समक्ष राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक को रखा है। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना राष्ट्रीय हित में है न कि इसलिए कि कोई दबाव डाल रहा है, जो कि सही नहीं है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे हिस्से का संबंध है, मैंने पहले ही अपने बजट भाषण में उन कदमों की संख्या का उल्लेख किया है जिन्हें हम उपयोगकर्त्ता के प्रभारों में वृद्धि करने और सरकार पर ब्याज का बोझ कम करने हेतु उठा रहे हैं। ये जनता के अधिकार क्षेत्र में हैं और मैं इसका वर्णन करके सभा का समय नहीं लेना चाहता।

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न पूछने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं बल्कि मैं इस प्रश्न के उनके उत्तर के पहले भाग का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने मुझे यह नहीं कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक को शीघ्र अनुमोदन कराने के लिए कहा था।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं श्री शिवराज वि. पाटील का बड़ा कृतज्ञ हूं।

आयकर विभाग का पुनर्गठन

*463. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विभाग का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल के पुनर्गठन से विभाग कर्मचारी उन्मुखी के स्थान पर अधिकारी उन्मुखी हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित करने में लगा हुआ है। आयकर विभाग के पुनर्गठन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को लागू करके, कार्यात्मक विशेषज्ञता द्वारा कारोबार संबंधी प्रक्रिया को पुन: डिजाइन करके तथा कर्मचारियों की संख्या को ठीक करके विभाग की उत्पादकता बढ़ाना है।

(ग) और (घ) विशेषज्ञता एवं प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए, मौजूदा आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विभाग में कर्मचारियों की संख्या का सही निर्धारण कर दिया गया है। कुल नफरी के प्रति स्टॉफ का अनुपात 0.88 से मामूली कम होकर 0.86 हो गया है परन्तु स्टॉफ के लिए पदोन्नति के संबंध में सार्थक अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था की गई है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, सभा पटल पर जो रखा गया है वह हमारी जरूरतों का एक चौथाई भी नहीं है। माननीय वित्त मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। मेरी सूचना के अनुसार आयकर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 31 अगस्त, 2000 को अनुमोदित किया गया था। आयकर विभाग को कुछ अनुदेश दिए गए थे। सर्वप्रथम, मंत्रिमंडल के आदेश की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर एक कार्यान्वयन कोबांग बनाया जाना चाहिए। दूसरे, नए अधिकार क्षेत्र, पदोन्नति एवं स्थापना के सभी आदेश मंत्रिमंडल आदेश की प्राप्ति के चार माह के भीतर पारित होने चाहिए। तीसरे, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण मंत्रिमंडल आदेश की तिथि से 12 माह के अन्तर्गत पूरा होना चाहिए। इसका अनुमोदन 31 अगस्त, 2000 को किया गया था। आज अगस्त 2001 आ गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के अनुदेशों को चार माह के अन्तर्गत आदेश पारित करके और आयकर विभाग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए थे जब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पुनर्गठन प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास भेजा था। यह सही है कि मंत्रिमंडल के अनुदेशों के अधिक हमें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था। अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है परन्तु फिर भी कमोबेश हम सही रास्ते पर हैं। पुनर्गठन की देखभाल हेतु हमने एक कोबांग बनाया। हम कोबांक को पुनर्गठित करने में सक्षम हो गए हैं। हाल ही में आदेश जारी कर दिए गए हैं और तीन आयकर आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई कि पुनर्गठन कार्यक्रम को बेहतर संभावित तरीके से और अधिकारियों की पदोन्नति-संभावनाओं के साथ पूरा किया जाए। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की देखभाल के लिए हमने अलग से एक समिति गठित की है, और वे कर्मचारी इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात् पदोन्नति पाएंगे। इन सभी पहलुओं पर कार्य जारी है, जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मुझे अभी-अभी एक नोट मिला है जिसके अनुसार 31 जुलाई, 2001 तक 5,885 अवर श्रेणी लिपिकों में से 4,919 को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित किया गया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सहमत नहीं हूं। वास्तव में, उन्होंने अपने उत्तर में 'राइट साइजिंग' शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में, यह सही आकार देना नहीं है बल्कि वरिष्ट अधिकारियों की संभावनाओं में अभिवृद्धि और समूह 'ग' और 'घ' में कार्यरत कर्मचारियों की संभावनाओं को खत्म करना है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक ओर तो मुख्य उपायुक्त के पदों में 230 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है और उपायुक्त के पदों में 23 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। दूसरी तरफ आयकर विभाग के समूह 'ग' और 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में 6,033 की कमी की गई है जोकि विभाग की पूरी क्षमता का 14 प्रतिशत है। यदि इस योजना को सही आकार देने का नाम दिया जाता है, तो मुझे आशंका है कि यह और कुछ नहीं बल्कि आकार को कम करना है। फिर भी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सहायक उपायुक्तों के संवर्ग में 1,000 से अधिक आयकर अधिकारियों के आदेशों को कब जारी किया जाएगा और आयकर अधिकारियों, विशेषकर निरीक्षकों, निजी सहायकों और प्रथम क्षेणी लिपिकों की पदोन्नति से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के आदेश आयकर विभाग द्वारा कब जारी किए जाएंगे क्योंकि आदेश की तिथि से जैसा कि अपेक्षित है, एक वर्ष से ज्यादा समय गुजर चुका है।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की टिप्पणियों के प्रथम भाग का संबंध है, मुझे आशंका है कि मैं इससे सहमत होने में असमर्थ हूं। यदि किसी उचित मामले में 'राईट साइजिंग' शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वह यही है। ऐसा इसलिए है कि हमने जो कुछ किया है, वह हमने विभाग में इस समय में कार्य को देखा है, हमने भविष्य में विभाग के कार्य को देखा है, और विभाग के उत्तरदायित्वों और कार्य के मद्देनजर हमने इसका विभिन्न समूहों के बीच पुनर्समायोजन का प्रयास किया है ताकि विभाग और भी प्रभावी रूप से कार्य कर सके। यही कारण है कि इसका पुनर्गठन किया गया था।

जहां तक कर्मचारी वर्ग का प्रश्न है, मैं यह सूचना सभा के साथ बांटना चाहता हूं कि इसने सबके लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसा नहीं है कि केवल वरिष्ठ अधिकारियों को ही पदोन्नति मिलेगी। इसमें हरेक के पास जितना भी है वह उससे कुछ अधिक पाने जा रहा है यह समूह ग तथा घ पर भी लागू होता है। इसलिए, मैंने पुनर्गठन प्रस्ताव को अनुमोदित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया कि आयकर विभाग के सभी श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इसकी पूर्ण जानकारी हो; यह उनकी सहमति से किया गया था अथवा उनकी सहभागिता के साथ किया गया था। इसलिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को पुनर्गठन प्रस्ताव का लाभ हुआ है।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सभी पदोन्नति संबंधी प्रक्रियाएं चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी श्रेणियों को बहुत जल्दी पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पुनर्गठन की बात उन्होंने कही है या जिस कार्यक्षेत्र का पुनर्विभाजन वे कर रहे हैं उससे आयकर दाताओं के सामने कई तरह की कठिनाइयां खड़ी हो गयी हैं और जहां हजारों लोगों की संख्या थी उसको घटाकर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के ज्ञापन आयकर दाताओं की तरफ से तथा आयकर सलाहकारों की तरफ से विशेषकर मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन आदि जिलों से प्राप्त हुए हैं। जिनमें इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध है। यदि हुए हैं तो आयकर दाताओं की कठिनाइयों के देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पुनर्गठन के बाद कई ज्यूरिसडिक्शन्स का हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसमें हमारा प्रयास यही है कि अब चूंकि ज्यादा पदाधिकारी उपलब्ध होंगे, इसलिए करदाताओं के जितने नजदीक जाकर हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, वही उचित होगा। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी वहां के लोगों की डिमांड आई कि यह ज्यूरिसडिक्शन इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार की होनी चाहिए। अभी हमारे मित्र श्री कीर्ति आजाद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात मेरे ध्यान में दिलाई। मैंने तत्काल कार्रवाई करके यह सुनिश्चित किया कि विभाग द्वारा कोई कदम ऐसा न उठाया जाए जिससे करदाताओं की परेशानियां बढ़ें। इसलिए मेरे ध्यान में जहां कहीं भी इस प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं मेरा यह प्रयास है कि हम उनका तत्काल निराकरण करें, क्योंकि पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि करदाताओं के नजदीक जाकर उनको और अधिक सुविधा और सहूलियत उपलब्ध कराएं।

माननीय पाण्डेय जी मेरे सामने कुछ बातें लाए हैं जो हमारे विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि आयकर विभाग के पुनर्गठन से प्रत्येक को चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी बहुत लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा करने से पूर्व उन्होंने सब से परामर्श किया था। यदि ऐसा है तो अब कर्मचारियों में असंतोष क्यों है?

पूर्वाह्न 11.40 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

जहां तक मैं समझता हूं वे कलम छोड हड़ताल पर हैं। मुझे पता नहीं है कि क्या यह अखिल भारतीय स्तर पर है या नहीं परन्तु कोलकाता का मुझे पता है कि आयकर दाता अपनी विवरणी जमा नहीं कर पाए हैं क्योंकि वे कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। कर्मचारी कार्यालय में आते हैं परंतु कार्य नहीं करते। क्या आपको कलम छोड़ हड़ताल की जानकारी है। क्या आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। अन्यथा इनके लिए निर्दोष आयकर दाताओं पर दंड लगेगा। इस बात की संभावना है कि निर्दोष आयकर दाताओं पर दंड लगाया जाएगा जबकि उनका कोई दोष नहीं है। अब हड़ताल तथा कर्मचारियों में असंतोष की क्या स्थिति है?

श्री यशवन्त सिन्हा : असंतोष पुनर्गठन के कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि विभाग का किसी रूप से पुनर्गठन किये जाने के कारण यह असंतोष उत्पन्न हुआ। मुझे इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में एक या दो दिन की कलम-छोड़ हड़ताल हुई है।

श्रीमती कृष्णा बोस : परन्तु जहां तक मुझे पता है, यह अब भी जारी है।

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक इस बात का संबंध है मैं इसकी जांच करूंगा। परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है, असंतोष का कारण माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा उल्लेख की गई बात अर्थात् कुछ श्रेणियों में पदोन्नति में कुछ बिलम्ब हुआ है। जैसा कि मैंने कहा हम सम्पूर्ण प्रक्रियाओं को तेज कर रहे हैं ताकि इसको यथा शीघ्र पूरा किया जा सके।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अपने मित्र की बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि श्री कीर्ति

झा आजाद उनके मित्र हैं। परन्तु मैं उनका शत्रु नहीं हूं। मैंने उन्हें एक लिखित पत्र दिया है। महोदय, मंत्री जी ने आज अपने उत्तर में कहा कि यह विचार यथाशीघ्र ग्राहकों तक पहुंचना है।

सिलचर, करीमगंज, हैलाकुंडी और डिब्रूगढ़ के लोगों को आयकर अपीलों हेतु या तो गुवाहाटी या शिलांग जाना पड़ता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे विभाग का पुनर्गठन कर रहे हैं। आयुक्त स्तर पर दो केन्द्र सिलचर और डिब्रूगढ़ में खोले जाने चाहिए जहां कि सबसे ज्यादा आयकर दाता हैं। डिब्रूगढ़ में चाय उद्योग हैं और हमारे क्षेत्र में भी चाय उद्योग हैं और हमारे यहां व्यापारी भी हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे इस पर विचार करेंगे। जैसा कि उन्होंने श्री कीर्ति झा आजाद जैसे अपने लोगों को भरोसा दिलाया है, कृपया मुझे इन दो केंद्रों के बारे में भी बता दीजिये।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, सभी माननीय सदस्य इस सभा के माननीय सदस्य हैं। उनमें मेरे लोग और अन्य लोग नहीं हैं। श्री संतोष मोहन देव मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। इसलिए यह सभा के एक पक्ष को प्रसन्न करने तथा दूसरे को प्रसन्न न करने का प्रश्न नहीं है। इन्होंने यह बात मुझे बताई है। सिलचर केवल इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यहां चाय उगाई जाती है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्री संतोष मोहन देव को इस सभा में वापस भेजता है। यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है। वे सिलचर में नया अधिकार क्षेत्र बनाया जाना चाहते हैं और वे आयकर विभाग की उपस्थिति का स्तरोन्नयन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उनसे कहा है—उन्होंने इसका सभा में भी उल्लेख किया है और मैं इस मामले पर व्यावहारिक रूप से विचार कर रहा हूं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि समूह 'ग' और 'घ' के पदों में भारी कमी आई है और केवल अधिकारियों के पद बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनका आकार सही हो गया है। मैं इस पर विवाद नहीं कर सकता क्योंकि वे बहुत सुविज्ञ वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। परन्तु उचित आकार बनाने से केवल अधिकारी ही नहीं बनेंगे। समूह 'ग' और 'घ' के पदों में भारी कमी हुई है। हमने इसकी जांच भी की है।

दूसरी बात यह है कि सभी अधिकारी स्वयं को महानगरों में केंद्रित कर रहे हैं। जहां कहीं संग्रहण में शिथिलता है वहां वे नहीं जा रहे हैं; उनका तबादला नहीं जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री इन सभी अधिकारियों का मानक सूत्र के अनुसार तबादला करेंगे? मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनको इधर से उधर तबादला करने के लिए कुछ कदम उठाने हेतु कुछ प्रस्तावों पर विचार हो रहा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा और जैसा मैंने इस सभा के सामने पहले किया भी है कि संख्या को उचित आकार दिया गया है और जहां भी हमने पदों में कमी की है वहां हमने पदोन्नति के और अवसर सृजित किए हैं और पुनर्गठन के पश्चात् समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए आज पहले से बहुत अधिक पदोन्नति के अवसर हैं।

दूसरी बात तबादला करने के बारे में है। आपके माध्यम से मैं इस सभा तथा माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि हमने स्थानान्तरण हेतु बहुत स्पष्ट रूप से मानदण्ड निर्धारित किए हैं और हमारी एक सुनिश्चित अवधि है जो कि निर्धारित है उसके पश्चात् कोई भी अधिकारी महानगरों में नहीं रुक सकता चाहे यह मुम्बई में अथवा दिल्ली इन दो स्टेशनों के ये अधिकारी बहुत अधिमान देते हैं। मेरी यह सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश रही है कि हम इन मानदण्डों पर टिके रहें और इन मानदण्डों का उल्लंघन न करें। हम भविष्य में भी मानदंडों पर टिके रहेंगे।

श्री पी०सी० थामस : सभापति महोदय, मेरा विचार है कि जब माननीय मंत्री जी राइट साइजिंग करने की बात सोचते हैं तो उन्हें लेफ्ट साइजिंग करने की बात भी सोचनी चाहिए। काफी लोग कर भुगतान करने से डर रहे हैं इसलिए नहीं कि वे कर का भुगतान नहीं करना चाहते बल्कि इसलिए कि वे संबंधित अधिकारियों अथवा संबंधित लोगों के पास जाने से डर रहे हैं। मैं इसके लिए अधिकारियों को दोष नहीं दे रहा हूं परन्तु मैं सोचता हूं कि जब वे विभाग का पुनर्गठन कर रहे हैं तो उन्हें भी इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष को ध्यान में रखना होगा। माननीय मंत्री ने पहले ही कर के दायरे को बढ़ा दिया है परन्तु संग्रहण में वृद्धि होनी चाहिए और कर का भुगतान न करने वाले लोगों को कर देने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जब वे विभाग का पुनर्गठन करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी लोगों से बेहतर व्यवहार करें ताकि अब से संग्रहण में अपने आप सुधार हो, कोई योजना अथवा कोई उचित विधि अपनाई गई है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, यह माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हमारा यह अनवरत् प्रयास रहा है कि हम यह सुनिश्चित करें कि विभाग को कर-दाता के अनुकूल और इसे एक ऐसे विभाग के रूप में न समझा जाए जो कि केवल कर-दाताओं को उलझन में डालने के लिए बना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और इसलिए इस वर्ष 31 जुलाई को तथा पहले के वर्षों में व्यक्तिगत आयकर का विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि को हमने पूरे देश में यह तय किया कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में जो आयकर दाता अपनी कर विवरणी जमा कराने आये उन्हें न केवल अपनी कर विवरणी शीघ्रता से जमा कराने की सुविधाएं दी जाएं बल्कि

उनकी अन्य प्रकार से भी सहायता की जाए, विशेष सुविधाएं दी जाएं। मैं यहां यह बात अवश्य कहूंगा कि मीडिया की ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि बहुत से स्थानों पर लोग विशेषकर वरिष्ठ नागरिक अपने साथ किए गए व्यवहार से प्रसन्न होकर वापस गए।

अब जहां तक कर का क्षेत्र बढ़ाने का संबंध है। मैं सभा के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। मेरे पास पिछले चार वर्षों के आंकड़े हैं और मैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यालय में मेरे आदरणीय पूर्ववर्ती ने एक 2/4 सूत्र लागू किया था और 2/4 सूत्र लागू करने के परिणामस्वरूप करदाताओं की संख्या पूर्व वर्ष में केवल 15 लाख की तुलना में 1997-98 में 23,32,000 तक पहुंच गई। मैंने इसे 1/6 सूत्र में परिवर्तित कर दिया। मैंने कर दाताओं को कर के दायरे में लाने के लिए अन्य आंकड़े ईजाद किये जिसके परिणामस्वरूप 1998-99 में करदाताओं की संख्या बढ़कर 41.68 लाख तक हो गई, 1999-2000 में यह संख्या 33.08 लाख तक हो गई और 2000-01 में यह संख्या बढ़कर 36.29 लाख तक हो गई। आज करदाताओं की संख्या 2,74,42,000 है। इससे देश के करदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि है और जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस वर्ष के बजट में 1/6 सूत्र का देश की सभी शहरी बस्तियों तथा कस्बों तक विस्तार किया है। प्रत्येक ऐसा कस्बा जिसका जनगणना में 'शहरी' के रूप में उल्लेख किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। अत: विभाग को चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए उसका पुनर्गठन आवश्यक था और इसी विचार से पुनर्गठन किया गया है। हमे अब करोड़ों विवरणी मिल रही हैं जिन पर गौर फरमाया जाएगा।

हमे यह तय करना है कि हम इस देश की उस पूरी आबादी को कर के दायरे में लाएं जो कर के दायरे में होनी चाहिए।

श्री पी०सी० थामस : इन्हे करदाताओं पर विश्वास करना शुरू करना चाहिए। सामान्यत: ये करदाताओं पर विश्वास नहीं करते। इसलिए कोई भी सही तसवीर प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। सही विवरणियों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्हें आकार छोटा करना पड़ेगा। यह बात कर्मचारियों तथा अधिकारियों को ध्यान में रखनी चाहिए।

[हिन्दी]

पान के पत्ते पर सीमाशुल्क

+

*464. **डा० अशोक** पटेल :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान के पत्ते पर सीमाशुल्क में वृद्धि के कारण पाकिस्तान को किया जाने वाला इसका निर्यात कम हुआ है जबकि पान के पत्ते की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त कारणों से हुए राजस्व की हानि को देखते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) भारत से बाहर पान के पत्ते के निर्यात पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगाया जाता है। इसलिए, सीमाशुल्क में वृद्धि के कारण पाकिस्तान को पान के पत्ते की तस्करी में किसी वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डा० अशोक पटेल : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय देश में पान के पत्तों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन होता है तथा यह उत्पादन देश के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। गत तीन वर्षों में वर्षवार पाकिस्तान को पान के पत्तों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, देश में पान का कितना उत्पादन होता है, यह आंकड़ा मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। मैं संबंधित मंत्रालय से इस आंकड़े को लेकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन पाकिस्तान को जो पान का निर्यात हुआ है उसकी क्वान्टिटी वर्ष 1998-99 में 1144 मीटरिक टन है।

[अनुवाद]

मूल्य 2,05,00,000 है। 1999-2000 में यह 1,039 मी० टन है और मूल्य 2.37 करोड़ है। 2000-2001 में यह 929.1 मी० टन है और मूल्य 2.52 करोड़ हैं। 2001-2002 में अप्रैल-मई के लिए अस्थाई आंकड़ा 252.7 मी० टन है और मूल्य 0.92 करोड़ है।

[हिन्दी]

इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान को जो पान का निर्यात हो रहा है उसकी यूनिट वैल्यू में लगातार वृद्धि हो रही है।

डा० अशोक पटेल : सभापति महोदय, पाकिस्तान में सबसे अधिक किस किस्म के पान के पत्तों की मांग है और भारत द्वारा उस किस्म के पान के पत्तों की मांग की कितनी आपूर्ति की जाती है।

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, यह जो विषय था वह पान के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है या नहीं, यह विषय था और हमने यह कहा है कि हम पान के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते हैं। लेकिन पान उद्योग को वित्त मंत्रालय डील नहीं करता है, पान के उद्योग को और मंत्रालय डील करते होंगे, इसलिए उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो जानकारी हमारे विभाग से संबंधित हैं, वह मैं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पान का जो निर्यात होता है वह ज्यादातर पाकिस्तान को होता है, उसके बाद थोड़ा ही निर्यात और होता है। मेरी जानकारी में जो बात आई है वह यह है कि पान के निर्यात के बारे में पाकिस्तान की जो पसंद है, वह दक्षिण में जो पान होता है और उत्तर तथा पूर्वी भारत में जो पान होता है, वह पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। जैसे हमारे देश में पान की पसंद हर क्षेत्र में अलग-अलग है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी कई क्षेत्रों में पान की पसंद अलग-अलग है।

श्री रामपाल सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अभी बताया, लेकिन पाकिस्तान के अलावा और किन-किन देशों को पान का निर्यात किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के महोबा और बनारस से पान का कितना निर्यात होता है।

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि इस प्रश्न की जो दिशा है वह दिशा हमारे मित्र दिग्विजय सिंह के मंत्रालय की ओर जा रही है।

क्योंकि निर्यात-आयात उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मेरे मंत्रालय का जो संबंध है, वह सिर्फ एक्सपोर्ट-इंपोर्ट ड्यूटी से है और इसीलिए किस तरह का पान कहां जा रहा है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री से उस सूचना को उपलब्ध कराकर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, प्रश्न पाकिस्तान तथा अन्य देशों को किए जाने वाले पान के पत्ते के निर्यात पर सीमा शुल्क में वृद्धि से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उनका मंत्रालय सीमा शुल्क और उस जैसी बातों पर विचार करता है और आयात अथवा निर्यात पर विचार नहीं करता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस पर एक अलग मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

संयोग से बजट पर चर्चा के दौरान हमने न केवल पान के पत्ते से संबंधित विषयों पर चर्चा की थी बल्कि सुपारी पर भी चर्चा की थी। वस्तुत: उनके मूल्यों में भारी कमी आई है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पान के पत्ते तथा सुपारी के आयात के मामले पर भी विचार करें क्योंकि केवल पत्ता ही नहीं खाया जाता है। पान का पत्ता सुपारी के साथ खाया जाता है। पान के पत्ते तथा सुपारी पर सीमा शुल्क बहुत अधिक है। हम पाकिस्तान तथा अन्य देशों को पान के पत्ते तथा सुपारी का निर्यात कर रहे थे परन्तु यह अब एक सा हो गया है। यदि आप कर्नाटक तथा अन्य क्षेत्रों के मामले को भी लें तो मूल्यों में पूरी तरह कमी आ गई है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि न केवल पान के पत्ते बल्कि सुपारी के बारे में तथा दोनों वस्तुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में वाणिज्य मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाये।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, कुल 26 वस्तुएं हैं जिन पर हम सीमा शुल्क लगाते हैं और वह भी यह सुनिश्चित करने के विचार से कि भारत से कच्चे उत्पादों की बजाय तैयार उत्पादों का निर्यात किया जाए।

मैं जल्दी से अपनी सूची की जांच कर रहा था और मैंने देखा कि सुपारी पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है। इसलिए यह निर्यात शुल्क नहीं है जिसकी वजह से भारत से सुपारी का निर्यात नहीं रुक रहा है। यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि बाजार है तो मेरे सहयोगी श्री दिग्विजय सिंह यहां बैठे हैं।

[हिंदी]

दिग्विजय सिंह जी जरा ध्यान दीजिए।

[अनुवाद]

वे इस पर भी ध्यान देंगें।

महोदय, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो कि प्रमुख उपभोक्ता है, के अलावा पान का सामान्य तौर पर उन देशों को भी निर्यात किया जाता है जहां भारतीयों अथवा एशियाई लोगों की बड़ी आबादी है। मेरे पास कुछ आंकड़े और जानकारी हैं यानी अन्य देशों के बारे में जिनको पान का निर्यात किया जाता है। ये देश हैं कनाडा, ब्रिटेन, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये देश हैं जहां निर्यात हुआ है।

जहां तक सुपारी का संबंध है यह पान का एक घटक है और मुझे विश्वास है कि वाणिज्य मंत्री इस पर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भारतीय पान का आयात करते हैं वे भारतीय सुपारी का भी आयात करें।

[हिंदी]

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, पान का जो निर्यात भारत से पाकिस्तान किया जा रहा है, यह अच्छी बात है। सरकार से मेरा निवेदन है कि भारत-पाकिस्तान संबंध और भी अच्छे बनाने के लिए पान का निर्यात ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता है क्योंकि भारत का पान बहुत रंगीला पान है और पाकिस्तान में पान खाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए जिस तरह से चाइना से माल यहां आता है और सस्ता मिलता है, उसी तरह से हमारे देश का पान ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान भेजने पर ध्यान दिया जाए और

वह सस्ता हो और वहां के लोगों को मिलेगा तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में संबंध और भी अच्छे बन सकते हैं। इसलिए पान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और कम से कम दाम में वहां उनको मिलना चाहिए, इसके लिए भारत की तरफ से प्रावधान होना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : यह बहुत अच्छा सुझाव है और अगली समिट के लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पान की खेती बांस की पट्टियों की छाया में की जाती है जिससे पान का उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन बांस की पट्टियां होने के कारण प्रतिवर्ष आग लगने से करोड़ों रुपए के पान की खेती का नुकसान हो जाता है जिससे निर्यात भी प्रभावित होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पान की खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से फसल बीमा योजना के तहत सरकार की कोई योजना है?

मध्याह्न 12.00 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि फसलों की बीमा योजना का एक कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। अभी तत्काल मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है कि उसमें पान है कि नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है, उसमें पान कवर्ड नहीं है। हम लोग माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव का ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि पान को, फसल बीमा योजना के तहत लाया जा सकता है या नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट की घरेलू मांग

*465. **श्री राजो सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का वार्षिक उत्पादन इसकी मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक देश में सीमेंट की वार्षिक मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सीमेंट की मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिये सीमेंट की घरेलू मांग का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) जी, हां। देश में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पिछले तीन वर्षों का वास्तविक उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	घरेलू खपत	निर्यात
1998-99	81.67	79.77	2.00
1999-2000	94.21	92.05	1.95
2000-01	93.52	90.22	3.15
2001-02 (अप्रैल-जुलाई)	33.72	32.55	1.06

देश में सीमेंट की घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच कोई अन्तराल नहीं है। इसके विपरीत, निर्यात के लिए सीमेंट अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध रही है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना अवधि के दौरान जी०डी०पी० की 6-8% लक्षित वृद्धि और सीमेंट क्षेत्र में 8-9% वृद्धि की कल्पना करते हुए, सरकार ने वर्ष 2001-02 में 109 मिलियन टन की मांग का अनुमान लगाया है।

[अनुवाद]

मांडी (स्टार्च) के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में छूट

*466. **डा० एस० वेणुगोपाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मक्के से निर्मित मांडी (स्टार्च) के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में छूट देने संबंधी अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) मांडी (स्टार्च) के निर्यात पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। तथापि, वर्ष 2001-2002 के बजट से पहले आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें मक्के से निर्मित मांडी पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया गया था। मक्के से निर्मित मांडी को 1.3.2001 से उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। अत:, घरेलू खपत के लिए बेची गई मक्के की मांडी पर भी कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है।

[हिन्दी]

घरेलू वनस्पति तेल उद्योग को संरक्षण

*467. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुनील खां :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बड़ी मात्रा में वनस्पति तेल पड़ोसी देशों से वैध और अवैध तरीकों से लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण से घरेलू वनस्पति तेल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो देश में बड़ी मात्रा में वनस्पति तेल के बाहर से आने से घरेलू वनस्पति तेल उद्योग पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से इसे बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1996 में यथासंशोधित भारत-नेपाल संधि के प्रावधान के अनुसार नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं के लिए अधिमानी व्यापार प्रबंधों के तहत नेपाल से भारत को वनस्पति तेल का आयात जो वर्ष 1996-97 में 68 मी० टन था, अप्रैल, 2000-फरवरी, 2001 की अवधि के दौरान बढ़कर 90,951 टन हो गया। पड़ोसी देशों से अवैध तरीकों से वनस्पति तेल के आने के बारे में वाणिज्य विभाग को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) शुल्क मुक्त सुविधा के तहत नेपाल से वनस्पति तेलों के आयातों के विरुद्ध घरेलू वनस्पति तेल उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जैसा कि संधि में व्यवस्था की गई है, घरेलू वनस्पति तेल उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु महामहिम नेपाल की सरकार के साथ परामर्श करने के लिए पहल की गई है।

[अनुवाद]

उचित दर की दुकानों के लिए मुनाफे की दर (मार्जिन मनी)

*468. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उचित दर की दुकानों के लिए मुनाफे की दरें (मार्जिन मनी) निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मुनाफे (मार्जिन) की वर्तमान और पूर्व दरों के बीच कितना अंतर है; और

(ङ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों की वर्तमान दरें क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के दिशानिर्देशों के अधीन राज्यों के लिए यह अपेक्षित था कि वे उचित दर दुकानों पर, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्न उस मूल्य पर जारी करें जो मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए केन्द्रीय मूल्य से 50 पैसे अधिक से ऊपर न हो। अब केन्द्र सरकार ने यह प्रतिबंध हटाकर उचित दर दुकानों के लिए मार्जिन निर्धारित करने के मामले में राज्य सरकारों के लिए लचीलापन प्रदान किया है। तथापि, यह स्थिति अंत्योदय अन्न योजना के लिए लागू नहीं होगी जहां अन्तिम खुदरा मूल्य को गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम रखना होगा।

(ङ) फिलहाल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार है:-

गेहूं — 415/-रुपये प्रति क्विंटल

चावल — 565/-रुपये प्रति क्विंटल

भारतीय स्टेट बैंक के लिए उन्नयन कार्यक्रम

*469. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने 800 करोड़ रुपए की लागत का उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो शुरू किए जाने वाले उन्नयन कार्यों का, कार्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सेवाएं निजी बैंकों की तुलना में अपेक्षित स्तर की नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक के समस्त कारोबार को स्वचालित बनाना, उसकी शाखाओं को नेटवर्क करना और संवितरण के नए माध्यम खोलना होगा। इस कार्यक्रम में शामिल है :

- बैंक-व्यापी (बैंक-वाइड) नेटवर्किंग,
- इन्टरनेट बैंकिंग,
- ए टी एम कनेक्टिविटी,
- केन्द्रीकृत कोड (कोर) बैंकिंग,
- व्यापार वित्त,
- ए एल एम, और
- राजकोष।

भारतीय स्टेट बैंक ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी आधार में निवेश कर रहा है। बैंक ने उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करके ग्राहकों को बेहतर और सक्षम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है :

- हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर ग्राहकों के लेन-देन के निपटान के लिए 11 केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक आंकड़ा विनिमय परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
- ड्राफ्टों के कंप्यूटरीकृत मुद्रण की शुरूआत।
- इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा के लिए एम आई सी आर और ई सी एस केन्द्र खोलना।
- कारबार के बढ़े हुए समय (7 से 12 घंटे) और 7 दिवसीय बैंकिंग की शुरूआत।
- लगभग 400 ग्राहकों को कवर करते हुए 70 से अधिक शाखाओं में कार्पोरेट ग्राहकों के लिए दूरस्थ (रिमोट) लागइन सुविधाएं लागू की गई हैं।
- बैंक के मुम्बई सर्किल में 38 शाखाओं में प्रायोगिक आधार पर टेली बैंकिंग शुरू की गई है, जिसका शीघ्र ही अन्य सर्किलों में विस्तार किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक की सेवा ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रतिस्पर्धा का विधिवत मुकाबला किया है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया प्रौद्योगिकी कार्यक्रम उसे अपनी सेवा में और सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए निर्धारित दरों पर चावल का निर्यात

*470. **श्री राजैया मल्याला :**
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को चावल की आपूर्ति की जाने वाली दर पर चावल के निर्यात का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे निर्यातों के लिए व्यापारियों को भारत खाद्य निगम के चावल की बिक्री में कितनी धनराशि की राज-सहायता दी गई; और

(ग) अब तक देश-वार कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के लिए

निम्नलिखित दरों पर चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गई है :-

(i) रॉ चावल 5,650 रुपये प्रति टन

(ii) सेला चावल 6,000 रुपये प्रति टन

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 5,650 रुपये प्रति टन है।

सरकार निर्यातकों को कोई नकद राजसहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, चावल के निर्यात मूल्य भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत, जो 11,760 रुपये प्रति टन है, से कम है। अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्यात मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

(ग) अब तक 1,20,876 टन चावल का निर्यात किया गया है। देशवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

देश	निर्यात की गई मात्रा (टन में)
बंगलादेश	60,881
सऊदी अरब	12,260
कुवैत	2,500
अफरीकन देश	45,235
जोड़	1,20,876

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

*471. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विनिवेश प्रक्रिया से आर्थिक अपराधियों को दूर रखने के लिए नए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विनिवेश प्रक्रिया के लिए सलाहकारों और विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हता के बारे में 13.7.2001 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों की प्रतियां क्रमश: विवरण-I और विवरण-II पर दी गई हैं।

विवरण-I

सं० 6/4/2001 - वि०वि० II
भारत सरकार
विनिवेश विभाग

ब्लॉक न० 14, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर
नई दिल्ली।

दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विनिवेश प्रक्रिया के लिए सलाहकारों की अर्हता के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने, सलाहकारों के चयन के लिए मापदण्डों को परिभाषित करते हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन-साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सके। इसके पूर्व क्षेत्र अनुभव, ज्ञान, वचनबद्धता आदि जैसे निश्चित मापदण्ड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार ने, विनिवेश सौदों के लिए सरकार के सलाहकारों के रूप में काम करने के लिए पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

(क) परामर्शी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध गंभीर अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोष सिद्धि अथवा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभ्यारोपण आदेश अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा। इसी प्रकार सहायक कंपनियों के बीच संबधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलत: नियंत्रित हैं।

(ख) किसी हस्ती के सलाहकार के रूप में नियुक्त होने के बाद इस प्रकार की अयोग्यता घटित हो जाने की दशा में, पार्टी विनिवेश प्रक्रिया से स्वेच्छा से अपना नाम वापस लेने के लिए बाध्य होगी अन्यथा सरकार, नियुक्ति/अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ग) अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने से अयोग्य ठहराया गया है, सम्बद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे आयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदण्ड, इसके बाद सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इसके अलावा इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल आरंभ की गई है उनके नाम तथा पदनाम तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदण्ड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी। उनको इस आशय की वचनबद्धता भी देनी होगी कि यदि उन्हें सौदा पूरा होने से पूर्व किसी समय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आयोग्य ठहराया गया है, उनको इस बारे में सरकार को सूचित करना होगा और इस नियुक्ति से स्वेच्छापूर्वक अपना नाम वापस लेना होगा।

(ज) इच्छुक पार्टियों को यह वचनबद्धता भी करनी होगी कि सौदे के निपटान में सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख तक हित का कोई विरोध विद्यमान नहीं है और यदि भविष्य में इस प्रकार का कोई हित का विरोध उत्पन्न होता है, तो सलाहकार इसकी जानकारी तत्काल सरकार को देगा। विनिवेश प्रयोजनों के लिए, हित के विरोध की परिभाषा में किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगे रहना अथवा अनुबंध के दौरान सलाहकार द्वारा किसी तीसरी पार्टी की सहभागिता में व्यवसाय करना शामिल है जो भारत सरकार अथवा सौदे के संबंध में (विनिवेश की जा रही) कंपनी के हित को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामग्रीगत तौर पर बुरी तरह प्रभावित करेगी तथा युक्त-युक्त तरीकों से उससे यह संभावना बनी रहेगी, जिसके बारे में सलाहकार के पास कोई जानकारी है अथवा अनुबंध के दौरान वह किसी प्रकार की उपयुक्तता अथवा ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है जो भारत सरकार अथवा सौदे में (विनिवेशित की जा रही) कंपनी के सामग्रीगत नुकसान के लिए ऐसे ग्राहक द्वारा किसी प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है। हित का विरोध स्वत: उत्पन्न हुआ मान लिया जाएगा यदि किसी परामर्शी फर्म/कंपनी का, किसी बोलीदाता फर्म/कंपनी के साथ उसी विनिवेश सौदे के लिए ऐसे सौदे के लंबित रहने के दौरान, किसी प्रकार का व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंध हो। इस परिपेक्ष्य में, सलाहकार फर्म तथा बोलीदाता फर्म दोनों का अभिप्राय, भिन्न और पृथक विधिक हस्तियों से होगा और इसमें उनकी सहायक कंपनी, कंपनी समूह अथवा संबद्ध आदि शामिल नहीं होगी। व्यवसायिक अथवा वाणिज्यिक संबंध की परिभाषा में बोलीदाता की ओर से कार्य करने अथवा बोलीदाता के लिए किसी भी प्रकृति का कार्य आरंभ करना शामिल है चाहे वह विनिवेश सौदे से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है अथवा नहीं।

(झ) हित के विरोध पर जानकारी प्राप्त होने पर सरकार, सलाहकार को या तो निश्चित समय के भीतर हित का विरोध समाप्त करने अथवा सौदे से अपना नाम वापस लेने का विकल्प देगी और सलाहकार को तदनुसार काम करना होगा अन्यथा सरकार, नियुक्ति/अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ए०के० तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग

विवरण-II

सं० 6/4/2001 - वि०वि० II
भारत सरकार
विनिवेश विभाग

ब्लॉक न० 14, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर,
नई दिल्ली।

दिनांक 13 जुलाई, 2001

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हता के लिए दिशा-निर्देश

सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में इच्छुक बोलीदाताओं के लिए मापदण्डों को परिभाषित करते हुए व्यापक तथा पारदर्शी दिशा-निर्देश बनाने के मुद्दे पर विचार किया है ताकि प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से चुनी गई पार्टियां, जन-साधारण के विश्वास को प्रेरित कर सकें। इससे पूर्व, निवल मूल्य, अनुभव, आदि जैसे निश्चित मापदण्ड का उपयोग किया जाता था। अनुभव के आधार पर संबंधित विभागों के परामर्श से सरकार ने, विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक पार्टियों की अर्हता/अयोग्यता के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

(क) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से इतर अन्य मामलों के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोषसिद्धि अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश जो सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट, जब इसका विनिवेश हो जाए, का प्रबंधन करने के लिए बोलीदाता की क्षमता पर आशंका प्रकट करता हो अथवा जो गंभीर अपराध से संबंध रखता हो, वह अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवेदना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ख) देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों के संबंध में बोलीदाता पार्टी अथवा बोलीदाता पार्टी की किसी सहायक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए सरकार की किसी एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र/न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण अयोग्यता का परिणाम होगा। सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलत: नियंत्रित हैं।

(ग) (क) तथा (ख) दोनों में अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(घ) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने से अयोग्य ठहराया गया है, सम्बद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(ङ) अयोग्यता का मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(च) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे आयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(छ) ये मानदण्ड, इसके बाद इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ, उपरोक्त मानदण्ड पर जानकारी प्रदान करनी होगी। बोलीदाताओं को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है। उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिनके विरुद्ध जांच-पड़ताल आरंभ की गई है तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदण्ड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी।

(ए०के० तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवकों के संबंध में दिशा-निर्देश

*472. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें उन राज्यों के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवकों के हितों का ध्यान रखना चाहिये, जिनके संसाधनों का दोहन वे लाभ अर्जित करने के लिए कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

*473. **श्री जे०एस० बराड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आरम्भ किये गये आर्थिक सुधारों से अपेक्षित स्तर तक रोजगार का सृजन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार रोजगार सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की समीक्षा कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) आर्थिक सुधारों का उद्देश्य सं०घ०उ० की वृद्धि में तेजी लाना है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जो रोजगार सृजित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था में वेतन, आय और रोजगार का स्तर, उस की गुणवता एवं वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापित अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि तथा आबादी में बढ़ोत्तरी एवं इससे उत्पन्न श्रम शक्ति द्वारा प्रभावित होती है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा रोजगार पर किए गए सर्वेक्षण के 55वें दौर (जुलाई, 1999-जून, 2000) पर आधारित देश में रोजगार स्थिति सम्बन्धी अद्यतन आंकड़े दर्शाते हैं :-

- कुल संख्या में रोजगार 1983 में 303 मिलि० से बढ़कर 1994 में 374 मिली० (2.04%) और वर्ष 2000 में 397 मिलि० (0.98 प्रतिशत) हो गया।

- कुल रोजगार की वृद्धि दर 1983 से 1993-94 की अवधि में 2.04 प्रतिशत वार्षिक से गिरकर 1993-94 से 1999-2000 की अवधि में 0.98 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। सभी आयु समूहों में श्रमिक बल की सहभागिता दर में 1993-94 की तुलना में 1999-2000 में गिरावट आई जो श्रमिक बल की वृद्धि में 1987-88 से 1993-94 की अवधि में 2.29 प्रतिशत से 1993-94 से 1999-2000 की अवधि में 1.03 प्रतिशत की तीव्र गिरावट में परिलक्षित होता है। अत: रोजगार में गिरावट श्रमिक बल की वृद्धि में तीव्र गिरावट से भी संबद्ध है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1991-92 को समाप्त होने वाली 12 वर्षीय अवधि के दौरान 5.3 प्रतिशत की तुलना में वार्षिक औसत स०घ०उ० वृद्धि 1992-93 से 2000-01 के दौरान बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गयी है। तथापि, देश के श्रमिक बल में विस्तार की अनुमानित वर्तमान 8.7 मिलि० वार्षिक दर को देखते हुए देश की समग्र रोजगार स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए कम से कम 8 से 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर आने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ सतत् रोजगार सृजन के लिए परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अल्पावधिक लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस समय बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न करने वाली स्कीमें चल रही हैं।

सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि से प्राप्त मुआवजे की राशि पर आयकर

*474. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1999 से किसी परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि से परियोजना से प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि के रूप में मिली एक लाख से अधिक की धनराशि पर 10% प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना से प्रभावित लोगों ने इस संबंध में सरकार से अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन दिया है कि परियोजना से प्रभावित

लोगों को मुआवजे के रूप में मिली धनराशि पर आयकर न लगाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पूंजीगत परिसम्पत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे के भुगतान से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ठ को दिनांक 01.06.1999 से वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा लागू किया गया था। उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति जो उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत, किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण किसी निवासी को मुआवजा अथवा बढ़े हुए मुआवजे अथवा प्रतिफल अथवा बढ़े हुए प्रतिफल के रूप में किसी धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी धनराशि के भुगतान के समय उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में उस धनराशि के 10% के बराबर धनराशि की कटौती करेगा। ऐसे मामलों में उक्त धारा के अन्तर्गत कोई कटौती की जानी अपेक्षित नहीं थी जहां वित्त वर्ष के दौरान ऐसे भुगतान की धनराशि अथवा ऐसे भुगतानों की कुल धनराशि एक लाख रुपए से अधिक नहीं थी।

परन्तु, वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा अनुवर्ती संशोधन के फलस्वरूप, धारा 194-ठ के उपर्युक्त उपबंधों को पहले से ही दिनांक 1 जून, 2000 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत दिनांक 1 जून, 2000 को अथवा उसके पश्चात् किए गए किसी भुगतान पर अब कोई कटौती की जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) बजट प्रस्तावों को तैयार करते समय सरकार को हर वर्ष अनेक सुझाव प्राप्त होते हैं। सरकार को आयकर अधिनियम, की धारा 194-ठ के उपबंधों पर पुन: विचार करने के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ था ताकि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर दुष्प्रभाव न पड़ सके।

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ठ के उपबंधों में वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा पहले ही संशोधन कर दिया गया है। तदनुसार, उक्त धारा के अन्तर्गत दिनांक 1 जून, 2000 को अथवा उसके पश्चात् किए गए किसी भुगतान से स्रोत पर अब किसी कर की कटौती किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

चाय का आयात

***475. श्री तूफानी सरोज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से चाय के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित चाय का ब्यौरा क्या है और उसे किस मूल्य पर आयात किया गया;

(ग) क्या इतने कम मूल्य पर और इतनी अधिक मात्रा में चाय के आयात से घरेलू चाय के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो आयातित चाय का घरेलू चाय के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का आयात निम्नानुसार रहा :-

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु०)	इकाई कीमत (रु०/किग्रा०)
1998-99	9058	6482.75	71.57
1999-2000	5057	2561.05	50.64
2000-2001	6404	4148.92	64.79

(ग) से (ङ) वर्ष 2000-01 के दौरान चाय का आयात 6404 टन का हुआ था जो देश में हुए चाय के कुल उत्पादन का मात्र 0.8% है चूंकि ये आयात अधिकांशतया पुनर्निर्यात के प्रयोजन से किए जाते हैं। इसलिए इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि चाय के आयात से घरेलू चाय उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, घरेलू चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से, सरकार/चाय बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(i) निलामियों केन्द्रों पर कम कीमत प्राप्ति के लिए लघु चाय उत्पादकों की क्षतिपूर्ति करने हेतु, सरकार ने चाय बोर्ड के जरिए 1.5.2000 से एक योजना लागू की थी जिसके तहत लघु चाय उत्पादकों (10.12 हेक्टेयर तक के चाय बागान धारक) को नीलामी कीमत और 55 रु० प्रति किग्रा० के बीच के अंतर के बराबर की राशि इमदाद के रूप में प्रदान की जाती थी। इस प्रकार के इमदाद की मात्रा प्रति किग्रा० चाय पर अधिकतम 8 रु० तक सीमित थी।

(ii) लघु उत्पादकों द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में चाय बोर्ड द्वारा एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(iii) चाय की सार्वजनिक नीलामियों के जरिए चाय के उत्पादन के 75% हिस्से की अनिवार्य बिक्री की शर्त को हटाने के लिए चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश 1984 में संशोधन किया गया है। अब चाय उत्पादक चाय की सार्वजनिक नीलामियों के जरिए चाय की कोई भी मात्रा बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) चाय के आयात पर मूल सीमा शुल्क 35% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है।

(v) 100% निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू) और निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ईपीजैड) की इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

[अनुवाद]

आर्थिक मंदी

*476. **श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सभी सदस्य देशों से कहा है कि वर्तमान आर्थिक मंदी की स्थिति में सुरक्षात्मक उपायों से बचें और इसके बजाय व्यापारिक बाधाओं और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली राजसहायता को समाप्त करने या कम करने हेतु कदम उठायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ये कदम किस सीमा तक सफल रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति ने दि० 29 अप्रैल, 2001 की अपनी विज्ञप्ति में इस मामले का उल्लेख किया था। समिति की यह सर्वसम्मति थी कि संरक्षणात्मक उपायों का आश्रय लेना भूमंडलीय आर्थिक मंदी तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विद्यमान कठिनाइयों के प्रति एक गलत प्रतिक्रिया होगी। समिति ने सभी सदस्य देशों से संरक्षणात्मक उपायों तथा व्यापार बाधाओं और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी आर्थिक सहायताओं का विरोध करने का आग्रह किया है।

भारत, नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। आर्थिक उदारीकरण की समग्र प्रक्रिया और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के प्रति भारत की वचनबद्धता के अंग के रूप में, 31 मार्च, 2001 को घोषित निर्यात-आयात नीति, 2001 ने स्वीकृत समय सीमा के अनुसार वर्तमान मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यू०आर०) को चरणबद्ध रूप से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

(ग) पिछले दशक में किये गये आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सुधार हुआ है, निर्यात बढ़े हैं और भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और गुणवत्ता के प्रति सचेत हुआ है।

रुपये का मूल्य

*477. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये का मूल्य विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से आने वाली विदेशी मुद्रा पर निर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब डालर के मुकाबले रुपये का मूल्य स्पष्ट रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से आने वाले धन की आवक के अनुसार बदलता रहता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार रुपये का मूल्य-निर्धारण अन्य कारकों पर किस हद तक निर्भर बनाने का है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा के किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) भारत में रुपए की विनिमय दर अधिकांशत: बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है और भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्ट-फोलियो निवेशों के लिए निधियों के आवक सहित, भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों पर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के कारण हुई विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हुए यह प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है। इसलिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश विदेशी मुद्रा प्रवाहों के अनेक स्रोतों में से केवल एक स्रोत है जो रुपए की विनिमय दर को प्रभावित कर सकता है।

(ङ) भारत और विदेशों के वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों का सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा गहन अनुवीक्षण किया जाता है और मुद्रा दर के अत्यधिक उतार-चढ़ाव में कमी लाने, अस्थिरता उत्पन्न करने वाली सट्टे की गतिविधियों को रोकने, विदेशी मुद्रा बाजार की सुव्यवस्थित स्थितियां विकसित करने और विदेशी मुद्रा भण्डारों के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए जब भी आवश्यक हो उचित उपाय किए जाते हैं।

सरकारी वित्त

*478. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वित्त में चौतरफा गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के वित्त में इस तरह की चौतरफा कमी के लिये कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अगले कुछ महीनों में वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु कुछ कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 2001 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा गत वर्ष की इसी अवधि के 25073 करोड़ रुपए, जो कि बजटीय राशि का 22.5 प्रतिशत था, कि तुलना में 42198 करोड़ रुपए है जो वर्ष 2001-2002 के बजटीय अनुमान का 36.3 प्रतिशत है। अप्रैल-जून, 2001 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक राजकोषीय घाटा, राज्यों को केन्द्रीय करों की सुपुर्दगी और राज्यों को अग्रिमों सहित कतिपय व्ययों के बढ़ने के पश्चात् निवल राजस्व प्राप्तियों में कमी को मुख्यत: प्रदर्शित करता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के वित्त की प्रवृत्तियों की गहन मानीटरिंग की जाती है और इनकी निरन्तर संवीक्षा की जाती है तथा उभरती हुइ प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक हो, उचित उपाय किए जाते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम की गैर-निष्पादक आस्तियां

*479. **डा० रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की गैर-निष्पादक आस्तियों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की गैर-निष्पादक आस्तियों में इस वृद्धि के लिये कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) क्या बकाया ऋणों की वसूली के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उठाये गये कदम निष्प्रभावी रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के समग्र कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पिछले कुछ वर्षों में उसकी गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी आयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बकाया ऋणों की वसूली हेतु लगातार प्रयास किए जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उसने चूककर्त्ता निगमित इकाइयों, संबद्ध राज्य एजेंसियों/सरकारों आदि के साथ मिलकर निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाइयों द्वारा बकाया देनदारियों की वसूली हेतु कदम उठाए हैं। ऐसी वसूलियों पर निगरानी रखने हेतु पृथक से एक मॉनीटरिंग सैल की स्थापना की गयी है। निष्पादित कार्रवाई में अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके देयताओं को नए सिरे से निश्चित करना, डिबेंचर ट्रस्टियों के समक्ष मामले को उठाना, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जान बूझकर चूक करने वालों की पहचान करना और कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करना, जारी किए जाने वाले नए ऋणों को बकाया ऋणों के निपटान के साथ जोड़ना तथा राज्य सरकारों और इसकी एजेंसियों आदि के साथ मामले को उठाना शामिल है।

[हिन्दी]

छोटे निवेशकों की सुरक्षा

*480. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी नियंत्रण के अन्तर्गत संचालित वित्तीय संस्थाओं में छोटे निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए कुछ नये उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हाल में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थाओं में छोटे निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए वर्तमान प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या वर्तमान प्रणाली में जवाबदेही का प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान प्रणाली में जवाबदेही किस स्तर तक है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी का विनियमन संबंधित अधिनियमों तथा उनके तहत जारी नियमों/विनियमों के तहत उनके क्रियाकलापों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न विनियामक निकायों यथा भारतीय रिजर्व बैंक (भा०रि०बैं०), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा कंपनी कार्य विभाग (डीसीए) द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक परिसीमा में आती हैं, शेयरों, सार्वजनिक निर्गमों के जरिए ऋण-पत्रों के रूप में संसाधन जुटाने वाली कंपनियां तथा म्यूचुअल फंड सेबी की विनियामक परिसीमा में आते हैं, बीमा उत्पाद, जीवन तथा जीवन-भिन्न दोनों का विनियमन आईआरडीए द्वारा किया जाता है तथा कंपनियों द्वारा जमाराशि संग्रहण डीसीए के क्षेत्राधिकार में आता है।

इन विनियामक निकायों ने प्रकटीकरण, पूंजी पर्याप्तता, विवेकपूर्ण मानदंडों, विनियामक मानदंडों के अनुपालन, आदि के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। निवेशकों के हित की सुरक्षा करने के उद्देश्य से सरकार संबंधित विधान, उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों एवं उनके प्रशासन की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

किए जाने वाले अनवरत उपायों में निवेशक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों के बीच जोखिम-प्रतिलाभ संबंध के बारे में निवेशक जागरूकता को प्रोत्साहित करना, कार्पोरेट अभिशासन की संहिता का क्रियान्वयन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार पद्धतियों का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 संसद में पेश किया गया है। सेबी ने प्राथमिक बाजार में कंपनियों के प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडों को कठोर कर दिया है। इसके अतिरिक्त, निवेशकों के संरक्षण के उपबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार का सेबी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

माल गोदामों का निर्माण

4756. प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में माल गोदामों के निर्माण तथा संयुक्त उद्यम लगाने, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियां स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम कौन-कौन से देशों में माल गोदामों का निर्माण करेगा और इनका निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है; और

(ग) इन माल गोदामों के निर्माण से भारत को क्या लाभ होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) इस समय भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 में केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा विदेशों में भाण्डागार स्थापित करने, संयुक्त उद्यम लगाने तथा अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, भाण्डागार निगम (संशोधन) विधेयक, 2001, जिसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया था, इनकी व्यवस्था करता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। लोक सभा ने संशोधन विधेयक 20.8.2001 को पारित कर दिया।

प्रस्तावित संशोधन निगम की अपनी गतिविधियों में विविधताओं की संभवनाओं को तलाशने में समर्थ बनाएगा।

यूटीआई के लंबित मामले

4757. श्री सुरेश कुरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19ख के तहत न्यायालयों में दायर किए गए कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों में धन मूल्य के अनुसार यूटीआई द्वारा मांगी गई राहत राशि (i) एक से दस लाख, (ii) दस से पचास लाख, और (iii) पचास लाख रुपए से अधिक के अलग-अलग मामले कितने हैं; और

(ग) वे पार्टियां कौन-कौन सी हैं जिनके विरुद्ध पचास लाख के ऊपर की राशि के मामले लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 1990 में उन्होंने यूटीआई अधिनियम, 1963 की धारा 19ख के अन्तर्गत 1,00,29,841.50 रुपए (एक करोड़ उनतीस हजार आठ सौ इकतालिस रुपए और पचास पैसे) के लिए कमिंग टूल्स कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध एक मामला मुंबई उच्च न्यायालय (1990 का विविध आवेदन संख्या 76) के समक्ष दायर किया था जिसका निपटारा लंबित है।

बीमा क्षेत्र में गैर-सरकारी एजेंसियां

4758. श्रीमती मिनाती सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा क्षेत्र के मुक्त बाजार में आने संबंधी निर्णय के प्रख्यापन के बाद से इस क्षेत्र में अब तक कितनी गैर-सरकारी एजेंसियां आई हैं; और

(ख) ये गैर-सरकारी एजेंसियां कौन-कौन सी हैं और इन एजेंसियों ने अब तक मुक्त बाजार में राज्य-वार कितना निवेश किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(7क) में यथा-परिभाषित केवल भारतीय बीमा कंपनी ही भारत में बीमा कारोबार कर सकती है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत प्राइवेट बीमा कम्पनियों की संख्या और उनकी चुकता इक्विटी पूंजी को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र० सं०	भारतीय बीमा कंपनी का नाम	विदेशी भागीदारों की इक्विटी (करोड़ रु० में)	भारतीय भागीदारों की इक्विटी (करोड़ रु० में)	कुल इक्विटी (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	एच०डी०एफ०सी० स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)	31.24	89.26	120.5
2.	रायल सुन्दरम एलायन्स इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई (त०ना०)	26.26	72.74	101.0
3.	रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कं० लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)	कोई विदेशी भागीदारी नहीं	100.0	100.0
4.	मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस क०लि०, नई दिल्ली	27.30	77.70	105.0
5.	आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि०, मुम्बई (महाराष्ट्र)	39.0	111.0	150.0
6.	आईएफएफसी ओ-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली	26.0	74.0	100.0
7.	ओम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस क०लि०, मुम्बई (महाराष्ट्र)	26.26	74.74	101.0

1	2	3	4	5
8.	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	32.5	92.5	125.5
9.	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)	31.20	88.8	120.0
10.	टाटा-एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (महा०)	32.5	92.5	125.0
11.	एस०बी०आई० लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)	32.5	92.5	125.0
12.	बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, पूणे (महा०)	28.60	81.40	110.0
13.	आई०एन०जी० वैसयी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर (कर्नाटक)	28.60	81.40	110.0
14.	आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (महा०)	28.60	81.40	110.0
15.	बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि०, पूणे (महा०)	39.0	111.0	150.0
16.	मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी प्रा० लि०, बंगलौर (कर्नाटक)	28.59	81.41	110.0

दुग्ध निर्यात की अनुमति

4759. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डेयरियों ने सरकार से दुग्ध उत्पादों के निर्यात की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डेयरियों को इनका निर्यात करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो ये डेयरियां कौन-कौन सी हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा के लिए किन-किन निबंधन और शर्तों का पालन करना होगा;

(घ) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मांग का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी कौन-कौन से देश इन उत्पादों का आयात कर रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। भारत सरकार के दिनांक 28 नवम्बर, 2000 के आदेश संख्या 2719 के अनुसार दुग्ध प्रसंस्करण एककों के लिए यह अनिवार्य है कि उनके दुग्ध उत्पादों को निर्यात से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन रखा जाए।

(ख) सरकार ने दिनांक 28 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 2720 के तहत निर्धारित मानदण्डों और अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के अधीन रहते हुए 16 दिसम्बर, 2000 से अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) दिनांक 17 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार निर्यात हेतु दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण करने के लिए 14 डेयरी प्रसंस्करण

संयंत्रों को अनुमोदित किया गया है। ये संयंत्र हैं – डायनामिक्स डेयरी इंडस्ट्री लि० (पुणे), मदर डेयरी (गांधी नगर), मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, अमूल डेयरी (आनन्द), खेड़ा सेटलाइट डेयरी (खेड़ा), फूड कंपलैक्स (मोगर), बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, (कपूरथला), लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, भटिंडा कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि०, पंजाब स्टेट कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स फैडरेसन लि०, चंडीगढ़ और मदरडेयरी फ्रूट एवं बैजीटेबल लि०, (दिल्ली)।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुपालन हेतु अपेक्षित निबन्धन एवं शर्तें 28 नवम्बर, 2000 के भारत सरकार के आदेश सं० का०आ० 2719 और अधिसूचना संख्या का०आ० 2720 में निर्धारित हैं जिन्हें भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और जो 16 दिसम्बर, 2000 से लागू हैं।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की वैश्विक मांग के बारे में कोई मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। इस समय भारतीय दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का आयात करने वाले प्रमुख देश हैं – बंगलादेश, जर्मनी, बेल्जिम, यूएई, फिलिपिन्स, कनाडा, यमन अरब गणराज्य, यू०के०, सऊदी अरब, फ्रांस और यूएसए।

चावल की खरीद

4760. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य में चावल की खरीद के लिए 120 करोड़ रुपये का ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस राशि से खरीदे गए चावल का ब्यौरा प्रेषित किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिला-वार और किस्म-वार कितनी खरीद की गई;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस ऋण राशि का कोई अन्यत्र उपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में किस्मवार तथा जिलावार चावल की वसूली संलग्न विवरण-I व II पर दी गई है।

(घ) और (ङ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

खरीफ विपणन मौसम के दौरान (31.3.2001 की स्थिति के अनुसार) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई लेवी चावल की वसूली बताने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

जिला का नाम	ग्रेड "ए"	साधारण
1	2	3
अदीलाबाद	17232	568
अनंतपुर	4392	7
चित्तूर	4004	200
कुडापाह	8778	16731
पूर्वी गोदावरी	598030	136325
गुंटूर	183650	37204
हैदराबाद	1354	70
करीमनगर	411903	22243
खम्माम	180021	0
कृष्णा	443435	70444
कूरनुल	35503	248
एम० नगर	131568	208
मेडक	111890	9057
नालगोंडा	539913	55093
नेल्लौर	123529	38098
निजामाबाद	214392	10219
प्रकाशम	58230	2393
रंगारेड्डी	81016	1373
श्रीकाकुलम	147495	2868

1	2	3
विजाग	2584	46
विजयानगर	50725	1746
वारंगल	256061	6067
पश्चिमी गोदावारी	449154	122636
जोड़	4054859	533844

विवरण-II

रबी विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान (11.7.2001 की स्थिति के अनुसार) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई लेवी चावल की वसूली बताने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

जिला का नाम	ग्रेड ''ए''	साधारण
1	2	3
अदीलाबाद	446	0
अनंतपुर	795	0
चित्तूर	1159	36
कुडापाह	4123	1385
पूर्वी गोदावरी	143924	77635
गुंटूर	68619	9248
हैदराबाद	356	0
करीमनगर	198339	1232
खम्माम	47013	27
कृष्णा	162687	65818
कुरनुल	9617	244
एम० नगर	56347	0
मेडक	50413	1549
नालगोंडा	238036	936
नेल्लौर	100877	4879
निजामाबाद	124940	186
प्रकाशम	62000	1132
रंगारेड्डी	35157	47
श्रीकाकुलम	19787	242
विजाग	0	0
विजयानगर	10101	647
वारंगल	88181	184
पश्चिमी गोदावारी	256073	58292
जोड़	1678992	223919

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बैंक

4761. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बैंक खोलने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ये ज्ञापन किन-किन व्यक्तियों/संगठनों की ओर से प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ऐसे बैंक खोलने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल की मांग और आबंटन

4762. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तमिलनाडु को चावल का कितना आबंटन किया गया है और मांग कितनी है;

(ख) क्या तमिलनाडु को घटिया स्तर के चावल की आपूर्ति की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्यान्नों का आबंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और यह मांग के आधार पर नहीं किया जाता।

तमिलनाडु को चावल का मासिक आबंटन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

(टन में)

	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़
चावल	1,21,570	38,440	1,60,010

(ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भविष्य निधि

4763. श्री विष्णुदेव साय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखाकार, ग्वालियर को 1997-98 से 2001-2002 तक सेवानिवृत्त और मृत सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि के पूर्ण भुगतान के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) ऐसे कुल मामले कितने हैं और प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(घ) शेष मामलों को निर्धारित समय में निपटाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों (मध्य प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त तथा मृत कर्मचारियों सहित) से महालेखाकार (ए० एंड ई०)-II कार्यालय, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए अन्तिम भुगतान के लिए आवेदनों की कुल संख्या की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है :-

1997-1998	24219	(ओ०बी० 4615 + 19604)
1998-1999	12044	
1999-2000	6597	
2000-2001	12201	
2001-2002 (जुलाई)	5244	
	60305	

(ख) जारी करने वाले भुगतान प्राधिकारियों द्वारा निपटाए गए अन्तिम भुगतान आवेदनों की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है। 97-98 के आंकड़ों में 97-98 के मामलों तथा पिछले वर्ष के लम्बित मामलों का निपटान भी शामिल है।

1997-1998	22964
1998-1999	11719
1999-2000	6449
2000-2001	10287
2001-2002 (जुलाई)	4585
	56004

(ग) 31.3.2001 की यथा-स्थिति के अनुसार लम्बित अन्तिम भुगतान मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

लम्बित मामलों की संख्या = 4301

लम्बित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा

1997-1998	4
1998-1999	117

1999-2000	398
2000-2001	2022
2001-2002 (जुलाई)	1760
	4301

(घ) जैसे-जैसे संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी०डी०ओ०)/विभागों से आवश्यक विवरण प्राप्त होते रहते हैं, वैसे-वैसे मामलों को निपटाया जा रहा है।

[अनुवाद]

आयकर विवरणी भरना

4764. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **वित्त मंत्री** महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा आयकर विवरणी भरने के बारे में 1 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा लाइसेंस शुल्क पर आयकर लगाने से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संबंध में मूल्यांकन संबंधी कार्यवाही पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा लाइसेंस शुल्क पर आयकर प्रभारित करने के सम्बंध में नहीं है।

(ख) और (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महानगर टेलीफोन निगम लि० के मामलों में कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए पुन: कर-निर्धारण के लिए धारा 148 के अंतर्गत नोटिस की वैधता से संबंधित सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। अनुवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण कार्यवाहियां पूरी हो गई हैं। कर- निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए कर-निर्धारण कार्यवाहियां लंबित हैं।

डिग्बोई रिफायनरी को उत्पाद शुल्क में छूट

4765. डा० जयन्त रंगपी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों को प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज के अंग के रूप में नमलीगढ़ रिफायनरी की तर्ज पर डिग्बोई रिफाइनरी को उत्पाद शुल्क में राहत देने के संबंध में कोई सिफारिश/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

अध्ययन ऋण

4766. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अध्ययन ऋण देने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब तक कितनी राशि के ऋण दिए हैं;

(घ) क्या भारत और विदेशों में ऋण देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शैक्षणिक ऋण संवितरित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1999 तक शैक्षणिक ऋण योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1,39,306 लाभार्थियों को 476.66 करोड़ रुपए वितरित किए।

(घ) और (ङ) शैक्षणिक ऋण योजना में भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए के ऋण और विदेश अध्ययन के लिए 15 लाख रुपए तक के ऋण की परिकल्पना की गई है।

फर्जी राशन कार्ड

4767. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राशन कार्ड जारी करने में पंचायती राज संस्थाओं की मदद लेकर बड़ी सावधानी बरतने संबंधी कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशानिर्देशों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष दर वर्ष फर्जी राशन कार्डों में वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रति वर्ष कितने फर्जी राशन कार्डों का पता लगाया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) फरवरी, 1997 में जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे लक्षित परिवारों की पहचान करने के काम में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करें। राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि राशन कार्ड जारी करते समय इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतें। जून, 1999 में जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकाधिक रूप से शामिल करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि राशन कार्ड के सही होने के बारे में जांच करने के लिए ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं की भूमिका का उपयोग करें।

(घ) और (ङ) मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यह बात स्पष्ट नहीं है कि प्रचलन में फर्जी राशन कार्डों की संख्या बढ़ रही है अथवा घट रही है। मंत्रालय में फर्जी राशन कार्डों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कम्पनी

4768. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक अपनी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक सहायक कंपनी की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कंपनी के गठन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसका कार्य बैंकों को कंप्यूटरीकरण के कार्यान्वयन, विभिन्न बैंकिंग कार्यकलापों के लिए इसकी शाखाओं का नेटवर्क करना, राजकोष समाधान, जोखिम प्रबंधन एवं अच्छा एम आई एस और वित्तीय उद्योगों एवं बीमा क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना है। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कंपनी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलाप बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के अन्तर्गत शामिल नहीं थे, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(1)(ग) के अन्तर्गत इसके लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा मामले पर विचार किया गया था और यह महसूस किया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कंपनी का गठन करना बैंक के मुख्य कार्यकलाप एवं सौंपी गई भूमिका से विपथन होगा और बैंक को विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए, न कि ऐसे क्षेत्रों में प्रयोगात्मक प्रयास करने चाहिए जिन में अधिक सफलता नहीं मिली है। यह भी महसूस किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन के उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था द्वारा आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। अत: सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।

अंत्योदय योजना

4769. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंत्योदय योजना के तहत निर्धनतम् लोगों के लिए आपूर्ति किया गया गेहूं और चावल घटिया स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बेहतर गुणवत्ता वाले गेहूं और चावल की आपूर्ति के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। "अंत्योदय अन्न योजना" सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार द्वारा विहित विनिर्दिष्टियों और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं और चावल जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न वितरित किए जाएं, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक उठाने से पूर्व इसका निरीक्षण करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं।

(ii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक से कम पद का अधिकारी नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iii) उचित दर दुकानों के काउंटरों पर प्रदर्शित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक जारी करने के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं और सील किये जाते हैं।

(iv) राज्य सरकारों और मंत्रालय के अधिकारी उचित दर दुकानों की अचानक जांच करते हैं ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके।

(v) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की संबंधित राज्य में मानीटरिंग करने के लिए 'क्षेत्राधिकारी' के रूप में नामित विभाग के अधिकारी राज्य में अपने दौरे के दौरान जारी किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भण्डारण डिपुओं और उचित दर दुकानों के भी दौरे करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मराठी समाचारपत्रों में विज्ञापन

4770. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कौन-कौन से मराठी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को डी०ए०वी०पी० के माध्यम से विज्ञापन दिए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उन मराठी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण जिन्हें 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (20.8.2001 तक) के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन दिए गए थे।

क्र० सं०	प्रकाशन का नाम तथा आवधिकता	प्रकाशन का नाम
1.	दैनिक लोकमत, दैनिक	औरंगाबाद, महाराष्ट्र
2.	गवाकरी, दैनिक*	नाशिक, महाराष्ट्र
3.	गोमांतक, दैनिक	पणजी, गोवा
4.	जनवाद, दैनिक*	नागपुर, महाराष्ट्र
5.	केसरी, दैनिक	पुणे, महाराष्ट्र
6.	लोकसत्ता, दैनिक	मुम्बई, महाराष्ट्र
7.	लोकमत, दैनिक	जलगांव, महाराष्ट्र
8.	लोकमत, दैनिक	नागपुर, महाराष्ट्र
9.	महाराष्ट्र टाइम्स, दैनिक	मुम्बई, महाराष्ट्र
10.	नवकाल, दैनिक	मुम्बई, महाराष्ट्र
11.	पुधारी, दैनिक*	कोल्हापुर, महाराष्ट्र
12.	सकल, दैनिक*	पुणे, महाराष्ट्र
13.	सकल मुम्बई, दैनिक	मुम्बई, महाराष्ट्र
14.	संचार, दैनिक	सोलापुर, महाराष्ट्र
15.	तरूण भारत, दैनिक	बेलगाम, कर्नाटक
16.	तरूण भारत, दैनिक	नागपुर, महाराष्ट्र

* इन समाचारपत्रों का 30.6.2001 के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापनों हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनके दर संविदा का अभी तक नवीनीकरण नहीं किया गया है।

निर्यात संवर्धन परिषदों को अनुदान

4771. श्री रामजी मांझी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अगस्त, 2001 के ''इकॉनॉमिक टाइम्स'' में ''कामर्स डिपार्टमेंट फेसिज सी०ए०जी० फायर ओवर ई०पी०सी० ग्रांट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार नियंत्रक महालेखा-परीक्षक ने निर्यात संवर्धन परिषदों को दिए जाने वाले बाजार विकास सहायता अनुदानों के भुगतानों में अनेक अनियमितताओं का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) 17 अनर्ह निर्यात संवर्धन परिषदों को 36.89 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा बताई गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मुख्य लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) संबंधी मसौदा समीक्षा में टिप्पणियों के लिए लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया था कि 17 निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के लिए 36.89 करोड़ रु० की राशि जारी की गई थी, जबकि वे अनुदान पाने के पात्र नहीं थी। मुख्य लेखा परीक्षक निदेशक को यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि इपीसी को प्रदान किया गया एमडीए अनुदान सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीति के अनुसार था और यह कि 17 ईपीसी के लिए 36.89 करोड़ रु० की राशि बाजार विकास सहायता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई थी। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने हाल ही में प्रस्तुत की गई वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट सं० 2 (सिविल) में अपनी अभ्युक्तियों को दोहराया है और अगली कार्रवाई के लिए इनकी पुन: जांच की जा रही है।

आंतरिक ऋण

4772. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार का आंतरिक ऋण बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) आंतरिक ऋण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सरकार के संसाधनों में अन्तर को पूरा करने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान जुटाए गए आन्तरिक ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपए)

	1998-1999 (वास्तविक राशि)	1999-2000 (वास्तविक राशि)	2000-2001 (संशोधित अनुमान)
(i) बाजार ऋण	285585	355862	431809
(ii) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां/विशेष प्रतिभूतियों में निधिपोषित राजकोषीय हुंडियां	103319	103575	103575
(iii) अन्य आंतरिक ऋण	106792	254817	269144
कुल-आंतरिक ऋण	495696	714254	804528

(घ) सरकार ऋण-भिन्न प्राप्तियों को बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सरकार ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में ''राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक'' नामक विधेयक प्रस्तुत किया है। यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ एक समय-सीमा में राजस्व घाटे को दूर करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में लोक ऋण की वृद्धि रोकने के लिए एक कानूनी और संस्थात्मक ढांचा प्रदान करता है।

एयर इंडिया के विनिवेश में पारदर्शिता का अभाव

4773. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 2001 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (दिल्ली संस्करण) में ''ए०आई० सेल कॉट इन मिनिस्ट्री वॉर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले की यथातथ्यता क्या है;

(ग) क्या बोलीदाता, हिन्दुजाओं, ने सरकार से विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने के बारे में शिकायत की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इण्डिया के विनिवेश की प्रक्रिया पर नागर विमानन मंत्रालय और विनिवेश विभाग के बीच कोई मतभेद नहीं है। एयर इंडिया के द्विपक्षीय करारों का मूल्यांकन और शेयरधारक करार को अंतिम रूप देने से संबंधित सभी मसलों पर नागर विमानन मंत्रालय और विनिवेश विभाग सहित अनेक मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से युक्त अंतर्मंत्रालय दल की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और समाधान निकाला गया।

(ग) और (घ) विनिवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता के संबंध में हिन्दुजा द्वारा उठाए गए मुद्दों को उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है।

गैर-कोकिंग कोल पर सीमा शुल्क में वृद्धि

4774. **श्री अशोक ना० मोहोल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गैर-कोकिंग कोल पर सीमा शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वृद्धि का विद्युत संयंत्रों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्या इससे बिजली के दाम बढ़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों, विशेष तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने गैर-कोकिंग कोल का मूल्य कोकिंग कोल के मूल्य के बराबर रखे जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) घरेलू कोयला उत्पादकों को समुचित संरक्षण प्रदान करने के विचार से मई, 2000 में गैर-कोकिंग कोयले पर मूल सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। इसके कारण आयातित कोयले का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों की निविष्टि लागत में वृद्धि हो गई है।

(घ) अभी हाल में राज्य सरकारों से वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ङ) और (च) ऊपर (घ) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

हेरोइन का अवैध व्यापार

4775. **डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिणी कोरोमंडल तट से श्रीलंका ले जाई जाने वाली हेरोइन का अवैध व्यापार बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए संपूर्ण तट पर निगरानी को और कड़ा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) मादक पदार्थों की तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है। हाल के वर्ष में तमिलनाडु में श्रीलंका को भेजी जाने वाली हेरोइन की जब्ती में वृद्धि होने की प्रवृति दिखाई दी है।

(ख) मादक पदार्थों के प्रवर्तन से संबंधित सभी ऐजेन्सियों को अधिक से अधिक सतर्कता बरतने और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश देना, सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, मादक पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कुछेक रसायनों अर्थात् ऐसेटिक एनहाइड्राइड आदि को एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थ" के रूप में अधिसूचित कराना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, तस्करी-रोधी और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय बातचीत करना कुछेक ऐसे उपाय हैं जो सरकार द्वारा भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के आस-पास तस्करी की रोकथाम के लिए किये गये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की बैठक

4776. **श्री जी०एस० बसवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की लंदन में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया था;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या भारत ने प्रस्ताव के तकनीकी और कानूनी दोनों पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किए जाने के लिए और अधिक समय दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मई 2001 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान जिस अतिमहत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श किया गया था वह निम्न ग्रेड कॉफी के अपयोजन से संबंधित था। उक्त प्रस्ताव में निर्यातों से निम्न ग्रेड कॉफी को हटाने के लिए तैयार किए गए उपायों के द्वारा वैश्विक कॉफी की आपूर्ति/मांग संतुलन को सुधारने के संबंध में अध्ययन किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया था। उक्त विचार-विमर्श के आधार पर निर्यातों से निम्न ग्रेड कॉफी की उपलब्धता को कम करने और अपयोजन संबंधी प्रस्ताव पर अध्ययन को जारी रखने के लिए उत्पादक देशों के सहयोग की अपेक्षा करते हुए परिषद की बैठक में गुणवत्ता पर एक संकल्प पारित किया गया था।

(ग) और (घ) भारत ने आई सी ओ परिषद की बैठक में यह उल्लेख करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कीं कि इस स्कीम के विधिक, तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है। कॉफी बोर्ड द्वारा भारतीय कॉफी उद्योग के विविध तबकों, जिनमें निर्यातक, व्यापारी और उपभोक्ता शामिल हैं, के साथ उक्त मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। उद्योग जगत का समग्र विचार यह था कि चूंकि निर्यात हेतु भारत के ग्रेड संबंधी विनिर्देशन बहुत कठोर हैं इसलिए घटिया ग्रेड की कॉफी का निर्यात मामूली होता है। इस प्रकार, गुणवत्ता के आधार पर लगाया जाने वाला कोई निर्यात प्रतिबंध उत्पादन के प्रतिकूल है और इस पर केवल बाजारी शक्तियां ही अभिभावी होनी चाहिए।

चीनी जारी किया जाना

4777. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का चीनी उद्योग के लिए मौजूदा चीनी जारी किए जाने की मासिक नीति में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने मौजूदा नीति में कुछ परिवर्तन किए जाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) महाराष्ट्र की मिलों में पड़े अतिरिक्त स्टाक को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) मौजूदा मासिक निर्मुक्ति की नीति को संशोधित करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को महाराष्ट्र की शुगर कोआपरेटिव शुगर मिल्स की समस्याओं के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उक्त ज्ञापन में सरकार की निर्मुक्ति संबंधी नीति पर कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) चीनी मिलों के पास पड़े चीनी के स्टाक को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) चीनी के निर्यात पर से मात्रात्मक सीमा हटा दी गई है।

(ii) निर्यात के प्रयोजन की चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी गई है।

(iii) चीनी के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत दर की कीमत का ड्यूटी पात्रता पास बुक (डी०ई०पी०बी०) लाभ अनुमत किया गया है।

(iv) 1.4.2001 से अपेडा से पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(v) निर्यात की गई चीनी की मात्रा को अग्रिम मुक्त बिक्री की निर्मुक्ति समझा जाए जिसे निर्मुक्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के पश्चात् समायोजित किया जाए।

(vi) जरूरतमंद चीनी मिलों को मुक्त बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति दी जा रही है।

(vii) चीनी मिलों को लेवी चीनी के कोटे का उठान न होने पर इसके बदले उन्हें समतुल्य मात्रा में चीनी को खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति देकर अस्थायी राहत प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

हिमाचल ग्रामीण बैंक

4778. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को हिमाचल ग्रामीण बैंक की ओर से अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध किस तारीख को प्राप्त हुआ;

(ग) इस संबंध में दिनांक 18 अप्रैल, 2000 की भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना जारी किए जाने के बाद हिमाचल ग्रामीण बैंक के नेटवर्क का विस्तार किए जाने और हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में उसकी शाखाएं खोले जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में लाइसेंस कब तक जारी किए जाने की संभावना है और उक्त बैंक की शाखाओं द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। हमीरपुर, ऊना तथा बिलासपुर में विस्तारित परिचालन क्षेत्र में नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से 30 दिसम्बर, 2000 को हिमाचल ग्रामीण बैंक के आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 जुलाई, 2001 को हिमाचल ग्रामीण बैंक को उपर्युक्त तीन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्राधिकृत किया है। हिमाचल ग्रामीण बैंक द्वारा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की स्थापना और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् ये शाखाएं कार्य कर पाएंगी।

लेवी अंतर के लिए चीनी मिलों के दावे

4779. श्री मानसिंह पटेल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की चीनी मिलों ने लेवी अंतर के संबंध में दावे प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लेवी अंतर की राशि कितनी है और यह राशि कब से बकाया है; और

(घ) इसके भुगतान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) गुजरात में स्थित 11 चीनी मिलों के 870.57 लाख रुपयों के कुल दावे में से, केवल 53.41 लाख रुपयों की शेष राशि को छोड़कर जून और जुलाई, 2001 में 817.16 लाख रुपयों का भुगतान जारी कर दिया गया है। कतिपय दस्तावेजों के न होने के कारण भीलेश्वर/कोडीनार चीनी मिल के दावे के 44.34 लाख रुपए रोक लिए गए हैं। गणेश/बटारिया और बारदोली चीनी मिलों के क्रमश: 8.34 लाख रुपए और 0.73 लाख रुपए के दावे के अंश को मात्रा की पुन: पुष्टि के अभाव में रोक लिया गया है।

[अनुवाद]

अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई

4780. श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के शेयरों के लिए कृत्रिम बाजार तैयार करने में भूमिका निभाने वाले बाजार ऑपरेटरों के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्रवाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो आरोपियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आरोपियों ने इस कंपनी के शेयरों के लिए कृत्रिम बाजार तैयार करने के लिए इन शेयरों का भारी लेन-देन किया था; और

(घ) इन व्यक्तियों के खिलाफ की गई जांच के क्या परिणाम निकले और इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सेबी ने सूचित किया है कि उन्होंने अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड स्क्रिप के लिए कृत्रिम बाजार का निर्माण करने में हरि नारायण बजाज तथा उसके पुत्र आर० बजाज की कथित भूमिका के लिए उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

(ग) सेबी ने यह सूचित किया है कि हरि नारायण बजाज तथा उसके पुत्र आर० बजाज ने अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के शेयरों का लेन-देन छद्म बाजार सृजित करने के इरादे से किया।

(घ) सेबी द्वारा की गई जांच के अनुसरण में बीएसई तथा एनएसई के सदस्यों के विरुद्ध जांच कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के अन्तर्गत हरि नारायण बजाज तथा उनके पुत्र आर० बजाज के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है।

सीआरबी घोटाला

4781. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वित्त मंत्री** अप्रवासी भारतीयों को परिपक्वता राशि के भुगतान के बारे में 20 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न सं० 5117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए मामले को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण/अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी०आर० भंसाली समूह ने विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराने की अनुमत समयावधि के बाद विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ली थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो अनुमत समय-सीमा के अप्रैल, 1994 में समाप्त हो जाने के बाद सी०आर०बी० ने विदेशी मुद्रा को किन परिस्थितियों में भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे में वृद्धि

4782. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए आबंटित किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में कितना खाद्यान्न उठाया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के खाद्यान्नों का आबंटन पहली अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम कर दिया गया है और अब इसे जुलाई, 2001 से 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-01	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	442.790	425.457	453.360	433.570	1316.65	923.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.240	9.463	9.240	8.320	20.22	16.11
3.	असम	228.720	214.380	228.720	215.900	457.43	374.14
4.	बिहार	1030.800	808.280	1030.800	876.280	1877.10	560.10
5.	छत्तीसगढ़					127.66	78.96
6.	दिल्ली	17.760	0.000	0.000	0.000	24.54	10.50
7.	गोवा	4.560	0.623	4.560	8.620	9.10	1.84
8.	गुजरात	240.00	238.988	240.000	246.850	908.81	398.39
9.	हरियाणा	87.960	44.787	87.960	80.320	175.92	49.40
10	हिमाचल प्रदेश	50.886	28.319	51.120	24.150	102.32	46.46
11	जम्मू व कश्मीर	74.160	74.166	74.160	69.180	148.32	87.64
12.	झारखण्ड					184.50	86.68
13.	कर्नाटक	345.000	344.518	345.000	346.900	710.34	663.41
14.	केरल	184.200	223.255	184.200	182.000	365.14	417.01
15.	मध्य प्रदेश	640.080	440.141	640.080	537.430	1134.11	556.26
16.	महाराष्ट्र	725.520	625.635	725.520	671.610	1490.08	960.36
17.	मणिपुर	15.600	15.000	20.600	21.070	31.21	18.67
18.	मेघालय	17.160	14.278	17.160	17.550	34.35	30.11
19.	मिजोरम	3.360	6.700	6.360	6.890	13.94	13.94
20.	नागालैंड	11.520	10.771	11.520	12.650	23.04	20.99

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	उड़ीसा	381.840	384.585	874.715	819.200	1052.22	659.58
22.	पंजाब	51.600	9.113	51.600	2.650	106.24	11.12
23.	राजस्थान	260.400	142.114	260.400	193.060	874.17	322.73
24.	सिक्किम	4.080	3.399	4.080	4.210	8.92	5.88
25.	तमिलनाडु	549.480	479.454	549.480	535.390	1121.66	1131.12
26.	त्रिपुरा	27.720	26.393	27.720	19.070	55.45	53.57
27.	उत्तर प्रदेश	1146.000	1070.886	1197.300	1203.121	2279.29	1208.62
28.	उत्तरांचल					34.01	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	548.640	328.075	548.640	450.170	1253.56	798.96
30.	अं० और नि० द्वीपसमूह	2.200	0.000	2.640	0.180	5.28	4.76
31.	चण्डीगढ़	2.160	0.035	2.160	0.210	4.32	0.00
32.	दादर और नगर हवेली	1.800	1.582	1.800	0.778	3.62	2.44
33.	दमन और दीव	0.360	0.255	0.360	0.040	0.80	0.23
34.	लक्षद्वीप	0.120	0.000	0.240	0.000	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	7.800	0.000	7.800	7.320	17.09	7.51
	जोड़	7116.516	5970.652	7659.295	6994.689	15971.423	9520.510

अफीम की खरीद

4783. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों से सीधे अफीम का डोडा-चूरा खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। डोडा-चूरा की खरीद राज्य सरकार द्वारा विनियमित की जाती है और केन्द्रीय सरकार का किसानों से सीधे डोडा-चूरा खरीदने का कोई विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक को निर्धनता में कमी लाने हेतु विश्व बैंक सहायता

4784. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों की सहायतार्थ ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किये गये;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए उपर्युक्त ऋण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कर्नाटक को उपर्युक्त ऋण जारी न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिला निर्धनता उपक्रम परियोजनाओं के लिए 321.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1500 करोड़ रु० के बराबर) तक की सहायता को मंजूरी दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी प्रशासन पर व्यय

4785. श्री मनसुखभाई डी० वसावा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है और सरकारी प्रशासन को चलाने और अन्य सुविधाओं पर इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियों और स्थापना व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार था :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	स्थापना व्यय (रक्षा व्यय को छोड़कर)	
		वेतन	भत्ते
1998-1999 (वास्तविक)	149510	19440	10655
1999-2000 (वास्तविक)	181513	19307	13386
2000-2001 (संशोधित अनुमान)	206166	17930	12302

अन्य प्रशासनिक व्यय अर्थात् कार्यालय व्यय, किराया, पी०ओ०एल० आदि का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

ईराक द्वारा भेल को ठेका दिया जाना

4786. श्री थावरचन्द गहलोत : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईराक द्वारा गैस टरबाइन के निर्माण हेतु भेल को दिए गए ठेके का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को ईराक से कितने रुपये मूल्य के निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकार ने कितनी गैस टरबाइन यूनिटों के निर्यात की अनुमति दी है;

(घ) उक्त ठेके के अनुसार टरबाइन के निर्यात का कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त ठेके में दो वर्षों तक रख-रखाव और कलपुर्जों की आपूर्ति की शर्त भी शामिल है; और

(च) यदि हां, तो क्या उक्त निबंधन और शर्तों के अनुसार भारत दो वर्षों तक कलपुर्जों की आपूर्ति के कुल भार को वहन करेगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) भेल को दो क्रयादेश प्राप्त हैं जिसमें वी-94.2 (लगभग 159 मेगावाट आईएसओ रेटिंग) गैस टरबाइन जनरेटिंग यूनिटों की दो मदों की आपूर्ति शामिल होने के साथ-साथ उक्त उपस्कर के निर्माण तथा आरम्भ करने के दौरान एक्सपर्ट सुपरवाइजरी सर्विसेज मुहैया कराने के अलावा बीजी पावर संयंत्र, ईराक के लिए संयुक्त इलेक्ट्रिकल और मकैनिकल सुविधाओं की आपूर्ति शामिल है। ग्राहक द्वारा सिविल वर्क्स और निर्माण कार्य ठेका के अनुरूप किया जा रहा है।

(ख) क्रयादेशों का कुल मूल्य 870 करोड़ रुपये है।

(ग) क्रयादेश "यूएन आयल-फॉर-फूड प्रोगाम" के तहत् प्राप्त हुए हैं। ईराक को 4 गैस टरबाइनों की आपूर्ति हेतु निर्यात क्रयादेश के क्रियान्वयन के लिए यूनाइटेड नेशन्स जिसे "यूएन आयल-फॉर-फूड प्रोग्राम" के तहत् किया जाना अपेक्षित था, से अनुमति प्राप्त हो गई है।

(घ) दोनों ठेकों के लिए आपूर्ति, ठेके के अनुरूप ग्राहक से अन्य औपचारिकताएं पूरी करने और पृथक साख पत्र की प्राप्ति की तिथि से 18 महीने के भीतर पूरी की जायेगी।

(ङ) ठेके में दो वर्ष के प्रचालन हेतु कलपुर्जों की आपूर्ति शामिल है।

(च) ठेका मूल्य में दो वर्षों के प्रचालन हेतु कलपुर्जों की आपूर्ति मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा को सहायता

4787. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और नाबार्ड द्वारा उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में यह सहायता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य राज्यों को दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई राज्य-वार सहायता राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समेत वित्तीय संस्थाएं सभी अर्थक्षम परियोजनाओं को उनके स्थान को ध्यान में रखे बिना वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तथापि किसी भी राज्य में सहायता सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, वे हैं :– सहायता योग्य परियोजनाओं का प्रवाह, मूलभूत आवश्यक तत्वों की उपलब्धता, कच्चे माल एवं निपुण श्रमिकों की उपलब्धता, बाजार की निकटता, व्यक्तिगत कंपनियों/समूह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण एक्सपोजर सीमा, संसाधन की कमी इत्यादि।

विवरण

अप्रैल-मार्च, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत राज्य-वार सहायता

(रुपए करोड़)

क्र० सं०	राज्य	1998-1999 अप्रैल-मार्च	1999-2000 अप्रैल-मार्च	2000-2001 अप्रैल-मार्च
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5795.4	8636.4	5328.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	22.5	1.5	1.7
3.	असम	98.3	316.4	257.7
4.	बिहार	1119.9	964.5	238.5
5.	छत्तीसगढ़	–	207.5	303.00
6.	दिल्ली	5478.2	9181.9	11602.4
7.	गोवा	436.8	247.1	153.1
8.	गुजरात	10315.7	12628.4	12793.1
9.	हरियाणा	1777.3	1823.1	4915.3
10.	हिमाचल प्रदेश	448.4	708.2	485.6
11.	जम्मू व कश्मीर	45.5	326.4	216.4
12.	झारखण्ड	–	56.2	13.00
13.	कर्नाटक	5316.6	5303.5	5771.4
14.	केरल	1094.4	559.8	642.4
15.	मध्य प्रदेश	2606.2	2044.1	2254.1
16.	महाराष्ट्र	24586.0	21961.2	30166.9
17.	मणिपुर	3.7	4.8	15.00
18.	मेघालय	4.8	4.1	24.2
19.	मिजोरम	1.0	1.1	–

1	2	3	4	5
20.	नागालैण्ड	1.5	1.5	6.90
21.	उड़ीसा	1194.6	2776.4	1148.4
22.	पंजाब	1918.8	1806.6	2820.6
23.	राजस्थान	1875.4	1640.4	2308.4
24.	सिक्किम	7.0	2.5	1101.1
25.	तमिलनाडु	9449.2	8031.7	6352.3
26.	त्रिपुरा	3.9	5.1	2.5
27.	उत्तरांचल	—	63.4	45.00
28.	उत्तर प्रदेश	3838.4	3356.7	4263.3
29.	पश्चिम बंगाल	3510.4	3679.5	4764.4
30.	संघ शासित क्षेत्र एवं अन्य	731.7	539.6	566.4
	1. अण्डमान एवं निकोबार	0.1	—	—
	2. दमन एवं दीव	84.0	104.6	143.4
	3. दादर एवं नगर हवेली	446.2	306.9	142.9
	4. चंडीगढ़	141.1	46.4	128.2
	5. लक्षद्वीप	—	—	—
	6. पांडिचेरी	60.3	56.5	129.6
	7. अन्य	—	25.2	22.3
31.	बहु राज्य/गैर-विशिष्ट क्षेत्र	3306.6	5362.4	9747.5
	कुल	84988.2	92242.00	108309.1

मैट्रो प्राइम टाइम स्लाट

4788. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिष्ठित प्रसारणकर्ताओं और फिल्म निर्माताओं ने प्रसार भारती के मैट्रो प्राइम टाइम पर प्रसारण पर शुल्क के रूप में कई करोड़ रुपयों का नुकसान उठाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक प्रोड्यूसरों/प्रसारणकर्ताओं को दिए गए प्राइम टाइम स्लॉटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोचक विषयों के अभाव और अव्यवहार्य परियोजनाओं के कारण प्रसार भारती की विश्वसनीयता में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार प्रसार भारती की छवि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान विभिन्न निर्माताओं/प्रसारकों को दिए गए प्राइम टाइम स्लॉट के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दूरदर्शन ने अपनी छवि सुधारने और राष्ट्रीय चैनलों पर गुणवत्ता कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दूरदर्शन ने प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों, दूरदर्शन के राष्ट्रीय, मैट्रो और क्षेत्रीय चैनलों के वाणिज्यिक दर कार्डों में संशोधन किया है और कार्यक्रमों की स्लाटिंग का पुन:निर्माण किया है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दूरदर्शन चैनलों के लिए गुणवत्ता कार्यक्रमों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिभाशाली युवा निर्माताओं को रियायतें देने की भी व्यवस्था है।

विवरण

विगत दो वर्षों के दौरान डी डी मैट्रो पर विभिन्न निर्माताओं/प्रसारकों को दिए गए प्राइम टाइम स्लॉटों का विवरण

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	निर्माता का नाम	टाइम स्लॉट
1	2	3	4
1.	न्याय	मैसर्स निम्बस कम्युनिकेशंस	रात्रि 8.00 बजे सोमवार से शुक्रवार तक बाद में इसको बदलकर दोपहर 2.00 बजे कर दिया गया।
2.	धूप-छांव	मैसर्स सोनू फिल्म्स	रात्रि 9.30 बजे सोमवार

1	2	3	4
3.	मुकद्दर	मैसर्स अरोरा फिल्म्स	रात्रि 9.00 बजे सोमवार
4.	इन-टच	मैसर्स डैनिम इण्टरप्राइजेज	रात्रि 9.30 बजे सोमवार
5.	भाभी मां	मैसर्स हंसा विजन	रात्रि 8.30 बजे मंगलवार
6.	आजा हंसा जा	मैसर्स विश्वास क्रिएशंस	रात्रि 9.30 बजे मंगलवार
7.	जुही	मैसर्स एअरटाइम	रात्रि 8.30 बजे रविवार। बाद में इसको बदलकर बुधवार कर दिया गया तथा पुन: बदलकर वृहस्पतिवार कर दिया गया।
8.	फ्रण्ट पेज	मैसर्स निम्बुस कम्युनिकेशंस	रात्रि 8.30 बजे वृहस्पतिवार
9.	अग्निपथ	मैसर्स एक्सप्रेशन फिल्म्स एंड वीडियो यूनिट	रात्रि 8.30 बजे वृहस्पतिवार
10.	वी लव यू	सूद टेलीफिल्म्स	रात्रि 8.30 बजे रविवार। बाद में इसको बदलकर रात्रि 9.30 बजे शुक्रवार कर दिया गया।
11.	शो नम्बर 1	मैसर्स एंड इम्पेक्ट कम्युनिकेशंस	रात्रि 8.30 बजे शनिवार
12.	ऑल इन ऑल	मैसर्स गुरूजी फिल्म्स	प्रात: 8.15 से प्रात: 9.00 बजे रविवार
13.	वालीवुड मेल	मैसर्स इन्द्रधनुष टी वी	-वही-
14.	दा कम्प्यूटर शो	मैसर्स मूविंग पिक्चर्स	पूर्वाह्न 11.30 बजे रविवार
15.	फेमिली फिट गाने हिट	मैसर्स रेडिकल इण्टरटेनमेंट	रात्रि 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे रविवार
16.	हंगामा अन लिमिटेड	मैसर्स प्रितिश नन्दी कम्युनिकेशंस प्रा०लि०	रात्रि 9.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे रविवार
17.	डा० डेल्टा	मैसर्स टुडे विजन	प्रात: 9.00 बजे रविवार
18.	जेनिथ कम्प्यूटर शो	मैसर्स जेनिथ कम्प्यूटर लि०	पूर्वाह्न 9.00 बजे रविवार
19.	सत्या	मैसर्स यू टी वी	रात्रि 9.00 बजे वृहस्पतिवार
20.	बल्क एअर टाइम	मैसर्स नाइन नेटवर्क आस्ट्रेलिया पीटीवाई० लि०	सायं 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक (प्रतिदिन)

[हिन्दी]

विनिवेश नीति के कारण बेरोजगारी

4789. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई विनिवेश नीति के कारण श्रमिकों और कृषकों में निराशा की भावना पैदा हो रही है;

(ख) क्या सरकार की उक्त नीति के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ी है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार की विनिवेश नीति के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होने का कोई संकेत नहीं है। सरकार कामगारों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है जैसा कि वित्त मंत्री के वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

वायुयान के आयात में वित्तीय अनियमितताएं

4790. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को एम०पी० फ्लाइंग क्लब, इन्दौर के विरुद्ध तीन एअरक्राफ्टों और दो इंजनों के आयात में वित्तीय अनियमितता बरतने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअरक्राफ्ट और इंजन 78,40,018.00 रुपए के मुकाबले 42,15,077.00 रुपए की खरीदे गए हैं और 36,25,004.00 रुपए की शेष धनराशि वर्ष 1999-2000 के तुलन पत्र में अग्रिम राशि के रूप में एअरक्राफ्टों की लागत के लिए अधिशुल्क के रूप में दर्शायी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह कार्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और आयकर अधिनियम के नियमों और विनियमों के विरुद्ध है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आरोप में वर्ष 1997 के दौरान आयात किए गए तीन वायुयानों की खरीद में संदेहास्पद अधिक मूल्य का बीजक बनाना शामिल है।

(ग) और (घ) फ्लाइंग क्लब बोर्ड के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर लेखा परीक्षकों ने आयातित वायुयानों का मूल्य अनंतिम रूप से 41,19,647/-रु० बताया था, जबकि फाईल की संवीक्षा/रिकार्ड के साक्ष्य से पता चलता है कि वायुयान 1,84,569/- अमरीकी डॉलर के सी०आई०एफ० मूल्य पर आयात किए गए थे जो कि लगभग 73,45,000/- रु० के सदृश होते हैं। वायुयान उस मूल्य पर आयात किए गए थे जिन पर उनकी मांग की गई थी। किसी प्रकार के अधिक मूल्य के बीजक बनाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) चूंकि कोई अधिक मूल्य का बीजक नहीं बनाया गया था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लघु बचत पर ब्याज दर

4791. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाई०वी० रेड्डी की अध्यक्षता में लघु बचत योजनाओं, जिनमें लोक भविष्य निधि शामिल हैं, पर निर्धारित ब्याज दरों की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है अथवा सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकार ने लागू ब्याज दरों की प्रणाली और अन्य संबद्ध मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ख) समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डा० वाई०वी० रेड्डी हैं। समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :-

(i) लागू ब्याज दरों के निर्धारण के लिए मानदण्डों का सुझाव देना;

(ii) लागू ब्याज दरों के संशोधन की आवधिकता का सुझाव देना;

(iii) अल्प बचतों की सम्पूर्ण निवल आय राज्य सरकारों को पूर्ण आधार पर हस्तान्तरित करने की व्यवहार्यता की जांच करना;

(iv) बचत पत्रों की डिजाइन बनाने, एजेंटो को नियुक्त करने और जमा और आहरण को शासित करने वाले नियम बनाने जैसे अल्प बचतों के अन्य पहलुओं पर सिफारिश करना;

(v) ब्याज दरों से सम्बद्ध मुद्दों पर सिफारिशें करना; और

(vi) ऐसी अन्य सिफारिशें करना, जिसे समिति इस विषय पर उपयुक्त समझे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काले धन पर वाही समिति की सिफारिशें

4792. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाही समिति ने काले धन के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस मंत्रालय को ऐसी किसी भी समिति के बारे में जानकारी नहीं है जिसने काले धन संबंधी सिफारिशें की थीं।

सिक्कों की कमी

4793. श्री उत्तमराव पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में सिक्कों की कमी और कटे-फटे नोटों के प्रचालन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में सिक्कों की कमी और कटे-फटे करेंसी नोटों के प्रचालन के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) के मुम्बई, बेलापुर और नागपुर स्थित कार्यालयों को पूरे महाराष्ट्र में सिक्कों के समान संवितरण के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी०एस०बी०) की संबंधित तिजोरियों की शाखाओं को सिक्कों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को कटे-फटे नोट आसानी से बदलने और यह सुनिश्चित करने के कि जनता को कटे-फटे नोट जारी न किए जाए निर्देश दिए गए हैं। इन कटे-फटे नोटों को अंत में उचित जांच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक में नष्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को जनता द्वारा दिए गए मैले नोटों के बारे में निर्णय लेने के लिए पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

नहर/नदी विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

4794. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में नहर/नदी विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी नहर/नदी परियोजनाओं का राज्य-वार और स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किए गए कार्य का कार्य-वार और व्यय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में नहर/नदी विकास के लिए विश्व बैंक से सहायताप्राप्त कोई परियोजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चावल के निर्यात हेतु ऋण

4795. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 2001 से लेकर आज तक चावल निर्यातकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से चावल की खरीद के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन देने के लिए तय की गई अधिकतम सीमा क्या है;

(ख) क्या तय सीमा इस संबंध में निर्धारित नीति के विरुद्ध जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, न कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की प्राप्ति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों और भारतीय खाद्य निगम को ऋण सीमाएं प्राधिकृत करता है। बफर स्टॉक के लिए भारतीय खाद्य निगम को भी ऋण सीमाएं प्राधिकृत की जाती हैं। ये सीमाएं एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के माध्यम से संवितरित किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक उचित ऋण मूल्यांकन के पश्चात् निर्यात हेतु किसी स्रोत से चावल की खरीद के लिए निर्यातकों को उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

बैंकिंग, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ियों संबंधी बोर्ड

4796. श्री विनय कुमार सोराके : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ियों संबंधी बोर्ड मार्च 1997 से ही अस्तित्व में है;

(ख) क्या यह बोर्ड इस संबंध में न्यायालय के निर्देश के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हाल ही में पुनर्गठित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और स्टाक मार्किट यू०टी०आई० और संबंधित घोटालों पर बोर्ड की अन्वेषणात्मक भूमिका क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। कन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि बैंक, वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ियों संबंधी सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन विद्यमान बोर्ड की अवधि समाप्त होने के बाद 1.7.2001 को किया गया था। पुनर्गठित बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

1. श्री एस०पी० तलवार, सेवानिवृत्त उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक – अध्यक्ष
2. न्यायमूर्ति ए० सिद्दिकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय – सदस्य
3. श्री ए०वी० गोकक, सेवानिवृत्त सचिव – भारत सरकार – सदस्य
4. श्री आर०के० राघवन, सेवानिवृत्त निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो – सदस्य
5. श्री वाई०एच० मालेगाम, चार्टर्ड एकाऊंटेंट और मैसर्स बिलीमोरिया एंड कंपनी में वरिष्ठ भागीदार – सदस्य
6. श्री एस० दोरेस्वामी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया – सदस्य

बोर्ड के कार्य की प्रकृति केवल सलाह देना है और इसके पास कोई कार्यकारी अथवा अन्वेषणात्मक शक्तियां नहीं हैं। हाल ही के शेयर बाजार/यूटीआई घोटाले से संबंधित कोई मामला अभी तक बोर्ड को नहीं भेजा गया है।

नेपाल में भारतीय सामान की मांग

4797. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी०सी०आर०, टेलीविजन सेट जैसे भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा वस्त्र और परिधानों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पड़ौसी देशों में विशेषकर नेपाल के बाजार में दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह स्थिति इन बाजारों में सस्ती और नकली चीन निर्मित वस्तुओं की बहुलता के कारण उत्पन्न हुई है; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा अपनी वास्तिविक स्थिति पुनर्बहाल करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) संलग्न विवरण से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान श्रीलंका, मालदीव तथा पाकिस्तान को इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष 1999-2000 के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में वृद्धि हुई है। जबकि नेपाल, भूटान तथ बंगलादेश को हुए निर्यात में गिरावट का रुख आया है। इसी प्रकार नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका और मालदीव को वस्त्र तथा परिधानों आदि के निर्यात में वर्ष 2000-2001 के दौरान वृद्धि हुई है जबकि भूटान तथा पाकिस्तान के मामले में इनमें गिरावट आई है। पिछले वर्ष अर्थात् अप्रैल, 2000 के महीने की तुलना में अप्रैल, 2001 के माह के दौरान भी एक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ग) हमारे पड़ौसी देशों को दिए गए हमारे निर्यातों की इस प्रवृत्ति के लिए उनके द्वारा अन्य देशों से किए गए आयातों को उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं है क्योंकि तृतीय देशों के बीच हुए व्यापार संबंधी आंकड़े भारत में नहीं रखे जाते हैं।

(घ) पड़ौसी राज्यों नामत: नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जिन्होंने स्वयं को साऊथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कोआपरेशन (सार्क) में संगठित किया है, को निर्यातों का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में शामिल हैं : टैरिफ में धीरे-धीरे कमी करना और अन्य गैर-टैरिफ अवरोधों को हटाना, सार्क व्यापार मेलों के माध्यम से अंत: क्षेत्रीय आर्थिक आदान-प्रदान के लिए क्षमता की जानकारी को शेयर करना, व्यापार शिष्टमंडलों को आदान-प्रदान, नीतिगत तथा क्रिया-विधिक मुद्दों पर विचार करने के लिए समय-समय पर द्विपक्षीय व्यापार समीक्षाएं करना, जिससे के अंत: क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा मिल सके, सीमाशुल्क संबंधी क्रियाविधियों तथा मानकों को सुव्यवस्थित करना।

विवरण

(क) भारत से पड़ौसी देशों को हुए इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात

(मूल्य लाख में)

अवधि	नेपाल	भूटान	बंगलादेश	श्रीलंका	मालदीव	पाकिस्तान
1999-2000	1379.10	380.23	4931.00	3752.31	40.13	173.15
2000-2001	1306.42	5.39	4326.69	4684.72	138.15	253.37
अप्रैल 2000	89.64	शून्य	140.30	440.62	5.14	12.52
अप्रैल 2000	33.93	2.17	708.90	308.84	0.43	11.71

(स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता)

(ख) पड़ौसी देशों को वस्त्रों के निर्यात जिसमें सिले-सिलाए परिधान (सूती, ऊनी, रेशमी) तथा सूती यार्न, फैब्रिक्स, कालीन आदि शामिल हैं

(मूल्य लाख रु० में)

अवधि	नेपाल	भूटान	बंगलादेश	श्रीलंका	मालदीव	पाकिस्तान
1999-2000	2602.56	161.57	105919.31	51442.61	621.50	566.40
2000-2001	6936.43	4.00	112041.20	59623.73	1713.59	350.13
अप्रैल 2000	604.82	शून्य	7356.19	4271.21	205.78	शून्य
अप्रैल 2000	170.79	8.69	2375.64	3846.24	148.62	10.51

(स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता)

श्रेष्ठ गवर्नेंस के लिए एक केन्द्र की स्थापना हेतु यूनाइटिड किंगडम से सहायता

4798. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने श्रेष्ठ गवर्नेंस के लिए हैदराबाद में एक केन्द्र की स्थापना करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी यूनाइटिड किंगडम विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो शीघ्रताशीघ्र आवश्यक स्वीकृति जारी करने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस विषय में सक्रियता से विचार कर रही है और उस पर निर्णय को शीघ्र ही राज्य सरकार को संसूचित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भेल में रिक्त पदों का भरा जाना

4799. डा० बलिराम : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों में श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) रिक्त पदों को भरने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) भेल कार्यकारी निदेशकों और महाप्रबंधकों के मामले में जहां कहीं पदों की संख्या का निर्धारण किया गया है, को छोड़कर आवश्यकता आधारित पद्धति का पालन करता है। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार, कार्यकारी निदेशक का कोई पद खाली नहीं था तथा क्रमश: 25.2.2001 तथा 25.3.2001 से महाप्रबंधक के दो पद खाली थे। इन पदों को इस वर्ष आंतरिक पदोन्नति से भरने की संभावना है।

[अनुवाद]

बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड

4800. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना हेतु योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ट्रेड मार्क पंजीकरण हेतु करीब 2.6 लाख आवेदन लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बगैर जांच किये गये आवेदनों के विलंबन को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ट्रेड मार्क रजिस्ट्री को मजबूत करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) जी, हां। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन यथा अपेक्षित एक बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई०पी०ए०बी०) की स्थापना करने का प्रस्ताव है। आई०पी०ए०बी० के उद्देश्य ये हैं रजिस्ट्रार के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को सुनना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना, ठोस पूर्वोदाहरण एवं व्यवहार विकसित करना और यह सुनिश्चित करना कि रजिस्ट्रार के निर्णय से अपील पर न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की क्षमताएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अधीन व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की अवसंरचना को सशक्त बनाने की एक परियोजना का अनुमोदन किया गया था। उक्त परियोजना में परिकल्पित विभिन्न कार्यकलापों की अनुमानित लागत 8.60 करोड़ रुपये है। परियोजना में लंबित आवेदनों के पिछले संचय (बैकलॉग) को समाप्त करने, रजिस्ट्री के स्टाफ संसाधनों को बढ़ाने, आई०टी० सहायता के माध्यम से रजिस्ट्री और इसकी शाखाओं को आधुनिक बनाने और जन सुविधा सेवाओं में सुधार करने के अतिरिक्त उपलब्ध अवसंरचना को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है। विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हेतु पुनरुद्धार पैकेज

4801. श्री राम मोहन गाइडे :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री शिवाजी माने :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आई०एफ०सी०आई० लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत किए गए पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुनरुद्धार पैकेज हेतु कार्य प्रणाली बना ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) द्वारा जारी किए जाने वाले 20 वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए 400 करोड़ रुपए अंशदान देकर आईएफसीआई के स्तर-1 (टीयर-1) पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया है। वे प्रमुख वित्तीय संस्थाएं/बैंक, जो आईएफसीआई के मुख्य शेयरधारक हैं, आईएफसीआई के 600 करोड़ रुपए की और पूंजी लगाने के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं।

आईएफसीआई से कुछ उपाय करने के लिए भी कहा गया है, जिनमें बीआईएफआर एवं न्यायालयों में लम्बित, विशेष रूप से

अधिक अनुपयोज्य आस्तियों वाले मामले शीघ्र निपटाना, विदेशी मुद्रा एवं स्वदेशी ऋणकर्ताओं के पुनर्निधारणीय ब्याजयुक्त ऋण/पुनर्वित्तपोषण की संभावना का पता लगाना, विदेशी ऋणकर्ताओं के साथ (वित्तीय स्थिति ठीक हो जाने के बाद) कार्यनीति संबंधी भागीदारी की संभावना का पता लगाना, विख्यात एवं स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा आईएफसीआई की लाभप्रदता एवं व्यावसायिक योजना के अनुमान की जांच करना, समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्र-वार पहुंच पर विचार करने के उद्देश्य से आईएफसीआई के पोर्टफोलियो में अनुपयोज्य आस्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन करना, आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लंबित प्रस्ताव

4802. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित क्षेत्र-वार और कंपनी-वार विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के समक्ष लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और प्रत्येक प्रस्ताव के विलंबन के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामण) : (क) से (ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु तय किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड द्वारा प्रस्तावों पर विचार करते समय सरकारी निर्णय को सूचित करने की 30 दिनों की समय-सीमा को ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, अधिकांश प्रस्तावों का निपटान विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ही हो जाता है, सिवाएं उन चंद मामलों के, जिनमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आस्थगन के अनुरोध के कारण अथवा आवेदक से और सूचना के अभाव के कारण विलंब होता है। जैसे ही अपेक्षित विनिर्दिष्टियां (इनपुट) प्राप्त होती हैं, ऐसे प्रस्तावों का निपटान कर दिया जाता है। सभी प्रस्तावों पर 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात मूल्य

4803. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का वर्तमान निर्यात मूल्य उत्पादन लागत की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी स्टाकों की बड़ी मात्रा भारत में पड़ी हुई है क्योंकि इसके निर्यात के लिए बाजार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्टाकों को निकालने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) विभिन्न देशों को चीनी निर्यात करने के कारण चीनी मिलों/चीनी के निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव है। मई, 2001 से जुलाई, 2001 के दौरान चीनी का निर्यात मूल्य (पोत पर्यन्त निशुल्क) 214.5 अमरीकी डालर से 327 अमरीकी डालर प्रति टन के रेंज में थे। सरकार द्वारा विभिन्न चीनी मिलों द्वारा वहन की जा रही चीनी उत्पादन की वास्तविक लागत का हिसाब नहीं रखा जाता है। अत: दो मूल्यों के बीच तुलना करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) से (ङ) तीन लगातार चीनी मौसमों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अधिक उत्पादन होने के कारण चीनी मिलों के पास रखा चीनी का स्टाक भी बढ़ गया है। चीनी मिलों के पास रखे स्टाक को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(viii) चीनी के निर्यात पर से मात्रात्मक सीमा हटा दी गई है।

(ix) निर्यात के प्रयोजन की चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी गई है।

(x) चीनी के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत दर की कीमत का ड्यूटी पात्रता पास बुक (डी०ई०पी०बी०) लाभ अनुमत किया गया है।

(xi) 1.4.2001 से अपेडा से पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(xii) निर्यात की गई चीनी की मात्रा को अग्रिम मुक्त बिक्री की निर्मुक्ति समझा जाए जिसे निर्मुक्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के पश्चात् समायोजित किया जाए।

(xiii) जरूरतमंद चीनी मिलों को मुक्त बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति दी जा रही है।

(xiv) चीनी मिलों को लेवी चीनी के कोटे को उठान न होने पर इसके बदले उन्हें समतुल्य मात्रा में चीनी की खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति देकर अस्थायी राहत प्रदान की गई है।

निगमित करों से राजस्व

4804. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2001 के दौरान निगमित करों के जरिए कुल कितने राजस्व का संग्रहण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निगमित कर में सरकारी क्षेत्र का क्या योगदान है;

(ग) क्या कोई ऐसा निगमित कर है जिसे न वसूला गया हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए और चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए निगम कर से वसूल किया गया राजस्व क्रमश: 24529 करोड़ रुपए, 30692 करोड़ रुपए और 35656 करोड़ रुपये है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य कम्पनियों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार वसूल न किए गए निगम कर की कुल धनराशि 23,899 करोड़ रुपए है।

(ङ) आयकर अधिनियम में कर संग्रह और वसूली की विधिक प्रक्रिया विहित है। बकाया कर की वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मांग नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद मांग देय होने पर यह प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके पश्चात् कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा बैंक खातों की कुर्की, ब्याज लगाने, अर्थदण्ड लगाने आदि जैसी कार्रवाई करके स्थगित न की गई मांग के संबंध में कार्रवाई की जाती है। कठिन मामलों में, मामले को कर वसूली अधिकारी को भेज दिया जाता है जो अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री करने, चूककर्ता की गिरफ्तारी करने और उसे कारागार में नजरबन्द करने, चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति करने आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी और कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई वसूली की कार्रवाई पर उच्च आयकर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, दस लाख रुपए और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों का उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर परिवीक्षण किया जाता है और मांग की वसूली करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना

4805. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में एक जिला मंच स्थापित किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यदि उचित समझे, तो एक जिले में एक से अधिक मंच भी स्थापित कर सकते हैं।

चीनी का निर्यात

4806. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब गुणवत्ता के कारण यमन और इराक द्वारा दो कारगो को अस्वीकृत किए जाने से भारतीय चीनी के निर्यात को भारी धक्का लगा है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष रहे और भविष्य में इन देशों को अच्छी गुणवत्ता वाली भारतीय चीनी का निर्यात सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) विभिन्न चीनी मिलों/निर्यातकों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर विदेशी क्रेताओं की आवश्यकता के अनुसार चीनी का निर्यात किया जा रहा है। इस मंत्रालय को इराक तथा यमन द्वारा चीनी के पोतभार को अस्वीकार किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों को भाड़े पर लेना

4807. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) खाद्यान्नों के भंडारण हेतु निजी गोदामों को भाड़े पर ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्षमता-वार कितने निजी गोदाम भाड़े पर लिए गए और इस पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप भंडारण, परिवहन और चोरी तथा हानि के कारण राज्यवार खाद्यान्नों की कितनी मात्रा बर्बाद हुई; और

(घ) खाद्यान्नों को हानि से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराये पर लिए गए प्राइवेट गोदामों की क्षमतावार संख्या और उन पर वर्षवार खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

वर्ष	किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या (ढकी हुई और कैप)	भण्डारण क्षमता (ढकी हुई और कैप)
1999-2000	361	52.59
2000-2001	425	77.34
2001-2002 (30.6.2001)	492	93.01

वर्षवार खर्च की गई राशि

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
1999-2000	22.40 (अनंतिम)
2000-2001	27.10 (संशोधित अनुमान)
2001-2002	33.00 (बजट अनुमान)

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान समग्र रूप से भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण और मार्गस्थ हानियां निम्नानुसार हैं:-

भण्डारण हानियां

वर्ष	हानि की मात्रा लाख टन में
1998-99	1.51 (अनंतिम)
1999-2000	1.60 (अनंतिम)

मार्गस्थ हानियां

वर्ष	हानि की मात्रा लाख टन में
1998-99	2.66 (अनंतिम)
1999-2000	2.89 (अनंतिम)

राज्यवार अलग-अलग ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की हानियों से बचने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की पैकिंग अपनाना।

(ii) तोल सेतु स्थापित करना।

(iii) डिपुओं की सुरक्षा कड़ी करने, लदान और उतरान स्थानों पर अचानक जांच में तेजी लाने, नियमित स्टाक का सत्यापन सुनिश्चित करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना।

(iv) बोरियों की मशीन से सिलाई को प्रोत्साहित करना।

(v) चोरी और उठाईगिरि को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाना।

(vi) चुनिंदा रेल शीर्षों, पोत पर लदान और गंतव्य स्थानों पर विशेष दस्ते द्वारा जांच।

(vii) संवेदनशील स्थानों की पहचान करना।

(viii) बट्टे खाते डाले जाने वाले मामलों में तेजी लाना और जहां कहीं वांछित हो जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ix) उन अधिकारियों के प्रभार के अधीन गोदामों को न रखना जिनके पूर्ववृत्त संदेहास्पद हों।

(x) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधकों द्वारा डिपुओं और रिकार्ड का निरीक्षण किया जाना।

(xi) संयुक्त प्रबंधक (यांत्रिक) और जिला प्रबंधक द्वारा तोल सेतुओं का निरीक्षण किया जाना।

(xii) बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई करना।

(xiii) यथासंभव सीमा तक खुले वैगनों में संचलन करने में कमी लाना।

(xiv) बोरियों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करना।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

4808. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सीमेंट निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने से पूर्व कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने विभिन्न यूनिटों में जनशक्ति का युक्तिकरण करने के लिए मार्च, 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू की थी। इस स्कीम के तहत् कंपनी के 855 कर्मचारियों ने वीआरएस को अपनाया तथा उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान करने के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य कार्मिक लागतों में बचत होने के अलावा वेतन/मजदूरी में 90 लाख रुपये प्रति माह की बचत हुई। सीसीआई ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए पुन: आवेदन आमंत्रित किये हैं जिसके प्रत्योत्तर में 735 कर्मचारियों ने आवेदन किया है।

[अनुवाद]

आई०बी०पी० कम्पनी लिमिटेड का विनिवेश

4809. श्री बी०के० पार्थसारथी :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड का विनिवेश करने का है;

(ख) क्या सरकार ने इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का विलय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में करने संबंधी नीतिश सेन गुप्ता समिति की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को किस आधार पर अस्वीकृत किया गया?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) विनिवेश आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार आई बी पी में 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखते हुए शेष इक्विटी की पेशकश अन्तर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसी भारतीय तेल कंपनी अथवा संयुक्त क्षेत्र की तेल कंपनी अथवा विदेशी तेल कंपनियों को कर सकती है। सरकार ने नीतिश सेन गुप्ता सीमिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश सहित, विभिन्न विकल्पों और सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, निर्णय लिया कि सरकार आई बी पी कंपनी लिमिटेड में केवल 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखेगी और शेष 33.6 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें स्वदेशी तेल कंपनियां भी भाग ले सकती हैं।

स्थानीय क्षेत्र के बैंक

4810. श्री अरुण कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में स्थानीय क्षेत्र के नए निजी बैंक स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जहां ये स्थित हैं उन स्थानों सहित तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है, उनके कृत्य क्या हैं और ग्रामीण बचतों को जुटाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बिहार राज्य में अभी तक किसी स्थानीय क्षेत्र के बैंक की स्थापना नहीं हुई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक बिहार में स्थानीय क्षेत्र का बैंक स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार को घाटा

4811. श्री रामशकल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार को हुए घाटे के कारणों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समिति की रिपोर्ट पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सुपर बाजार के मामले की बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 69 और 73 के तहत जांच की गयी। सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक सुपर बाजार के प्रबन्धन में भागीदार व्यक्तियों के आचरण की जांच कर रहे हैं जिनके कारण सुपर बाजार को हानि, यदि कोई हो, उठानी पड़ी।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति

4812. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए इनका आयात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000 और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के माध्यम से इनका अलग-अलग कुल कितना आयात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान खाद्य तेलों की मांग और देश में उपलब्ध सप्लाई के बीच अंतर क्रमश: 35.36 लाख टन और 46.42 लाख टन अनुमानित है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान खाद्य तेलों का आयात क्रमश: 41.96 लाख टन और 39.74 लाख टन (अनंतिम) रहा। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य व्यापार निगम और वाणिज्यिक उपयोग के लिए आयातित खाद्य तेल निम्न प्रकार शामिल हैं:-

मात्रा लाख टन में

वर्ष	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	वाणिज्यिक
1999-2000	0.82	0.81
2000-2001	कुछ नहीं	1.71

[हिन्दी]

नेपाल से तस्करी

4813. श्री रामजीवन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान नेपाल से भारत को तस्करी की घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान तस्करी की घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नेपाल से भारत को विभिन्न मदों की तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2001 तक) के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर राजस्व आसूचना निदेशालय (डी०आर०आई०) सहित सीमा शुल्क विभाग द्वारा पता लगाए गए तस्करी के मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

अभिग्रहणों के ब्यौरे	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (जुलाई, 2001 तक)
1	2	3	4
दर्ज किए मामलों की संख्या	4422	6405	1654
अभिगृहीत माल की कीमत (करोड़ रु० में)	58.14	53.21	9.66

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय (डी०आर०आई०) सहित सीमा शुल्क विभाग के अधीन सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय नेपाल से भारत में विभिन्न मदों की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क और चौकस हैं।

पंचायती राज के लिए धनराशि

4814. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महाराष्ट्र को पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जानी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को अभी तक इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या महाराष्ट्र को आबंटित की गई पूरी धनराशि जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार शेष राशि जारी करने जा रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की अवधि के लिए दसवें वित्त आयोग (टी०एफ०सी०) ने महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं हेतु 347.01 करोड़ रुपए कुल अनुदान की सिफारिश की थी। उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को 216.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की जा चुकी थी।

पी०आर०आई० अनुदानों की शेष राशि इसलिए जारी नहीं की जा सकी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को जारी अनुदानों की उपयोगिता का पूरा ब्यौरा समय से प्रस्तुत नहीं किया था और इस कार्य के लिए निहित अन्य दिशा-निर्देशों को भी पूरा नहीं किया गया था।

किसी भी वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए अनुदान की हकदारी उस आयोग की अवधि समाप्त हो जाने के साथ ही खत्म हो जाती है।

यात्रा भत्ता

4815. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते पर वर्षवार कितना व्यय हुआ;

(ख) अप्रैल, 2001 में छुट्टी यात्रा रियायत पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् गत वर्ष अप्रैल से जुलाई माह की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) यात्रा भत्ते में अचानक हुई वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रा भत्ते पर दो वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने का भी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) पिछले तीन सालों में यात्रा खर्चे पर हुआ कुल व्यय निम्नवत है:-

(i) 1998-1999 (वास्तविक) — 1191 करोड़ रुपए

(ii) 1999-2000 (वास्तविक) — 1193 करोड़ रुपए

(iii) 2000-2001 (सं०अनु०) — 1152 करोड़ रुपए

यात्रा खर्च पर हुए व्यय में यात्रा भत्ता (टी०ए०) शामिल है लेकिन सावकाश यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) नहीं, अतएव

एल०टी०सी० पर प्रतिबंध लगने से पूर्व या उसके पश्चात् हुए व्यय की तुलना नहीं की जा सकती।

(घ) और (ङ) चूंकि यात्रा भत्ता जनहित में की जाने वाली सरकारी यात्राओं के लिए दिया जाता है, अत: यात्रा भत्ते को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों के आयातकों द्वारा कम मूल्य दर्शाना

4816. श्री बी०वी०एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य तेल आयातकों द्वारा शुल्क अपवंचन की नीयत से खाद्य तेलों का मूल्य कम दर्शाने की सूचना मिली है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य तेलों के आयातकों द्वारा कम मूल्य दर्शाने को रोकने हेतु उपाय शुरू किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय को सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधिकतर फरवरी, 2001 के बाद आयातित पॉम तेल और आर०बी०डी० पामोलीन के अनेकों आयातकों द्वारा घोषित मूल्यों के औचित्य की विस्तृत जांच-पड़ताल करने के लिए कहा गया था और उसने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। सभी मुख्य आयुक्तों को अप्रैल, 2001 में सतर्क भी कर दिया गया था कि वे खाद्य तेलों के आयातकों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाने के किन्हीं भी प्रयासों के प्रति चौकस रहें। इसके अलावा, सरकार ने कच्चे पॉम तेल, आर०बी०डी० पॉम तेल और आर०बी०डी० पामोलीन पर मूल्यानुसार आधार पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्कों के निर्धारण के लिए 3 अगस्त, 2001 से इन तेलों के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित किए हैं।

निगमित घरानों पर आयकर और अन्य करों के रूप में बकाया राशि

4817. श्री के० येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, शीर्ष के दस निगमित घरानों पर आयकर और अन्य करों के रूप में कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) अमरीका और दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले भारत में कर विवरणियों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) अमीर/उच्च आय वर्गों और कंपनियों से कर वसूली/विवरणियों के संबंध में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) आयकर विभाग में निगमित घरानों के घटकों और निगमित घराने के विरुद्ध बकाया करों के ब्यौरे अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार दस कंपनियों जिनके विरुद्ध अधिकतम आयकर बकाया है, के विरुद्ध कुल निगम कर, धनकर और ब्याज कर 7286.13 करोड़ रुपये है।

(ख) दिनांक 31.5.2001 की स्थिति के अनुसार देश में आयकर निर्धारितियों की कुल संख्या 2,46,04,621 है। आयकर विभाग में अमेरिका एवं दक्षिण एशिया के देशों के बारे में कर विवरणियों आदि के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) बकाया मांग की वसूली / उसमें कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा इसकी वसूली के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाय किये जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली कार्रवाईयां स्थगित की जाती हैं तो उस स्थिति में स्थगनों को रद्द कराने हेतु उपाय शुरू किये जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त मामलों में अवपीड़क उपाय किये जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और वसूली स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

कर की वसूली के लिए उठाये गए कदम अमीर और उच्च आय समूह और कम्पनियों तथा अन्यों के लिए एक समान होते हैं।

अचल संपत्ति का पूर्व क्रय

4818. श्री अनंत गुढे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 80 के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों का पूर्व क्रय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर मुम्बई में इस अध्याय के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में, विशेषकर मुम्बई में ऐसी सम्पत्तियों के अधिग्रहण में किए गए कुल निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से कितनी सम्पत्तियों का निपटारा कर दिया गया है;

(ङ) इन सौदों में आयकर विभाग को कितना वित्तीय लाभ हुआ;

(च) क्या अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद किसी सम्पत्ति को उसके मूल मालिक को लौटाया गया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वित्त वर्षों अर्थात् 1998-1999, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान अध्याय XXग के अन्तर्गत कुल 24 संपत्तियां अधिग्रहीत की गई थीं। इनमें से केवल एक सम्पत्ति मुम्बई में अधिग्रहीत की गई थी।

(ग) इन 24 सम्पत्तियों के अधिग्रहण में कुल 20.13 करोड़ रु० का निवेश किया गया था। इसमें से मुम्बई में सम्पत्ति के अधिग्रहण में 2.68 करोड़ रु० का निवेश किया गया था।

(घ) इन 24 सम्पत्तियों में से अब तक दिनांक 31 मार्च, 2001 तक 6 सम्पत्तियों का निपटान किया जा चुका है।

(ङ) इन 6 सम्पत्तियों की बिक्री से 1.56 करोड़ रु० का वित्तीय अभिलाभ हुआ है।

(च) जी, हां।

(छ) इन 24 सम्पत्तियों में से 3 सम्पत्तियां क्रय आदेश पारित करने के बाद मूल मालिकों को वापस कर दी गई थीं। 2 मामलों में मुख्य आयकर आयुक्त की राय थी कि इन सम्पत्तियों के आस-पास की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनकी बिक्री संदिग्ध थी और उनसे बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल सकती है तथा तद्नुसार इन 2 सम्पत्तियों के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया गया था। तीसरे मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों पर उक्त सम्पत्ति इसके मूल मालिक को लौटा दी गई थी।

[हिन्दी]

नौकरशाहों को सुविधाएं

4819. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौकरशाहों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करने और प्रशासनिक व्यय में कमी करने हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस मद के अंतर्गत व्यय में किस सीमा तक कमी आई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्रशासनिक व्यय घटाने की दृष्टि से सावकाश यात्रा रियायत दो वर्ष के लिए प्रास्थगित करने, विदेश यात्रा हेतु दैनिक भत्ते में 25 प्रतिशत कटौती करने, सिर्फ अत्यन्त आवश्यक मामलों में ही अधिकारियों को विदेश जाने की अनुमति देने, सरकारी आवास पर लाइसेंस फीस बढ़ाने जैसे निर्णय लिए हैं।

(ग) सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है।

उदारीकरण नीति

4820. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक मंदी को देखते हुए उदारीकरण नीति के वर्तमान ढांचे पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में चीन के आर्थिक मॉडल का अध्ययन कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार की उदारीकरण की नीति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जहां कहीं विकास में प्रतिबंध, अड़चनें और बाधाएं दिखाई

देती हैं, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। कृषि, उद्योग और आधार ढांचा क्षेत्रकों के विकास में तेजी लाने और समग्र आर्थिक परिवेश में सुधार करने के लिए केन्द्रीय बजट, 2001-02 में कई नीतियों की घोषणा की गई है।

(ग) और (घ) भारत के लिए उचित आर्थिक नीतियां तैयार करते समय विकसित और विकासशील दोनों देशों जिसमें चीन भी शामिल है, के आर्थिक विकास के सफल प्रतिमानों (माडल) को ध्यान में रखा जाता है जो इसके अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गठन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हों।

(ङ) भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने और विकास की समग्र प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए सरकार वर्ष 1991 से उद्योग, व्यापार राजकोषीय एवं वित्तीय क्षेत्रकों में विश्वसनीय सुधार करती आ रही है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं की निगरानी

4821. श्री साहिब सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 2001 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी हर तीन महीने में करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कदम से सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की स्थिति किस तरह मजबूत होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ 13.7.2001 को की गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार वित्तीय संस्थाओं के बीच बेहतर सम्बंध के लिए तिमाही आधार पर ऐसी बैठकें आयोजित की जाएं। इससे सभी वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उन मुख्य मुद्दों को सामने लाने में वित्तीय संस्थाओं को सहायता मिलेगी जिनका समाधान सरकार के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

बी०एच०ई०एल० का विदेशों में कारोबार

4822. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अपने विदेशी कारोबार को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या नीति अपनाई गई और योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं को विस्तार नीति के भाग के रूप में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की योजना का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) रणनीति मुख्यत: निम्नलिखित पर केन्द्रित है :-

- लक्ष्य देशों में पहले से ही तैयार रिफरेंसिज (References) का एकत्रीकरण करना।
- विदेशों में कार्यालय खोल कर विजीबिलिटी बढ़ाना।
- लक्ष्य उत्पाद-निर्यात को जोरदार रूप से बढ़ावा देना और ऐसे उत्पाद-निर्यातों द्वारा व्यवसाय के एक न्यूनतम स्तर का सृजन करना।
- मध्यम श्रेणी के उत्पादों के साथ-साथ स्टैंड-अलोन (Stand alone) उपस्करों प्रणालियों उत्पादों के लिए ओईएम, आईपीपी, ईपीसी कंट्रेक्टरों हेतु एक नियमित स्रोत का केन्द्र बनाना।
- स्थानीय उत्पादों के लिए प्रिफ्रेन्सिस का उपयोग करने तथा विजीबिलिटी बढ़ाने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम की स्थापना करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोषीय सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन

4823. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम तथा नागालैंड के साथ राजकोषीय सुधारों के संबंध में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या नए तंत्र द्वारा सभी राज्यों को इसके नेट के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव से परम्परागत समझौता ज्ञापन मार्ग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की नई परम्परा राज्यों को राजकोषीय सुधार कार्यक्रम का हिस्सा बनने में किस सीमा तक मदद करेगी; और

(ङ) सरकार द्वारा कर्नाटक और अन्य राज्यों के साथ इस समझौता ज्ञापन पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार ने असम तथा नागालैंड सहित 13 राज्यों के साथ राजकोषीय सुधारों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने अतिरिक्त विचारार्थ विषयों में राज्यों के राजकोषीय सुधार पर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकृत होने और इसके अनुवर्ती क्रम में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाने के परिणामस्वरूप अपने राजस्व संतुलन में सुधार के कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए राज्यों को एक मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। यह हरेक राज्य और भारत सरकार के मध्य निष्पादित होने वाले एक नए समझौते के लिए नींव का कार्य करेगा।

(घ) राज्यों को राजकोषीय सुधार सुविधा और मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) वस्तुत: राज्यों के अपने कार्यक्रम हैं। पालिसी का ढांचा तैयार करने में पर्याप्त लचीलापन राज्य सरकारों की शुरूआत पर निर्भर है। अगर सुधार का रूझान स्कीम के सुझावों के अनुरूप बना रहता है तो वित्त वर्ष 2005-06 तक राज्य-क्षेत्र के समग्र रूप से राजस्व संतुलन में आने की उम्मीद है।

(ङ) कर्नाटक सरकार व कुछ अन्य राज्यों ने वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिए अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एम.टी.एफ.आर.पी.) भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं।

एल०आई०सी० द्वारा निवेश

4824. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने साइबर स्पेस इन्फोसिस लिमिटेड के शयरों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम्पनी के प्रीमियम पर शेयरों को बड़े पैमाने पर खरीदे जाने के क्या कारण हैं जबकि कम्पनी के शेयरों का बाजार मूल्य तेजी से कम हो रहा था;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम की घोटाले में संलिप्त कम्पनी में अभी भी न्यूनतम धारिता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कम्पनी के प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संस्थाओं का एन०पी०ए०

4825. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं देश में निगमित घरानों को किए गए विशाल राशि के भुगतान की वसूली न कर पाने के कारण रूग्णता का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम्पनियों को कितना अनुमानित अग्रिम दिया गया और नया ऋण देने के समय कम्पनियों पर कितना बकाया ऋण था;

(ग) कम्पनियों से बकाया ऋणों की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कम्पनियों से बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के लिए भारतीय औद्योगिक विकारा बैंक (आई डी बी आई), आई एफ सी आई लि०, आई सी आई सी आई लि०, आधारभूत विकास वित्त निगम (आई डी एफ सी), एक्जिम बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि० (आई आई बी आई लि०) द्वारा संवितरित ऋण एवं निवल अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपये में)

संस्थान	संवितरण			निवल एन पी ए		
	1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
आईडीबीआई	14470	17059	17498	6490	7675	8371
आइएफसीआई लि०	4829	3272	2121	4258	4103	3937
आईसीआईसीआई लि०	19225	25836	31965	3733	3959	2982
एक्जिम बैंक	1271	1730	1896	407	374	407
आईआईबीआई	1688	1440	1710	480	641	662
आईडीएफसी	374	642	762	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) अत्यधिक क्षमता निर्माण, आयात के कारण बढ़ी प्रतियोगिता तथा निर्यात में कमी से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद मंदी की स्थिति ने संस्थाओं द्वारा वसूली को प्रभावित किया है। कुछ उद्योग/इकाई विशेष एवं प्रबंधन संबंधित समस्याएं भी हैं जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। कुछ वित्तीय संस्था (एफ. एस.) को गलत निवेश निर्णयों एवं आस्ति देयता परिपक्वता असंतुलन के कारण घाटा हुआ है।

(घ) वित्तीय संस्थाएं, उच्च लागत ऋण पर पूर्व भुगतान विकल्प का प्रयोग कर, उपयुक्त नकदी/परिपक्वता/लागत सहित द्वारा नए निधि की उगाही एवं नए ढांचागत उत्पाद प्रदान कर कार्रवाई कर रही हैं। सरकार भी सभी संबद्ध पक्षों के परामर्श से उन वित्तीय संस्थाओं, जो फिलहाल वित्तीय संकट में हैं को पुनर्जीवत करने के लिए सहायता करने के लिए कई कदम उठा रही हैं। ताकि वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वित्तीय संस्था निरंतर वसूली द्वारा वसूली के लिए प्रयास भी कर रही हैं।

डी०टी०टी० सेवा की रिपोर्ट

4826. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रसार भारती की योजनाबद्ध डिजीटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन (डीटीटी) सेवा के संबंध में सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती को भारत में डिजिटल स्थलीय दूरदर्शन सेवा (डीटीटी) आरम्भ करने संबंधी मैसर्स बी.बी.सी. रिसोर्सिस द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी डिजिटल स्थलीय दूरदर्शन प्रस्ताव सामयिक रूप से महत्वपूर्ण, तकनीकी रूप से अंतरणीय, परिचालनात्मक रूप से चुनौती देने वाली एवं वित्तीय रूप से न्यायसंगत है।

(ग) यह रिपोर्ट प्रसार भारती के विचाराधीन है।

नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली

4827. श्री के० मुरलीधरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता को पुन: शामिल करने का भी निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को केरल सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु केरल को राजसहायता प्राप्त मिट्टी का तेल आबंटित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, नहीं। जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन देश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राजसहायताप्राप्त खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। जुलाई, 2001 से 31.3.2002 तक अथवा अधिशेष स्टाक रहने तक गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों पर भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत पर 30 प्रतिशत की छूट भी दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के लिए केरल सरकार को 269497 टन मिट्टी का तेल आबंटित किया गया है।

उत्तरांचल को वित्तीय पैकेज

4828. श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव गठित विशेष श्रेणी प्राप्त उत्तरांचल राज्य को अपनी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास हेतु वित्तीय पैकेज की अत्यंत आवश्यकता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों की तरह उत्तरांचल में भी आयकर और उत्पाद शुल्क में राहत देने संबंधी योजनाओं का विस्तार करने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) दिनांक 9.11.2000 को अपने सृजन के पश्चात् उत्तरांचल, भारत सरकार से योजनागत तथा गैर-योजनागत मदों में निधियां प्राप्त करता रहा है। अपने समग्र आर्थिक विकास हेतु राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं राज्य सरकारों द्वारा उनके वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय प्रस्तुत की जाती हैं। वर्ष 2001-02 के लिए उत्तरांचल की वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालांकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तरांचल को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसके अनुमोदित होने के पश्चात् इसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा, तब राज्य सरकार को अपनी वार्षिक योजना के लिए 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के स्थान पर 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम खण्ड 80-I(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े अधिसूचित जिलों में, जहां उत्पादन 31.03.2002 को या इसके पहले शुरू हो, के लिए शीत गृह भण्डारों की स्थापना समेत औद्योगिक उपक्रमों के लिए द्विस्तरीय कर रियायत प्रदान करता है, जैसा कि आयकर अधिनियम की 8वीं अनुसूची में विशिष्टतया उद्धृत है। इस धारा में लाने के उद्देश्य से नैनीताल, पौड़ी, उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर उत्तरांचल के सभी भागों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राहत का सवाल है, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रथ यात्रा पर धारावाहिक

4829. डा० प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना 'कार महोत्सव' अथवा 'रथ यात्रा' जो उड़ीसा में पुरी में प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है, पर पूर्ण धारावाहिक बनाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 'कार महोत्सव' या 'रथ यात्रा' पर धारावाहिक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दूरदर्शन द्वारा इस आयोजन का हर साल सीधा प्रसारण किया जाता है।

कोकीन का जब्त किया जाना

4830. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 2001 के इंडियन एक्सप्रेस में "कोकीन वर्थ रूपीज 4 करोड़ सीज्ड इन दि कैपिटल, 4 नाइजीरियन्स हैल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस में प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में कोकीन, हशीश, हैरोइन इत्यादि जैसे मादक पदार्थों की देश में प्रतिवर्ष तस्करी की जाती है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार

किए गए तस्करों का ब्यौरा क्या है और जब्त किए गए मादक पदार्थों का उनकी कीमत सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में इन मादक पदार्थों की तस्करी किस मार्ग से की जा रही है; और

(च) सरकार द्वारा उनकी तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई/उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की दिल्ली इकाई ने चार नाइजीरियों की गिरफ्तारी और 396 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन के अभिग्रहण के साथ ही पाकिस्तान, भारत और यूरोप में फैले कुछेक नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के एक रैकेट का पर्दाफाश किया।

(ग) और (घ) नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है। 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार नशीले पदार्थों के कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1998, 1999 और 2000 में अफीम, मार्फीन, हेरोइन, गांजा, हशीश, कोकीन, मेथाक्वालोन, एफीड्रीन और एल.एस.डी. जैसे नशीले पदार्थों के अभिग्रहणों की कुल मात्रा क्रमश: 83,335 किलोग्राम, 46,751 किलोग्राम और 11,0581 किलोग्राम थी।

चूंकि जब्त किये गये सभी नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है और उनका कोई अधिकृत बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इनका कोई ठीक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार औषधि कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अफीम, मार्फीन, हेरोइन, गांजा, हशीश, कोकीन, मेथाक्वालोन, एफीड्रीन और एल.एस.डी. के तस्करों सहित नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के सिलसिलें में वर्ष 1998, 1999 और 2000 में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमश: 13,243, 13,490 और 15,065 थी।

(ङ) भारत-पाक सीमा, भारत-म्यांमार सीमा, भारत-नेपाल सीमा और भारत-श्रीलंका सीमा की ऐसे मार्गों के रूप में पहचान की गई है जिनके जरिये देश में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है।

(च) मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें समस्त मादक पदार्थों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तट-रक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों अर्थात् एसेटिक एनहाइड्राइड, एफीड्राइन आदि को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित करना, स्वापक नियंत्रण द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सचिव तथा महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की आवधिक बैठकें करवाने के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा म्यांमार को दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

माधवपुरा मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक

4831. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने माधवपुरा, मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक का निरीक्षण किया था और इसके कार्यकरण में बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है जिन्होंने 1998 के दौरान एम.एम.सी.बी. पर भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1998 में माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि० (एमएमसीयी), अहमदाबाद का निरीक्षण नहीं किया गया था। बैंक का पिछला निरीक्षण, 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 30 सितम्बर, 1999 से 20 अक्तूबर 1999 के बीच बैंककारी विनियम

अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी संस्थाओं पर लागू है) कि धारा 35 के अन्तर्गत किया गया था। निरीक्षण की अवधि के दौरान जानकारी में आई कुछ प्रमुख अनियमितताओं/त्रुटियों में ये सम्मिलित हैं, अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, ऋण आवेदनों की आलोचात्मक संवीक्षा का अभाव, नियमित रूप से नगद ऋण खातों का नवीकरण, त्रुटिपूर्ण ऋण प्रलेखन, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण की असंतोषजनक अनुवर्ती कार्रवाई, सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) की 15% की आवश्यकताओं का अनुपालन न किया जाना, बड़े उधार खातों और खातों की स्थिति और बैंक की कुल जमाराशि में संस्थागत जमाराशियों के उच्चतम शेयर की समीक्षा निवेशक मण्डल द्वारा न किया जाना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएमसीबी से कहा है कि वह उसके अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई प्रत्येक त्रुटि के लिए मद-वार अनुपालना रिपोर्ट भेजे। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निवेशकों में से एक निदेशक और बैंक की मुम्बई शाखा के शाखा प्रबन्धक को, मुख्य महाप्रबन्धक ने निरीक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए मुम्बई बुलाया था। निरीक्षण की अवधि के दौरान, बैंक के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि निरीक्षण की अवधि के दौरान जानकारी में आई सभी त्रुटियों/कमियों को ठीक किया जाएगा।

(घ) संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) इस मामले की जांच कर रही है।

भारत-फ्रांस सहयोग के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना

4832. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार भारत-फ्रांस सहयोग से देश में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन एककों के स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों द्वारा अब तक एकक-वार कितने रोजगार सृजित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फ्रांस से प्राप्त एफ डी आई संबंधी ऐसे प्रस्तावों की संख्या जिन्हें अनुमोदित किया गया है और इनमें प्रस्तावित निवेश की कुल राशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष (जनवरी से दिसंबर	प्रस्तावों की संख्या	राशि करोड़ रुपये में
1998	43	513.56
1999	69	1448.62
2000	60	202.07

अनुमोदनों के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एस आई ए न्यूजलैटर में दिये जाते हैं, जिसे संसद पुस्तकालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है। उक्त सूचना एस आई ए वैबसाइट *(एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एनआईसी.आईएन/आईएनडीएमआईएन)* में भी दी जाती है।

(ग) रोजगार सृजन संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

कोयला मंत्रालय के अंतर्गत पी०एस०ई० का निजीकरण

4833. श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के निजीकरण के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं। फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रम के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

4834. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों और चुनिंदा वनस्पति तेलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र सरकार ने खाद्य तेलों के मूल्यों में बार-बार वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों और वनस्पति का मूल्य निम्न प्रकार है :-

(मूल्य रुपयों में प्रति क्विंटल)

तेल का प्रकार	20.8.2000 को मूल्य	20.8.2001 को मूल्य	20.8.2001 को % में अन्तर
मूंगफली का तेल	3950	3950	कुछ नहीं
सरसों का तेल	2600	3120	+16.67
सोयाबीन का तेल	2330	3030	+23.10
सूरजमुखी का तेल	2520	3900	+35.38
वनस्पति (15 लि० टन)	455	580	+21.56

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि, घरेलू तिलहन के उत्पादन में कमी, खाद्य तेलों के सीमा शुल्क में वृद्धि आदि खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य तेल के मूल्यों में अक्सर होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) खुले सामान्य लाइसेंस पर खाद्य तेलों के आयात को अनुमति देना।

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तेलों के मूल्यों और उपलब्धता पर सतर्कता बनाए रखने को कहा गया।

(iii) देश में खाद्य तेलों के मूल्य और उपलब्धता की स्थिति पर सरकार नजर रख रही है।

क्षेत्रीय टेलीविजन चैनलों का प्रसारण

4835. श्री अनन्त नायक : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने क्षेत्रीय टेलीविजन चैनल दिल्ली में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास सभी क्षेत्रीय चैनलों को अपने कार्यक्रम अपनी भाषाओं में प्रस्तुत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उड़िया भाषा के लिए किस तरह के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन फिलहाल 21 चैनलों (11 क्षेत्रीय चैनलों सहित) का संचालन कर रहा है। इन सभी चैनलों के कार्यक्रमों को एक उपयुक्त डिश एन्टीना प्रणाली/केबल नेटवर्क की मदद से देश में कहीं भी देखा जा सकता है। दिल्ली में कई केबल प्रचालक अपने नेटवर्क पर दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों को प्रसारित कर रहे हैं।

(ख) दूरदर्शन के 11 क्षेत्रीय चैनलों के अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल वाली बहुत सी निजी कम्पनियों को अपलिंकिंग की अनुमति दे दी गयी है।

(ग) और (घ) मैसर्स उषोदया इन्टरप्राइजेज लि० के ई टी पी उड़िया चैनल के अपलिंकिंग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में पेयजल के लिए विश्व बैंक से ऋण

4836. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के महबूबनगर और नालगोंडा जिला फ्लुओराइड से बुरी तरह प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से इन दो जिलों की 24.70 लाख आबादी को कवर करने वाला कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसमें पेयजल का प्रावधान करने हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की गई है और उसे विश्व बैंक को विचारार्थ अग्रसारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वित्तीय सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक को जनवरी, 1999 में अग्रेषित किया गया था। विश्व बैंक ने नवम्बर, 1999 में "आइडेन्टिफिकेशन मिशन" शुरू किया था और आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव अभी प्रस्तुत करना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

4837. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एसोचैम) ने सरकार को वर्ष 2002-2003 के लिए गेहूं निर्यात की नीति की अग्रिम घोषणा करने का अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। इस वर्ष निर्यात को प्रमात्रा (क्वान्टम) उछाल देने के लिये एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :-

1. गेहूं और चावल के निर्यात मूल्य को कम करना।
2. भाड़ा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चुकाया/घटाया जाए।
3. बैंक गारंटी के स्थान पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग स्वीकार किया जाए।
4. टुकड़े चावल में 25-35 प्रतिशत की छूट अनुमत की जाए।
5. पत्तन गोदाम पर किया गया वजन अंतिम होना चाहिए।
6. निर्यातकों को 1 प्रतिशत की मार्गस्थ हानि की अनुमति होनी चाहिए।
7. निर्यात पर कोई भी चुंगी/हैंडलिंग कर/बाजार शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए।
8. बिल ऑफ लैंडिंग की तिथि के 90 दिनों के भीतर भारतीय खाद्य निगम को एच-प्रपत्र स्वीकार करना चाहिए।
9. 5-6 प्रतिशत तक उठाई न गई मात्रा की वापसी सौदा से सौदा आधार पर 7 दिन के अन्दर की जाए।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्थिति के निरन्तर पुनरीक्षण के साथ निर्धारित बफर मानदंडों, देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, केन्द्रीय पूल में वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यकता, खुला बाजार मूल्यों, आदि को ध्यान में रखने के पश्चात् ही सरकारी खाते पर खाद्यान्नों के निर्यात पर निर्णय लिया गया।

[अनुवाद]

एल्यूमीनियम पर सीमा शुल्क

4838. श्री अधीर चौधरी :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमीनियम धातु के प्रशासनिक मंत्रालय ने एल्यूमीनियम के आयात पर सीमा शुल्क कम करने की कई बार सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को दोयम दर्जे के निर्माताओं व केबल और कंडक्टर निर्माता संघों के साथ-साथ एल्यूमीनियम एक्सट्रुडर्स काउन्सिल ऑफ इंडिया और प्रेशरकुकर निर्माताओं की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमे एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क को कम करने/समाप्त करने की सिफारिश को पूर्ण रूप से उचित ठहराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो एल्यूमीनियम पर शुल्क को कम करने/समाप्त न करने के क्या कारण/औचित्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

डाभोल-विद्युत कम्पनी को वित्तीय संस्थानों से ऋण

4839. श्री सुनील खां : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भारतीय प्राधिकरणों के साथ डाभोल विद्युत कम्पनी के चल रहे विवादों का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किन-किन बैंकों, संस्थानों ने डाभोल विद्युत् कम्पनी को ऋण दिया है; और

(घ) कितनी राशि का ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) वित्तीय संस्थाएं दाभोल विद्युत परियोजना की पुनर्संरचना के लिए इस समय आपस में विभिन्न विकल्पों के बारे में विचार-विमर्श कर रही है। इस संबंध में, अग्रणी संस्था होने की वजह से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी, एक स्वीकार्य पैकेज तैयार करने के उद्देश्य से, सभी संबंधितों अर्थात् प्रायोजकों, दाभोल विद्युत कम्पनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार भारतीय एवं विदेशी ऋणदाताओं सहित भारत सरकार के सम्पर्क में हैं। भारतीय वित्तीय संस्थाओं सहित सभी ऋणदाताओं ने उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करने और वर्तमान गतिरोध को दूर करने हेतु विस्तृत ऋणदाता समूह को सिफारिशें करने के लिए एक संचालन समिति गठित की है। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंधों एवं लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 के उपबंधों के अनुसार भी अलग-अलग संघटकों के संबंध में संबंध और ब्यौरा प्रकट नहीं किए जा सकते हैं।

जनता डिपोजिट स्कीम

4840. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने 'जनता डिपोजिट स्कीम' को बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता अदालत

4841. श्री जे०एस० बराड़ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में कितनी उपभोक्ता अदालतें कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 2000-01 और 2001-02 (31 जुलाई, 2001 तक) के दौरान इन अदालतों में कितने मामले दायर किए गए और इनका ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) प्रत्येक अदालत में कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं और लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) दिल्ली में नौ जिला मंच, दिल्ली राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग के अलावा देश में कुल 31 राज्य आयोग और 496 जिला मंच कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31 जुलाई, 2001 को राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोग/जिला मंचों में उनके स्थापना काल से लेकर 16,64,661 मामले दायर किए गए थे जिनमें से 13,18,511 मामले निपटा दिए गए हैं और 3,46,150 मामले लंबित हैं। मामलों के जल्दी निपटान को सुकर बनाने के लिए अन्य उपायों के साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) उपभोक्ता मंचों के आधार ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 61.80 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान मुहैया कराया है।

(ii) राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों के कार्यकरण की मॉनीटरिंग की जाती है।

(iii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता मंचों में अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक

4842. प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को पूंजीगत बाजार क्षेत्र के ऋण की तुलना में आनुषंगिक मूल्य में 40 करोड़ रुपए का घाटा है;

(ख) यदि हां, तो राजकोष के इतने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एहतियाती तौर पर क्या उपाय किए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह का घाटा फिर से न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर

4843. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री सुरेश कुरूप :
प्रो० आर०आर० प्रमाणिक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सरकारों ने किसानों को दिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी केन्द्र सरकार से मांग की है कि सूखा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम रूप से किसी निर्णय पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में मदद व सहायता पंहुचाने या ऋण वसूली की अवधि बढ़ाने में किसी सीमा तक विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1994 में बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बार-बार भारतीय रिजर्व बैंक से अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना राहत प्रदान करने हेतु बैंकों के अनुपालनार्थ एक स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए थे। ये मार्गनिर्देश बैंकों को तेजी से समान और संगठित कार्रवाई करने, प्राकृतिक खासकर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों, लघु उद्योग एककों, कारीगरों, छोटे कारोबारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने योग्य बनाने के लिए जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पावधिक उत्पादन ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन, विद्यमान सावधि ऋण के किस्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगन, आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल ऋणों/कार्यशील पूंजी का प्रावधान, प्रतिभूति और मार्जिन मानदंडों में छूट आदि की परिकल्पना की गई है। प्रभावित किसानों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता की प्रमात्रा का निर्धारण करने के लिए बैंकों को अधिक विवेकाधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से इन मार्गनिर्देशों को जून, 1998 में और संशोधित किया गया था। इन संशोधित मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को फसलों के लगातार असफल रहने/फसल के नुकसान की गहनता पर निर्भर करते हुए ऋणों को उसे 9 वर्षों में परिवर्तित/निर्धारित करने, प्रभावित किसानों को नया फसल ऋण प्रदान करने, विद्यमान ऋणों पर देय मूलधन तथा ब्याज का परिवर्तन, खपत ऋण प्रदान किये जाने, परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों के भाग को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में न मानने, परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज आदि न लगाने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

धान खरीद केन्द्र

4844. **श्री राजो सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के राज्यवार कितने धान खरीद केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेषकर बिहार में ऐसे और केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व, भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किसानों को मजबूरन बिक्री तथा असुविधा से बचाने के लिए, पर्याप्त मात्रा में क्रय केन्द्र खोले जाते हैं।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान धान की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों की संख्या बताने वाला विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	भा०खा०नि०	राज्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से
1.	पंजाब	460	87
2.	हरियाणा	22	10
3.	उत्तर प्रदेश	–	–
4.	दिल्ली	4	–
5.	राजस्थान	12	–
6.	आंध्र प्रदेश	217	–
7.	मध्य प्रदेश	–	–
8.	पश्चिम बंगाल	–	–
9.	कर्नाटक	18	–
10.	पांडिचेरी	2	–
11.	आंध्र प्रदेश	–	–
12.	बिहार	40	–
13.	उड़ीसा	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	2	–
15.	महाराष्ट्र	–	–
16.	जम्मू और कश्मीर	2	–
	जोड़	779	97

[अनुवाद]

आयात के लिए प्रवेश मार्ग

4845. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात के लिए और प्रवेश मार्ग खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस समय आयात के कितने प्रवेश मार्ग हैं और कितने नए मार्ग खोले जाने का प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन मदों की पहचान की है जिनके लिए आयात की अनुमति प्रदान की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारत में आयात 255 प्रवेश मार्गों के जरिए करने की अनुमति है। इनमें शामिल हैं:- 82 सीमाशुल्क पत्तन, 32 सीमाशुल्क हवाई पत्तन, 132 भू-सीमाशुल्क स्टेशन तथा 9 विदेशी डाकघर/उप-विदेशी डाक घर। व्यापार संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार द्वारा समय-समय पर संबंधित प्रशासनिक विभागों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके नए प्रवेश मार्ग खोले जाते हैं। जो मदें एक्जिम नीति के तहत आयात के लिए प्रतिबन्धित नहीं हैं उन सभी मदों का आयात कोई भी कर सकता है।

सेलम इस्पात संयंत्र का विनिवेश

4846. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात संयंत्र का विनिवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी), भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की एक इकाई है और फिलहाल भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में सरकारी इक्विटी के विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वित्तीय और व्यवसायिक पुनर्संरचना पैकेज में, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ अनुकूल सहयोगी साझीदारों (एस ए पी) के साथ सेलम इस्पात संयंत्र के लिए एक संयुक्त उद्यम के निरूपण पर विचार किया गया है। तदनुसार, भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने एक उपयुक्त संयुक्त क्षेत्र के साझीदार का चयन करने के लिए कदम उठाए हैं और प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चलते-फिरते वाहनों के लिए धन

4847. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चलते-फिरते वाहनों के लिए राज्यों को धन मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ मुहैया कराए गए धन का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्यों को मुहैया कराई गई धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्र के दूर-दराज वाले इलाकों और सूखाप्रवण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों की मदद करने के मद्देनजर इस प्रयोजनार्थ सहायता राशि में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गयी निधियों के वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (छ) स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर "वैनों की खरीद" नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन मोबाइल वैनों/ट्रकों की खरीदारी के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता (50 प्रतिशत राजसहायता और 50 प्रतिशत ऋण) प्रदान की जाती है। वैनों की खरीदारी के लिए राज्यों को स्वीकृत राशि राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय सहायता मांगने के प्रस्ताव के अनुरूप होती है। योजना के अधीन प्रदान की गई निधियां अनुपूरक स्वरूप की होती हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए होती हैं। इस योजना के अधीन निधियों के आबंटन में कोई गिरावट नहीं है।

विवरण

प्रदान की गई राशि लाख रुपए में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	28.00	23.53
2.	असम	43.30	—	—
3.	हिमाचल प्रदेश	80.00	—	—
4.	केरल	128.28	—	—
5.	महाराष्ट्र	417.22	54.275	—
6.	सिक्किम	—	—	31.10
7.	त्रिपुरा	60.00	—	44.30
8.	उत्तर प्रदेश	221.20	—	—
9.	दादरा और नगर हवेली	—	4.00	—
10.	पांडिचेरी	—	20.00	—
	जोड़	950.00	106.275	98.93

विदेशी व्यापार विकास अधिनियम में संशोधन

4848. श्री राजैया मल्याला : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विदेशी व्यापार विकास अधिनियम' में आवश्यक परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि हैदराबाद विमानपत्तन और विशाखापट्टनम पत्तन पर ए०टी०ए० सीमाशुल्क परमिट के अंतर्गत वस्तुओं की निकासी हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत ए०टी०ए० कार्नेट प्रणाली का एक संविदाकारी पक्ष है जिसकी देखरेख यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) के सहायोग से सीमाशुल्क

विभाग करता है। वर्तमान में भारत में ए०टी०ए० कार्नेट्स को केवल मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और कोचीन के पत्तनों पर अधिकृत किया गया है। वर्तमान में हैदराबाद और विशाखापट्टनम के पत्तनों को ए०टी०ए० कार्नेट्स को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई हैं। इस सुविधा के विस्तार पर, जब कभी आवश्यकता होती है सीमाशुल्क विभाग द्वारा फिक्की के सहायोग से विचार किया जाता है। इस प्रयोजन से विदेशी व्यापार विकास अधिनियम (एफ टी डी आर) को संशोधित करने की जरूरत नहीं है।

चीनी विकास कोष के अंतर्गत कोष की स्थिति

4849. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार चीनी विकास कोष के अंतर्गत कोष की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उपयोगिता उद्देश्यों के लिए एस०डी०एफ० से शीर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) एस०डी०एफ० से कितने चीनी कारखानों ने ऋण लिया और उक्त अवधि के दौरान कारखानावार कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में गन्ना विकास और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि में निवल निधि (मूलधन की वापसी और उस पर ब्याज को छोड़कर) 605.16 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी यूनिटों को दिए गए ऋण पर उनके द्वारा 627.76 करोड़ रुपये (मूलधन और ब्याज के रूप में) वापस किए गए हैं। अत: 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि में कुल 1232.92 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से विभिन्न प्रयोजनों के लिए शीर्षवार आबंटित निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

चीनी विकास निधि से निधियों का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से जिन चीनी फैक्ट्रियों को ऋण मंजूर किया गया है उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

	98-99	99-2000	2000-01
1. आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन	16	8	5
2. गन्ना विकास (अल्पावधि ऋण सहित)	136	3	3

फैक्ट्रीवार वितरित ऋण राशि की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ना विकास के लिए ऋण और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के प्रति चीनी विकास निधि से वितरित राशि नीचे दी गई है:-

	1998-99	1999-2000	2000-01
(1) गन्ना विकास	99.9	26.85	11.00
(2) अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान	2.43	0.65	0.14

विवरण-I

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक के दौरान वार्षिक बजट प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	संशोधित अनुमान 1998-1999	संशोधित अनुमान 1999-2000	संशोधित अनुमान 2000-2001
1	2	3	4
(i) चीनी विकास निधि का प्रशासन	4.05	4.80	5.48
(ii) बफर स्टाक के रखरखाव के लिए राजसहायता	133.00	6.50	2.00
(iii) चीनी उद्योग के विकास के लिए लक्षित अनुसंधान स्कीमों के लिए सहायता अनुदान	2.45	1.25	1.25

1	2	3	4
(iv)	गन्ना विकास स्कीमों के लिए चीनी मिलों को ऋण	100.00	25.00	20.00
(v)	आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी मिलों को ऋण	158.00	200.00	150.00

विवरण-II

1998-99 ये 2000-2001

(क) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना के लिए ऋण

1998-99

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	वितरण राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, गणदेवी, गुजरात	620.16
2.	यशवंत एस०एस०के०लि०, चिन्तामणिनगर, महाराष्ट्र	403.89
3.	यूनाईटिड प्रोविनसिस शुगर कं० लि०, उ०प्र०	340.72
4.	बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, बस्ती, उ०प्र०	598.30
5.	सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा	368.67
6.	गोविन्द शुगर मिल्स लि०, आइरा एस्टेट, उ०प्र०	450.00
7.	डी०एस०एम० शुगर, रोजागांव, उ०प्र०	474.00
8.	चन्द्रभागा एस०एस०के० लि०, बल्वानी, महाराष्ट्र	840.00
9.	डी०एस०एम० शुगर (काशीपुर), उ०प्र०	685.57
10.	विघनाहार एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	960.00
11.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, ननौता, उ०प्र०	1950.00
12.	राणा शुगर लि०, बाबा बाखला, पंजाब	1010.40
13.	रेणुका शुगर्स लि०, कर्नाटक	1580.48
14.	सेकसरिया बिसवान शुगर फैक्ट्री लि०, उ०प्र०	440.00
15.	तुलसीपुर शुगर क० लि०, उ०प्र०	1105.318
16.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, संपूर्णानगर, उ०प्र०	860.625
17.	अर्जीकयात्रा एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	442.00
18.	हरिनगर शुगर मिल्स लि०, बिहार	310.00
19.	बननारी अम्मान शुगर्स लि०, इरोड, तमिलनाडु	420.00
20.	कनोरिया शुगर एवं जन० मेनुफैक्चरिंग कंलि०, उ०प्र०	315.00
21.	सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बेलरियान, उ०प्र०	975.00
22.	सर शादीलाल इंटरप्राइजेज लि०, शामली, उ०प्र०	204.98

1999-2000

23.	रिंगा शुगर कं०लि०, बिहार	1605.00
24.	मोतीलाल पदमापत उद्योग लि०, बिहार	762.00
25.	हरिनगर शुगर मिल्स लि०, बिहार	310.00
26.	बस्ती शुगर मिल्स लि०, बस्ती, उ०प्र०	137.912
27.	दी ओध शुगर मिल्स लि०, नरकतीगंज, बिहार	1800.00
28.	के०एम० शुगर मिल्स लि०, मोतीनगर, उ०प्र०	292.17

1	2	3
29.	गोविंदनगर शुगर लि०, वालटरगंज, उ०प्र०	222.828
30.	विष्णु शुगर मिल्स लि०, गोपालगंज, बिहार	1069.79
31.	श्री वलसद सह० खाण्ड उद्योग मण्डी लि०, गुजरात	1522.00
32.	सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बेलरियान, उ०प्र०	975.00
33.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, संपूर्णानगर, उ०प्र०	860.625
34.	सेशकारी बिसवान शुगर फैक्ट्री लि०, उ०प्र०	440.00
35.	राय बहादुर नारायण शुगर मिल्स लि०, उ०प्र०	617.595
36.	वननारी अम्मान शुगर्स लि०, उ०प्र०	1800.00
37.	तुलसीपुर शुगर कं० लि०, उ०प्र०	1105.318
38.	सर सिद्धालाल इंटरप्राइजेज लि०, उ०प्र०	204.98
39.	कनोरिया शुगर एवं जन. मनुफैक्चरिंग कं० लि०, यू०पी०	268.00
40.	दावनगर शुगर कं० लि०, कर्नाटक	394.43
41.	मंजारा सेतकारी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	304.245
42.	दत्ता एस०एस०के० लि०, असुरले पुरले, महाराष्ट्र	242.085
43.	श्रीगोंडा एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	406.60
44.	गणपति शूगर इंडस्ट्रीज लि०, आंध्र प्रदेश	662.950
	2000-2001	
1.	दावनगेरे शुगर कं० लि०, कर्नाटक	394.43
2.	गणपति शूगर इंडस्ट्रीज लि०, आंध्र प्रदेश	687.95
3.	मंजारा सेतकारी एस०एस०के० लि०, विलासनगर, महाराष्ट्र	304.245
4.	श्रीगोंडा एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	381.85
5.	श्री दत्ता एस०एस०के० लि०, असुरले पुरले, महाराष्ट्र	242.085
6.	पीकेडीली एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, बादसन, हरियाणा	355.61
7.	एल०एच० शुगर फैकट्रीज लि०, पीलीभीत, उ०प्र०	633.696
8.	इस्टर्न शुगर एवं इंडस्ट्रीज लि०, मोतीहारी, बिहार	1337.00
9.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि०, लस्कर, उ०प्र०	617.595
10.	कनोरिया शुगर एवं जन० मनुफैक्चरिंग कं० लि०, कैप्टनगंज, उ०प्र०	47.00
11.	शक्ति शुगर्स लि०, शक्तिनगर, तमिलनाडु	494.40
12.	जवाहर सेतकारी एस०एस०के० लि०, हुपरी, महाराष्ट्र	1200.00
13.	दी यूनाईटिड प्रोविनसिस शुगर कं० लि०, सिओराही, उ०प्र०	1032.718

(ख) गन्ना विकास के लिए ऋण

1998-99

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	वितरित राशि (लाख रुपये में)
1.	एम०आर० कृष्णामूर्ति को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	60.00
2.	श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, असुरले-पुरले (महाराष्ट्र)	146.93
3.	गोविन्दनगर शुगर्स लि०, वालटरगंज, उत्तर प्रदेश	110.63

1	2	3
4.	वाणीविलास को० शुगर फैक्ट्री लि०, कर्नाटक	69.28
5.	जवाहर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	82.98
6.	अमादवालसा को० शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	68.68
7.	रूद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	47.83
8.	गंगेश्वर लि०, रामकोला, उत्तर प्रदेश	56.39
9.	तितावी शुगर काम्पलेक्स, उत्तर प्रदेश	124.28
10.	शाहाबाद को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	45.32
11.	संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गोवा	25.16
12.	माजलगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	67.75
13.	गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	23.69
14.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बभनान, उत्तर प्रदेश	22.17
15.	तुलसीपुर शुगर कं० लि०, उत्तर प्रदेश	85.35
16.	श्री दूधगंगा कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, कर्नाटक	179.24
17.	बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, उत्तर प्रदेश	88.40
18.	अजनाला को० शुगर मिल्स लि०, पंजाब	59.97
19.	एम०ए०सी० एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, तमिलनाडु	15.97
20.	सरयू सहकारी चीनी मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	80.54
	1999-2000	
21.	कैथल को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	37.03
22.	एस०वी० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	94.41
23.	तात्यासाहेब कोरे वर्ना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	136.06
24.	देवगिरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	109.06
25.	मालवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मध्य प्रदेश	59.38
26.	भद्रा सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, कर्नाटक	63.79
27.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि०, कर्नाटक	150.40
28.	धामपुर शुगर मिल्स लि०, बाराबंकी, तमिलनाडु	42.84
29.	शक्ति शुगर्स लि०, शक्तिनगर, तमिलनाडु	72.00
30.	तात्यासाहेब कोरे वर्ना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	131.96
31.	जवाहर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	84.51
32.	शाकुम्भरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, उत्तर प्रदेश	54.135
33.	मेहम को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	48.78
34.	शक्ति शुगर्स लि०, शिवगंगा यूनिट, तमिलनाडु	72.48
35.	पटियाला को० शुगर मिल्स लि०, पंजाब	89.78
36.	आन्ध्रा शुगर्स लि०, तनकु यूनिट, आन्ध्र प्रदेश	60.345
	2000-2001	
37.	राणा शुगर्स लि०, पंजाब	88.83
38.	वारालक्ष्मी शुगर्स, आंध्र प्रदेश	100.32
39.	गोविन्दनगर शुगर्स लि०, वाल्टरगंज, उत्तर प्रदेश	94.24
40.	जवाहर शेतकरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, महाराष्ट्र	101.79

1	2	3
41.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि०, कर्नाटक	111.32
42.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि०, आन्ध्र प्रदेश	92.214
43.	राणा शुगर्स लि०, पंजाब	83.43

(ग) 1998-99 के दौरान गन्ना विकास के लिए अल्पावधि के लिए वितरित ऋण

क्रम सं०	चीनी मिलों का नाम	वितरण राशि (लाख रुपये में)
1.	सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर, हरियाणा	149.40
2.	दौराला शुगर वर्क्स, उत्तर प्रदेश	85.482
3.	शक्ति शुगर्स लि०, शक्ति नगर, तमिलनाडु	100.00
4.	शक्ति शुगर्स लि०, बादम्बा, उड़ीसा	50.00
5.	शक्ति शुगर्स लि०, शिवगंगा, तमिलनाडु	50.00
6.	शक्ति शुगर्स लि०, ढेनकनाल, उड़ीसा	50.00
7.	रायगढ़ एस०एस०के० लि०, भोर, महाराष्ट्र	44.973
8.	बन्नारी अमन शुगर्स लि०, इरोड, तमिलनाडु	50.00
9.	बन्नारी अमन शुगर्स लि०, अलागांची, कर्नाटक	50.00
10.	चिलवारिया शुगर्स लि०, चिलवारिया, उत्तर प्रदेश	49.50
11.	इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि०, मैजापुर, उत्तर प्रदेश	50.00
12.	वारालक्ष्मी शुगर्स लि०, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश	50.00
13.	शाकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, उत्तर प्रदेश	50.00
14.	डी०एस०एम० शुगर असमोली, उत्तर प्रदेश	50.00
15.	धामपुर शुगर मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	150.00
16.	के०एम० शुगर मिल्स लि०, मोतीनगर, उत्तर प्रदेश	50.00
17.	दि संजीवनी (तकली) एसएसके लि०, कोपरगांव, महाराष्ट्र	50.00
18.	महात्मा एस०एस०के० लि०, शालू, महाराष्ट्र	50.00
19.	तात्यासाहेब कोरे वर्ना एस०एस०के० लि०, वर्नानगर, महाराष्ट्र	97.338
20.	डी०एस०एम० शुगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	50.00
21.	देवगिरी एस०एस०के० लि०, फुलाम्बरी, महाराष्ट्र	50.00
22.	श्री गणेश एस०एस०के० लि०, गणेशनगर, महाराष्ट्र	45.00
23.	दि मालेगांव एस०एस०के० लि०, शिवनगर, महाराष्ट्र	44.73
24.	श्री महाकाली एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	45.00
25.	श्री ऊना तालुका खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लिच, महाराष्ट्र	47.25
26.	राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लि०, तमिलनाडु	50.00
27.	खलीलाबाद शुगर मिल्स (प्रा०) लि०, उत्तर प्रदेश	50.00
28.	श्री दत्ता एस०एस०के० लि०, असुरले-पोरले, महाराष्ट्र	50.00
29.	दि कोआपरेटिव शुगर्स लि०, चित्तुर, केरल	50.00
30.	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	50.00
31.	महालक्ष्मी शुगर मिल्स लि०, इकबालपुर, उत्तर प्रदेश	75.00
32.	अकोला जिला एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	50.00
33.	भाऊराव चवन एस०एस०के० लि०, लक्ष्मीनगर, महाराष्ट्र	50.00
34.	जय भवानी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	50.00

1	2	3
35.	एस०वी० शुगर मिल्स लि०, कांचीपुरम, तमिलनाडु	50.00
36.	पिकाडीली शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, पतरान, पंजाब	50.00
37.	जवाहर शेतकारी एस०एस०के० लि०, हुपारी-यालगुड, महाराष्ट्र	44.99
38.	पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, भदसोन, हरियाणा	49.077
39.	नादिपवई पुलावर के०आर० रामास्वामी को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	50.00
40.	मुला शेतकारी एस०एस०के० लि०, नेवासा, महाराष्ट्र	45.00
41.	श्री शकर शेतकारी एस०एस०के० लि०, मंगरूल, महाराष्ट्र	49.50
42.	मोरिन्डा को० शुगर मिल्स लि०, पंजाब	50.00
43.	सह्याद्री एस०एस०के० लि०, यशवंतनगर, महाराष्ट्र	90.00
44.	चोपड़ा शेतकारी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	44.82
45.	दि निजामाबाद को० शुगर फैक्ट्री लि०, सारंगपुर, आन्ध्र प्रदेश	50.00
46.	यशवन्त शेतकारी एस०एस०के० लि०, थिउर, महाराष्ट्र	50.00
47.	पूणा एस०एस०के० लि०, बासमतनगर, महाराष्ट्र	50.00
48.	बजाज हिन्दुस्तान लि०, गोलागोरखनाथ, उत्तर प्रदेश	100.00
49.	पलवल को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	50.00
50.	श्रीमारोली विभाग खांड उद्योग मंडली लि०, गुजरात	45.225
51.	थिरू अरूरन शुगर्स लि०, कलुमसपगुडी तमिलनाडु	45.00
52.	वसन्त एस०एस०के० लि०, कसोडा, महाराष्ट्र	50.00
53.	जय जवान जय किसान एस०एस०के० लि०, नालेगांव, महाराष्ट्र	49.05
54.	कन्नाड एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	45.765
55.	श्री हिरण्यकेशी शक्कर कारखाना नियमित, महाराष्ट्र	75.00
56.	श्री दत्ता एस०एस०के० लि०, सिरोल, महाराष्ट्र	90.00
57.	डी०एस०एम० शुगर (काशीपुर), उत्तर प्रदेश	50.00
58.	सहकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	100.00
59.	थिरू अरूरन शुगर्स लि०, तिरूमंडनकुडी, तमिलनाडु	50.00
60.	चित्तुर को० शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
61.	कुम्भी केशरी एस०एस०के० लि०, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	67.473
62.	श्री संत दामाजी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	45.00
63.	सोनीपत को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	50.00
64.	श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, गुजरात	49.50
65.	दि अजनाला को० शुगर मिल्स लि०, पंजाब	50.00
66.	गोदावरी मन्नार एस०एस०के० लि०, शंकरनगर, महाराष्ट्र	49.50
67.	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि० (चीनी यूनिट), उत्तर प्रदेश	50.00
68.	श्री अजुध्या शुगर मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	50.00
69.	पुष्पावती एस०एस०के० लि०, पुसाड, महाराष्ट्र	45.00
70.	जयपोर शुगर कं० लि०, आन्ध्र प्रदेश	100.00

1	2	3
71.	रावलगांव शुगर फार्मस लि०, रावलगांव, महाराष्ट्र	50.00
72.	अशोक एस०एस०के० लि०, अशोकनगर, महाराष्ट्र	75.00
73.	नरसिम्हा एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	49.50
74.	वसन्तदादा शेतकारी एस०एस०के० लि०, मिराज, महाराष्ट्र	100.00
75.	नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, गुजरात	46.957
76.	तुलसीपुर शुगर कं० लि०, तुलसीपुर, उत्तर प्रदेश	49.533
77.	दावनगेरे शुगर कं० लि०, कर्नाटक	49.95
78.	संगामनेर भाग एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	74.727
79.	एन०सी०एस० गायत्री शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	45.00
80.	मनगंगा एस०एस०के० लि०, अटपडी, महाराष्ट्र	50.00
81.	दि गोदावरी शुगर मिल्स लि०, समीरवाड़ी, कर्नाटक	100.00
82.	दि तसगांव तालुका एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	67.50
83.	इतिकोप्पका को० एग्री० एंड इंडस्ट्रीज लि०, आन्ध्र प्रदेश	49.50
84.	आन्ध्रा शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
85.	कर्नाटक एस०एस०के० लि०, हावेरी, कर्नाटक	45.00
86.	मेहम को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	49.878
87.	विघ्नहर एस०एस०के० लि०, जुन्नार, महाराष्ट्र	45.045
88.	करनाल को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	50.00
89.	बजाज हिन्दुस्तान लि०, पालीकलां, उत्तर प्रदेश	50.00
90.	चेंगलरायान को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	69.05
91.	रीगा शुगर कं० लि०, बिहार	50.00
92.	बागेश्वरी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	49.59
93.	बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, बस्ती, उत्तर प्रदेश	50.00
94.	गोविन्दनगर शुगर लि०, वाल्टरगंज, उत्तर प्रदेश	45.00
95.	तिरूपात्तूर को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	50.00
96.	थांडवा को० शुगर लि०, आन्ध्र पदेश	50.00
97.	जठ तालुका एस०एस०के० लि०, जठ, महाराष्ट्र	50.00
98.	अम्बूर को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	49.603
99.	श्री दूधगंगा वेनगंगा एस०एस०के० लि०, बीदरी, महाराष्ट्र	65.916
100.	दि मेवार शुगर मिल्स लि०, राजस्थान	45.00
101.	द्वारिकेष शुगर इंडस्ट्रीज लि०, उत्तर प्रदेश	49.50
102.	माजलगांव एस०एस०के० लि०, सुन्दरनगर, महाराष्ट्र	49.50
103.	अमादवालसा को० शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	49.05
104.	ग्वालियर शुगर के० लि०, मध्य प्रदेश	50.00
105.	अजिंकयात्रा एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	50.00
106.	वेस्ट गोदावरी को० शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
107.	राहुरी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	75.00
108.	श्री छत्रपति शाहू एस०एस०के० लि०, कागल, महाराष्ट्र	49.59
109.	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि०, तमिलनाडु	100.00
110.	निफाड एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	75.00
111.	श्री विद्धेश्वर एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	50.00
112.	भीमा एस०एस०के० लि०, पतास, महाराष्ट्र	90.063
113.	यशवंत एस०एस०के० लि०, ख्रामपुर, महाराष्ट्र	50.00

1	2	3
114.	अजरा शेतकारी एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	45.045
115.	एल०एच० शुगर फैक्ट्री लि०, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	50.00
116.	दि कनोरिया शुगर एंड जनरल मैनुफैक्चरिंग कं० लि०, उत्तर प्रदेश	75.00
117.	गणपति शुगर इंडस्ट्रीज लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
118.	श्री भोगवती एस०एस०के० लि०, शाहूनगर, महाराष्ट्र	50.00
119.	दि पांडवपुरा एस०एस०के० नियमित, कर्नाटक	50.00
120.	नेशनल को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	49.50
121.	वेस्टर्न उड़ीसा शुगर्स लि०, उड़ीसा	45.00
122.	हुतात्मा किसान अहीर एस.एस.के. लि., महाराष्ट्र	50.00
123.	गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	46.36
124.	श्री छत्रतान विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, गुजरात	100.00
125.	हनुमान को० शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
126.	किसान महकारी चीनी मिल्स लि०, सम्पूर्णानगर, उत्तर प्रदेश	46.36
127.	गंगेश्वर लि०, रामकोला, उत्तर प्रदेश	45.00
128.	त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०, खतौली, उत्तर प्रदेश	150.00
129.	सुग्रमणिया को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	50.00
130.	विश्वासराव नायक एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	49.959
131.	पोन्नी शुगर्स एंड केमिकल्स लि०, कावेरी, तमिलनाडु	50.00
132.	नाहर शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, पंजाब	45.00
133.	धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गोरखपुर, उत्तर पदेश	46.36
134.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, महमूदाबाद, उत्तर प्रदेश	46.36
135.	रामगढ़ चीनी मिल्स, रामगढ़, उत्तर प्रदेश	49.50
136.	राय बहादुर नरायण सिंह शुगर मिल्स लि०, उत्तर प्रदेश	75.00
137.	गिरधारी लाल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि०, मध्य प्रदेश	50.00
138.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गदरपुद, उत्तर प्रदेश	46.36
139.	कलाकुरीची को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	45.00
140.	श्री दूधगंगा कृष्णा एस०एस०के० नियमित, चिकाडी, कर्नाटक	72.90
141.	पुष्पदंतेश्वर एस०एस०के० लि०, शमसेरपुर, महाराष्ट्र	44.775
142.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, बलिया, उत्तर प्रदेश	46.36
143.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, नानपारा, उत्तर प्रदेश	46.36
144.	हरियाणा को० शुगर मिल्स लि०, रोहतक, हरियाणा	50.00
145.	अस्का को० शुगर इंडस्ट्रीज लि०, उड़ीसा	50.00
146.	निजाम शुगर्स लि०, विजयनगरम, आन्ध्र प्रदेश	50.00
147.	विष्णु शुगर मिल्स लि०, बिहार	50.00
148.	अगौता शुगर्स एंड केमिकल्स लि०, उत्तर प्रदेश	50.00
149.	न्यू फालटन शुर वर्क्स, महाराष्ट्र	45.00
150.	श्री सरवराया शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
151.	जे०के० शुगर लि०, उत्तर प्रदेश	50.00

1	2	3
	1999-2000	
152.	बालासाहेब देसाई एस०एस०के० लि०, दौलतनगर, महाराष्ट्र	45.00
153.	श्री दयानेश्वर एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	67.50
154.	श्रीगोंडा एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	49.50
155.	कैथल को० शुगर मिल्स लि०, हरियाणा	49.50
156.	किसान को० शुगर फैक्ट्री लि०, सरसावा, उत्तर प्रदेश	46.36
157.	किसान को० सहकारी चीनी मिल्स लि०, नादेही, उत्तर प्रदेश	46.36
158.	श्री विजयरामा गजपति शुगर लि०, आन्ध्र प्रदेश	50.00
159.	गंगेश्वर लि०, देवबंद, उत्तर प्रदेश	150.00
160.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, करीमगंज, उत्तर प्रदेश	46.36
161.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, घोसी, उत्तर प्रदेश	46.36
162.	रूद्र बिलास सहकारी चीनी मिल्स लि०, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश	46.36
163.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश	46.36
164.	चेय्यार को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	50.00
165.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अनूपशहर, उत्तर प्रदेश	46.36
166.	अमरावती को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	45.00
167.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, साथा, उत्तर प्रदेश	46.36
168.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पुरानपुर, उत्तर प्रदेश	46.36
169.	एस०आर० कृष्णामूर्ति को० शुगर मिल्स लि०, सेठीथोप, तमिलनाडु	50.00
170.	दक्षिण कन्नड एस०एस०के० लि०, ब्रह्मावर, महाराष्ट्र	50.00
171.	एमएसी एग्रो इंडस्ट्रीज लि०, तमिलनाडु	75.00
172.	इंडापुर एस०एस०के० लि०, महाराष्ट्र	50.00
173.	चोदावरम को० शुगर्स लि०, आन्ध्र प्रदेश	46.17
174.	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, औराई, उत्तर प्रदेश	46.36
175.	शेतकारी एस०एस०के० लि०, किल्लारी, महाराष्ट्र	45.27
176.	धर्मापुरी जिला को० शुगर मिल्स लि०, तमिलनाडु	45.00
177.	काकातिया सीमेंट शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, आन्ध्र प्रदेश	45.00
	2000-2001	
178.	नारायणगढ़ शुगर मिल्स लि०, बानोन्दी, हरियाणा	50.00
179.	सलेम को० शुगर मिल्स लि०, मोहिनूर तमिलनाडु	49.95

शेयर बाजार में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

4850. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने रेनबैक्सी, सौरव टेक्नोलोजीज, सिल्वरवाइन, सत्यम, पेन्टामीडिया और सिनेविस्टा कम्यूनिकेशन्स जैसी कंपनियों और अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाली वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीद से वित्तीय संस्थाओं को कितनी धनराशि का घाटा हुआ है;

(घ) क्या वित्तीय संस्थाओं और इन कंपनियों के बीच सांठ-गांठ का पता लगाने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सोडा एश पर सीमा शुल्क

4851. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने हाल ही में आयातित सोडा एश पर सीमा शुल्क को 35 से घटाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका सोडा एश विनिर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के बजट के दौरान घेरलू मांग-आपूर्ति की स्थिति, स्वदेशी और आयातित सोडा एश के तुलनात्मक मूल्यों और घरेलू विनिर्माता और प्रयोगता उद्योगों की स्थिति और संयोजन जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए सोडा एश पर सीमा शुल्क की दर को घटा दिया गया था। सोडा एश के विनिर्माताओं पर इसके कारण कोई स्पष्ट प्रभाव अभी दिखाई नहीं दिया है।

कॉफी का उत्पादन

4852. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस वित्तीय वर्ष में कॉफी का उत्पादन 3,17,000 टन तक होने की संभावना है;

(ख) क्या भारत में यह उत्पादन कॉफी क्षेत्र में किसी अन्य वर्ष की तुलना में सबसे बड़ा उत्पादन है;

(ग) कॉफी के उत्पादन में इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके लिए पर्याप्त बाजार उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या निर्यात की मांग वाली कॉफी की उपज को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार द्वारा कॉफी बोर्ड के जरिए सतत रूप से किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों के कारण देश में कॉफी का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है। चालू वर्ष के दौरान देश में कॉफी का उत्पादन 3.17 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि देश में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) भारतीय कॉफी के उत्पादन का 80% से ज्यादा हिस्सा विश्व के 40 से भी अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। कॉफी बोर्ड द्वारा अनेक योजना स्कीमें चलायी जा रही हैं जिनका उद्देश्य कॉफी की उत्पादकता को बढ़ाना और उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार लाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल की जा सके। बोर्ड विशिष्टता कॉफी का उत्पादन करने हेतु बड़े उपजकर्त्ताओं को भी प्रोत्साहित कर रहा है जिससे यू एस ए और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में आकर्षक आय प्राप्त होती है।

बोर्ड एक मध्यावधि निर्यात कार्य नीति का कार्यान्वयन भी कर रहा है ताकि प्रमुख बाजारों में बाजार हिस्से को बनाए रखा जा सके और उसमें वृद्धि की जा सके और अगले पांच वर्षों में विश्व बाजारों में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार भी लाया जा सके।

बैंकों की लेखा परीक्षा

4853. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों (सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र) के लिए लेखा-परीक्षक को नियुक्त करने हेतु किसी निर्धारित प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बैंकों की लेखा-परीक्षा में किसी चूक के लिए लेखापरीक्षकों के लिए कोई आर्थिक दंड भी निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे लेखा-परीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/कितना अर्थदंड लगाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सरकारी

क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए उचित सिफारिश करने के प्रयोजन से बैंक लेखापरीक्षा संबंधी स्थायी सलाहकार समिति के साथ-साथ वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड संबंधी उप-समिति (लेखा परीक्षा) गठित की है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों (एस सी ए) के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए पात्रता मानदण्डों का निर्धारण वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड संबंधी उप-समिति (लेखा परीक्षा) द्वारा किया जाता है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) को सलाह दी जाती है जो अपनी पत्रिका में सनदी लेखाकारों को सूचीबद्ध होने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक कार्यालय में आवेदन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रकाशित करते हैं। सी एण्ड ए जी के कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर वे भारतीय रिजर्व बैंक को निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाली पात्र फर्मों की सूची पेश करते हैं। तत्पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक उक्त सूची की संवीक्षा करता है और सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र फर्मों की एक सूची तैयार करता है। यह सूची एस ए सी के समक्ष विचार और सिफारिश करने के लिए रखी जाती है। एस ए सी की सिफारिशों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है और तत्पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का संबंध है, प्रत्येक वर्ष आई सी ए आई से भारतीय रिजर्व बैंक को एक सूची प्राप्त होती है जिसकी जांच की जाती है और एस ए सी द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् नियुक्तियों पर निर्णय लिया जाता है।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का संबंध है, इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा तीन लेखा-परीक्षा फर्मों की एक सूची भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाती है, जो सूची की जांच करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1क) के तहत ऐसी नियुक्तियां करने का अनुमोदन करते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गलत लेखापरीक्षा करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन कोई विशिष्ट आर्थिक दण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षकों की तरफ से उपेक्षा के उदाहरण जब भी भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में आते हैं/लाए जाते हैं, जब संबंधित बैंकों से तत्संबंधी पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाता है और वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड संबंधी उपसमिति (लेखापरीक्षा) द्वारा मामले पर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक हो, चूककर्त्ता लेखापरीक्षा फर्मों पर सांविधिक लेखापरीक्षा कार्य नहीं होने देने का दण्ड लगाया जाता है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अनुसरण में आई सी ए आई चूककर्त्ता लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है और लेखापरीक्षकों की चूकों के बारे में इन्हें रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है जिससे चूककर्त्ता लेखापरीक्षकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने में इन्हें समर्थ बनाया जाए।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के मामले में, इन्होंने उन्हें उनकी चूकों के लिए 4 वर्ष की अवधि हेतु वाणिज्यिक बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा से नकार दिया है।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं में बैंकों का सहयोग

4854. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों, गरीबी उपशमन कार्यक्रम और रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार (एस०जी०एस०वाई०) के कार्यकरण की सफलता बैंकों के सहयोग पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या स्थिति है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि इस मामले में बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं और ऋण के लिए प्राप्त/लंबित आवेदनों के लिए आवेदकों को परेशान किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अधीन ग्रामीण स्व सहायता समूहों (एस एच जी) गरीबी उन्मूलन और रोजगार जुटाने के कार्यक्रमों की सफलता बैंकों के सहयोग पर निर्भर करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना का मुख्य घटक ऋण हैं। बैंक योजना के अधीन पहचाने गए मुख्य कार्यकलापों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में निकट से सम्बद्ध और जुड़े होते हैं जिससे ऋण मंजूर करने में विलम्ब को रोका जा सके और वित्तपोषण की पर्याप्तता एवं स्वरोजगारियों की पहचान एवं चयन करना भी सुनिश्चित हो सकें।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायोग नहीं कर रहे हैं। तथापि, जब भी ऋणों की मंजूरी एवं संवितरण में प्रक्रिया संबंधी विलम्ब से संबंधित

कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं, शिकायत को दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-सीमा निर्धारित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं जिसमें मामलों को निपटाया जाना अपेक्षित है। योजना के अधीन प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और राज्य स्तरीय बैंकर समिति, जिला स्तरीय क्षेत्रीय समिति आदि जैसे मंचों में विचार-विमर्श किया जाता है और संबंधित अग्रणी बैंकों को विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी जाती है। बैंकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन मंजूर करने और निपटाने की भी सलाह दी जाती है जिससे मंजूरी और संवितरण के बीच अन्तर कम से कम रहे।

कर्मचारियों का उत्पीड़न

4855. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष के आरंभ से लम्बे समय तक जारी रहने वाले आन्दोलन के समाधान के पश्चात् मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों पर होने वाले उत्पीड़न और विभिन्न अनुशासनिक कार्रवाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कर्मचारियों के इस उत्पीड़न को रोकने और कंपनी में शांतिपूर्ण माहौल उत्पन्न करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) एक गैर-सरकारी बोर्ड प्रबन्धन कंपनी है। सरकार को मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी संघ से उत्पीड़न के आरोप के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसे मारुति उद्योग लिमिटेड को अग्रेषित कर दिया गया। मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबन्धन के अनुसार, कर्मचारी यूनियन तथा मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबन्धन के बीच दिनांक 08.01.2001 को हुए समझौते के अनुरूप, कर्मचारियों ने 9.1.2001 से अपना कार्य शुरू कर दिया। मारुति उद्योग लिमिटेड ने उत्पीड़न के आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि कंपनी में कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में सामान्य रूप से चल रहा है।

भारतीय खाद्य निगम की संचालनात्मक दक्षता

4856. **डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम की संचालनात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बम्पर फसल उत्पादन को देखते हुए खाद्यान्नों की खरीद के कार्य को बढ़ाने के लिए अन्य उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम दक्षतापूर्वक खाद्यान्नों की वसूली कर रहा है। वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों ने रबी विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के वसूली राज्यों में लगभग 7990 क्रय केन्द्र खोले थे।

(ग) अधिक फसल उत्पादन होने की दृष्टि में खाद्यान्नों के वसूली कार्य का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपस में क्रय केन्द्रों का स्थान तय किया गया है।

(ii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त नकद ऋण सुविधा की व्यवस्था की गयी है ताकि किसानों के उत्पादनों का तत्परता से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) मंडियों से डिपुओं तक खाद्यान्नों के स्टाक का संचलन करने के लिए ढुलाई व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है।

(iv) पेशकश किए जा रहे गेहूं का विश्लेषण करने के लिए क्रय केन्द्रों/मंडियों में पर्याप्त संख्या में गुण नियंत्रण कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह गेहूं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हो।

(v) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की कड़ी मानीटरिंग करने के लिए भारतीय खाद्य निगम में उनके मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि राज्य सरकारों और अन्य वसूली एजेंसियों से दैनिक वसूली की आंकड़े एकत्र और समेकित किए जा सकें। ये नियंत्रण कक्ष उच्च वसूली मौसम के दौरान चौबीसों घंटे कार्य करते हैं।

(vi) किसानों द्वारा समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर मजबूरन बिक्री से बचने के लिए उचित सावधानी बरती जाती है।

आवास निर्माण अग्रिम राशि

4857. श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम राशि में वृद्धि कर दी है अथवा वृद्धि करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम राशि में वृद्धि की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम की सीमाओं में संशोधन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 7 मार्च 2001 को मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :-

	संशोधन पूर्व सीमा	संशोधित सीमा
अधिकारी	5.0 लाख रुपए	7.5 लाख रुपए
लिपिकीय स्टाफ	3.0 लाख रुपए	4.5 लाख रुपए
अधीनस्थ स्टाफ	2.0 लाख रुपए	3.0 लाख रुपए

(ग) से (ङ) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा लागत के निर्माण में वृद्धि सहित अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा दिनांक 16.12.97 को संशोधित की गई थी। इस समय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण अग्रिम में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाभोल विद्युत परियोजना के लिए पैकेज

4858. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना को बचाने के लिए भारतीय वित्तीय संस्थाओं को पैकेज तैयार करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) वित्तीय संस्थाएं, दाभोल विद्युत परियोजना के पुनर्गठन के लिए फिलहाल विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही हैं। इस संबध में, आई डी बी आई जो अग्रणी संस्था है, एक स्वीकार्य पैकेज तैयार करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों जैसे, प्रयोजन, दाभोल विद्युत कम्पनी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार सहित भारतीय एवं विदेशी ऋण दाताओं के सम्पर्क में भी है। भारतीय वित्तीय संस्था सहित सभी ऋणदाताओं ने उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार के लिए तथा वर्तमान गतिरोध के समाधान हेतु व्यापक ऋणदाता समूह के लिए सिफारिश करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

विदेश जाने के लिए विदेशी मुद्रा का कोटा

4859. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश भ्रमण के लिए एक व्यक्ति को प्रदान किये जाने वाला विदेशी मुद्रा का वर्तमान कोटा कितना है;

(ख) क्या सरकार ने विदेश यात्रा के दौरान व्यक्ति द्वारा खर्च की गयी विदेशी मुद्रा की सीमा निश्चित करने से संबंधित कोई समीक्षा की है;

(ग) क्या विदेश यात्रा के लिए व्यक्ति को प्रदान किये जाने वाले विदेशी मुद्रा के कोटे में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबे समय से लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कोटे में वृद्धि कर दी गई है और जो 1 जून, 2000 से प्रवृत्त हुआ है। यह कोटा बढ़ाकर विदेश यात्रा के लिए 5000/- अमरीकी डालर प्रति कैलेण्डर वर्ष और कारोबार के लिए की गई यात्रा आदि के

लिए 25,000/- अमरीकी डालर कर दिया गया है। यदि विदेशी मुद्रा की राशि उपर्युक्त सीमाओं से अधिक हो जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है जैसाकि विदेशी मुद्रा प्रबन्धन (चालू खाता लेन-देन) नियमावली की अनुसूची III में निर्दिष्ट है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक शाखाओं को बंद किया जाना

4860. श्रीमती मिनाती सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान युनाइटेड बैंक, इंडियन बैंक और युनाइटेड कमर्शियल बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित कई शाखाओं को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और बैंकवार संख्या क्या है; और

(ग) तत्संबंधी बैंकवार कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान युक्तिसंगत बनाई गई/विलय की गई युनाइटेड बैंक आफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूको बैंक की शाखाओं/कार्यालयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इन बैंकों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा उसे तेज करने के लिए विद्यमान स्तरीय संरचना को भी समाप्त कर दिया है। युक्तिसंगत बनाया है। इंडियन बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने अंचल कार्यालयों के एक स्तर को समाप्त कर दिया है, जबकि यूको बैंक ने अपने तीन क्षेत्रीय कार्यालयों को युक्तिसंगत बनाया है। इन बैंकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों सहित शाखाओं का विलय पुनर्संरचना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।

विवरण

1.4.1998 से 31.3.2001 तक युक्तिसंगत बनाई गई/विलय की गई/परिवर्तित की गई वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं/कार्यालय

बैंकों का नाम/ राज्य का नाम	1998-99			1999-2000			2000-20001		
	शाखाएं	कार्यालय	जोड़	शाखाएं	कार्यालय	जोड़	शाखाएं	कार्यालय	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया									
आसाम	–	–	–	–	–	–	2	–	2
बिहार	–	–	–	–	–	–	2	–	2
गुजरात	–	–	–	–	–	–	2	–	2
मनीपुर							7	–	7
प० बंगाल	–	–	–	2	–	2	5	–	5
कुल बैंक	–	–	–	2	–	2	18	–	18
इंडियन बैंक									
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	2	–	2
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	1	—	1	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—	—	1	1	1	—	1
केरल	—	—	—	—	1	1	—	—	—
महाराष्ट्र	—		—	—	—	—	1	—	1
पंजाब	—	—	—	—	—	—	2	—	2
राजस्थान	—	—	—	—	—	—	1	—	1
तमिलनाडु	—	1	1	3	1	4	22	—	22
कुल बैंक	—	1	1	4	3	7	30	—	30
यूको बैंक									
आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	3	—	3	3	—	3
असम	1	—	—	11	—	11	—	—	—
बिहार	—	—	1	3	—	3	—	—	—
दिल्ली	—	1	1	—	—	—	—	—	-
गुजरात	—	—	—	1	—	1	1	—	1
कनार्टक	—	1	1	1	—	1	—	1	1
मध्य प्रदेश	—	—	—	3	—	3	1	—	1
महाराष्ट्र	—	—	—	2	—	2	3	—	3
मणिपुर	—	—	—	1	—	1	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	1	—	1	—	—	—
उड़ीसा	—	1	1	2	—	2	2	—	2
राजस्थान	—	1	1	1	—	1	—	—	—
तमिलनाडु	—	1	1	—	—	—	—	—	—
पं० बंगाल	—	1	1	—	—	—	—	—	—
कुल बैंक	1	6	7	29	—	29	10	1	11
कुल	1	7	8	35	3	38	58	1	59

गेहूं का निर्यात

4861. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों को आपूर्ति किये जा रहे गेहूं की कीमत को कम करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के कारण निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या संभावित विदेशी ग्राहक चालू मूल्य पर भारतीय गेहूं को खरीदने के इच्छुक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नीतियों और कीमतों में बार-बार किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों से विदेशी ग्राहकों के मन में अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और निर्यातक भी निराश हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार किसी ठोस कार्य योजना पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) कमी होने की बजाय, गेहूं के मूल्य में कमी करने से निर्यात को बल मिलने की संभावना है।

(ख) और (ग) अत: प्रश्न नहीं उठते।

(घ) नीति तथा मूल्य गतिशील साधन (इंस्ट्रूमेंट) हैं, विदेशी क्रेताओं के संबंध में निराशा तथा अनिश्चितता की सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) और (च) अत: प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेशन में पारदर्शिता

4862. श्री सुरेश कुरूप : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने में पारदर्शिता बरतना सुनिश्चित करने के लिए कोई नई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) भारत सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर रही है जिससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इस प्रक्रिया में और तेजी लाने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है और इसमें संशोधन किया जाता है। इस समय अनुकूल बिक्री की पद्धति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश के लिए निम्नलिखित व्यापक प्रक्रिया अपनाई जा रही है :-

- विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर आधारित अथवा सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश प्रस्तावों पर विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल द्वारा विचार किया जाता है। तदुपरांत, विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल की सिफारिशों के साथ प्रस्तावों को विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

- विनिवेश प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी मिलने के बाद प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकार का चयन किया जाता है।

- सलाहकार संभावित अनुकूल साझीदारों से हितों की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए विज्ञापन तैयार करने और प्रमुख समाचार-पत्रों में उन्हें जारी करने में सरकार की सहायता करता है। तात्कालिक मामलों में, हित की अभिव्यक्ति विनिवेश विभाग द्वारा तैयार की जाती है और अन्तरमंत्रालय दल द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद उन्हें जारी कर दिया जाता है।

- हितों की अभिव्यक्तियों की प्राप्ति के बाद घोषित पूर्व अर्हता मानदण्डों/आवश्यकताओं के प्रकाश में वस्तुपरक छानबीन पर आधारित संभावित बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है।

- सलाहकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विधिवत अध्यवसाय के बाद, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परामर्श से सूचना ज्ञापन तैयार करते हैं, इसे उन संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को प्रदान कर दिया जाता है, जिन्होंने गोपनीयता करार सम्पन्न किए हैं।

- शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार मसौदे भी कानूनी सलाहकारों की सहायता से सलाहकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन्हें उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को दे दिया जाता है।

– संभावित बोलीदाता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विधिवत अध्यवसाय अपने हाथ में लेते हैं और किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सलाहकारों/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करते हैं।

– साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य-निर्धारण का काम मानक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुसरण में आरम्भ किया जाता है।

– संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार तैयार किए जाते हैं। विधि मंत्रालय द्वारा इन करारों को पुनरीक्षा कर लेने के बाद सरकार इनका अनुमोदन करती है। तत्पश्चात इन्हें अन्तिम बाध्यकारी बोलियां (तकनीकी तथा वित्तीय) आमन्त्रित करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को भेजा जाता है।

– विश्लेषण और मूल्यांकन पर विचार करने के बाद, अन्तर्मन्त्रालय दल की सिफारिशों को अनुकूल साझीदार के चयन, शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करने और अन्य अनुषंगिक मुद्दों के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए विनिवेश पर मन्त्रिमण्डल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

– ऊपर उल्लिखित विनिवेश प्रक्रिया में विनिवेश विभाग को एक अन्तर्मन्त्रालय दल प्रत्येक चरण में सहायता प्रदान करता है जिसमें विनिवेश विभाग के अधिकारियों और सलाहकारों के अलावा वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

– कार्रवाई पूरी होने के बाद इससे संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजा जाएगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इसे संसद को भेजने तथा जन साधारण को जारी करने के लिए एक मूल्यांकन तैयार करेगा।

– हाल ही में, सलाहकारों और बोलीदाताओं के लिए अर्हता मापदण्डों पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनसे विनिवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता और बढ़ जाएगी।

कर्नाटक में तम्बाकू का अत्यधिक उत्पादन

4863. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के उत्पादनकर्ताओं ने 1999-2000 के आबंटन से 9 मिलियन किलो अधिक तथा 2000-2001 के आबंटन से 16 मिलियन किलो अधिक तम्बाकू पैदा किया है; और

(ख) अत्यधिक मात्रा में उत्पादित इस तम्बाकू की खरीद के लिए तम्बाकू बोर्ड क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) कर्नाटक के किसानों ने वर्ष 1999-2000 के मौसम में आबंटित मात्रा से 8.02 मिलियन किग्रा० तथा वर्ष 2000-01 के मौसम में 18.25 मिलियन किग्रा० अधिक तम्बाकू का उत्पादन किया। सरकार द्वारा तम्बाकू बोर्ड के नीलामी मंचों पर इस अधिक तम्बाकू की बिक्री की अनुमति 5% दण्ड तथा 2 रुपए प्रति किग्रा० के अतिरिक्त शुल्क की शर्त पर प्रदान की गयी थी। इसके अलावा, उन उपजकर्त्ताओं के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने अधिकृत मात्रा से अधिक तम्बाकू का उत्पादन किया है तथा जिन अपंजीकृत उपजकर्त्ताओं ने अनधिकृत रूप से तम्बाकू का उत्पादन किया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण

4864. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) का विकल्प देने वाले श्रमिकों के लिए काउंसलिंग, प्रशिक्षण तथा पुनर्योग कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन श्रमिकों को वहन वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) जी, हां। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कामगारों/कर्मचारियों को परामर्श देने, पुन: प्रशिक्षित करने तथा पुनर्नियोजित करने से सम्बन्धित वर्तमान योजना का उद्देश्य स्वरोजगार के लिए परामर्श एवं प्रशिक्षण देना है। सरकार उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए कोष उपलब्ध कराती है। प्रशिक्षणार्थियों को वाणिज्यक बैंकों वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा, जो

लागू हो, संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वित्तीय सहायता / ऋण प्राप्त करने में भी सहायता दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्यावरण पर कार्यक्रम

4865. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में विभिन्न टेलीविजन-चैनलों पर पर्यावरण संरक्षण पर कौन-कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिश्नोई समुदाय के 363 पुरुषों और महिलाओं द्वारा वर्ष 1730 में वृक्षों के संरक्षण के लिए दिये गये बलिदान पर बने वृत्तचित्र को दिखाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

4866. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी और सरकारी कंपनियों में पूंजी निवेश सरकार के नियंत्रण तथा निरीक्षण में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों में इन संस्थाओं द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) क्या इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूंजी निवेश करने के संबंध में कोई मार्गदर्शी-सिद्धांत तय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन वित्तीय संस्थाओं ने उक्तावधि में इन मार्गदर्शी-सिद्धांतों की अवहेलना की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) आधारभूत सुविधा वाले बांडों को (आयकर अधिनियम की धारा 88 के अधीन कर बचत वाले) के मामले को छोड़कर, जहां उधार ली गई रकमों का तीन वर्ष के अन्दर निवेश करना होता है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई निधियों के निवेश के लिए कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश नहीं हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) और आई सी आई सी आई ने जुटाई गई समस्त रकमों का आधारभूत क्षेत्र में आधारभूत सुविधा वाले बांडों में निवेश करके आधारभूत सुविधा वाले बांडों से संबंधित मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया है।

सुपर बाजार में वस्तुओं का अधिक दामों पर बेचा जाना

4867. **श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजारों में वस्तुओं को उनके बाजार मूल्य की अपेक्षा अधिक दामों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन वस्तुओं के मूल्यों को बाजार मूल्य के समान रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) सुपर बाजार में वस्तुओं को अधिक दामों पर बेचे जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाना अपेक्षित नहीं है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वस्तुओं को ऊंचे मूल्यों पर बेचे जाने के बारे में केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

विदेशी ऋण

4868. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 मिलियन डालर तक के विदेशी ऋण हेतु निर्धारित

स्व-संस्वीकृति संबंधी मानदंडों का कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन मानदंडों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन

4869. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वापक औषधि बोर्ड (एन०सी०बी०) ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में कतिपय बड़े संरचनात्मक संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 दिनांक 9.5.2001 को अधिसूचित स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा हाल ही में संशोधित किया गया था।

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम 2001 ने (क) मौजूदा सजा का ढांचा युक्तिसंगत बना दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नशीले पदार्थों के उन अवैध व्यापारियों को, जो नशीले पदार्थों का बड़ी मात्रा में अवैध व्यापार करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले, नशेड़ी और अन्य व्यक्ति को, जो अपेक्षाकृत कम गम्भीर अपराध करते हैं, कम गंभीर दण्ड मिले। (ख) गम्भीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के मामले में कड़े जमानत के उपबन्ध लागू करने को सीमित कर दिया है। (ग) प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती आदि की शक्ति से संबंधित खामियों को दूर कर दिया है और (घ) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध 1988 के संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय जिसमें भारत भी भागीदार है से उत्पन्न नियंत्रित सुपुर्दगी की संकल्पना के संबंध में कुछेक प्रतिबद्धताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा है।

उद्योगों के विरुद्ध आबकारी मामले

4870. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 1999 और 2001 के बीच इन्दौर (मध्य प्रदेश) में विभिन्न उद्योगों के विरुद्ध, आबकारी शुल्क के अपवंचन के संबंध में कितने मामले दायर किए गए;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनमें 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वंचन किया गया है;

(ग) आबकारी विभाग, इन्दौर (म०प्र०) द्वारा 3 करोड़ रु० से अधिक के आबकारी शुल्क के भुगतान के संबंध में आदेश देने के पश्चात् ऐसे कितने मामलों को फिर से खोला गया;

(घ) इनमें से कितने मामले वापिस ले लिए गए;

(ङ) क्या सरकार को उपर्युक्त विषय में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर (मध्य प्रदेश) के क्षेत्राधिकार के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा पता लगाये गये 3 करोड़ रुपये से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन के मामलों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या	कथित रूप से अपवंचित शुल्क की राशि
1999	5	58.21
2000	3	24.21
2001	शून्य	शून्य

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल के बाद, उपर्युक्त सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये थे और इन मामलों पर न्यायनिर्णयन/अपील के विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) से (छ) वर्ष 1999 के दौरान पता लगाये गये एक मामले के संबंध में, जिसका अभी न्यायनिर्णयन किया जाना है, इस सदन के कुछेक माननीय सांसदों ने लिखा है। उन पत्रों की विषय-वस्तुओं को उचित कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया है।

धन-शोधन संबंधी घोटाला

4871. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात हस्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के नामों पर किये गये एक बड़े धन-शोधन घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें पोर्ट ब्लेयर स्थित ''इंडियन ओवरसीज बैंक'' संलिप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसकी कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचित किया है कि सीबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक, पोर्ट ब्लेयर शाखा के कुछ अधिकारियों तथा एक प्राइवेट व्यक्ति, जो षडयंत्र में लिप्त थे तथा गलत तरीके से कमाए गए 7 करोड़ रुपए की राशि को जमा करने के लिए जाली नामों से खाता खोले थे, के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है। उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए 2 करोड़ रुपए की सावधि जमा रसीद बनाने के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों समेत जाली व्यक्तियों के नामों का बैंक ड्राफ्ट भी जारी किया था।

[हिन्दी]

खाद्यान्न का आबंटन

4872. डा० बलिराम : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 2001 के दौरान केन्द्रीय पूल से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आबंटन किया गया;

(ख) क्या इन क्षेत्रों से चावल और गेहूं का आबंटन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है; और

(ग) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त आबंटन बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय पूल से दिल्ली और उत्तर प्रदेश को आबंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की मात्रा निम्नानुसार है :-

(हजार टन में)

राज्य		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	जोड़
दिल्ली	चावल	—	163.320	163.320
	गेहूं	24.540	487.140	511.680
उत्तर प्रदेश	चावल	741.628	131.812	873.440
	गेहूं	1537.660	260.916	1798.576

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उर्वरक लि० का विनिवेश

4873. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जुलाई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार-पत्र में 'चार हजार करोड़ रुपये की संपत्ति वाले संस्थान एक हजार करोड़ रुपये में बेचे जाने की साजिश' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसकी परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त संयंत्र को खरीदने में जिन कंपनियों ने रुचि दिखाई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन एफ एल) को कम मूल्य पर बेचने का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मूल्य निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ङ) सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा सरकार के लिए वांछनीय है। इसलिए बोलीदाता किसके और कितने प्रतियोगियों के विरुद्ध बोली लगा रहा है इसके बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा है। अत: सौदा पूरा होने से पूर्व विज्ञापनों की प्रतिक्रिया में प्रतिभागियों के नामों, बोलियों के मूल्य आदि को प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

(च) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया, सरकार की घोषित नीति और नितान्त रूप से पारदर्शी क्रियाविधियों के अनुसरण में चलाई जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

- विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर आधारित अथवा सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश प्रस्तावों को विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

- विनिवेश प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी मिलने के बाद प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकार का चयन किया जाता है।

- सलाहकार संभावित अनुकूल साझीदारों से हितों की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए विज्ञापन तैयार करने और प्रमुख समाचार-पत्रों में उन्हें जारी करने में सरकार की सहायता करता है। तात्कालिक मामलों में, हित की अभिव्यक्ति विनिवेश विभाग द्वारा तैयार की जाती है और अन्तर्मंत्रालय दल द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद उन्हें जारी कर दिया जाता है।

- हितों की अभिव्यक्तियों की प्राप्ति के बाद घोषित पूर्व अर्हता मानदण्डों/आवश्यकताओं के प्रकाश में वस्तुपरक छानबीन पर आधारित संभावित बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है।

- सलाहकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विधिवत अध्यवसाय के बाद, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परामर्श से सूचना ज्ञापन तैयार करते हैं, इसे उन संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को प्रदान कर दिया जाता है, जिन्होंने गोपनीयता करार सम्पन्न किए हैं।

- शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार मसौदे भी कानूनी सलाहकारों की सहायता से सलाहकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन्हें उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को दे दिया जाता है।

- संभावित बोलीदाता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विधिवत अध्यवसाय अपने हाथ में लेते हैं और किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सलाहकारों/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करते हैं।

- साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य-निर्धारण का काम मानक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुसरण में आरम्भ किया जाता है।

- संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार तैयार किए जाते हैं। विधि मन्त्रालय द्वारा इन करारों को पुनरीक्षा कर लेने के बाद सरकार इनका अनुमोदन करती है। तत्पश्चात इन्हें अन्तिम बाध्यकारी बोलियां (तकनीकी तथा वित्तीय) आमन्त्रित करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को भेजा जाता है।

- विश्लेषण और मूल्यांकन पर विचार करने के बाद, अन्तर्मन्त्रालय दल की सिफारिशों को अनुकूल साझीदार के चयन, शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करने और अन्य अनुषंगिक मुद्दों के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के लिए विनिवेश पर मन्त्रिमण्डल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

- ऊपर उल्लिखित विनिवेश प्रक्रिया में विनिवेश विभाग को एक अन्तर्मन्त्रालय दल प्रत्येक चरण में सहायता प्रदान करता है जिसमें विनिवेश विभाग के अधिकारियों और सलाहकारों के अलावा वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

– कार्रवाई पूरी होने के बाद इससे संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजा जाएगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इसे संसद को भेजने तथा जन साधारण को जारी करने के लिए एक मूल्यांकन तैयार करेगा।

डिबेंचर बांडों के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं से ऋण

4874. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औद्योगिक घरानों/कंपनियों ने डिबेंचर बांडों के माध्यम से सरकारी और गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पृथकत: कितने औद्योगिक घरानों/कंपनियों ने डिबेंचर बांडों के माध्यम से ऋण लिया है;

(ग) उपरोक्त कंपनियों में से कौन-कौन सी कंपनियों ने ऋण धनराशि पर ब्याज भी अदा नहीं किया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऋण की कुल कितनी धनराशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'कैग' द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संवीक्षा

4875. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजीकरण संबंधी सभी क्षेत्रों में हुई अनियमितताओं का पता लगाने के लिए संवीक्षा हेतु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को अधिकार सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजीकरण के कौन-कौन से मामले संवीक्षा हेतु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भेजे गए;

(घ) क्या दिनांक 23 जुलाई, 2001 के 'दी टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए सरकार की आलोचना की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेश विभाग ने, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रत्येक अलग-अलग विनिवेश के मामले का विश्लेषण तथा जांच पड़ताल करने और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ग) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड तथा भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) में विनिवेश से संबंधित अभिलेख/फाइलें, लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई हैं।

(घ) और (ङ) समाचार में उठाए गए मसले कोई नए नहीं हैं और ये सरकार की जानकारी में पहले से ही हैं। 2 मार्च, 2001 को मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम एफ आई एल) में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के संबंध में प्रारंभिक लेखा परीक्षा टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। 15 मार्च, 2001 को विनिवेश विभाग द्वारा इनका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया था। हमारे उत्तर पर विचार करने के बाद नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने 6 जुलाई, 2001 को हमें निरीक्षण रिपोर्ट भेजी है। नियंत्रक तथा लेखापरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट का उत्तर दे देने के बाद, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) सरकार ने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड और बालको के विनिवेश के अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्य निर्धारण पद्धतियों के मानकीकरण सहित एक पारदर्शी क्रियाविधि तैयार की है।

चीनी, चावल और गेहूं की मांग

4876. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी, चावल और गेहूं की मांग का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी, चावल और गेहूं की कमी का कितना अनुमान लगाया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं, चावल और चीनी का आबंटन मांग आधारित नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार की प्रतिस्थानी नहीं है बल्कि इसकी केवल अनुपूरक है।

जून, 1997 से लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल का आबंटन किया गया था ताकि 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान की जा सके। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों के किए गए पिछले 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की इसकी आवश्यकता के बीच के अंतर के समतुल्य खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का अस्थायी आबंटन किया गया था। अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन दुगना करके 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था जिसे जुलाई, 2001 से पुन: बढ़ा कर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था जबकि गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए आबंटन को उसी स्तर पर रखा गया था जिस पर यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी का आबंटन उत्तर-पूर्वी राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों, जहां लेवी चीनी सम्पूर्ण आबादी के लिए आबंटित की जाती है, को छोड़कर 1.2.2001 से 1.3.2000 की अनुमानित आबादी के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए सीमित कर दिया गया है। सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों, जहां न्यूनतम मानदंड 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह हैं, को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र व्यक्तियों को चीनी की आपूर्ति 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम प्रति व्यक्ति कर दी है।

तम्बाकू बोर्ड में अनियमितताएं

4877. श्री के० येरननायडू : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश तम्बाकू उत्पादन (आंध्र प्रदेश टूबैको ग्रोवर्स एसोसिएशन) ने तम्बाकू बोर्ड में अनियमितताओं के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले की जांच कराने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश तम्बाकू उत्पादक संघ ने तम्बाकू बोर्ड में किसी प्रकार की अनियमितताएं होने की सूचना नहीं दी है। तथापि, वर्जिनिया तम्बाकू उत्पादक संघ, गूंटूर ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2000 की कर्नाटक की नीलामियों में कुछ अनियमितताएं हुई हैं।

(ग) तम्बाकू बोर्ड द्वारा इन आरोपों की पहले ही जांच की गई है। इन जांचों से बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

4878. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जो विनिवेश के लिए विनिवेश आयोग के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में राज्य-वार कब तक विनिवेश किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1999-2000 खण्ड - 1 के अनुसार दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में उनके पंजीकृत कार्यालयों के अनुसार 240 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इस समय लगभग 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों में विनिवेश कार्य प्रगति पर है। इनमें से राजस्थान में स्थित पंजीकृत कार्यालयों के साथ तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेन्टेशन इण्डिया लिमिटेड में राजस्थान राज्य में विनिवेश प्रक्रिया सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। राजस्थान में अवस्थित पंजीकृत कार्यालय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम विनिवेश आयोग के सक्रिय विचाराधीन नहीं है।

(ख) विनिवेश प्रक्रिया विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में है। किसी भी विनिवेश सौदे का पूरा होना बोलीदाताओं की संख्या, विधिवत अभ्यवसाय में बोलीदाताओं द्वारा लिए गए समय, बिक्री के निबंधन और शर्तों, सहमत सौदा दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए, लिए गए समय आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है; अत: किसी भी विनिवेश सौदे को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुन:उद्धार

4879. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों की पुनर्संरचना किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड और एच एम टी सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे ही उद्यम हैं;

(घ) यदि हां, तो पुनर्संरचना सम्बन्धी योजना का क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) सरकार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन के लिए निरन्तर प्रयासरत रही है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत बी आई एफ आर व्यवहार्यता के सम्बन्ध में निर्णय करता है और रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्वास संबंधी योजनाओं को स्वीकृति देता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के मामले में सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों के पुनर्गठन के लिए विविध विकल्पों की सम्भावनाओं पर मामलानुसार विचार करते हैं। यह एक सतत प्रयास है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा एच एम टी लिमिटेड के मामले में सरकार ने पुनर्गठन योजना को स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि० के लिए 1996 में पुनर्गठन योजना स्वीकृत और क्रियान्वित की गई थी। आगे पुनर्गठन के लिए एक नया प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

क्र० सं०	सरकारी उपक्रम का नाम	स्वीकृति की तारीख	जारी की गई नई धनराशि (करोड़ रुपए)	बट्टे खाते डाला गया (करोड़ रुपए)	ऋण का इक्विटी में परिवर्तन (करोड़ रुपए)
1.	एच सी एल	जनवरी, 1999	143.00	122.66	167.12
2.	एच एम टी	जुलाई, 2000	294.65	12.74	39.70

जापान द्वारा गैर-शुल्क बाधाएं

4880. श्री रामनायडू दग्गुबाटि : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने जापान से 20 प्रतिशत के विधारण कर (विदहोल्डिंग टैक्स) वापस लेने का अनुरोध किया है जो भारत से माफ्टवेयर के निर्यात में बाधा डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत से आयातित फलों और सब्जियों पर जापान द्वारा लगाई जा रही गैर-शुल्क बाधाओं (नान-टैरिफ बैरियर) के मुद्दे को भी सुलझाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो जापान किस सीमा तक भारत के अनुरोध पर विचार करने को सहमत हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। ये दोनों मुद्दे भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि इनका समाधान शीघ्र हो सके।

क्रोम और लौह अयस्क का निर्यात

4881. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री अनंत नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी एजेंसियां निर्यात के उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों से लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, मैंगनीज और बाक्साइट की खरीद कर रही हैं;

(ख) गत आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और अब तक निर्यात हेतु इन एजेंसियों द्वारा एजेंसी-वार कुल कितनी प्रमात्रा में इन खनिजों की खरीद की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों द्वारा किये गये इन सामग्रियों के निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र में एमएमटीसी लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क के निर्यात के लिए सरणीयन एजेंसी है । यह मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों में इन अयस्कों का प्रापण करती है। निर्यात के प्रयोजनार्थ इन अयस्कों के खनन तथा प्रापण में शामिल निजी क्षेत्र की प्रमुख एजेंसियां है:- मै० एमएसपीएल लि०, हास्पेट, मै० रूंग्टा माइन्स लि०, चाईबासा, मै० मिश्रीलाल माइन्स प्रा० लि०, कलकत्ता, मै० सेसा गोवा लि०, पंजिम, मै० एं० नारायण माइन्स, चित्रदुर्ग, मै० एस्सैल माइनिंग प्रा० लि०, कलकत्ता एवं मै० सारावगी माईनिंग प्रा० लि०, आंध्र प्रदेश।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में एमएमटीसी द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93 से 1996-97) के दौरान निर्यात के प्रयोजनार्थ प्रापण किए गए लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क की कुल मात्रा कमश: 525.89, 15.90 और 14.73 लाख मीट्रिक टन और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि [(1997-98 से 2001-2002 (31.7.2001 तक) (अनंतिम)] के दौरान प्रापण किए गए उक्त खनिजों की कुल मात्रा कमश: 524.27, 12.56 और 13.69 मीट्रिक टन है। एमएमटीसी ने इन अवधियों के दौरान बॉक्साइट का प्रापण नहीं किया। तथापि, जहां तक निजी क्षेत्र की एजेंसियों का संबंध है, भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रयोजनार्थ अयस्क/खनिज के एजेंसी-वार प्रापण की सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों द्वारा लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा बाक्साइट के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(मात्रा लाख मिट्रिक टनों में : मूल्य लाख रुपए में)

वर्ष	लौह अयस्क एवं उसके सांद्रण		क्रोम अयस्क		मैंगनीज अयस्क		बाक्साइट	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आठवीं योजना								
1992-93	222	110408	3.9	7886	2.1	3079	2.5	2527
1993-94	269	137365	3.1	7352	2.9	3803	2.3	882
1994-95	261	129763	4.9	10273	2.8	3457	1.0	303
1996-96	317	172166	3.5	16084	2.4	2972	1.5	463
1996-97	276	170644	5.7	22541	3.1	4808	1.0	504
नौवीं योजना								
1997-98	295	176966	4.4	14900	2.6	4300	0.9	314
1998-99	223	161550	4.9	17642	1.0	1898	1.0	2414
1999-2000	157	117532	7.1	17171	0.8	1979	6.0	3027
2000-01 (अंनतिम)	209	162933	6.6	18181	उपलब्ध नहीं	5955	12.5	12507

नाल्को का विनिवेश

4882. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नाल्को का विनिवेश करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नाल्को के विनिवेश से कुल कितनी धनराशि के अर्जित होने की आशा है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, नहीं। नाल्को में विनिवेश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका द्वारा भारत को पुनः शुल्क मुक्त लाभ दिया जाना

4883. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए शुल्क मुक्त लाभ की बहाली की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुल्क मुक्त लाभ को कब तक बहाल किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन वस्तुओं में अंतर्ग्रस्त निवेश की कुल सालाना धनराशि कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से यूएसए को आभूषण, चर्म, वस्त्र, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों की 42 मदों के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त लाभों को फिर से बहाल करने की घोषणा की है। इन लाभों की बहाली यूएसटीआर द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही होगी।

(ग) वर्ष 2000 के लिए इन मदों का भारत से यूएसए को किए गए निर्यात का मूल्य लगभग 691.6 मिलियन अमरीकी डालर है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा

4884. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल राबर्ट जोलिक ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) विचार-विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या सरकार ने अमेरिका द्वारा इस्पात और वस्त्र पर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) श्री रॉबर्ट जोलिक ने 8 से 10 अगस्त, 2001 तक की अवधि के औरान भारत का दौरा किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 9 से 13 नवम्बर, 2001 तक दोहा, कतर में आयोजित होने वाले डब्ल्यूटीओ के आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में भिविन्न डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर दौरे पर आए यूएसटीआर के साथ विचार-विमर्श किया था। विचार-विमर्श के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यूएसटीआर को डब्ल्यूटीओ की कार्यसूची में तब तक किसी नए मुद्दे को शामिल किए जाने पर भारतीय विरोध के बारे में स्पष्ट किया जब तक कि डब्ल्यूटीओ के सदस्यों में आमराय कायम नहीं हो जाती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यूएसटीआर को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वह विकासशील देशों की क्रियान्वयन संबंधी चिंताओं का समाधान करने और वार्ताओं का नया दौर शुरू न करने पर दबाव बनाने की पहल करें। तथापि, विचार-विमर्श के दौरान यूएसटीआर ने कहा कि वार्ताओं का नया दौर भारत समेत विकासशील देशों के लिए बेहतर रहेगा और यह कि भारत को वार्ताओं का नया दौर शुरू करने की प्रक्रिया में जुट जाना चाहिए ताकि इस

प्रक्रिया पर प्रभाव डाला जा सके। यूएसटीआर ने कृषि, सेवा, ई-कामर्स एवं पर्यावरण के क्षेत्रों के संबंध में अमरीकी सहयोग की पेशकश की थी जिन के प्रति उनके अनुसार भारत और अमरीका के बीच दृष्टिकोण की व्यापक समानता है। यूएसटीआर ने यह कहा कि बढ़ रही समझदारी और कार्यनीतिगत साझेदारी को देखते हुए, भारत और अमरीका को डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर अपने संवाद जारी रखने चाहिए।

(घ) और (ङ) विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्शों के दौरान द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को शामिल करते हुए भारत ने इस्पात एवं वस्त्र मदों समेत विभिन्न मदों के भारतीय निर्यातों के लिए अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया था। यूएसटीआर ने इस बारे में भारत की चिंता को उचित कार्रवाई हेतु नोट किया।

ऑस्ट्रिया के साथ दोहरी कराधान संधि

4885. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और ऑस्ट्रिया ने नई दोहरी कराधान परिवर्जन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौता कब तक अस्तित्व में आएगा; और

(घ) व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और आस्ट्रिया के बीच संशोधित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय पर वियना में दिनांक 8 नवंबर, 1999 को सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर किए गए थे। संशोधित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अनुसमर्थन संबंधी लिखतों का दिनांक 6 अगस्त, 2001 को नई दिल्ली में आदान-प्रदान किया गया था।

(ग) संशोधित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय दिनांक 5 सितम्बर, 2001 को प्रवृत्त होगा और इसके उपबंध भारत में दिनांक 01.04.2002 से तथा आस्ट्रिया में दिनांक 01.01.2002 से प्रभावी होंगे।

(घ) उक्त दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी, व्यापार और सेवाओं के पारम्परिक प्रवाह को नए सिरे से प्रोत्साहन प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

4886. श्री अनंत नायक : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे केन्द्र सरकार के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में से किसी के विनिवेश हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) 1999-2000 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार, उड़ीसा राज्य में, उनके पंजीकृत कार्यालयों के साथ घाटे में चल रहे निम्नलिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस प्रकार हैं:-

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1999-2000 का निवल लाभ/हानि (लाख रु० में)
(i)	पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड	-10525
(ii)	उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लि०	-103
(iii)	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०	-97

(ख) और (ग) घाटे में चल रही इन तीन कंपनियों में से पारादीप फास्फेटस लिमिटेड के मामले में विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति में है। उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा विकास निगम का एक संयुक्त उद्यम है। इस कंपनी में विनिवेश की प्रक्रिया अभी तक आरम्भ नहीं की गई है।

सिंचाई टैंकों का आधुनिकीकरण

4887. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सिंचाई टैंकों का आधुनिकीकरण करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों की संख्या कितनी हैं जिन्हें मंजूरी दे दी गई है और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गई है;

(घ) मंजूरी हेतु लंबित पड़े प्रस्ताव कौन से हैं; और

(ङ) इसमें हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कुछ राज्य सरकारों ने सिंचाई टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु उन्हें अनुरोध किया है। नाबार्ड द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, मंजूर किए गए और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, उसकी संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंजूर प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि	संवितरित राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	127	शून्य	शून्य	शून्य
2.	तामिलनाडु	7	1	13.20	—
3.	कर्नाटक	34	4	1.06	0.78

(घ) और (ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के 127 प्रस्ताव, तामिलनाडु सरकार के 6 प्रस्ताव और कर्नाटक सरकार के 30 प्रस्तावों को पुन: तैयार करने और प्रस्तावों से संबंधित अतिरिक्त सूचना देने के लिए वापिस भेजा गया है। ये प्रस्ताव विभिन्न पहलुओं जैसे पंजीकृत आयातक, अतिक्रमण स्थिति, मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित मदों की मेक्शन एवं आयोजनाएं, टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए मानदंडों का गैर-अनुरूपता आदि पर सूचना प्राप्त करने के लिए लंबित पड़े हैं।

बैंकों के लिए लेखा परीक्षा समिति

4888. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणाली का पर्यवेक्षण करने हेतु बैंकों को एक "आडिट कमेटी आफ दि बोर्ड" बनाने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र के उन बैंकों की संख्या कितनी है जिन्होंने अनुदेशों का अनुपालन किया है और "आडिट कमेटी आफ दि बोर्ड" गठित किया है; और

(घ) सरकार द्वारा अभी तक "आडिट कमेटी आफ दि बोर्ड" गठित न करने वाली सभी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) लेखा परीक्षा समिति कुल लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण और बैंक के आन्तरिक निरीक्षण की पुनरीक्षा करने तथा विशेष रूप से अन्तर-शाखा समायोजन लेखाओं, अन्तर-बैंक लेखाओं एवं नोस्त्रों खातों (भारत स्थित बैंक द्वारा विदेशी प्रतिनिधि बैंक के पास विदेशी मुद्रा में रखा गया खाता) में गैर-समाशोधित लम्बे समय से लम्बित प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में खातों के तुलन में बकाया राशि, धोखाधड़ियों और आन्तरिक लेखा कार्य एवं व्यवस्था के (हाउस किपिंग) सभी अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बनाई गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्यायित अभिकरणों से बकायों की वसूली

4889. श्री रघुनाथ झा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने प्रत्यायित अभिकरणों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के संबंध में बकायों की वसूली की बिलिंग तथा निगरानी प्रणाली के दोष एवं दूरदर्शन केन्द्रों कर लापरवाही के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट सं० 2, वर्ष 1998 के पैरा 11.12 में महीनों से विलम्बित करोड़ों रुपए की ओर ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मामलों की जांच की है और कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक की 1998 की रिपोर्ट संख्या 2 का पैरा संख्या-11, 12 बकाया राशियों की वसूली न किए जाने और प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों संबंधी देय राशियों के भुगतान में विलम्ब तथा विलंबित भुगतान वसूल करने में दूरदर्शन की लापरवाही के बारे में है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने बताया है कि बकाया राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. भुगतान का विकेन्द्रीकरण करना अर्थात् संबंधित केन्द्रों को एजेंसियों से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. केन्द्रों द्वारा एक पखवाड़े में बिल जारी किए जा रहे हैं तथा बकाया राशियों की वसूली के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

3. जिन एजेंसियों की ओर बकाया हैं, उन्हें अग्रिम भुगतान हेतु कहा जा रहा है और भुगतान योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि बकायों का 3-4 किस्तों में निपटान किया जा सके।

4. चूककर्त्ता एजेंसियों को कोई नया कार्यक्रम/कार्यक्रम में विस्तार नहीं दिया जा रहा है।

5. चूककर्ता एजेंसियों द्वारा भुगतान संबंधी निर्देशों का पालन न करने के मामलों में, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई संबंधी उपायों के साथ-साथ कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात हेतु भुगतान

4890. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के लेखाओं में विदेशों में की जाने वाली खरीद के लिए विलम्बित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत, आयातकर्त्ताओं पर विशाल धनराशि बकाया है जबकि सरकार ने पहले ही आयात किए जाने हेतु भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार बकाया भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातकर्त्ताओं से इसकी वसूली कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं;

(ङ) क्या उनकी कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। ऐसी विदेशी सहायता परियोजनाओं के संबंध में जहां दाताओं द्वारा ऋण खाते में नामे डालकर विदेशी सप्लायरों को सीधे भुगतान किया जाता है, वहां केन्द्र/राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों, स्वशासी निकायों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत सरकार के क्रेडिट में रुपया निधियों को जमा कराए।

(ख) 30, जून, 2001 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में 1514.49 करोड़ रुपए बकाया थे। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी-वार बकाया बड़ी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेशी सहायता के पक्ष में विदेशी सप्लायरों/परामर्शदाताओं को सीधे भुगतान करने के कारण विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रुपया जमा करना एक सतत प्रक्रिया है। रुपया जमा न करने की स्थिति में जो विदेशी सप्लायरों/परामर्शादाता के सम्बन्ध में भुगतान की मूल्य तिथि के समकक्ष है, केन्द्र/राज्य सरकारों को छोड़कर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से वर्तमान में यह अपेक्षित है कि वे विदेशी सप्लायरों को भुगतान की तारीख से पहले 90 दिनों के लिए 12 प्रतिशत की दर पर और उसके बाद 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करें। पिछली अवधियों के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में देयों के संबंध में मामले की जांच सभी सम्बन्धितों के साथ जिसमें त्वरित निपटान हेतु प्रशासनिक मंत्रालय भी शामिल हैं, की जा रही है।

(घ) से (च) समय पर राशि जमा कराने का सुनिश्चय न करने का दायित्व परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों पर निर्भर करता है। चूंकि देयों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और इसकी जांच सभी संबंधितों द्वारा की जा रही है, इसलिए इस अवस्था में दायित्व निश्चित करने हेतु, कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विवरण

30 जून, 2001 को आयातकों की देनदारियां

क्र० सं०	आयातक का नाम	बकाया (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	आं०प्र० राज्य बिजली बोर्ड, आ०प्र०	8.79
2.	आं०प्र० ट्रांसमिशन कं० लि०	6.66
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, दिल्ली	34.77

1	2	3
4.	भिलाई इस्पात संयंत्र	0.51
5.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	5.66
6.	बोकारो इस्पात संयंत्र	0.02
7.	बक्रेश्वर तापीय विद्युत परि०, प०बं०	32.42
8.	केंसर संस्था अडयार, चेन्नई	0.08
9.	मुख्य वन संरक्षक, आं०प्र०	0.02
10.	मुख्य वन संरक्षक (टीएपी) त०ना०	0.04
11.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	1.94
12.	कांटिनेंटल फ्लोट ग्लास लि०	0.19
13.	कोल इंडिया लि० (प०बं०)	23.39
14.	सीएमएएल, दिल्ली	0.04
15.	सीएमपीडीआई, रांची	0.87
16.	चेन्नई महानगर जलापूर्ति एवं मलव्ययन बोर्ड	18.95
17.	मत्स्यपालन आयुक्त, गांधी नगर, गुजरात	0.04
18.	मत्स्यपालन और जलजीव शाला, मुम्बई	0.02
19.	कोचीन पत्तन न्यास	0.37
20.	चेन्नई पत्तन न्यास	20.06
21.	ग्रामीण विकासायुक्त, आं०प्र०	12.04
22.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	7.93
23.	विनिवेश आयोग, भारत सरकार	1.78
24.	सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग	16.98
25.	निदेशक, रेशम कीट पालन परियोजना, म०प्र०	1.77
26.	ऊर्जा विभाग	0.49
27.	दूरसंचार विभाग	2.75
28.	जिला गरीबी उपक्रम परि०	1.46
29.	रंशम कीट पालन विभाग	2.69
30.	डी डब्ल्यू एमएसडीयू (एमसीडी) दिल्ली	28.42
31.	दि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०	0.46
32.	वित्त मंत्रालय (आ०का०वि०)	3.57
33.	भारतीय उर्वरक निगम	0.20
34.	परिवार स्वास्थ्य सहायता, महा०	0.63
35.	मत्स्यपालन, राज्य परि० यूनिट, बिहार	10.67
36.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	0.08
37.	ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, उड़ीसा	12.19
38.	गुजरात सरकार	0.04
39.	भारतीय हैलिकाप्टर निगम	67.24
40.	हिन्दुस्तान कापर लि०	2.35
41.	आवासन शहरी विकास निगम	2.64
42.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि०	1.03
43.	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	11.89
44.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान	1.12
45.	भारतीय वानिकी अनु० एवं शिक्षा विस्तार परिषद्, यूपी	2.77
46.	बच्चों के लिए बाल स्वास्थ्य हस्पताल संस्था	0.30
47.	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लि०	1.40
48.	आईटीआई, नैनी, इलाहाबाद	0.05
49.	जम्मू और कश्मीर केबल कार	0.16
50.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	0.09
51.	केरल वानिकी परि०-केए.	0.72

1	2	3
52.	कुंडनकुलम न्यूक्लीयर पावर प्रोजेक्ट	13.45
53.	कृभको वर्षो खेती बाड़ी और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परि०	0.71
54.	कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास वित्त निगम	1.13
55.	लक्षद्वीप	0.57
56.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सहबद्ध अस्पताल	16.29
57.	मेसूर सीमेंट लि०	0.43
58.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	0.02
59.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	1.44
60.	कृषि मंत्रालय, पशु पालन विभाग	28.33
61.	खान एवं खनिज मंत्रालय, कोयला विभाग	0.02
62.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1.52
63.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	27.37
64.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	0.23
65.	विद्युत मंत्रालय, (आईपीसी-II)	1.72
66.	रेल मंत्रालय	5.43
67.	भूतल परिवहन मंत्रालय	28.96
68.	पर्यटन मंत्रालय	8.77
69.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	1.04
70.	मैसूर पेपर मिल-लिमिटेड	0.91
71.	मेट्रो रेलवे, कोलकाता	0.10
72.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	0.47
73.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली	0.79
74.	नर्मदा जल संसाधन एवं जलापूर्ति विभाग	0.26
75.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	6.79
76.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	326.87
77.	पीएचईडी मणिपुर	0.31
78.	जन-स्वसस्थ्य इंजी० विभाग, राजस्थान	0.63
79.	पवन हंस लि०	57.44
80.	वित्त एवं योजना (पीएमयू) विभाग, आं०प्र०	18.15
81.	पाइराइट्स, फासफेट्स एंड कैमिकल्स लि०	24.95
82.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	9.00
83.	लोक निर्माण विभाग, मणिपुर	0.46
84.	सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात	0.11
85.	रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	0.19
86.	ग्रामीण विकास (पीसी) विभाग, केरल	0.80
87.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	0.45
88.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (वीएसपी), विशाखापत्तनम	0.60
89.	रेल कॉयल स्पिनिंग, सिथौली	0.71
90.	रायलसीमा विद्युत परियोजना	57.35
91.	संजयगांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, उ०प्र०	6.07
92.	टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफार्मेशन कं०लि०	0.07
93.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	0.51
94.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	22.67
95.	अन्पारा विद्युत पारेषण प्रणाली, उ०प्र० रा०बि०बो०	28.20
96.	विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई	2.52
97.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	1.10

1	2	3
98.	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि०, प०बं०	66.80
99.	जल संसाधन विकास, पंजाब	0.15
100.	अन्य	391.01
	कुल देय	1514.49

अन्न बचाओ अभियान

4891. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल पूर्व और फसल के बाद के चरणों में खाद्यान्नों की भारी मात्रा में हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं;

(ग) क्या अन्न बचाओ अभियान से खाद्यान्नों की बचत में सहायता मिली है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार अन्न बचाओ अभियान को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा फसल पूर्व और फसल के बाद के मौसम में अन्न को बचाने हेतु अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) कटाई से पूर्व और बाद के स्तरों पर खाद्यान्नों को कीड़ों, परजीवियों, बीमारियों, मूषकों, नमी, पक्षियों, सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा नुकसान पहुंचता है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) क्षेत्रीय स्तर पर अन्न सुरक्षा अभियान के पास एक छोटी स्थापना है और विभिन्न राज्यों में 17 फील्ड स्टेशन हैं। फार्म स्तर पर खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण का संदेश फैलाने के लिए यह राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और निगम कार्यालय के सहयोग से एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है।

(च) कटाई पूर्व हानियों से फसलों को बचाने के लिए 'प्रमोशन ऑफ इन्टीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट' (आईपीएम) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा क्रियान्वित की गई है। परजीवियों और बीमारियों की मानीटरिंग, जैवनियंत्रक कारकों का उत्पादन और रिलीज करना तथा कृषि विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देना आईपीएम की प्रमुख गतिविधियां हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य एजेंसियां खाद्यान्नों की वसूली करती हैं और हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के दौरान हानियों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय करती हैं।

इक्विटी जुटाने की अनुमति

4892. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''सेबी'' ने मनोरंजन और मीडिया समूह की कंपनियों के वित्तीय निष्पादन और उनके पूर्व प्रदर्शनों का सत्यापन किए बिना उन्हें अत्यधिक मूल्यों पर ''बुक बिल्डिंग'' प्रक्रिया के माध्यम से इक्विटी जुटाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सेबी द्वारा अनुमति प्रदान की गई कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) किन मूल्यों पर इन कंपनियों को इक्विटी जुटाने की अनुमति दी गई और उनके शेयरों का वर्तमान मूल्य क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों के आयोजकों के साथ सेबी के गठजोड़ के कारण छोटे निवेशकों ने इन कंपनियों में भारी धनराशि खोई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कंपनियों के मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सेबी प्रकटीकरण तथा निवेशक सुरक्षा दिशानिर्देशों के अन्तर्गत मनोरंजन तथा मीडिया समूह की कंपनियों सहित सभी कंपनियां ''बुक बिल्डिंग'' प्रक्रिया का लाभ उठा सकती हैं।

सामान्य तथा ''बुक बिल्डिंग'' प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कंपनियां मूल्य निर्धारित कर सकती हैं तथा सेबी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सेबी मात्र प्रकटीकरण मानकों के अनुपालन की जांच करता है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) सेबी ने यह सूचित किया है कि कंपनियों ने प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो को संदर्भित किए जाने हेतु किसी मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है।

''इनिशियल पब्लिक ऑफर'' हेतु दिशा-निर्देश

4893. प्रो० ठम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आई.पी.ओ. के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या वित्तीय संस्थान इस चूक का लाभ उठाते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो आई.पी.ओ. के संबंध में ऋण उपलब्ध कराने हेतु कुछ अंतरिम नियम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के 11 मई, 2001 के परिपत्र के अनुसार बैंकों को किसी व्यक्ति को इनिशियल पब्लिक आफरिंग्स (आईपीओ) में अंशदान करने के लिए अधिकतम 10 लाख रु० की राशि देने की अनुमति दे दी गई है। बैंकों को यह अनुमति नहीं दी गई है कि वे कंपनियों को अन्य कंपनियों के आईपीओ में निवेश के लिए वित्त प्रदान करें। इन मार्गनिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि बैंकों को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा आईपीओ में अंशदान करने हेतु ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को वित्त नहीं देना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि पूंजी बाजार में बैंकों के निवेश हेतु निर्धारित 5% की उच्चतम सीमा पर पंहुचने के प्रयोजन से आईपीओ के लिए दिए गये वित्त को पूंजी बाजार के लिए निवेश के रूप में शामिल करें।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आईपीओ के बैंक-वित्त पोषण के संबंध में कोई चूक होने की उन्हें जानकारी नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5% की उच्चतम सीमा से अधिक पूंजी बाजार में निवेश करने वाले बैंकों से कहा है कि वे पूंजी बाजार में अपने अधिक निवेश को धीरे-धीरे कम करके उसके द्वारा निर्धारित 5% की विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा के अनुरूप बनाने के लिए समयबद्ध योजना प्रस्तुत करें।

बाल्को में विनिवेश

4894. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टरलाइट को हिन्दुस्तान जिंक और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड सहित किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी के संबंध में बोली लगाने के लिए अयोग्य करार दिया है;

(ख) क्या स्टरलाइट की रुचि की अभिव्यक्ति का रद्द किया जाना, विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बनाए गए नए दिशा-निर्देशों पर आधारित है जिसमें बाजार विनियामकों द्वारा अभ्यारोपित बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या ये दिशा-निर्देश उस समय लागू थे जब बालको के संबंध में स्टरलाइट की बोली स्वीकृत की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेबी के निर्णय का विडियोकॉन द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के लिए बोली लगाने के प्रयास और स्टरलाइट द्वारा बाल्को के अधिग्रहण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हता के लिए 13.7.2001 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संदर्भ में और दो वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार की पहुंच से इसे दूर रखते हुए स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के विरुद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिनांक 19.4.2001 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (चरण I) में विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्तियों के संदर्भ में

स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। इन कारण बताओ नोटिसों पर स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड से उत्तर प्राप्त हो गया है और इन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) विडियोकॉन इंटरनेशनल ने इंडियन एयरलाइंस की बोली प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले लिया है। बालको में स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड को 51 प्रतिशत इक्विटी की अनुकूल बिक्री से संबंधित सौदा, स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड के विरुद्ध दिनांक 19.4.2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश से बहुत पहले दिनांक 2.3.2001 को पूरा हो गया था। अत: बालको सौदे पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद

4895. श्री राजो सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में खरीद की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में नष्ट हो गए खाद्यान्नों की राज्य-वार मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त नुकसान की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) विपणन वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान, 20.8.2001 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की राज्यवार की गई वसूली संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और चावल के रूप में धान) में हुई भंडारण हानियां निम्नानुसार हैं :-

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	हानि की मात्रा
1997-98	1.81
1998-99	1.51
1999-2000	1.60

(ग) सरकार ने हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(xv) चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की पैकिंग अपनाना।

(xvi) बोरियों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करना।

(xvii) बोरियों की मशीन से सिलाई को प्रोत्साहित करना।

(xviii) बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई करना।

(xix) तोल सेतु स्थापित करना।

(xx) डिपुओं की सुरक्षा कड़ी करने, अचानक जांच में तेजी लाने, नियमित स्टाक का सत्यापन सुनिश्चित करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना।

(xxi) चोरी और उठाईगिरि को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाना।

(xxii) उन अधिकारियों के प्रभार के अधीन गोदामों को न रखना जिनके पूर्ववृत्त संदेहास्पद हों।

(xxiii) तत्परता से जांच करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई को आसान बनाना। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक और जिला प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।

(xxiv) बट्टे खाते डाले जाने वाले मामलों में तेजी लाना और जहां कहीं वांछित हो जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(xxv) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक और जिला प्रबंधकों द्वारा डिपुओं का निरीक्षण किया जाना।

(xxvi) संयुक्त प्रबंधक (यांत्रिक) और जिला प्रबंधक द्वारा तोल सेतुओं का निरीक्षण किया जाना।

(xxvii) संवेदनशील स्थानों की पहचान करना।

विवरण

1997-98 से 2001-2002 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की वसूली

('000 टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001			2001-2002		
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल*	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूं*	मोटे अनाज
आंध्र प्रदेश	3854.57	—	1.96	5118.88	—	0.02	5497.87	—	—	6795.44	—	20.45	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	21.50	0.02	—	—	0.40	—	20.19	—	—	4.58	—	—	—	22.29	—
छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	491.40	—	—	—	—	—
गुजरात	—	—	5.29	—	1.70	—	—	0.41	—	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	1216.77	172.86	—	254.83	473.04	—	808.03	625.41	—	1438.41	412.33	—	—	831.43	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	0.40	—	—	—	1.52	—
कर्नाटक	91.87	—	—	100.44	—	0.05	111.01	—	—	222.41	—	123.31	—	—	—
मध्य प्रदेश	623.24	5.00	5.45	271.72	45.60	1.34	791.30	45.83	—	127.66	14.02	30.29	—	44.00	—
महाराष्ट्र	31.52	—	5.63	5.02	—	0.56	50.65	—	0.09	31.83	—	—	—	—	—
उड़ीसा	683.83	—	—	480.87	—	—	884.50	—	—	810.92	—	—	—	—	—
पंजाब	3268.96	1494.23	—	2006.16	1826.64	0.02	2884.02	2456.84	—	—	2812.38	—	—	3062.15	—
राजस्थान	6.16	319.81	—	3.45	666.62	—	32.40	636.78	—	25.80	197.10	—	—	336.49	—
उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.03	—
उत्तर प्रदेश	1065.14	24.65	—	—	120.22	—	—	1261.16	—	1016.91	12.85	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	10.88	1.77	—	5.37	—	—	13.96	—	—	16.25	—	—	—	11.85	—
दिल्ली	—	0.09	—	0.11	7.61	—	5.69	1.55	—	—	—	—	—	50.21	—
पांडिचेरी	7.73	—	—	9.11	—	—	8.49	—	—	30.89	—	—	—	—	—
जोड़	10882.17	2018.43	18.33	8255.96	3142.01	1.99	11108.11	5027.98	0.16	11012.90	3448.68	174.05	0.00	4386.97	—

*20.8.2001 की स्थिति के अनुसार

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम

4896. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों के पक्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी कार्यक्रमों को रोकने वाला है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य शैक्षणिक संगठनों को इस नीति के संबंध में सूचित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दूरदर्शन द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु किसी प्रायोजक का चयन कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या दूरदर्शन द्वारा ऐसे कार्यकलापों के लिए धन जुटाने हेतु व्यासायिक अथवा अन्य कोई प्रायोजक ढूंढने का प्रयास किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा दूरदर्शन पर शैक्षिणक कार्यक्रमों को जारी करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) अभी तक कोई भी प्रायोजक शैक्षिण कार्यक्रमों हेतु व्यावसायिक तौर पर धन जुटाने के लिए आगे नहीं आया है।

(च) प्रसार भारती द्वारा बताया गया है कि दूरदर्शन सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में अपने शासनादेश को पूरा करना और धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनने हेतु राजस्व अर्जित करने की स्थिति में होने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीडी-राष्ट्रीय चैनल पर कार्यक्रमों की पुनर्रचना का कार्य शुरू कर दिया है। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा ''ज्ञान दर्शन'' चैनल के लिए निर्मित शैक्षिक कार्यक्रमों के भविष्य में प्रसार संबंधी व्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

गैर-योजना व्यय

4897. श्री जे०एस० बराड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 हेतु वास्तविक गैर-योजना व्यय कितना है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान अनुमानित गैर-योजना व्यय कितना है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान गैर-योजना व्यय को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गैर-योजना व्यय की निगरानी माहवार की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान गैर-योजना व्यय में कमी लाए जाने की क्या सम्भावनाएं हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय 2,36,142 करोड़ रुपए (अनन्तिम) था।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान 2,75,123 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ग) वर्ष 2001-2002 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय आयोजना-भिन्न व्यय में कमी लाने के लिए विभिन्न उपायों का वित्त मंत्री के बजट भाषण (पैरा 79, 80 तथा 81) में उल्लेख किया गया है।

(घ) और (ङ) आयोजना-भिन्न व्यय में रूझानों की समीक्षा प्रति माह की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोजना-भिन्न व्यय अनुमोदित बजट अनुमानों के भीतर हो, सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

अंत्योदय योजना

4898. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 2001 के ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' में ''स्टेट्स फेल टू इम्प्लीमेंट अंत्योदय योजना स्कीम'' शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दिए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से योजना के अन्तर्गत

खाद्यान्नों की आपूर्ति पर आने वाली परिवहन और वितरण लागत वहन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। "राज्य अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन में विफल" संबंधी समाचार पत्र की रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, असम, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन की स्थिति दर्शाती है। अब तक अंत्योदय अन्न योजना 15 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) कुछ राज्य सरकारों ने अंत्योदय अन्न योजना के अधीन वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के संबंध में ढुलाई और ढीलरों के मार्जिन के प्रति अतिरिक्त व्यय के भार के बारे में मुद्दा उठाया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित दर दुकानों के लिए मार्जिन निर्धारित करने के मामले में लचीलापन प्रदान किया गया है जिसके लिए यह प्रतिबंध समाप्त किया गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्न वितरित करने हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्य और खुदरा निर्गम मूल्य के बीच 50 पैसे का अंतर होना चाहिए। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अंत्योदय लाभार्थियों के लिए अन्तिम खुदरा मूल्य को गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम बनाए रखें। भारत सरकार पहले ही उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के खाद्यान्नों हेतु पहाड़ी ढुलाई राजसहायता के अधीन नामित सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तक भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं से खाद्यान्नों के उठान के लिए वास्तविक आधार पर सड़क ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

विवरण

अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन की स्थिति
(14-8-2001 की स्थिति के अनुसार)

1. आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 6.22 लाख परिवारों का पता लगाया है और उन्हें राशन-कार्ड जारी किए हैं। योजना के अन्तर्गत आंवटन मार्च, 2001 से किया गया है।
2. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	योजना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा पता लगाए गए 2400 अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन जुलाई, 2001 से किया गया है।
3. अरुणाचल प्रदेश	मुख्य मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक ढुलाई और वितरण लागत भारत सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी तब तक योजना क्रियान्वित नहीं की जाएगी।
4. असम	यह सूचित किया गया है कि मुख्य मंत्री द्वारा 15 जून, 2001 को अंत्योदय अन्न योजना का उद्घाटन कर दिया गया है। असम सरकार इस योजना के लिए शीघ्र ही खाद्यान्नों का आवंटन करने की मांग करने वाली है।
5. बिहार	राज्य सरकार के पिछले पत्र के अनुसार जून के अंत तक पहचान करने और अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का काम पूरा कर लेगी।
6. चण्डीगढ़	संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि लाभभोगियों की पहचान करने का काम पूरा कर लिया गया है और उन्हें अंत्योदय राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
7. छत्तीसगढ़	पहचान करने का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा पता लगाए गए 2,87,400 परिवारों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी कर दिए गए। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन मार्च, 2001 से किया गया है।
8. दादरा और नगर हवेली	पहचान करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और पता लगाए गए 2,800 लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन-कार्ड जारी किए गए। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आवंटन मार्च, 2001 से किया गया है।
9. दमन और दीव	पहचान करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और पता लगाए गए 600 लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन-कार्ड जारी किए गए। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत

खाद्यान्नों का आवंटन अप्रैल, 2001 से किया गया है।

10. दिल्ली — दिल्ली सरकार ने टेलीफोन करने पर यह सूचित किया है कि अन्त्योदय परिवारों का पता लगाए जाने का कार्य अभी आंरभ किया जाना है। तथापि, यह आशा की जाती है कि अन्त्योदय अन्न योजना का पता लगाए जाने के कार्य को 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा।

11. गोवा — राज्य सरकार ने यह सूचित किया था कि 7300 अंत्योदय परिवारों की पहचान करने और उन्हें अलग प्रकार के राशन-कार्ड जारी करने का कार्य 15 जुलाई, 2001 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोवा में अन्त्योदय अन्न योजना का उद्घाटन 10-7-2001 को किया गया था।

12. गुजरात — राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य के लिए अनुमानित 3,25,000 अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों में से अभी तक 2,60,000 अन्त्योदय परिवारों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी कर दिये गए हैं। तद्नुसार, 2,60,000 अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को जुलाई, 2001 से योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटित कर दिए गए हैं।

13. हरियाणा — राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने 1,12,679 अन्त्योदय परिवारों का पता लगाया है तथा 1,01,484 परिवारों को राशन-कार्ड जारी किए हैं। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत मई, 2001 से 98,214 परिवारों को आवंटन जारी किये गये हैं। राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि राज्य में पता लगाए गये समस्त अन्त्योदय परिवारों को गुलाबी राशन कार्ड जारी करने का कार्य पूरा करें ताकि खाद्यान्नों का शेष आवंटन तद्नुसार किया जा सके।

14. हिमाचल प्रदेश — अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन मार्च, 2001 को जारी किया गया है।

15. जम्मू और कश्मीर — अन्त्योदय अन्न योजना जम्मू और कश्मीर राज्य में अप्रैल, 2001 से शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने राज्य में सभी लाभभोगियों (1,12,900) का पता लगा लिया है और अलग प्रकार के राशन-कार्ड जारी कर दिये हैं। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जुलाई, 2001 से किया गया है।

16. झारखण्ड — राज्य सरकार ने राज्य में 366500 अन्त्योदय परिवारों का पता लगाया है तथा उन्हें विशेष राशन-कार्ड जारी किये हैं। राज्य को खाद्यान्नों का आवंटन 1-6-2001 से किया गया है।

17. कर्नाटक — राज्य सरकार ने राज्य में 4,797 लाख अनुमानित अन्त्योदय परिवारों में से 26 जिलों में 387155 अन्त्योदय परिवारों की पहचान कर ली है तथा पता लगाये परिवारों को मुख्य रूप से अन्त्योदय अन्न योजना की लगी हुई मुहर के अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी किये हैं। 3,87,155 अन्त्योदय परिवारों को अगस्त, 2001 से खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

18. केरल — राज्य सरकार ने पता लगाये सभी अंत्योदय लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी कर दिये हैं तथा मार्च, 2001 से राज्य को आवंटन जारी कर दिया है।

19. लक्षद्वीप — चूंकि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। केवल कुछ मामलों को छोड़कर पंचायतें लाभभोगियों की सूची पर सहमत नहीं हुई है।

20. मध्य प्रदेश — पहचान करने का कार्य पूरा हो गया है। पता लगाये गये 6,32,400 परिवारों को अलग प्रकार के राशन-कार्ड जारी कर दिये गये हैं। राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना 6-3-2001 से शुरू की गयी है।

21. महाराष्ट्र — अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों (10,017 लाख) का पता लगाये जाने का कार्य पूरा हो गया है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आवंटन 8,49,505 अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को पहले ही मई, 2001 एक से जारी कर दिया गया है। सभी पीले राशन कार्डों पर अब मुहर लगा दी गई है। अन्त्योदय अन्न योजना के

अन्तर्गत आवंटन 10,01,700 अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को जुलाई, 2001 से जारी किया गया है।

22. मणिपुर — पहले प्राप्त हुए पत्र के अनुसार लाभभोगियों की पहचान करने का कार्य मार्च, 2001 के अंत में पूरा होने की संभावना थी। योजना का क्रियान्वयन पहली अप्रैल, 2001 से शुरू होना था। भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए मार्जिन राशि और ढुलाई लागत प्रदान की जाए।

23. मेघालय — राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में 28,100 अन्त्योदय अन्न योजना लाभभोगियों के चयन का कार्य पूरा हो गया है। अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए विशेष पहचान-पत्र लाभभोगियों को संबंधित उपायुक्तों तथा उप-मण्डलीय अधिकारियों (सिविल) के माध्यम से वितरित किये जा रहे हैं।

24. मिजोरम — लाभभोगियों की पहचान करने से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने पता लगाए गए 10,500 लाभभोगियों को विशेष राशन कार्ड वितरित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है। अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन अप्रैल, 2001 से किया गया है।

25. नागालैण्ड — राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार 18,900 अंत्योदय परिवारों की पहचान करने का काम पूरा कर लिया गया है और पहचान किए गए लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि ढुलाई पर 0.50 रुपये प्रति किलोग्राम और हैंडलिंग प्रभार के लिए 15 पैसे प्रति किलोग्राम इस मूल्य में जोड़े जाएं ताकि अंत्योदय अन्न योजना लाभभोगियों के लिए चावल का अंतिम खुदरा मूल्य 3.65 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति मांगी है। राज्य सरकार को इस आशय का उत्तर भेज दिया है कि अन्तिम खुदरा मूल्य गेहूं के लिए 2/- रुपये प्रति कि०ग्राम तथा चावल के लिए 3/- रुपये प्रति कि०ग्राम बनाये रखा जाये।

26. उड़ीसा — राज्य खाद्य सचिव ने उनके साथ हुई टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बताया है कि राज्य मंत्री (खा० और सा०वि०) की सुविधानुसार अगस्त, 2001 के प्रथम सप्ताह में अंत्योदय अन्न योजना का उद्घाटन राज्य मंत्री (खा० और सा०वि०) द्वारा किया जा सकता है।

पहले की गई पूछताछ में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया था कि 12 तटीय जिलों में पहचान करने का काम पूरा कर लिया गया है। 6 जिलों में पहचान करने का काम 90 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया गया है। शेष 12 जिलों में यह काम धीरे-धीरे प्रगति पर है। राज्य सरकार ने 5.055 लाख अंत्योदय परिवारों में से 2,88,005 अंत्योदय परिवारों की पहचान कर ली है।

27. पंजाब — पता लगाए गए 71,700 परिवारों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का कार्य पूरा हो गया है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन मई, 2001 से किए गए हैं।

28. पांडिचेरी — पांडिचेरी के खाद्य सचिव ने सूचित किया है कि अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 7666 लाभभोगियों की पहचान कर ली गई है और तदनुसार राशन कार्डों पर मुहर लगा दी गई है। चूंकि पांडिचेरी के लिए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित संख्या 12,800 है, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया है कि कम से कम 80 प्रतिशत तक राशन कार्डों पर मुहर लगाने का काम पूरा कर लें और भारत सरकार तत्काल खाद्यान्न जारी करेगी। राज्य सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 12,800 लाभभोगियों की पहचान कर ली है।

29. राजस्थान — परिवारों का पता लगाने तथा पता लगाए गए 3,72,600 परिवारों को अलग प्रकार के कार्ड जारी करने का कार्य पूरा हो गया है। राज्य

में अंत्योदय अन्न योजना 6.3.2001 से आरम्भ की गई है तथा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आवंटन मार्च, 2001 से किया गया है।

30. सिक्किम — राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को फोटो पहचान पत्र/ राशन कार्ड जारी करने सहित सभी प्रशासनिक प्रबंध भी पूरे कर लिए हैं। राज्य सरकार से अंत्योदय अन्न योजना लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

31. तमिलनाडु — राज्य सरकार द्वारा शीघ्र अंत्योदय योजना के क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा।

32. त्रिपुरा — राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि पता लगाए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के विद्यमान राशनकार्डों पर मोहर लगा दी गई है; नए अलग प्रकार के राशनकार्डों का मुद्रण बाकी है तथापि, राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए परिवारों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।

33. उत्तर प्रदेश — राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत 16,371 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित संख्या में से 12,94,738 लाभ-भोगियों की पहचान की है और 10,28,106 परिवारों को अलग प्रकार के राशनकार्ड जारी किए हैं। 10,28,106 परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन जुलाई, 2001 से किया गया है।

34. उत्तरांचल — राज्य सरकार ने सभी (73,600) अन्त्योदय परिवारों की पहचान कर ली है तथा विशेष राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अंत्योदय अन्न योजना का क्रियान्वयन अगस्त, 2001 से आरंभ किया जायेगा।

35. पश्चिम बंगाल — राज्य सरकार से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने के संबंध में सूचना प्रतिक्षित है।

[हिन्दी]

वाहन उद्योग में उत्पाद

4899. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में निर्मित कारों, दुपहिया वाहनों, ट्रकों और छोटे व्यावसायिक वाहनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित कारों, दुपहिया वाहनों, ट्रकों और छोटे व्यावसायिक वाहनों की सख्या कितनी है और उनसे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रकार के प्रत्येक वाहन के निर्यात का क्या लक्ष्य था;

(घ) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) भविष्य में इन वाहनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कारों, दुपहिया वाहनों, ट्रकों और छोटे व्यावसासिक वाहनों के उत्पादन की कुल संख्या, निर्यात किए गए इन वाहनों की संख्या और इन वाहनों की निर्यात कीमत को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार इंजीनियरिंग वस्तुओं जिनमें कार, दुपहिया वाहन, ट्रक और छोटे व्यावसायिक वाहन शामिल हैं, के निर्यात के लिए समग्र लक्ष्यों को निर्धारित करती है। अलग-अलग उत्पाद समूहों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(च) कारों, दुपहिया वाहनों, ट्रकों और छोटे व्यावसायिक वाहनों सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातों का संवर्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। उक्त मदों सहित इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में आयात-निर्यात नीति के तहत विभिन्न

प्रावधान शामिल होते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:- शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचसी के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता इत्यादि।

विवरण

वाहन का नाम	*उत्पादन			#निर्यातित वाहनों की संख्या			#निर्यात कीमत (करोड़ रुपए में)		
	1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001	1998-1999	1999-2000	2000-2001
कार	390709	577243	504654	24346	21810	20373	508.25	418.71	466.19
दुपहिया वाहन	3374508	3778011	3758466	49523	54379	100417	135.73	133.19	226.34
ट्रक	80528	112311	88210	3412	4357	5514	210.72	204.06	385.10
छोटे व्यावसायिक वाहन	55363	61213	63869	5213	4970	8393	218.63	208.92	331.92

*स्रोत : एसआईएएम

#स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का कार्य न करना

4900. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में विशेषकर आदिवासी जिलों में स्थानवार कितने टेलीविजन रिले/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर केन्द्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इनमें से ऐसे कितने रिले हैं जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और इनमें से आदिवासी क्षेत्रों में कितने केन्द्र स्थित हैं;

(घ) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके क्या परिणाम निकले?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्तमान में देश में 208 आकाशवाणी केन्द्र तथा अलग-अलग क्षमता वाले 1212 टीवी ट्रान्समीटर कार्य कर रहे हैं। इनमें से 84 आकाशवाणी केन्द्र तथा 391 टीवी ट्रान्समीटर क्रमश: विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार जनजातीय उप योजना (टी एस पी) जिलों में स्थित हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों पर हुए खर्च का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। दूरदर्शन खर्चों का केन्द्र-वार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, एक उच्च शक्ति ट्रान्समीटर, अल्प शक्ति ट्रान्समीटर, अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर/ट्रान्सपोजर के संचालन तथा अनुरक्षण का वार्षिक खर्च क्रमश: 48 लाख रुपये, 15 लाख रुपये तथा 2 लाख रुपये है।

(ग) से (ङ) जनजातीय क्षेत्रों में सभी आकाशवाणी केन्द्र तथा टीवी ट्रान्समीटर सामान्यतया संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। जहां भी खराबी आती है उसे तुरन्त दूर किया जाता है। प्रसार भारती द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे आकाशवाणी केन्द्र और उन पर हुए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजारों में)

क्र० सं०	राज्य एवं स्थान	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश			
1.	आदिलाबाद	4754	5230	5539

1	2	3	4	5
2.	विशाखापटनम	22042	26738	27865
3.	काठगोदाम	8143	7154	10060
4.	वारंगल	5822	6464	7144
	अरुणाचल प्रदेश			
5.	ईटानगर	16322	20701	25609
6.	पासीघाट	8707	10041	9508
7.	तवांग	4665	4619	5761
8.	तेज	7395	8133	7991
9.	गारो	0	0	405
	असम			
10.	गुवाहाटी	44259	65630	66722
11.	सिलचर	14246	16400	19397
12.	डिब्रूगढ़	25741	27543	32929
13.	जोरहाट	4322	4368	6150
14.	हाफलोंग	3665	4349	4583
15.	नागांव	4757	5644	5617
16.	दिफू	1760	1507	2630
17.	कोकराझार	1260	2975	4175
18.	धुबरी	0	0	1076
19.	तेजपुर	0	0	2934
	छत्तीसगढ़			
20.	अम्बिकापुर	11573	14597	14942
21	जगदलपुर	15395	17258	16661
22	बिलासपुर	4770	5830	6177
	गुजरात			
23.	वडोदरा	7531	9165	9723
24.	गोधरा	2855	3079	4793
25.	सूरत	5415	5146	5874
26.	आहवा	3357	3691	5069
	हिमाचल प्रदेश			
27.	किन्नौर (काल्वा)	0	849	822
	झारखण्ड			
28.	रांची	25968	29561	32277
29.	जमशेदपुर	10836	12239	16073
30.	चाईबॉसा	4256	5410	5006
31.	डाल्टनगंज	3823	4558	5378
	कर्नाटक			
32.	मंगलौर/उदुपी	15775	19503	20903
33.	मैसूर	9529	10843	11753
34.	मेरेकारा	6570	7926	7792
	केरल			
35.	त्रिवेन्द्रम	46023	53545	50629
36.	कैन्नौर	8220	10249	9939
37.	दुक्की (देवीकुलम)	3936	4947	5426
	मध्यप्रदेश			
38.	जबलपुर	22147	24884	26257
39.	खण्डवा	3849	4640	5298
40.	बेतुल	4266	4912	5688
41.	छिंदवाड़ा	5256	5904	5737

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
42.	जलगांव	13028	15117	16197
43.	पुणे	27869	32137	31121
44.	धुले	3568	4339	5178
45.	अहमदनगर	4103	5166	6192
46.	नान्देड	3883	4647	5232
47.	यवतमाल	4475	5097	5332
48.	चन्द्रपुर	3812	4994	5455
49.	नासिक	4126	5049	5356
	मणिपुर			
50.	इम्फाल	32245	38140	34801
	मेघालय			
51.	शिल्लांग	24455	25754	27435
52.	तूरा	11601	10823	11071
53.	जोब्राई	2053	2309	3091
54.	विलियमनगर	0	0	832
55.	नांगस्टोइन	0	0	996
	मिजोरम			
56.	एजवाल	17156	20443	21192
57.	लुंगलेई	4017	5132	5386
58.	सैंहा	0	0	785
	नागालैण्ड			
59.	कोहिमा	22956	28558	30094
60.	मोकांकचुंग	3208	4262	3768
61.	मोन	0	0	312
62.	तुएनसांग	0	0	922
	उड़ीसा			
63.	जैपोर	18096	20218	19690
64.	सम्बलपुर	15983	19687	19658
65.	क्योंझर	4168	5600	5742
66.	बारीपाड़ा	4781	6577	5731
67.	बरहामपुर	4145	3580	5548
68.	भवानीपटना	13104	15111	16155
69.	रूरकेला	3661	4498	5283
	राजस्थान			
70.	उदयपुर	12258	13114	12322
71.	बांसवाड़ा	3663	4259	4616
72.	चित्तौड़गढ़	3988	4934	5226
73.	माउण्टआबू	1869	317	2577
	सिक्किम			
74.	गंगटोक	9309	12350	13670
	तमिलनाडु			
75.	तिरुचिरापल्ली	27875	33856	32079
	त्रिपुरा			
76.	अगरतला	19800	21217	18547
77.	बलोनिया	4152	4666	5022
78.	कैलाशहर	3945	3952	4954
	पश्चिम बंगाल			
79.	कुर्सियांग	13772	16947	19431

1	2	3	4	5
80.	सिलिगुड़ी	20490	21124	24461
81.	मुर्शिदाबाद	3743	4038	6320
82.	आसनसोल	0	1461	1416
	संघ शासित प्रदेश			
83.	कावारती	879	889	1463
84.	दमन	2440	2705	3149

विवरण-II

उत्तर में देश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे दूरदर्शन के ट्रान्समीटर का ब्यौरा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ट्रान्समीटर	
1	2	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अ.श.ट्रा.	कार निकोबार
	अ.अ.श.ट्रा.	ग्रेट निकोबार
	अ.अ.श.ट्रा.	केम्पबोल डे
	अ.अ.श.ट्रा.	कटचल
	अ.अ.श.ट्रा.	ननकोवरी
	उ.श.ट्रा.	राज मुन्दरी
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.	विशाखापटनम
	अ.श.ट्रा.	आदिलाबाद
	अ.श.ट्रा.	वेलमपल्ली
	अ.श.ट्रा.	भद्राचलम
	अ.श.ट्रा.	नेसा
	अ.श.ट्रा.	भीमा डोलू
	अ.श.ट्रा.	भीमावरम
	अ.श.ट्रा.	बाडिबली
	अ.श.ट्रा.	काकीनाडा
	अ.श.ट्रा.	विम्माम
	अ.श.ट्रा.	कोटागुडम
	अ.श.ट्रा.	मन्दासा
	अ.श.ट्रा.	निर्मल
	अ.श.ट्रा.	श्रीकाकुलम
	अ.श.ट्रा.	टेक्काली
	अ.श.ट्रा.	तुनी
	अ.श.ट्रा.	विशाखापटनम
	अ.श.ट्रा.	वारंगल
	अ.श.ट्रा.	येत्लानाडु
	अ.श.ट्रा.	मदिरा (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	चिन्तापल्ली
	अ.अ.श.ट्रा.	इच्छापुरम
	अ.अ.श.ट्रा.	पेडरू
	अ.अ.श.ट्रा.	पार्वतीपुरम
	अ.अ.श.ट्रा.	सीमतामपेट्टा
आसाम	उ.श.ट्रा.	डिब्रूगढ़
	उ.श.ट्रा.	गुवाहाटी
	उ.श.ट्रा.	सिलचर
	उ.श.ट्रा.	गुवाहाटी (डीडी-2)
	उ.श.ट्रा.	सिलचर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	बोकाहाट
	अ.श.ट्रा.	धुबरी

1	2	
	अ.श.ट्रा.	गोलापाता
	अ.श.ट्रा.	गोहपुर
	अ.श.ट्रा.	गोलाघाट
	अ.श.ट्रा.	छतासहीमारी
	अ.श.ट्रा.	जोरहाट
	अ.श.ट्रा.	कोकरझासरी
	अ.श.ट्रा.	मगिरिटा
	अ.श.ट्रा.	नजीरा
	अ.श.ट्रा.	उत्तरी लखीमपुर
	अ.श.ट्रा.	सोनारी
	अ.श.ट्रा.	तेजपुर
	अ.श.ट्रा.	तिनसुकिया
	अ.श.ट्रा.	डिब्रूगढ़ (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	डिगबोई
छत्तीसगढ़	अ.श.ट्रा.	जगदलपुर
	उ.श.ट्रा.	रायपुर
	उ.श.ट्रा.	रायपुर (डीडी-2)
	उ.श.ट्रा.	अम्बिकापुर
	अ.श.ट्रा.	बेलडिल्ला
	अ.श.ट्रा.	बिलासपुर
	अ.श.ट्रा.	चम्पा
	अ.श.ट्रा.	डगटगढ़
	अ.श.ट्रा.	कांकेर
	अ.श.ट्रा.	कोरबा
	अ.श.ट्रा.	कुरासिया

1	2	
	अ.श.ट्रा.	मानन्दरगढ़
	अ.श.ट्रा.	नारायणपुर
	अ.श.ट्रा.	पेंडारारोड
	अ.श.ट्रा.	रायगढ़
	अ.श.ट्रा.	रझारा झरडाली
	अ.अ.श.ट्रा.	सकती
	अ.अ.श.ट्रा.	बीजापुर
	अ.अ.श.ट्रा.	जसपुरनगर
	अ.अ.श.ट्रा.	कोडागांव
	अ.अ.श.ट्रा.	कोयलीबेडा
	अ.अ.श.ट्रा.	पखनजोर
	अ.अ.श.ट्रा.	पाथलगांव
	अ.अ.श.ट्रा.	सारनगढ़
दमन एवं दीव	अ.श.ट्रा.	दमन
गुजरात	अ.श.ट्रा.	आहवा
	अ.श.ट्रा.	अम्बाली
	अ.श.ट्रा.	अमोद
	अ.श.ट्रा.	भब्बर
	अ.श.ट्रा.	भडौच
	अ.श.ट्रा.	पेटा उदयपुर
	अ.श.ट्रा.	डाल्डी
	अ.श.ट्रा.	डेडिया पाडा
	अ.श.ट्रा.	दासा
	अ.श.ट्रा.	देवगढ़ बरिया
	अ.श.ट्रा.	धरमपुर

1	2	
	अ.श.ट्रा.	दोहाड
	अ.श.ट्रा.	गोधारा
	अ.श.ट्रा.	इदर
	अ.श.ट्रा.	झगड़िया
	अ.श.ट्रा.	कवडिया कालोनी
	अ.श.ट्रा.	कोसाम्बा
	अ.श.ट्रा.	लूनावाडा
	अ.श.ट्रा.	मेगरोल (सूरत)
	अ.श.ट्रा.	मोदासा
	अ.श.ट्रा.	नवसारी
	अ.श.ट्रा.	पालनपुर
	अ.श.ट्रा.	राधनपुर
	अ.श.ट्रा.	राजपीला
	अ.श.ट्रा.	शामलाजी
	अ.श.ट्रा.	सोमगढ़
	अ.श.ट्रा.	सूरत
	अ.श.ट्रा.	थराड
	अ.श.ट्रा.	उमरगांव
	अ.श.ट्रा.	बडोदरा
	अ.श.ट्रा.	वलसाड
	अ.श.ट्रा.	व्यारा
	अ.अ.श.ट्रा.	ककरापार
	अ.अ.श.ट्रा.	नतरण
	अ.अ.श.ट्रा.	सगवाडा
हिमाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रा.	भरमौर
	अ.अ.श.ट्रा.	चम्बा
	अ.अ.श.ट्रा.	चौंरी खास
	अ.अ.श.ट्रा.	होली
	अ.अ.श.ट्रा.	जहलमा
	अ.अ.श.ट्रा.	कत्या
	अ.अ.श.ट्रा.	कलोग
	अ.अ.श.ट्रा.	निचर
	अ.अ.श.ट्रा.	तिस्सा
	अ.अ.श.ट्रा.	उदयपुर
झारखंड	उ.श.ट्रा.	डालनगंज
	उ.श.ट्रा.	रांची
	उ.श.ट्रा.	रांची (डीडी-2)
	उ.श.ट्रा.	जमशेदपुर
	अ.श.ट्रा.	बेरहाखा
	अ.श.ट्रा.	चाइबासा
	अ.श.ट्रा.	दुमका
	अ.श.ट्रा.	घाटाशाला
	अ.श.ट्रा.	गुमला
	अ.श.ट्रा.	लोहार डागा
	अ.श.ट्रा.	मुसाबनी
	अ.श.ट्रा.	नोआमुन्डी
	अ.श.ट्रा.	सराइकेला
	अ.अ.श.ट्रा.	सिमडेगा
	अ.अ.श.ट्रा.	गरवा (डीडी-2)

1	2	
कर्नाटक	उ.श.ट्रा.	मंगलौर
	अ.श.ट्रा.	बन्सवाल
	अ.श.ट्रा.	चिकमंगलूर
	अ.श.ट्रा.	मेडिकेरी
	अ.श.ट्रा.	झदिगर
	अ.श.ट्रा.	मैसूर
	अ.श.ट्रा.	पुत्तर
	अ.श.ट्रा.	उड्डय
	अ.अ.श.ट्रा.	सुल्या
केरल	उ.श.ट्रा.	त्रिवेन्द्रम
	उ.श.ट्रा.	त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	अट्टापाडी
	अ.श.ट्रा.	कन्ननूर
	अ.श.ट्रा.	चंगनचेरी
	अ.श.ट्रा.	इदुक्की
	अ.श.ट्रा.	कलपेट्टा
	अ.श.ट्रा.	मलप्पुरम
	अ.श.ट्रा.	पाला
	अ.श.ट्रा.	पालघाट
	अ.श.ट्रा.	सोहरानूर
	अ.श.ट्रा.	चेल्लिचेरी
	अ.श.ट्रा.	तोडापुज्जा
	अ.श.ट्रा.	कन्ननूर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	देवीकोलम
	अ.अ.श.ट्रा.	काजिरापल्ली

1	2	
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रा.	जबलपुर
	उ.श.ट्रा.	जबलपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	अलीराजपुर
	अ.श.ट्रा.	बडवानी
	अ.श.ट्रा.	बालाघाट
	अ.श.ट्रा.	बेतूल
	अ.श.ट्रा.	बिजयपुर
	अ.श.ट्रा.	बुरहानपुर
	अ.श.ट्रा.	छिंदवाड़ा
	अ.श.ट्रा.	हरदा
	अ.श.ट्रा.	इटारसी
	अ.श.ट्रा.	जावरा
	अ.श.ट्रा.	झाबुआ
	अ.श.ट्रा.	केलारस
	अ.श.ट्रा.	खण्डवा
	अ.श.ट्रा.	खरगौन
	अ.श.ट्रा.	कुक्शी
	अ.श.ट्रा.	मलजखण्ड
	अ.श.ट्रा.	मण्डला
	अ.श.ट्रा.	मुत्ताई
	अ.श.ट्रा.	मुरवाडा
	अ.श.ट्रा.	पंचमढ़ी
	अ.श.ट्रा.	पिपरिया
	अ.श.ट्रा.	रतलाम
	अ.श.ट्रा.	सिवनी

1	2	
	अ.श.ट्रा.	शहडोल
	अ.श.ट्रा.	श्यापुर
	अ.श.ट्रा.	सिधी
	अ.श.ट्रा.	सिंगरौली
	अ.श.ट्रा.	परासिया
	अ.श.ट्रा.	सिंगरौली
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रा.	पुणे
	अ.श.ट्रा.	अचलपुर
	अ.श.ट्रा.	अहरी
	अ.श.ट्रा.	अहमदनगर
	अ.श.ट्रा.	अमलनर
	अ.श.ट्रा.	अमरावती
	अ.श.ट्रा.	भुसावल
	अ.श.ट्रा.	ब्रहमापुरी
	अ.श.ट्रा.	चन्द्रापुर
	अ.श.ट्रा.	चांदपुर
	अ.श.ट्रा.	दरयापुर
	अ.श.ट्रा.	धरमाबाद
	अ.श.ट्रा.	धुले
	अ.श.ट्रा.	दिगलूर
	अ.श.ट्रा.	गढ़चिरोली
	अ.श.ट्रा.	जलगांव
	अ.श.ट्रा.	किनवत
	अ.श.ट्रा.	मालगांव
	अ.श.ट्रा.	मनमाड
	अ.श.ट्रा.	मोरसी
	अ.श.ट्रा.	नांदेड
	अ.श.ट्रा.	नंदूरबार
	अ.श.ट्रा.	नासिक
	अ.श.ट्रा.	नवापुर
	अ.श.ट्रा.	पन्ढर कोवड़ा
	अ.श.ट्रा.	पुसाड़
	अ.श.ट्रा.	संगमनेर
	अ.श.ट्रा.	सतना
	अ.श.ट्रा.	शहाद
	अ.श.ट्रा.	शिरपुर
	अ.श.ट्रा.	सिरोचा
	अ.श.ट्रा.	उमरखेड
	अ.श.ट्रा.	वानी
	अ.श.ट्रा.	यवतमाल
	अ.अ.श.ट्रा.	बंदलपुर
	अ.अ.श.ट्रा.	भोकार
	अ.अ.श.ट्रा.	चिकलधारा
	अ.अ.श.ट्रा.	चिमूर
	अ.अ.श.ट्रा.	जुन्नार
	अ.अ.श.ट्रा.	कुरखडा
	अ.अ.श.ट्रा.	पिम्पलनेट
	अ.अ.श.ट्रा.	सिदेहवाही
	अ.अ.श.ट्रा.	तिवासा
मणिपुर	अ.श.ट्रा.	उखरौल

1	2	
	अ.श.ट्रा.	चन्द्रल
	अ.श.ट्रा.	चूराचांदपुर
	अ.श.ट्रा.	कंगपोक्पी
	अ.श.ट्रा.	मौरे
	अ.श.ट्रा.	सेनापति
उड़ीसा	अ.श.ट्रा.	बालेश्वर
	अ.श.ट्रा.	भवानीपटना
	अ.श.ट्रा.	सम्बलपुर
	अ.श.ट्रा.	सम्बलपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	आनन्दपुर
	अ.श.ट्रा.	बालीगुरहा
	अ.श.ट्रा.	बरगढ़
	अ.श.ट्रा.	बारीपाड़ा
	अ.श.ट्रा.	बेरहामपुर
	अ.श.ट्रा.	भडरक
	अ.श.ट्रा.	भंजानगर
	अ.श.ट्रा.	बीमित्रापुर
	अ.श.ट्रा.	बौन्नई
	अ.श.ट्रा.	बौध
	अ.श.ट्रा.	ब्रजराजनगर
	अ.श.ट्रा.	देवगढ़
	अ.श.ट्रा.	जी० उदयगिरि
	अ.श.ट्रा.	जैपोर
	अ.श.ट्रा.	जोदा
	अ.श.ट्रा.	कविसूर्यानगर

1	2	
	अ.श.ट्रा.	कराकजिया
	अ.श.ट्रा.	क्योंझरगढ़
	अ.श.ट्रा.	खररियार
	अ.श.ट्रा.	कोरापुर
	अ.श.ट्रा.	कोटपड़
	अ.श.ट्रा.	कुछिटा
	अ.श.ट्रा.	मलकानिगिरि
	अ.श.ट्रा.	मोहाना
	अ.श.ट्रा.	नवरंगपुर
	अ.श.ट्रा.	नुवापारा
	अ.श.ट्रा.	पदमपुर
	अ.श.ट्रा.	पदमपुरम
	अ.श.ट्रा.	पहुआ
	अ.श.ट्रा.	परलेखेमुंदी
	अ.श.ट्रा.	फूलबनी
	अ.श.ट्रा.	रायरंगपुरी
	अ.श.ट्रा.	राजगंगपुर
	अ.श.ट्रा.	रायगादा
	अ.श.ट्रा.	रेंघाखेल
	अ.श.ट्रा.	राऊरकेला
	अ.श.ट्रा.	सिमलीगडा
	अ.श.ट्रा.	सौहेला
	अ.श.ट्रा.	सुन्दरगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	उमरकोट
	अ.अ.श.ट्रा.	बालेश्वर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	बलियापल (डीडी-2)

1	2	
	अ.अ.श.ट्रा.	बडा बरबिल
	अ.अ.श.ट्रा.	बरपल्ली
	अ.अ.श.ट्रा.	चित्रकोड़ा
	अ.अ.श.ट्रा.	जयापटना
	अ.अ.श.ट्रा.	कलमपुर
	अ.अ.श.ट्रा.	काशीपुर
	अ.अ.श.ट्रा.	कोकसारा
	अ.अ.श.ट्रा.	लंजीगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	मच्छकुंछ तथा पाईकमल
	अ.अ.श.ट्रा.	सिमलीपलगढ़
	अ.अ.श.ट्रा.	सबडेगा
	अ.अ.श.ट्रा.	थवामल रामपुर
	अ.अ.श.ट्रा.	राऊरकेला (डीडी-2)
राजस्थान	ट्रांसपोजर	सुनाबेड़ा
	अ.श.ट्रा.	बंसी
	अ.श.ट्रा.	बांसवाड़ा
	अ.श.ट्रा.	बड़ी सदरी
	अ.श.ट्रा.	चित्तौड़गढ़
	अ.श.ट्रा.	डूंगरपुर
	अ.श.ट्रा.	केसरिया जी
	अ.श.ट्रा.	कुशालगढ़
	अ.श.ट्रा.	माउंटगढ़
	अ.श.ट्रा.	नाथद्वारा
	अ.श.ट्रा.	प्रतापगढ़
	अ.श.ट्रा.	सागवाड़ा
	अ.श.ट्रा.	सलमबर
	अ.श.ट्रा.	सिरौही
	अ.श.ट्रा.	उदयपुर
	अ.श.ट्रा.	वल्लमढ़
	अ.श.ट्रा.	अमेट
	अ.श.ट्रा.	देवगढ़
	अ.श.ट्रा.	कोटरा
	अ.श.ट्रा.	कुम्बलगढ़
	अ.श.ट्रा.	रावतभाटा
	अ.श.ट्रा.	जवार माइंस
सिक्किम	उ.श.ट्रा.	गंगटोक
	अ.श.ट्रा.	गंगटोक (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	ग्यालसिंग
	अ.श.ट्रा.	मगन
	अ.श.ट्रा.	नामची
	अ.श.ट्रा.	रंगपी
	अ.श.ट्रा.	सिंगताम
तमिलनाडु	अ.श.ट्रा.	अरनी
	अ.श.ट्रा.	आरकोट
	अ.श.ट्रा.	अतूर
	अ.श.ट्रा.	चेय्यूर
	अ.श.ट्रा.	चिदम्बरम
	अ.श.ट्रा.	कुडालोर

1	2	
	अ.श.ट्रा.	देनकानीकोला
	अ.श.ट्रा.	धर्मापरू
	अ.श.ट्रा.	गुडियातम
	अ.श.ट्रा.	कृष्णागरिगरि
	अ.श.ट्रा.	नेवेल्ली
	अ.श.ट्रा.	पेरनामपेट
	अ.श.ट्रा.	सलेम
	अ.श.ट्रा.	तिंदीवानम
	अ.श.ट्रा.	चिरुचिरापल्ली
	अ.श.ट्रा.	तिरूपात्तूर
	अ.श.ट्रा.	वाणियमवाडी
	अ.श.ट्रा.	वैलौर
	अ.श.ट्रा.	विल्जूपूरम
	अ.अ.श.ट्रा.	जिणी
	अ.अ.श.ट्रा.	वाजापाड़ी
त्रिपुरा	उ.श.ट्रा.	अगरतला
	उ.श.ट्रा.	अगरतला (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	कैलाशहर
	अ.श.ट्रा.	तैलियामुरा
	अ.श.ट्रा.	कैलाशहर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	धर्मानगर
	एक्पोजर	बेलणिया
उत्तर प्रदेश	अ.श.ट्रा.	लखीमपुर
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रा.	आसनसोल
	उ.श.ट्रा.	कुर्सियांग

1	2	
	उ.श.ट्रा.	मुर्शिदाबाद
	उ.श.ट्रा.	आसनसोल (डीडी-2)
	उ.श.ट्रा.	मुर्शिदाबाद (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.	अलीपुरद्वार
	अ.श.ट्रा.	बलरामपुर
	अ.श.ट्रा.	बलूरघाट
	अ.श.ट्रा.	वर्धमान
	अ.श.ट्रा.	विष्णुपुर
	अ.श.ट्रा.	कोटेई
	अ.श.ट्रा.	दार्जिलिंग
	अ.श.ट्रा.	फरक्का
	अ.श.ट्रा.	गारवेटा
	अ.श.ट्रा.	झारग्राम
	अ.श.ट्रा.	कलीमपोंग
	अ.श.ट्रा.	कलना
	अ.श.ट्रा.	खड़ुगपुर
	अ.श.ट्रा.	मालदा
	अ.श.ट्रा.	मेदिनीपुर
	अ.श.ट्रा.	पुरूलिया
	अ.श.ट्रा.	रायना
	अ.श.ट्रा.	शांतिनिकेतन
	अ.श.ट्रा.	बसंती (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.	बागमंडी
	अ.अ.श.ट्रा.	डगरा
	अ.अ.श.ट्रा.	झालदा

[अनुवाद]

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता

4901. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को रखने के लिए निर्यात हेतु और सख्त मानदंड लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान घटिया गुणवत्ता के कारण लौटाई गई खेपों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त खेपों को लौटा देने के कारण निर्यातकों को कितना घाटा हुआ; और

(ङ) निर्यात की जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का निर्धारण अधिकांशत: क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा किया जाता है जो निर्यात बाजार में प्रचलित मांग के स्वरूप द्वारा निर्धारित पारस्परिक ठेकों के जरिए किया जाता है। तथापि, सरकार गुणवत्ता संबंधी जागरुकता के संवर्धन में तथा समूचे गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा में व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए सहायता प्रदान करके विनिर्माताओं एवं निर्यातकों को उनके उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत गुणवत्ता मानदंडों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती है।

(ग) और (घ) रद्द की गई खेपों और उनसे हुई हानि से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) वस्तुओं की गुणवत्ता को लागू करने के लिए किए गए अन्य उपायों में शामिल है:—लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए गुणवत्ता संबंधी जागरुकता कार्यक्रम शुरू करने में राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना, उन विनिर्माताओं/प्रसंस्कर्ताओं को मान्यता प्रदान करना जिन्होंने आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है, ब्रांडेड उत्पादों की अनुमति को बढ़ावा देना बार-कोडिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करना इत्यादि।

भेल के लाभ में गिरावट

4902. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान भेल के लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष का लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभ में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भेल ने सरकार द्वारा घोषित मितव्ययता संबंधी उपायों का अनुपालन नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान का टर्नओवर और कर पश्चात् लाभ (Profit after Tax) निम्नानुसार है।

(रुपये करोड़ में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
टर्नओवर	6795	6634	6348
कर पश्चात लाभ	545	599	313

(ग) इस कमी का मुख्य कारण 1.1.1997 से लागू कंपनी के सभी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के भुगतान हेतु एकमुश्त अतिरिक्त व्यय का होना रहा है। देश में औद्योगिक वृद्धि में छाई आम मंदी का भी प्रभाव पड़ा है क्योंकि ऊर्जा एवं उद्योग क्षेत्रों में प्रमुख निवेश निर्णय लेने में विलम्ब हो रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मनी के साथ द्विपक्षीय व्यापार

4903. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार दिसम्बर, 2000 में 20,000 करोड़ रुपए की सीमा पार कर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001 के दौरान जर्मनी को किये जाने वाले भारतीय निर्यात के 11,600 करोड़ रुपये और आयात के 9,700 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की आशा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष से यह किस सीमा तक तुलनीय है; और

(घ) भारत-जर्मनी व्यापार में और सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान भारत-जर्मन द्विपक्षीय व्यापार 12,141 करोड़ रु. का रहा है।

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान भारत-जर्मन द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार रहा है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जर्मनी को किए गए भारत के निर्यात	जर्मनी से भारत का आयात	कुल व्यापार
1999-00	7510.31	7979.95	15490.26
2000-01	8658.21	7928.41	16586.62

आंकड़ा स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मई, 2001) के प्रथम दो महीने में जर्मनी को किए गए भारतीय निर्यात और जर्मनी से आयात कमश: 1264 करोड़ रु. और 1416 करोड़ रु. का रहा था।

(ग) जर्मनी के साथ भारतीय व्यापार में वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान 7.08% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान जर्मनी को किए गए भारतीय निर्यात 15.28% अधिक रहे थे और आयात 0.65% कम रहे। जर्मनी को किए गए भारतीय निर्यात अप्रैल-मई 2000 की तुलना में अप्रैल-मई 2001 अवधि के दौरान 15.84% कम रहे। इसी अवधि के दौरान जर्मनी से भारतीय आयात में 7.60% की वृद्धि हुई।

(घ) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय व्यापार में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं—भारत-यूरोपीय संघ व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए यूरोपीय संघ के साथ सतत विचार-विमर्श करना, व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सुविधाएं प्रदान करना, गुणवत्ता उन्नयन के लिए निविष्टि, बाजार अध्ययन और व्यापार/उद्योग स्तर के विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाना।

चीनी मिट्टी और कांच औद्योगिक परिसर की स्थापना

4904. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को राजस्थान में विशाल चीनी मिट्टी और कांच औद्योगिक परिसर की स्थापना के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे औद्योगिक परिसर के लिए राज्य में ही कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और आज की तिथि के अनुसार प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) राजस्थान में एक बड़े सिरेमिक तथा औद्योगिक परिसर स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई औद्योगिक लाइसेंस आवेदन सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना

4905. प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने दूसरी बार मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना से पीछे हटने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह परियोजना इसी तरह के संघर्ष के कारण पहली बार 1997 में भी संकट में पड़ गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मार्च, 1997 में विश्व बैंक ने मुम्बई शहरी विकास परियोजना को संबंधित एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों

की अपर्याप्तता के कारण अपने ऋण कार्यक्रम से बाहर रखने का निर्णय लिया। तथापि, जनहित में परियोजना के महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव की उचित समीक्षा तथा उसे नए सिरे से तैयार करने के बाद पुन: आरम्भ किया गया है।

केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई को सहायता

4906. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्थान को आवंटित निधियों और उक्त अवधि के दौरान संस्थान के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): (क) और (ख) केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई (सी.एफ.टी.आई.), लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग विकास संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थान सरकार से गैर-आवर्ती व्यय के लिए अनुदान सहायता और आवर्ती व्यय का कुछ भाग प्राप्त करता है। नौवीं योजनावधि (1997-2002) के दौरान सी.एफ.टी.आई., चेन्नई के लिए योजनागत शीर्ष के अधीन 170 लाख रुपये के बजट प्रावधान और वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान चेन्नई स्थित केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित की गई धनराशि के ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	योजनागत	गैरयोजनागत	कुल
1998-99	10.00	19.50	29.50
1999-2000	60.00	13.40	73.40
2000-01	69.75	कोई गैरयोजनागत प्रावधान नहीं किया गया है।	69.75
कुल	139.75	32.90	172.65

पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये संस्थान के कार्यनिष्पादन निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की संख्या		
		1998-99	1999-2000	2000-01
1.	फुटवियर डिजाइन तथा उत्पादन में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम	66	68	50
2.	फुटवियर प्रौद्योगिकी में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	–	–	27
3.	फुटवियर प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	–	–	10
4.	फुटवियर प्रौद्योगिकी में एक वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	–	–	16
5.	अल्पकालिक पाठ्यक्रम	–	–	512

सहकारी बैंक

4907. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सहकारी बैंकों के लिए उनकी जमाओं को 1 लाख तक सुनिश्चित करना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई सहकारी बैंकों ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है अथवा वे नियमित रूप से इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष और पिछले वर्ष किन-किन सहकारी बैंकों ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है;

(ङ) उनके कुल कितने जमाकर्ता हैं, कितनी राशि है और बैंक-वार इन जमाकर्ताओं को कितना घाटा हुआ है; और

(च) ऐसी जमा बीमा योजना की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंक प्रभाग में क्या नियामक व्यवस्था की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों एवं सहकारी बैंकों को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता होती है। सभी पात्र सहकारी बैंकों को बीमाकृत बैंक के रूप में निगम द्वारा पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। डीआईसीजीसी की जमा बीमा योजना में, सभी राज्य, केन्द्र एवं विदेशी सरकार, अन्त: बैंक निक्षेप, भारत से बाहर प्राप्त निक्षेप, निक्षेप प्रमाण-पत्र, नकद संपार्श्विक के रूप में लिया गया निक्षेप, वे निक्षेप, जिसे बैंक के असफल होने के कम से कम छ: महीने पहले अधीनस्थ देनदारी के अन्तरण द्वारा सृजित किया गया हो से संबंधित निक्षेप को छोड़कर, चालू, बचत, सावधि आवर्ती जमा आदि जैसे सभी प्रकार के निक्षेप शामिल हैं। डीआईसीजीसी ने सूचित किया है कि 30 जून, 2001 तक की स्थिति के अनुसार 2418 सहकारी बैंकों को इस योजना में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) डीआईसीजीसी के अनुसार, 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार 2418 सहकारी बैंकों में से 95 बैंकों ने नियमित रूप से प्रीमियम अदायगी में लगातार साढ़े तीन साल और उससे अधिक की चूक की हैं। उन सहकारी बैंकों की सूची, जिन्होंने साढ़े तीन साल या अधिक के दौरान प्रीमियम अदायगी नहीं किया है, विवरण में दी गई है।

(ङ) चूककर्ता बैंकों के जमाकर्ताओं की बैंक-वार कुल संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) डीआईसीजीसी ने सूचित किया है कि सहकारी बैंक द्वारा प्रीमियम की गैर-अदायगी को निगम द्वारा चूककर्ता बैंकों तथा संबद्ध राज्यों के सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार के सहयोग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। डीआईसीजीसी अधिनियम के तहत उपबंधों के अनुसार चूककर्ता बैंक चूक राशि पर बैंक दर से आठ प्रतिशत से अनधिक दर पर, जैसा कि निर्धारित हो, निगम ब्याज देने के लिए जिम्मेदार है।

विवरण

30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार विगत साढ़े तीन वर्ष या उससे अधिक के दौरान प्रीमियम की गैर-अदायगी करने वाले सहकारी बैंकों की सूची

क्र० सं०	राज्य	बैंक का नाम
1	2	3
1.	असम	शिबसागर डीसीसीबी लि०
2.	आंध्र प्रदेश	श्री काकुलम डीसीसीबी लि०
3.		इन्नेस्पेटा को-आप० अर्बन बैंक लि०
4.		जवाहर को-आप० अर्बन बैंक लि०
5.	बिहार	आरा सीसीबी लि०
6.		नैशनल सीसीबी लि०
7.		बेगुसराय सीसीबी लि०
8.		सिंहभूम सीसीबी लि०
9.		समस्तीपुर सीसीबी लि०
10.		छपरा सीसीबी लि०
11.		खगरिया डीसीसीबी लि०
12.		औरंगाबाद सीसीबी लि०
13.		हजारीबाग सीसीबी लि०
14.		सिवान सीसीबी लि०
15.		गिरिडीह सीसीबी लि०
16.		नवादा सीसीबी लि०
17.		डुमका सीसीबी लि०
18.		डेल्टानगंज सीसीबी लि०
19.		वैशाली सीसीबी लि०
20.		मधेपुरा सुपौल सीसीबी लि०
21.		नालंदा अर्बन को-आप० बैंक लि०
22.		दि बिहार अवाम को-आप० बैंक लि०
23.		दि पिपल्स को-आप० बैंक लि०
24.		मधेपुरा अर्बन डेवलप० को-आप० बैंक लि०
25.		दि वैशाली सहकारी विकास को-आप० बैंक लि०
26.		बेगुसराय अर्बन डेवलपमेंट को-आप० बैंक लि०

1	2	3
27.	गुजरात	बड़ौदा डिस्टी० इंड० को-आप० बैंक लि०
28.		घोगाम्बा विभाग नागरिक सहकारी बैंक लि०
29.		कर्मचारी को-आप० बैंक लि०
30.		खेडब्रम्हा नागरिक को-आप० बैंक लि०
31.		श्री महुवा नागरिक सहकारी बैंक लि०
32.		नवदीप को-आप० बैंक लि०
33.		पोरबंदर कमर्शियल को-आप० बैंक लि०
34.		संतरामपुर अर्बन को-आप० बैंक लि०
35.		सेवालिया अर्बन को-आप० बैंक लि०
36.		श्री युगप्रभव को-आप० बैंक लि०
37.		तालोड जनता सहकारी बैंक लि०
38.		वाघोदिया अर्बन को-आप० बैंक लि०
39.		अहमदाबाद अर्बन को-आप० बैंक लि०
40.		उना पिपल को-आप० बैंक लि०
41.		अहमदाबाद महिला को-आप० बैंक लि०
42.		जंबुसार पिपल को-आप० बैंक लि०
43.	हरियाणा	पोस्ट एंड आरएमएस अर्बन को-आप० बैंक लि०
44.	जम्मू एवं कश्मीर	बारामुल्ला सीसीबी लि०
45.	कर्नाटक	गुलबर्गा डीसीसीबी लि०
46.		कोलार अर्बन को-आप० बैंक लि०
47.		मैसूर को-आप० बैंक लि०
48.		बसवाकल्याण पट्टना सहकारी बैंक लि०
49.		मैसूर यूनिवर्सिटी को-आप० बैंक लि०
50.	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० (सागर)
51.		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० (मंडला)
52.		जिला सहकारी बैंक मर्या० (धार)
53.		नागरिक सहकारी बैंक मर्या० (दुर्ग)
54.		महिला नागरिक सहकारी बैंक लि० खरगौन
55.	महाराष्ट्र	अंजनगांव नागरी सह० बैंक लि०
56.		प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक लि०
57		श्री राम सहकारी बैंक लि०
58.		देववानी सहकारी बैंक लि०
59.		श्री स्वामी समर्थ अर्बन को-आप० बैंक लि०
60.	मणिपुर	मोइरंग प्राइमरी को-आप० बैंक लि०
61.		लुमका को-आप० बैंक लि०
62.	उड़ीसा	भवानी पट्टा सीसीबी लि०
63.		को-आप० अर्बन बैंक लि०, गंजम
64.	पंजाब	अमृतसर सीसीबी लि०
65.		जालंधर सीसीबी लि०
66.		नवांशहर सीसीबी लि०
67.		होशियारपुर सीसीबी लि०
68.		मोगा सीसीबी लि०
69.		कुराली अर्बन का-आप० बैंक लि०
70.		कपूरथला सीसीबी लि०
71.		अमृतसर मुनिसिपल इम्पलाईज थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी लि०
72.	राजस्थान	अलवर अर्बन को-आप० बैंक लि०
73.	तमिलनाडु	मनमदुरै को-आप० अर्बन बैंक लि०

1	2	3
74.		शोलींघुर को-आप० अर्बन बैंक लि०
75.		श्रीरंगम को-आप० बैंक लि०
76.	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लि०, लखनऊ
77.		सुल्तानपुर डीसीसीबी लि०
78.		बिजनोर डीसीसीबी लि०
79.		बदायूं जिला सहकारी बैंक लि०
80.		अर्बन को-आप० बैंक लि०, इलाहाबाद
81.		राणी लक्ष्मीबाई अर्बन को-आप० बैंक लि०
82.		मिर्जापुर अर्बन को-आप० बैंक लि०
83.		मेकनिकल डिपार्ट० को-आप० सोसायटी लि०
84.		आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्टरी प्राम्भिक सहकारी बैंक लि०
85.		अर्बन को-आप० बैंक लि०, तेहात्री
86.		नागर सह० बैंक लि०, महाराजगंज
87.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद सीसीबी लि०
88.		दार्जिलिंग डीसीसीबी लि०
89.		रानाघाट पिपल को-आप० बैंक लि०
90.		एवीबी इम्प्लाईज को-आप० बैंक लि०
91.		पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट प्रेस इम्प्लाईज को-आप० बैंक
92.		ईस्ट एंड नार्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-आप० बैंक
93.		जी. के. डब्ल्यू. (कलकत्ता) वर्क्स इम्पलाईज बैंक लि०
94.		समता को-आप० बैंक लि०
95.		कोलिकाता महिला को-आप० बैंक लि०

स्वापकों की बरामदगी

4908. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मादक पदार्थों की आवाजाही का प्रमुख केन्द्र बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डी.आर.आई.) ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजी जाने वाली लगभग 120 करोड़ मूल्य की दो टन हशीश पकड़ी है;

(घ) यदि हां, तो पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुछ पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस बुराई पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता और अन्य देशों के साथ अच्छी वायु सेवा से जुड़े होने के कारण दिल्ली नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बन गयी है, जो कि एक चोरी छिपे किया जाने वाला धन्धा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुरादाबाद के अधिकारियों ने राजस्व आसूचना निदेशालय से गुप्त सूचना प्राप्त होने के आधार पर, 7/8 अगस्त, 2001 को मुरादाबाद में 2095.05 किलोग्राम हशीश का अभिग्रहण किया। उन्होंने इस खेप की नेपाल से मुरादाबाद को ढुलाई के लिए प्रयुक्त एक मिनी बस, नशीले पदार्थों को पैक करने के लिए प्रयुक्त एक पैकिंग मशीन और इस मामले में शामिल तीन व्यक्तियों को भी पकड़ा।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) भारत सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु पहले ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इनमें समस्त मादक पदार्थों से संबंधित प्रवर्तन एजेन्सियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाईटिंग के

साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि-रोधी एजेन्सियों की सीमापार बैठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा म्यांमार को दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

लौह-अयस्क कम्पनी में विनिवेश

4909. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुद्रेमुख लौह-अयस्क कम्पनी लिमिटेड (के०आई०ओ०सी०एल) से विनिवेश पर अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व कर्नाटक राज्य सरकार की राय पर विचार किया गया;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विनिवेश प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) में विनिवेश करने का अन्तिम निर्णय सभी संबंधितों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लिया जाएगा।

[हिन्दी]

सहकारी बैंक

4910. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंक लघु निवेशकों को अपनी बचतों को अपने बैंकों में जमा करने पर बाध्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैंकों में अपनी बचतों को जमा करके लघु निवेशक को उचित निगरानी व्यवस्था के अभाव के कारण घाटा उठाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने बैंक लाये गए हैं जहां लघु निवेशकों को अपनी बचतों को वापस लेने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सेबी द्वारा लाइसेंसों को रद्द किया जाना

4911. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शेयर दलालों का ब्यौरा क्या है जिनके लाइसेंसों को पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा रद्द किया गया है;

(ख) लाइसेंसों के निलम्बन/रद्दीकरण के क्या कारण हैं;

(ग) उन शेयर दलालों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पुन: कार्य आरंभ करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्याज का मूल्य

4912. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में प्याज के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो महीनों के दौरान इसमें ठीक कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या मूल्य में वृद्धि का कारण कालाबाजारियों द्वारा प्याज की जमाखोरी करना है;

(घ) यदि हां, तो इन कालाबाजारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मूल्यों के स्थिर होने तक प्याज के निर्यात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) खुले बाजार में प्याज के खुदरा मूल्यों में अगस्त, 2001 के प्रथम सप्ताह से वृद्धि का रूझान देखा गया है। 18 जून, 2001 और 17 अगस्त, 2001 के बीच 18 राज्यों की राजधानियों के खुले बाजार में प्याज के खुदरा मूल्यों में प्रति किलो 50 पैसे से 4 रु० तक की वृद्धि देखी गई।

(ग) और (घ) प्याज की जमाखोरी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्याज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं। निर्यात की मात्रा को उपलब्धता, पैदावार की संभावना और प्रचलित घरेलू मूल्यों का आंकलन करने के पश्चात् ही रिलीज किया जाता है। सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान 5 लाख मी० टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। इसमें से 2.5 लाख मी० टन प्याज को 31 अगस्त, 2001 तक निर्यात के लिए रिलीज किया जा चुका है। अगस्त, 2001 के प्रथम सप्ताह में मूल्य वृद्धि को देखने के पश्चात् 7 अगस्त, 2001 को प्याज के निर्यात को प्रारम्भ में 15 दिनों के लिए रोक दिया गया है। उसके बाद प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों में स्थिरता आ गई है। खुले बाजार मूल्यों पर भी नजर रखी जा रही है।

पदाधिकारियों के विदेश दौरे

4913. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998 में भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों के लिए मितव्ययिता और किफायती उपायों के संबंध में मार्ग-निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सी०डब्ल्यू०सी० के पदाधिकारियों से संबंधित विदेश यात्राओं का व्यय 1996-97 में 37,885 रुपये से बढ़कर 1998-99 में 29,26,311 हो गया;

(ग) यदि हां, तो क्या यह राशि हाल के वर्षों में और अधिक बढ़ गयी है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान और 2001-2002 में अब तक सी०डब्ल्यू०सी० द्वारा विदेश दौरों पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सी०डब्ल्यू०सी० के विदेश दौरों पर व्यय में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। वित्त मंत्रालय ने व्यय-प्रबंधन, राजकोषीय विवेक तथा किफायत संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 20 अगस्त, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 19(1)-ई०-II(क)/98 के जरिए जारी किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हाल ही के वर्षों में व्यय में अपेक्षाकृत काफी गिरावट आई है। वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा अभी तक विदेशी दौरों पर किये गये कुल व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	राशि
2000-2001	1,70,718
2001-2002	शून्य

(ङ) व्यय प्रबंधन, राजकोषीय-विवेक तथा किफायत पर दिनांक 24.9.2000 को वित्त मंत्रालय द्वारा और अनुदेश जारी किए गए थे जो केन्द्रीय भंडारण निगम सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू है। व्यय प्रबंधन संबंधी सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के फलस्वरूप विदेश के दौरों/प्रशिक्षणों पर व्यय कई वर्षों से काफी कम हुआ है।

राजस्व में वृद्धि करने हेतु विशेषज्ञ पैनल

4914. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अपना राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझाने हेतु विशेषज्ञ पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा गठित ऐसे सभी विशेषज्ञ पैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) क्या इन पैनलों ने दूरदर्शन में सभी समयोन्मुखी कार्यक्रमों को बंद करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

ग्रामीण ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति

4915. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने ग्रामीण ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) इस विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण ऋण के संबंध में विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :-

(i) ग्रामीण ऋण प्रणाली की संरचना और उसके मुख्य संघटकों की भूमिका;

(ii) ऋण वितरण के मूल्य को कम करने हेतु आवश्यकता के संदर्भ में सहकारी स्तरीय ऋण प्रणाली की भूमिका;

(iii) प्रभावी ग्रामीण ऋण के लिए विकास नीतियां और सहायता प्रणाली;

(iv) क्षेत्रों, सेक्टरों और ग्राहक समूहों की विकास आवश्यकताओं के संबंध में ग्रामीण ऋण की आपूर्ति में अन्तर को पूरा करने हेतु रणनीति;

(v) उधारकर्ता के अनुकूल प्रभावी ग्रामीण ऋण के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण;

(vi) ब्याज दर के अविनियमन, विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने और लचीले ऋण लिखतों को लागू करने जैसे वित्तीय क्षेत्र सुधारों का प्रयोग;

(vii) वसूली और उसकी पर्याप्तता के लिए कानूनी ढांचा; और

(viii) उससे प्रासंगिक अन्य कोई मामला।

(ग) से (ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 जुलाई, 2001 को नाबार्ड को प्रस्तुत कर दी है। समिति की मुख्य सिफारिशें ग्रामीण नीति और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, आस्तिहीन गरीबों का वित्तपोषण, छोटे किसानों और काश्तकारों का वित्तपोषण, शुष्क भूमि कृषि का वित्तपोषण फसल उत्पादन, ग्रामीण कृषीतार कार्यकलाप, ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, दीर्घावधि और अल्पकालीन ढांचे का एकीकरण, सहकारी संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त के मानदंडों में छूट, ग्रामीण उधार में लगातार अंतर्ग्रस्तता, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशि पर ब्याज दर में कमी, निम्न ऋण-जमा अनुपात पर कार्रवाई करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनर्पूंजीकरण और सुधार, उधार, देने में सुधार करना, राज्य सरकारों से सहायता, वसूलियों और संवितरण में सुधार करना, आदि से संबंधित हैं। समिति की सिफारिशों की जांच नाबार्ड कर रहा है।

[हिन्दी]

इस्पात के आयात पर कर अपवंचन

4916. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 2001 के ''जनसत्ता'' के नई दिल्ली संस्करण में ''स्टील के आयात पर चेन्नई में हो रही करारों की शुल्क चोरी'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है अथवा इसकी जांच कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस्पात पर आयात शुल्क के अपवंचन को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, हां। विशेष आसूचना प्राप्त होने पर, राजस्व आसूचना निदेशालय ने सी.आर.जी.ओ. इलैक्ट्रिकल स्टील सीटों/स्ट्रिपों/कॉयलों/कटिंगों की कुछेक किस्मों का आयात करते समय माल का कथित रूप से कम मूल्यांकन करने और इसके स्वरूप के बारे में गलत घोषणा करने के मामले में अप्रैल, 2001 में जांच-पड़ताल आरम्भ की थी। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 3 गई, 2001 को 9 कनटेनर पकड़े गये थे और राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क गृह द्वारा उसी और कुछेक अन्य पक्षों द्वारा कथित रूप से शुल्क अपवंचन का प्रयास करते हुए किये गये आयातों के मामले में संयुक्त रूप से व्यापक जांच-पड़ताल आरम्भ की गई है। 11 अन्य आयातकों के संबंध में इसी प्रकार के अपराधों के मामले ध्यान में आये हैं और इनकी भी जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ङ) विभाग और सीमा शुल्क गृह की आसूचना ऐजेंसियों को पहले ही अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है ताकि वे आयातित माल और उसके मूल्य के विवरण के बारे में किसी गलत घोषणा का पता लग सकें। मूल्यांकन निदेशालय मूल्यांकन संबंधी बुलेटनों का संकलन भी करता है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न सीमा शुल्क गृहों में घोषित समकालीन प्रचलित आयात मूल्य दिये गये होते हैं और इन्हें मार्ग दर्शन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किया जा रहा है ताकि कम मूल्यांकन के प्रयासों के खिलाफ सतर्क रहा जा सके।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु लगाई गई शर्तें

4917. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 2001 "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू एस रिसाल्व एनरॉन रा टू अट्रैक्ट फ्रैश एफ.डी.आई. फ्लॉज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार से एनरॉन विवाद के समाधान के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस दिशा में दिए गए अन्य सुझावों/शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा एनरॉन विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह पर प्रभाव न पड़े?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, हां।

(ख) अमेरिकी सरकार से ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार ने प्रशुल्क को कम करने और दाभोल बिजली परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री के संबंध में इस परियोजना के प्रवर्तकों और अन्य संबंधित पार्टियों से बात-चीत करने के लिए एक "समझौता समिति" का गठन किया है। केन्द्र सरकार संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने उक्त समझौता समिति में अपने नामित व्यक्ति (नोमिनी) की नियुक्ति कर दी है।

एचएमटी को घाटा

4918. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचएमटी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने पुनर्वास के प्रथम वर्ष में अपने घाटे में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या एचएमटी चार कंपनियों में विभाजित हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) जी, हां। एचएमटी की टर्नअराउन्ड योजना के तहत, वित्तीय पुनर्संरचना में शामिल सरकारी ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने तथा इस पर बने ब्याज को माफ करने से कंपनी पर ब्याज का भार कम हो गया है। नगद निवेश का उपयोग

उच्च लागत वाले ऋणों को चुकाने में किया गया है। वीआरएस लागू करने के जरिए जनशक्ति का युक्तिकरण करने से जनशक्ति पर लागत कम हो गई है। इन सहायिकाओं का गठन एचएमटी लिमिटेड, धारक कंपनी अर्थात् एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचिज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड के तहत हुआ है जिससे व्यवसाय का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा। वर्ष 2000-2001 के दौरान धारक कंपनी, एचएमटी ने विगत वर्ष की 3.52 करोड़ रुपये की हानि के मुकाबले 24.41 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। हाल में गठित की गई इसकी सहायिकाएं अर्थात् एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचिज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड ने विगत वर्ष के क्रमश: 88.76 करोड़ रुपये, 168.89 करोड़ रुपये तथा 35.74 करोड़ रुपये के हानि के मुकाबले वर्ष 2000-2001 में क्रमश: 96.17 करोड़ रुपये, 59.18 करोड़ रुपये तथा 7.95 करोड़ रुपये की हानि उठाई है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के खुदरा उत्पादों का विपणन

4919. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपने उत्पादों का खुदरा विपणन करने हेतु सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी कम्पनियां हैं; जिन्होंने अनुमति मांगी है और वे किन उत्पादों का विपणन करना चाहती हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के अनुरोध पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया;

(ङ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ऐसे खुदरा विपणन से देश को किस प्रकार का लाभ होगा; और

(च) सरकार द्वारा स्वदेशी उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खुदरा विपणन के प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (च) वर्ष 1997 में निर्धारित, मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति में, भारत में घरेलू खुदरा विपणन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है और तदनुसार अब ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 1997 से पहले, दो कंपनियां नामत: मैसर्स नंज फूड प्रोडक्टस को वर्ष 1992 में थोक व्यापार खुदरा व्यापार भंडारण और मालगोदाम के लिए; और मैसर्स सपेन्सर एंड कंपनी को खाद्य सुपर मार्किटों (1995) और स्वास्थ्य देखभाल संबंध खुदरा केन्द्रों (1996) के लिए खुदरा विपणन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति संबंधी अनुमोदन दिये गये थे।

मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से निर्यात

4920. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एम ई पी जैड) से विभिन्न उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एम ई पी जैड, चेन्नई में सुधार करने के लिए कुछ निधियां आबंटित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एम ई पी जेड, चेन्नई में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए गत तीन वर्षों में आबंटित, वितरित तथा खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) निर्यातों के संवर्धन एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से निर्यात प्रसंस्करण जोनों में स्थित एककों को दी गई हकदारियों में शामिल हैं—पूंजीगत वस्तुओं, कच्ची सामग्री इत्यादि के आयात खरीद पर सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट, आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत आय-कर से छूट, केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति, बुनियादी सुविधाएं और सरलीकृत क्रियाविधियां।

(ग) से (ङ) बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन, जैसे मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्टैण्डर्ड डिजाइन के फैक्टरी भवनों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित एवं उपयोग में लाई गई राशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	(लाख रु० में)
1998-1999	365.13
1999-2000	400.00
2000-2001	400.00

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

4921. **श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्थान-वार कितना-कितना विदेशी ऋण लिया गया;

(ख) सरकार द्वारा ये ऋण राज्य-वार किन परियोजनाओं के लिए, लिए गए थे;

(ग) क्या इन ऋणों की बड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उच्च ब्याज दरों पर बाजार ऋण लिया है जबकि कम ब्याज वाले बाहरी ऋण अप्रयुक्त रहे;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा अप्रयुक्त विदेशी ऋण के लिए कितने वचनबद्धता प्रभार का भुगतान किया गया; और

(ज) सरकार द्वारा विदेशी सहायता का समय पर उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकार द्वारा निम्नलिखित विदेशी ऋण उनके सामने विनिर्दिष्ट संस्थाओं से लिए गए हैं :-

(हजार अमरीकी डालर में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
आईबीआरडी	688000	190000	1353270
आईडीए	854900	804498	879580
एडीबी	0	500000	525000
आईएफएडी	22900	22900	0

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता मोटे तौर पर परियोजना से सम्बद्ध होती है, इसलिए, किसी भी परियोजना के लिए स्वीकृत सहायता का उपयोग परियोजना की कार्यान्वयन अवधि में किया जाना अपेक्षित होता है। परिणामस्वरूप, किसी विशेष समय पर कुछ अप्रयुक्त राशि रह जाती है जो उस सहायता को प्रतिबिम्बित करती है जिसका मिलना शेष रहता है तथा उसका उपयोग परियोजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ किया जाता है।

सहायता राशि के उपयोग की गति कभी-कभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों की पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने, अधिप्राप्ति तथा संविदागत विलम्बों, भूमि अधिग्रहण में देरी और परियोजना से सम्बद्ध अन्य विशेष मामलों के कारण प्रभावित होती है।

(ङ) जी, नहीं। सरकार ने ऐसी स्कीमों के लिए उच्च ब्याज दर पर बाजार ऋण प्राप्त नहीं किए हैं जिनके लिए उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर में वर्णित कारणों की वजह से उदार विदेशी ऋण उपयोग में लिए बगैर रह जाते हैं।

(च) भाग (ङ) में दिए उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार ने निम्नलिखित वचनबद्धता प्रभार अदा किए हैं :-

वर्ष	करोड़ रुपए में
1998-1999	47.59
1999-2000	41.78
2000-2001	40.23

(ज) सहायता राशि के उपयोग को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए कुछ उपायों में राज्य तथा केन्द्र सरकार के बजटों में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधानों का सुनिश्चयन करना; वसूली प्रक्रियाओं को सरल और सुसाध्य बनाना; केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिलने वाली विदेशी सहायता के प्रवाह में से मध्यस्थों को हटाना; निष्पादनकर्त्ता एजेंसियों के साथ तिमाही पुनरीक्षा करना; आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक की स्थापना करना; कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना मानीटरिंग यूनिटों को सुदृढ़ बनाना; राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति करना और परियोजना आरम्भ होने के समय से ही उसकी गुणवत्ता के संबंध में परियोजनाओं की नियमित पुनरीक्षा करना शामिल है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लिए गए विदेशी ऋण

(राशि हजार में)

क्र० सं०	ऋण शीर्ष	करार की दाता तिथि	राशि (अमरीकी डालर)	राज्य
1	2	3	4	5
1998-99				
1.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी	22.6.98 आईबीआरडी	96800	बि०, झारखंड, गुज०, कर्ना०, म०प्र०, छत्तीसगढ़, उ०प्र०
2.	उ०प्र० विविधीकृत कृषि सहायता	30.7.98 आईबीआरडी	79900	उ०प्र०
3.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना	4.2.99 आईबीआरडी	301300	आं०प्र०
4.	आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र	5.3.99 आईबीआरडी	210000	आं०प्र०
5.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विकास	14.1.99 आईडीए	134000	महाराष्ट्र
6.	उ०प्र० लवणयुक्त भूमि-II	4.2.99 आईडीए	194100	उ०प्र०
7.	आं०प्र० आर्थिक पुनर्संरचना	4.2.99 आईडीए	241900	आं०प्र०
8.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी	22.6.98 आईडीए	100000	बिहार, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, म०प्र०, छत्तीसगढ़, उ०प्र०
9.	उ०प्र० विविधीकृत कृषि सहायता	30.7.98 आईडीए	50000	उ०प्र०
10.	केरल वानिकी	13.8.98 आईडीए	39000	केरल
11.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास	13.8.98 आईडीए	76400	उड़ीसा
12.	ग्रामीण महिला विकास	14.9.98 आईडीए	19500	बिहार
13.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंध	23.2.99 आईएफएडी	22900	असम, मेघालय, मणिपुर
1999-2000				
1.	समेकित जलसंभार विकास पहाड़ी	14.7.99 आईडीए	50184	उ०प्र०, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिम० प्र०, हरि०

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण	6.7.99 आईडीए	194754	राजस्थान
3.	उ०प्र० III डीपीईपी	6.7.99 आईडीए	177660	उ०प्र०
4.	समेकित जलसंभार विकास	14.7.99 आईबीआरडी	85000	ज० और क०, कर्नाटक
5.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास	14.7.99 आईबीआरडी	105000	तमिलनाडु
6.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा	14.9.99 आईडीए	81900	राजस्थान
7.	महिला एवं बाल विकास	23.2.00 आईडीए	300000	केरल, राजस्थान
8.	झारखंड छत्तीसगढ़ जनजाति विकास	25.6.99 आईएफएडी	22900	झरखंड, छ० गढ़
9.	राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास	1.12.99 एडीबी	250000	राजस्थान
10.	म०प्र० जनसंसाधन प्रबंध कार्यक्रम	14.12.99 एडीबी	250000	म०प्र०
2000-01				
1.	उ०प्र० राजकोषीय सुधार एवं सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00 आईबीआरडी	126270	उ०प्र०
2.	उ०प्र० विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00 आईबीआरडी	150000	उ०प्र०
3.	गुजरात राजमार्ग	18.10.00 आईबीआरडी	381000	गुजरात
4.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	27.2.01 आईबीआरडी	180000	राजस्थान
5.	उ०प्र० राजकोषीय सुधार एवं सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना	16.5.00 आईडीए	125000	उ०प्र०
6.	उ०प्र० स्वास्थ्य व्यवस्था विकास कार्यक्रम	19.5.00 आईडीए	110000	उ०प्र०
7.	आं०प्र० जिला निर्धनता उपक्रम	12.5.00 आईडीए	111000	आं०प्र०
8.	राजस्थान जिला निर्धनता उपक्रम	19.5.00 आईडीए	100480	राजस्थान
9.	म०प्र० जिला निर्धनता उपक्रम	5.12.00 आईडीए	110100	म०प्र०
10.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई	4.1.00 आईडीए	65500	केरल
11.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास	14.12.00 एडीबी	150000	गुजरात
12.	गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास	14.12.00 एडीबी	200000	गुजरात
13.	कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण प्रबंध	19.5.00 एडीबी	175000	कर्नाटक

यूएनडीपी के साथ समझौता

4922. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और यूएनडीपी ने ''कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I'' कहा जाने वाला समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम या समझौते के लिए यूएनडीपी से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस समझौते के प्रमुख बिन्दु क्या हैं;

(च) क्या यह समझौता पहले से ही क्रियान्वयनाधीन है; और

(छ) यदि हां, तो कितना क्रियान्वयन किया गया और इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

नई दिल्ली स्थित यूएनडीपी के कंट्री कार्यालय ने वर्ष 1997 में भारत सरकार के सन्निकट सहयोग से भारत के लिए कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I (सीसीएफ-I) तैयार किया था। सीसीएफ-I को मार्च, 1997 में यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, हां।

यूएनडीपी कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के सहायतार्थ 1997-2002 की अवधि में 88.49 मिलियन अमरीकी डालर देगा।

(ङ) कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I साम्यापूर्ण वृद्धि पर संकेद्रित है तथा इस के मुख्य विषय गरीबी उन्मूलन तथा स्थायी मानव विकास हैं। कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I के लक्ष्यों की प्राप्ति पारस्परिक सम्मत कार्यक्रमों के माध्यम से की जानी है।

(च) जी, हां।

(छ) कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I के तहत 110 उप-कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा वे राष्ट्रीय निष्पादन तौर-तरीकों के तहत क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक कंट्री को-आपरेशन फ्रेमवर्क-I के क्रियान्वयन पर 29.01 मिलियन अमरीकी डालर की राशि व्यय की जा चुकी है।

[हिन्दी]

राज्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के माध्यम से सहायता

4923. श्री रामदास आठवले :
श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र के पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजनाएं चलाने के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भा०जी०बी०नि०, सा०बी०नि० और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग स्वीकृत और जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे राज्य-वार, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने लोगों को लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

डी.टी.एच. के संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ की राय

4924. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के संबंध में दिशा-निर्देशों की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) डायरेक्ट-टू-होम प्रसारण सेवाओं के संबंध में दिनांक 15.3.2001 को मार्गनिर्देश जारी होने के बाद इस मंत्रालय को भारतीय उद्योग परिसंघ

से कोई सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप देने से पहले, भारतीय उद्योग परिसंघ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि डी.टी.एच. आपरेटरों द्वारा स्वयं के भू-केंद्र स्थापित करने की अनिवार्यता न रखी जाए और अधिकतम 49% विदेशी निवेश वाली भारतीय भू-केंद्र कम्पनियों को लाइसेंसधारी डी.टी.एच. आपरेटरों को अपलिंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया था क्योंकि यह विदेशी अधिकृत पूंजी तथा प्रसारण कम्पनियों एवं/अथवा केबल नेटवर्क कम्पनियों की अधिकृत पूंजी की सीमा संबंधी व्यवस्थाओं के विरुद्ध है।

बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4925. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों के लिए 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश भी शामिल होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में स्वचलित मार्ग से 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय लिए जाने के पश्चात् यह स्पष्टीकरण आवश्यक था;

(ग) क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होगा; और

(घ) यदि हां, तो सभी देशों द्वारा बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का किस सीमा तक स्वागत किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारत सरकार ने समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन मई, 2001 में स्वचालित मार्ग से, सभी स्रोतों से बैंकिंग में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की थी।

(घ) यह हाल ही में लिया गया निर्णय है और आशा की जाती है कि सभी देशों द्वारा इसका स्वागत किया जाएगा।

आवास हेतु ऋण दरें

4926. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को आवास हेतु प्राइम ऋण दरों के संबंध में कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित दिशा-निर्देशों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवास ऋणों के संबंध में वसूल किए जाने वाली एक समान ब्याज दरों का प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का जीवन काल में वृद्धि के मद्देनजर 65 वर्ष के ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को भी आवास ऋण की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19.4.2001 के मार्गनिर्देशों के द्वारा बैंकों को अपनी प्रचलित मूल उधार दर पर ध्यान दिए बिना मध्यवर्ती एजेंसियों का ब्याज पर आवास वित्त के लिए अग्रिम राशि प्रदान करने की अनुमति दे दी गई है, ताकि वे आगे इसे अन्तिम लाभग्राहियों को उधार दे सकें।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

उड़ीसा को वित्तीय सहायता

4927. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा का आज तक विभिन्न केन्द्रीय अनुदान सहायता, विशेष सहायता और ऋण के रूप में कुल कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार केन्द्र द्वारा दी गई अनुदान सहायताओं का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(च) केन्द्रीय निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने शेष हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राज्य सरकार को योजना सहायता सकल अनुदानों तथा

सकल ऋणों के रूप में जारी की जाती है और राज्यों को सहायता अनुदान वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी राशियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सकल ऋण	सकल अनुदान	वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार सहायता अनुदान	कुल
1998-99	850.18	349.96	84.91	1285.05
1999-00	860.17	362.61	1035.28	2258.06
2000-01	938.52	515.93	504.80	1959.25
2001-02 (अभी तक)	378.77	162.33	271.86	812.95

(ख) और (ग) बढ़ते हुए गैर-योजनागत व्यय तथा प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी विषमताओं के कारण उड़ीसा सरकार कुछ वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव कर रही है।

(घ) से (छ) वित्त आयोग के निर्णय के अन्तर्गत जारी सहायता अनुदान संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियंत्रित की जाती है। भारत के संविधान की धारा 151(2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा तैयार की गई राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से निधियों के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकारें, राज्य विधान मंडल के प्रति जवाबदेह हैं। तथापि, यदि अनुमोदित/संशोधित योजना परिव्यय के विरुद्ध योजना व्यय में कमी है तो राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता से एक अनुपातिक कटौती की जाती है।

बाढ़ राहत निधि

4928. श्री अरुण कुमार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ राहत निधि के आबंटन संबंधी सरकारी सूत्र की विसंगति के कारण बिहार और झारखंड दो भागों में बांटे जाने के बाद बिहार को कम निधि मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्वाग्रहपूर्ण सूत्र के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच आपदा राहत कोष का बंटवारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के खण्ड 46(1) में निहित सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है।

सी.आर.बी. म्यूचुअल फंड घोटाला

4929. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सीआरबी म्यूचअल फंड को लाभ दिलाने के लिए नियमित विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं जो लाखों निवेशकों को मंझधार में छोड़कर बैठ गया;

(ख) यदि हां, तो क्या केंदीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सीआरबी घोटाले संबंधी जांच पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीआरबी म्यूचुअल फंड के पंजीकरण की अनुशंसा करने के लिए कार्यकारी निदेशक, सेबी के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले में एक जांच अधिकारी भी नामित किया है।

पशु चारा के रूप में खाद्यान्न का आवंटन

4930. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारे के संकट पर क़ाबू पाने के लिए पशु चारा के रूप में उपयोग हेतु खाद्यान्न का आवंटन करने हेतु कर्नाटक राज्य के प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चारे के संकट पर काबू पाने के लिए कर्नाटक राज्य को पशुचारे की श्रेणी का खाद्यान्न मुफ्त आबंटित करने का निर्णय किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

4931. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांच वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व राज्य सरकारों से विशेषकर राजस्थान से राज्य वित्त आयोग के संविधान को सुविधाजनक बनाने हेतु संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि इसकी सिफारिशें/सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष उपलब्ध हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विषय पर विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में राज्य वित्त आयोगों के गठन के संबंध में संविधान (धारा 243-I) में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूर्व-सुपर बाजार के भूतपूर्व प्रमुख सीबीआई के घेरे में

4932. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 2001 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''एक्स-सुपर बाजार चीफ इन सीबीआई नेट फॉर फेवरिंग बिल्डर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से चला है कि श्री एस.एस. धुरी, तत्कालीन अध्यक्ष और श्री जे.एस. सिद्धु, तत्कालीन मुख्य अभियंता, सुपर बाजार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सहयोग के आधार पर ''संत लोंगोवाल टॉवर'' के निर्माण का निर्णय लिया। श्री एस. एस. धुरी और श्री जे.एस. सिद्धु ने इस परियोजना के लिए मैसर्स वी.वी. कंस्ट्रक्शन कम्पनी को नियुक्त करने में सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखा। अपनी पंसद के व्यक्तियों को आसानी से ठेका देने के लिए श्री एस.एस. धुरी ने नियमों का पूर्णत: उल्लंघन करते हुए मेजर जे.एस. सिद्धु को सुपर बाजार का मुख्य अभियन्ता नियुक्त करवाया था। सुपर बाजार के निदेशक मंडल के तत्कालीन सदस्य श्री एच.एस. जोश ने भी श्री जे.एस. सिद्धु की सुपर बाजार में नियुक्ति में भूमिका निभाई थी।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री एस.एस. धुरी, पूर्व अध्यक्ष, श्री एच.एस. जोश, सदस्य, निदेशक मंडल तथा श्री जे.एस. सिद्धु, पूर्व मुख्य अभियंता, सुपर बाजार व अन्य लोगों के खिलाफ मैसर्स वी. वी. कंस्ट्रक्शन कम्पनी व अन्य को लाभ पहुंचाने के आपराधिक कदाचार के प्रयास किए जाने तथा श्री एस.एस. धुरी और श्री जे.एस. सिद्धु के खिलाफ सरकारी पद का दुरुपयोग करके श्री जे.एस. सिद्धु को मुख्य अभियंता-सह-मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी नियमित मामला (आर सी) दर्ज किया है।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 का संशोधन

4933. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तत्कालीन खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के उदारीकृत पेंशन लाभों का फायदा उठाने हेतु उनके लिए नए विकल्प का प्रावधान करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन के संबंध में भारतीय खाद्य निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ, महाराष्ट्र के जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन ने न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों बल्कि उनके लिए भी एक और विकल्प के लिए अनुरोध किया है जो सेवा में हैं और जिन्होंने खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन होने के बाद केन्द्र सरकार के पेंशन संबंधी अंतिम लाभों के लिए विकल्प दिया था।

(ग) 1990 में एफ.सी.आई. एम्पलायज यूनियन ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह निदेश देने का अनुरोध किया गया था कि इन कर्मचारियों को पहले की अंशदायी भविष्य निधि योजना के विकल्प की बजाए पेंशन योजना अपनाने का विकल्प प्रदान किया जाए। माननीय न्यायालय को इस याचिका में कोई औचित्य नजर नहीं आया और उन्होंने टिप्पणी दी कि ''चूंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए विकल्प दे दिया है इसलिए वे पेंशन के लाभ के पात्र नहीं हैं। रिट याचिका में कोई औचित्य नहीं है तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।'' उपर्युक्त की दृष्टि में अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इंडोनेशिया के साथ कच्चे पाम ऑयल का व्यापार

4934. श्री जी०एस० बसवराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंडोनेशिया ने दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए कच्चे पाम ऑयल के व्यापार को बढ़ाने तथा इसकी संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य वनस्पति तेलों के अलावा कच्चे पाम ऑयल के शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि इंडोनेशिया को भेजे जाने वाले तेल पर लगेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इंडोनेशिया सरकार भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो व्यापार के संबंध में दोनों देशों के बीच समझौते पर किस सीमा तक हस्ताक्षर किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ाने की दृष्टि से प्रति व्यापार पर भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) और के ए डी आई एन (इंडोनेशियाई वाणिज्य एवं उद्योग मंडल) के बीच एक समझौता ज्ञापन मौजूद है और इस संबंध में सूचीबद्ध अनेक मदों में कच्चा पाम ऑयल एक मद है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी का निर्यात

4935. श्री जी० गंगा रेड्डी :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की गुणवत्ता को घटिया बताकर यमन और इराक द्वारा दो कार्गों चीनी लेने से इंकार के कारण भारतीय चीनी निर्यात को आघात लगा है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और भारतीय चीनी की गुणवत्ता को उत्तम बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इसी आधार पर अन्य किन-किन देशों ने चीनी का आयात रद्द कर दिया है; और

(ङ) इस सौदे में भारतीय खाद्य निगम/केन्द्र सरकार को कितना नुकसान हुआ है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) चीनी का निर्यात विभिन्न चीनी की मिलों/निर्यातकों के द्वारा विदेशी क्रेताओं की अपेक्षानुसार उनके वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर किया जा रहा है। इस मंत्रालय को इराक तथा यमन अथवा किसी अन्य देश द्वारा चीनी की खेप को अस्वीकार किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) चूंकि भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्र सरकार ने निर्यात नहीं किया है, अत: खेप के अस्वीकार किए जाने, यदि कोई हो, के कारण भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्रीय सरकार को हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

4936. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली, समाचार सेवा प्रभाग (न्यूज सर्विस डिवीजन) और राष्ट्रीय चैनल में नियमित रूप से और

तदर्थ आधार पर कितने समाचारवाचक और उद्घोषक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके चयन में आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो आरक्षण नीति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान नियमित रूप से और तदर्थ आधार पर कितने समाचारवाचकों और उद्घोषकों का चयन किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो आरक्षण नीति को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी, नई दिल्ली में 19 उद्घोषक, राष्ट्रीय चैनल, नई दिल्ली में 4 उद्घोषक और सामाचार सेवा प्रभाग, नई दिल्ली में 82 समाचारवाचक-सह-अनुवादक, नियमित आधार पर कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में तदर्थ आधार पर कोई उद्घोषक या समाचारवाचक-सह-अनुवादक कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्घोषक की श्रेणी में कोई भर्ती नहीं की गई है। तथापि, समाचारवाचक-सह-अनुवादक के एक पद को अनुसूचित जाति से संबंधित एक व्यक्ति की भर्ती करके भरा गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जीवन बीमा क्षेत्र में कराधान

4937. श्री अनंत गुढ़े : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा क्षेत्र में कराधान से संबंधित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समिति की प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय लिए गए/लिए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) श्री वी०यू० इराडी की अध्यक्षता में गठित जीवन बीमा क्षेत्र के कराधान संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि :-

(i) जीवन बीमा कारोबार के संबंध में कराधेय आय के निर्धारण के लिए मूल प्रणाली ''मूल्यांकन अतिरेक'' प्रणाली होनी चाहिए;

(ii) पालिसी धारकों के अतिरिक्त शेयर एवं शेयर धारकों के लाभ (जिसमें शेयर-धारकों का अतिरिक्त शेयर शामिल है) पर अलग-अलग कर लगाया जाना चाहिए;

(iii) शेयर धारकों की निर्धारण योग्य आय पर लागू कर की दर पर पूर्ण रूप से कर लगाया जाना चाहिए; और

(iv) पालिसी धारकों की निर्धारण योग्य आय पर अपेक्षाकृत निम्न दर पर कर लगाया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

चीनी का निर्यात

4938. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में चीनी का उत्पादन 1991 में 120.47 टन से बढ़कर 1999-2000 में 181.41 लाख टन हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक देश-वार कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चीनी मौसम 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश था।

(ख) देश में चीनी का उत्पादन 1990-91 के 120.47 लाख टन से बढ़कर 1999-2000 में 181.93 लाख टन हो गया है, जिसका पहले अनंतिम रूप से 181.41 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) व्यापार जगत से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, अक्तूबर 2000 के आरम्भ से 23.7.2001 तक, लगभग 8.11 लाख टन चीनी (अनन्तिम) का वास्तविक रूप में निर्यात किया गया है। चीनी का और निर्यात भी किया जा रहा है। इस संबंध में देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

व्यापर जगत के अनुसार अक्तूबर 2000 से 23.7.2001 तक चीनी का देश-वार निर्यात (अनन्तिम) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	मात्रा मी० टन में
1	2	3
1.	बांग्लादेश	162500.0
2.	श्रीलंका	94587.0
3.	पाकिस्तान	367530.0
4.	यमन	22500.0
5.	अफगानिस्तान	9120.0
6.	कनाडा	105.0
7.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय कोटा	10017.0
8.	इंडोनेशिया	80586.0
9.	दुबई	3600.0
10.	पुर्तगाल	10460.0
11.	सिंगापुर	710.0
12.	इराक	12500.0
13.	चीन	18200.0
14.	वियतनाम	5000.0
15.	ईरान	2000.0
16.	माले	4000.0
17.	मलेशिया	1612.5
18.	अन्य	6000.0
	कुल :	811027.5

इराक द्वारा गेहूं को अस्वीकार किया जाना

4939. श्री जी०एस० बसवराज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य व्यापार निगम से गैर-सरकारी भारतीय कंपनियों द्वारा इराक को निर्यात किये गये गेहूं से भरे दो जहाजों को अस्वीकार करने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी कंपनियां ऐसे कार्य न करें सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) तीन प्राइवेट पार्टियों द्वारा भेजी गई गेहूं की चार खेपों को अस्वीकार करने के कारणों का पता लगाने के लिए एक सरकारी शिष्टमण्डल ने इराक का दौरा किया था। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राज्य व्यापार निगम इस शिष्टमण्डल में एक सदस्य थे। शिष्टमण्डल ने पाया कि भारतीय गेहूं घटिया नहीं था और यह कोडैक्स मानकों के अनुरूप था। अन्तर्राष्ट्रीय कोडैक्स मानकों के अनुसार अनाज में 2 प्रतिशत तक विजातीय तत्व अनुमेय हैं जिनमें से 1.5 प्रतिशत चोकर, खरपतवार के बीज, अन्य खाद्य तथा अखाद्य अनाज आदि जैसे कार्बनिक तत्व और शेष 0.5 प्रतिशत पत्थर, रेत, धूल आदि जैसे अकार्बनिक विजातीय तत्व शामिल होते हैं। इराकी संविदा में विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों में दो प्रतिशत तक विजातीय तत्व की मौजूदगी की व्यवस्था है। इस 2 प्रतिशत का कार्बनिक और अकार्बनिक विजातीय तत्वों में आगे अलग-अलग ब्यौरे नहीं दिये गये हैं। तथापि, इराक का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमण्डल को इराकी प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी परिभाषा के अनुसार वे रेत कणों की गणना विजातीय तत्व

के अधीन नहीं करते हैं। अन्य शब्दों में अकार्बनिक तत्व जो रेत, पत्थर, रोड़े, मिट्टी के कण आदि जैसे विजातीय तत्वों का हिस्सा हैं, इस श्रेणी के आधीन स्वीकार्य नहीं हैं। उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि इस श्रेणी के आधीन केवल कार्बनिक विजातीय तत्व (जैसे कि चोकर, कणिकाएं, खरपतवार के बीज और अन्य खाद्य और अखाद्य अनाज) लिए जाते हैं। निर्यातकों को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह मान लिया कि जैसाकि कोडैक्स मानकों में उल्लेख है 2 प्रतिशत विजातीय तत्व में 0.5 प्रतिशत तक अकार्बनिक तत्व शामिल होंगे। शिष्टमण्डल को यह भी सूचित किया गया कि इराकी फ्लोर मिलों में अकार्बनिक तत्वों को अलग करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उनके यहां ऐसी मशीनों के रखरखाव के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कल पुर्जों की समस्या है। शिष्टमण्डल को यह भी सूचित किया गया था कि इराक ने अन्य विभिन्न देशों से आए गेहूं को भी इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया था। चूंकि खेप कोडैक्स मानकों के अनुरूप थी इसलिए दुबई में इसे स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) से (ङ) भारत से भेजी गई गेहूं की खेपों को अस्वीकार करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए थे कि इराक को गेहूं और खेप तब तक न भेजी जाए तब तक ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक की विनिर्दिष्टियों को पूरा करने के लिए उसकी सफाई न कर दी जाए। भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश भी दिया गया है कि कांडला पत्तन अथवा किसी अन्य पत्तन जिससे निर्यात होता हो उस पर सफाई की सुविधाएं स्थापित करें।

आधारभूत सुविधा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4940. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मदद से आधारभूत सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) क्या इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में कोई कार्यवाही की गई; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर कितना निवेश किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सरकार ने आधारभूत ढ़ांचा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए दूरगामी उपाय किए हैं। विद्युत, परिशोधन, सड़क और राजमार्ग, पत्तन और बंदरगाह जैसे अधिकतर आधारभूत ढ़ांचे के क्षेत्रों को स्वत: मार्ग के अन्तर्गत रखा गया है जिनमें सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है और 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। दूर-संचार, नागर विमानन, मेट्रो रेलवे और नगर विकास जैसे क्षेत्रों में भी निवेश नीति को उदार बनाया गया है।

(ख) उपर्युक्त उदारीकृत नीति कर्नाटक राज्य पर भी लागू है। कर्नाटक देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की चौथी सर्वाधिक राशि आकर्षित करता है।

(ग) कर्नाटक में जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 2000 तक आधारभूत ढांचा क्षेत्र में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि 4808.14 करोड़ रुपए है जो कर्नाटक के लिए अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 41.31 प्रतिशत है।

दूतावासों को लिखे गए पत्र

4941. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूतावासों को इस आशय के पत्र भेजे हैं कि वे राज्य सरकारों से कोई वार्ता आरंभ करने से पहले केन्द्र को अवगत कराएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे विदेशी संस्था से कोई वार्ता आरंभ करते समय केन्द्र को सूचित करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग विदेशी निधियन अभिकरणों के साथ सभी लेने-देनों के लिए नोडल प्रशासनिक विभाग है। इसी अधिकार से विभाग ने एक ओर संबंधित विदेशी निधियन अभिकरणों/विदेशी दूतावासों को तथा दूसरी ओर राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों को निम्नांकित के लिए अपनायी जाने वाली उपयुक्त प्रक्रियाओं के संबंध में संबोधित किया है :-

(1) विदेशी सहायता वाले सभी नीतिगत तथा परियोजना प्रस्ताव; तथा

(2) दूसरे देशों/दानकर्ता अभिकरणों के निमंत्रण पर विदेश में सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, आदि में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रायोजित किया जाना।

ये दिशानिर्देश संवैधानिक प्रावधानों के संगत नीति एवं प्रक्रिया के सामंजस्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इन दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

मै० भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में अनियमितताएं

4942. श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान मै० भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त कंपनी द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/अथवा उठाए जाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भर्ती और क्रय में भारी अनियमितता, प्रबंधन द्वारा अधिकार (Authority) का दुरुपयोग तथा निधियों के गबन के आरोप की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) निधियों के गबन के मामले में एक मामला सी.बी.आई. पटना में पंजीकृत किया गया है। कंपनी का मुख्य सतर्कता अधिकारी शिकायतों की जांच कर रहा है।

राजस्व में वृद्धि करने हेतु विशेषज्ञ पैनल

4943. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर प्रसारण केन्द्रों को स्थापना की गई है और वहां पर स्थापित ट्रांसमीटरों की क्षमता और रेंज कितनी हैं;

(ख) क्या जयपुर केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रमों की तरंगें पहाड़ियों की रुकावटों के कारण बहुत कमजोर हैं और इसके कारण इन कार्यक्रमों को वृहत जयपुर में नहीं देखा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन के नेटवर्क में वर्तमान में कार्य कर रहे 1212 टीवी ट्रान्समीटरों के स्थान संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। दूरदर्शन नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के ट्रान्समीटरों की अलग-अलग क्षमता इस प्रकार है :

1. उच्च शक्ति ट्रान्समीटर (एचपीटी) : 10 किलोवाट (के डब्ल्यू), 5 कि.वा. और 1 कि.वा.
2. अल्प शक्ति ट्रान्समीटर (एलपीटी) 500 वाट (डब्ल्यू) 300 वाट और 100 वाट
3. अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर (बीएलपीटी) 30 वाट और 10 वाट
4. ट्रान्सपोजर (एक्स एस ई आर): 10 वाट

10 कि.वा. क्षमता का एक उच्च शक्ति ट्रान्समीटर लगभग 70 कि.मी. की रेन्ज में प्राथमिक कवरेज उपलब्ध कराता है और 5 कि. वा. क्षमता या 1 कि.वा. क्षमता वाले उच्च शक्ति ट्रान्समीटर की प्राथमिक कवरेज रेन्ज लगभग 40 कि.मी. है। एक अल्प शक्ति ट्रान्समीटर की प्राथमिक कवरेज रेंज लगभग 15-20 कि.मी. तथा अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर/ट्रान्सपोजर की प्राथमिक कवरेज रेंज लगभग 6-8 कि.मी. है।

(ख) और (ग) जयपुर स्थित दोनों उच्च शक्ति ट्रान्समीटरों (डीडी 1 तथा डीडी-2) के बारे में सूचना मिली है कि वे अपने कवरेज जोन में संतोषजनक कवरेज प्रदान करके सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, स्थानीय भू-भागीय परिस्थितियों के कारण वहां कुछ छाया क्षेत्र हैं। इस समस्या से निपटने के लिए दूरदर्शन ने ऐसे दो स्थानों अर्थात् लालसोट तथा जमुआ रामगढ़ में ट्रान्सपोजर स्थापित किए हैं।

विवरण

दूरदर्शन ट्रांसमीटर
(15.8.2001 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र

आंध्र प्रदेश

उ. श. ट्रां. (10)

अनन्तपुर	नन्दयाल	विजयवाडा
हैदराबाद	राजमुन्दरी	विशाखापत्तनम
कुरनूल	तिरूपति	हैदराबाद (डीडी-2)
विजयवाडा (डीडी-2)		

अ.श.ट्रां. (67)

आकमेण्ट	कादिरी	निजामाबाद
अदिलाबाद	काकीनाडा	ओंगले
अदोनी	कामारेड्डी	प्रोडुत्तूर
अलगड्डा	करीमनगर	राजमपेट
अमलापुरम	कावाली	रामागुंडम
बांसवाडा	खम्मम	सिद्दीपेट
बेलमपल्ली	कोसगी	सिरकाकुलम
भद्राचलम	कोथागुडम	तम्बलापल्ली
भैंसा	कुप्पम	तन्दूर
भीमाडोलू	एल.आर. पल्ली	टेवकाली
भीमावरम	मचेरला	तिरूपति
बोब्बिली	मदनापल्ली	तुनी
चित्तूर	मन्दारण	उदयगिरि
कुड्डाण	मरकापुर	वेलदाण्डा
दरसी	मेडक	विणुकोंडा
देवरकोंडा	मेहबूबनगर	विशाखपत्तनम
इमिगानूर	नागर करनूल	वानाणर्थी
गडवाल	नालगोंडा	वारंगल
गिद्दलूर	नारायणपेट	येल्लान्दु
गुंटाकल	नरसारावपेट	आत्माकुर (डीडी-2)
हिन्दुपुर	नेल्लोर	मचिरा (डीडी-2)
जदचेरला	निर्मल	पेडनानटिणडु (डीडी-2)
जगतियाल		

अ. अ. श. ट्रां. (6)

चिन्तापल्ली	पेडेरू	सीतामपेटा
इच्छापुरम	पार्वतीपुरम	श्रीसलेम

ट्रांसपोजर (1)

विजयवाडा

अरुणाचल प्रदेश

उ. श. ट्रां. (1)

इटानगर

अ.श.ट्रा. (4)

मियाओ	तेजू	
पासीघाट	इटानगर (डीडी-2)	

अ. अ. श. ट्रां. (41)

अलोंग	हायूलियांग	रागा
अनिनी	हुनली	राईंग
बरिंजो	इन्क्योंग	रूण
बासर	क्लकतंग	सागाली
बोलंग	केईंग	संग्राम
बोमडिला	खीमयोंग	सेईजोसा
चांगलांग	खोंसा	सेप्पा

	चायंगताजो	लिरोमोबा	तालिहा
	डापोरिजो	मारियांग	तवांग
	दराक	मेचुका	तिरबिन
	दिरंग	मुक्तो	तुतिंग
	गेकु	नामपोंग	योमचा
	जेन्सी	नामसई	जीरो
	हवाई	पालिन	
	ट्रांसपोजर (1)		
	संखोव्यू		
असम	उ. श. ट्रां. (5)		
	डिब्रूगढ	सिलचर	सिलचर (डीडी-2)
	गुवाहाटी	गुवाहाटी (डीडी-2)	
	अ. श. ट्रां. (21)		
	बोकाघाट	हाफ्लोंग	नागांव
	बोंगईगांव	हातसिंहमारी	नाजिरा
	धुबरी	होजई	उत्तरी लखीमपुर
	दिफू	जोरहाट	सोनारी
	गोयलपाड़ा	कोकराझार	तेजपुर
	गोहपुर	लुमडिंग	तिनसुखिया
	गोलाघाट	मारचेरिट्टा	डिब्रूगढ़ (डीडी-2)
	अ. अ. श. ट्रां. (1)		
	दिग्बोई		
	ट्रांसपोजर (1)		
	गुवाहाटी		
बिहार	उ. श. ट्रां. (5)		
	कटिहार	पटना	मुजफ्फरपुर (डीडी-)
	मुजफ्फरपुर	पटना (डीडी-2)	
	अ. श. ट्रां. (29)		
	औरंगाबाद	जुमई	रोसेरा
	बेगुसराय	खगडिया	सहरसा
	बेत्तिया	लखीसराई	सासाराम
	भागलपुर	मधेपुरा	शेखपुरा
	बक्सर	मधुबनी	सिकन्दरा
	दरभंगा	मोतिहारी	सिमरी बख्तियारपुर
	दौडनगर	मुंगेर	सीतामढ़ी
	फॉरबेसगंज	नवादा	सिवान
	गया	फूलपारस	सुपौल
	गोपालगंज	रक्सौल	
छत्तीसगढ़	उ. श. ट्रां. (3)		
	जगदलपुर	रायपुर	रायपुर (डीडी-2)
	अ. श. ट्रां. (14)		
	अम्बिकापुर	कंकेर	पेंडरा रोड
	बेलाडिला	कोरबा	रायगढ़
	बिलसापुर	कुरासिया	राझरा झारनडिली
	चाम्प	मनिन्दरगढ़	सक्ति
	डुंगरगढ़	नारायणपुर	
	अ. अ. श. ट्रां. (7)		
	बीजापुर	कोलिबेडा	पाथलगांव
	जसपुरनगर	पाखनजोर	सारंगगढ़
	कोंडागांव		

गोवा

उ. श. ट्रां. (2)

पणजी	पणजी (डीडी-2)	

गुजरात

उ. श. ट्रां. (5)

अहमदाबाद	द्वारका	अहमदाबाद (डीडी-)
भुज	राजकोट	

अ. श. ट्रां. (61)

आहवा	ईदर	पाटन
अम्बाजी	जमजोधपुर	पोरबन्दर
अमोद	जामनगर	पुनानद्रो
अमरेली	झागडिया	राधनपुर
बन्तवा	जूनागढ़	राजपिपला
भाब्बर	केवडिया कालोनी	राजुला
भरूच	खम्बालिया	रापड़
भावनगर	खम्बाट	संजेली
बोतड	कोसम्बा	श्यामलाजी
छोटा उदयपुर	लिमडी	सोनगढ़
दान्डी	लुनावाडा	सूरत
डेडियापाड़ा	महुआ	सुरेन्द्रनगर
दीसा	मंगरोल(जूनागढ)	थराड
देवगढ बारिया	मंगरोल(सूरत)	उमरगांव
धामधूखा	मेहसाना	उना
धरंगधरा	मोदासा	वडोदरा
धारी	मोरवी	वलसाद
धर्मपुर	नवसारी	वेरावल
धोराजी	पालनपर	व्यारा
दोहाड	पालिताना	गांधीनगर (डीडी-2)
गोधरा		

अ. अ. श. ट्रां. (3)

काकरापार	नेतरंग	सागवाड़ा

हरियाणा

अ. श. ट्रां. (16)

भिवानी	रेवाड़ी	महेन्द्रगढ़
चरखी दादरी	रोहतक	करनाल (डीडी-2)
हिसार	सिरसा	यमुनानगर (डीडी-1)
जिन्द	तोहाना	मण्डी डबवाली (डीडी-2)
मेहम	फिरोजपुर झिरका	भिवानी (डीडी-2)

हिमाचल प्रदेश

उ. श. ट्रां. (3)

कसौली	शिमला	शिमला (डीडी-2)

अ. श. ट्रां. (9)

बिलासपुर	मनाली	सुन्दर नगर
धर्मशाला	मण्डी	सुजानपुर
कुल्लू	रामपुर	मण्डी (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (32)

आझू फोर्ट	हमीरपुर	परवानू
आशापुरी	होली	पिरभयानू
बैजनाथ	जाहलमा	रोहरू
बन्डला	जोगिन्दरनगर	सरकाघाट
बंजर	कलपा	शिवबादर
भारमौर	करसोग	थाणेदार
भारती	केलोंग	तिसा

	चम्बा	खड़ा पत्थर	उदयपुर
	चौपाल	काटखई	उना
	चाऊरी खास	निचार	वीर
	दियार	पालमपुर	
	ट्रांसपोजर (2)		
	राजगढ़	सोलन	
झारखण्ड	उ. श. ट्रां. (4)		
	डाल्टनगंज	रांची	जमशेदपुर
	रांची (डीडी-2)		
	अ. श. ट्रां. (16)		
	भरवा	घाटशिला	कोडरमा
	बोकारो	गिरिडीह	लोहारदागा
	चाईबासा	गोड्डा	मुशाबनी
	देवघर	गुमला	नौमुण्डी
	धनबाद	हजारीबाग़	सराईकेला
	डुमका		
	अ. अ. श. ट्रां. (2)		
	सिमडेगा	गरहवा (डीडी-2)	
	ट्रांसपोजर (1)		
	रामगढ़ हिल		
जम्मू एवं कश्मीर	उ. श. ट्रां. (9)		
	जम्मू	पूंछ	जम्मू (डीडी-2)
	कथुआ	श्रीनगर	पूंछ (डीडी-2) (अंतरिम)
	लेह	श्रीनगर (डीडी-2)	श्रीनगर (कशीर चै.)
	अ. श. ट्रां. (16)		
	अनन्तनाग	कारगिल	राजौरी
	अवन्तीपुरा	नौशेरा	रियासी
	बन्दीपुरा	पूंछ	बूसान
	बारामुल्ला	क्वैजिगुंड	कथुआ (डीडी-2)
	चौकीबल	राजधानीपास	लेह (डीडी-2)
	अ. अ. श. ट्रां. (55)		
	अब्रन	हान्ले	पहलगाम
	अर्ध कुमारी	हीरा नगर	पनामिक
	आशमुकाम	कालाकोट	रामबन
	बारामुल्ला	कंगन	रामकोट
	सियाचिन (बेसकैम)	खलसी	रिंगडम गोम्पा
	बटालिक	किलोहत्रन	साम्बा
	बटोट	किश्तवार	संकू
	भदरवा	कोटरंका	शोपियान
	बिलावर	कुड	सोनमार्ग
	बोध खुरबू	कुपवाडा	टंग्स्टे
	बुधल	लोलब वैली	थानामण्डी
	चुमथांग	माचिल	तिमसोगम
	चुशूल	महोरे	टिथवाल
	दाह	मंजाकोट	त्रिगाम
	दासकिट	मेन्धर	तुटोक
	डोडा	मुलबेख	उधमपुर
	डोमचक	नयेमा	उरी
	द्रास	नौगाम	
	गुरेज	पदम	
	ट्रांसपोजर (1)		
	सुरनकोट		

कर्नाटक उ. श. ट्रां. (7)

बंगलोर	शिमोगा	मंगरोल
धारवाड	हासन	बंगलोर (डीडी-2)
गुलबर्गा		

अ. श. ट्रां. (43)

अरसीकेरे	गदाग बेतगड़ी	मुदिगेरे
अथली	गंगावती	मैसूर
बागलकोट	गोकाक	पावागाडा
बंतवाल	हरफनहाली	पुत्तूर
बासवा कल्याण	हाथीहल	रायचुर
बेलगाम	हिरियूर	रामदुर्ग
बेल्लारी	होलेनरसिपुर	रानीबेन्नूर
भातकल	हॉसदुर्ग	सागर
बिदर	हास्पेट	संदूर
बीजापुर	हुंगोंड	सिरसी
चिकमंगलूर	कारवार	टिफ्तूर
चिकोडी	कोलार गोल्ड फिल्ड	तुमकुर
चित्रदुर्ग	कुमटा	उडिपी
दान्डेली	मंड्या	
दावनगेरे	मेडिकेरी	

अ. अ. श. ट्रां. (4)

बदामी	सकलेशपुर
मधुगिरि	सुल्या

केरल उ. श. ट्रां. (5)

कालीकट	त्रिवेन्द्रम	कोचीन (डीडी-2)
कोचीन	त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)	

अ. श ट्रां (21)

अदूर	काननगढ़	पुनालूर
अट्टापाडी	कासरंगोड	शोरानूर
कन्नानोर	कयामकुलम	तेल्लिचेरी
चांगनाचेरी	मल्लापुरम	थोड़पुजा
चेंगानूर	पाला	त्रिचूर
इदुक्की	पालघाट	कालीकट (डीडी-2)
कलपेट्टा	पथनामथिट्टा	कन्नानोर (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (2)

देवीकोलम
कंजिरापल्ली

मध्य प्रदेश उ. श. ट्रां. (7)

भोपाल	जबलपुर	इन्दौर (डीडी-2)
ग्वालियर	भोपाल (डीडी-2)	जबलपुर (डीडी-2)
इन्दौर		

अ. श. ट्रां. (62)

आगर	ईटारसी	पंचमढ़ी
अलीराजपुर	जाओरा	पन्ना
अशोकनगर	झाबुआ	पिपरिया
बडा मलहेरा	कराईरा	राघोगढ़
बडवानी	केलारस	राजगढ़
बालाघाट	खण्डवा	रतलाम
बैतूल	खरगौन	रीवा
भंडेर	खुरई	सागर

भानपुरा	कुकडेश्वर	सतना
भींड	कुक्शी	सीओनी
बिजयपुर	कुरवई	शहडोल
बुरहानपुर	लाहर	शाजापुर
चंदेरी	मेहर	शीयोपुर
छत्रपुर	मलांजखाण्ड	शिवपुरी
छिन्दवाड़ा	मन्डला	सिधी
दमोह	मंदसोर	सिंगरौली
दतिया	मुलताई	सिरोंज
गदरवाड़ा	मुरवाड़ा	सीतामऊ
गरोट	नागदा	टिकमगढ़
गुना	नरसिंहपुर	उज्जैन
हरदा	नीमच	

अ. अ. श. ट्रां. (4)

बुधनी	पारासिया	
दियामोंड मीनिंग प्रोजे.	सिंगरौली	

महाराष्ट्र

उ. श. ट्रां. (7)

अम्बाजोगई	मुम्बई (डीडी-2)	पुणे
औरंगाबाद	नागपुर	नागपुर (डीडी-2)
मुम्बई		

अ. श. ट्रां. (79)

अचलपुर	हिंगनघाट	पंढरपुर
अकोट	हिंगोली	परभणी
अहेरी	इचलकरंजी	पाटन (सतारा)
अहमदनगर	जलगांव	फाल्टन
आकलकोट	आलना	पुलगांव
अकलुज	कंकौली	पुसद
अकोला	कराड	राजापुर
अमलनेर	कारंजा	रत्नागिरि
अमरावती	खामगांव	रिसोड
अर्वी	खानपुर	संगमनेर
बर्शी	खोपोली	सांगली
भंडारा (डीडी-2)	किनवट	सतना
भुसावल	कोल्हापुर	सतारा
बीड	महाद	शहाद
ब्रह्मपुरी	मालेगांव	शीरपुर
बुलढाणा	मंगल वेढा	शोलापुर
चन्द्रपुर	मानगांव	सिरोंचा
चांदुर	मनमाड	तुमसर
चिखली	महेकर	उमरगा
चिपलुन	म्हास्ले	उमरखेड
दर्यापुर	मोर्शी	वणी
देवरूख	नांदेड	वर्धा
धर्माबाद	नन्दुरबार	वशिम
धूले	नाशिक	यवतमाल
दिग्लूर	नवापुर	अम्बाजोगई (डीडी-2)
गढचिरोली	उस्मानाबाद	
गोंदिया	पांढरकवडा	

अ. अ. श. ट्रां. (19)

अर्जुनी	जुन्नार	मल्कापुर

	आष्टी	कारंजा (वर्धा)	मालवां
	बदलापुर	कारजाट	पिंपलनेर-सकरी
	भोकर	खेड	साकोली
	चिकलधरा	कोरेगांव	सिंदेवाही
	चिमुर	कुरखेडा	तिवसा
	वाई		

ट्रांसपोजर (1)

औरंगाबाद

मणिपुर

उ. श. ट्रां. (1)

इम्फाल

अ. श. ट्रां. (2)

उखरूल	इम्फाल (डीडी-2)	

अ. अ. श. ट्रां. (6)

चंदेल	कांगपोकपी	सेनापति
चुराचांदपुर	मोरेह	जिरीबाम (डीडी-2)

मेघालय

उ. श. ट्रां. (3)

शिलांग	तुरा	तुरा (डीडी-2)

अ. श. ट्रां. (3)

जोवाई	विलियमनगर	शिलांग (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (2)

बाघमारा	नांगस्टोइन

ट्रांसपोजर (1)

शिलांग

मिजोरम

उ. श. ट्रां. (2)

ऐजवाल	लुंगलेई

अ. श. ट्रां. (2)

ऐजवाल (डीडी-2)	लुंगलेई (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (2)

चाम्फई	सैहा

ट्रांसपोजर (1)

ऐजवाल

नागालैंड

उ. श. ट्रां. (2)

कोहिमा	मोकोकचुंग

अ. श. ट्रां. (4)

दीमापुर	कोहिमा (डीडी-2)
तुनसांग	मोकोकचुंग (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (6)

मोन	मताखा	वोखा
फेक	शामतोरी	जुनेहबोटो

ट्रांसपोजर (1)

कोहिमा

उड़ीसा

उ. श. ट्रां. (6)

बालेश्वर	कटक	कटक (डीडी-2)
भवानीपटना	सम्बलपुर	सम्बलपुर (डीडी-2)

अ. श. ट्रां. (67)

अनन्दपुर	जैपोर	पारादीप
अंगुल	जोडा	पारलाखेममुंडी
अथामलिक	कविसूर्यनगर	पटनागढ़
बोलनगिर	कामाख्यानगर	फुलबनी
बलियापल (डीडी-2)	करंजिया	पुरी

बालीगुरहा	केन्द्रपाडा (डीडी-2)	रायरंगपुर
बानापुर	क्योंझरगढ़	राजगंगापुर
बारगढ	खंडपाडा	राजरंगपुर
बारीपाडा	खरियार	रायागाडा
बहरामपुर	कोरापुट	रेधाखोल
भद्रक	कोटपाड	राउरकेला
भांजानगर	कुचिन्दा	सिम्लगुडा
भूबन	लुथेरपुंक	सोहेला
बिरमित्रपुर	मल्कानगिरि	सोनपुर
बोनई	मोहाना	सुन्दरगढ़
बौध	नरसिंहपुर	तलचेर
ब्राजराजनगर	नवरंगपुर	उमरकोट
दसरथपुर	नौपाडा	भुवनेश्वर (डीडी-2)
देवगढ	पदमपुर	धेनकनाल (डीडी-2)
धेनकनाल	पदमापुरम	दुधारकोट (डीडी-2)
दुर्गापुर	पदुआ	तीर्थल (डीडी-2)
जी. उदयगिरि	पल्लाहारा	बालेश्वर (डीडी-2)
गोंदिया		

अ. अ. श. ट्रां. (19)

औल	कोकसारा	सिमलीपालगढ
बडा बारबिल	लांजीगढ़	सुकिन्दा
बारापल्ली	मच्छकुंड	थोऊमल रामपुर

पंजाब

चित्रकोंडा	नागची	राउरकेला (डीडी-2)
जयापटना	नयागढ	ललितगिरि (डीडी-2)
कलमपुर	पैकमल	
काशीपुर	सबडेगा	
ट्रांसपोजर (1)		
सुनाबेडा		

उ. श. ट्रां. (4)

अमृतसर	जालंधर	
भटिंडा	फाजिल्का(अंतरिम)	

अ. श. ट्रां. (6)

अबोहर	गुरदासपुर	पटियाला
फिरोजपुर	पठानकोट	जालंधर (डीडी-2)
ट्रांसपोजर (1)		
तलवाड़ा		

राजस्थान

उ. श. ट्रां. (8)

बाडमेर(अंत.)	जैसलमेर	जयपुर (डीडी-2)
बूंदी	जोधपुर	जोधपुर (डीडी-2)
जयपुर	बजमेर (अंत.)	

उ. श. ट्रां. (66)

अलवर	नवलगढ	फालोदी
अनूपगढ	तारानगर	पिलानी
बंसी	गंगापुर (एस.एम.पुर)	प्रतापगढ़
बांसवाड़ा	हनुमानगढ़	रायसिंहनगर

बारन	हिन्डौन	राजगढ़ (चुरू)
बडी सदरी	जैसलमेर	रतनगढ़
बाड़मेर	जालोर	रावतसर
बासवा	झालावाड़	सागवाड़ा
बीयावर	झुनझुनू	सलुमबेर
भद्रा	करनपुर	शारदाशहर
भरतपुर	करौली	सवाईमाधोपुर
भीलवाड़ा	केसरियाजी	शाहपुरा
बीकानेर	खेतरी	सिकर
चिरवा	कठपुतली	सिरोही
चित्तौड़गढ़	वल्लभनगर	श्रीडुंगरगढ
चुरू	माउंट आबू	सुजानगढ़
डीग	नागौर	सुरतगढ
बाली	नाथद्वारा	टोंक
नागर	नीमज	उदयपुर
डुंगरपुर	नोहर	किशनगढ़-बास (अलवर)
गंगानगर	नोखा	मकराना
कुशालगढ़	पाली	कोटा (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (18)

अमेट	गंगापुर	राजगढ़ (अलवर)
आंधी	कटरा	रावतभाटा
भीम	कुम्भलगढ़	सिकरई
चऊमहला	लक्ष्मणगढ़	तिबी
देवगढ़	मण्डलगढ़	विराटनगर

सिक्किम

उ. श. ट्रां. (1)

गंगटोक

अ. श. ट्रां. (1)

गंगटोक (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रां. (5)

ग्यालसिंग	नामची	सिंगतम
मांगन	रांगपो	

तमिलनाडु

उ. श. ट्रां. (6)

चेन्नई	रामेश्वरम	चेन्नई (पोडिगई चैनल)
कोडईकनाल	चेन्नई (डीडी-2)	कुम्बकोणम (अंतरिम)

अ. श. ट्रां. (40)

अरनी	नागरकोईल	तिरूवईयारू
आरकोट	नट्टम	टिन्डीवनम
अट्टूर	देनकानिकोट्टा	तिरूचेन्दुर
चेय्यर	परनामपेट	तिरूचिरापल्ली
कोयम्बतूर	चिदम्बरम	तिरूनेलवेली
कूनूर	वंदावासी	तिरूपत्तूर
कोर्टलम	नेवेली	तिरूवन्नामलाई
कुड्डालोर	पट्टूकोट्टई	तूतिकोरिन
धर्मापुरी	पुदुकोट्टई	उदागमंडलम
गुडियातम	राजापलायम	उदुमालपेट
कृष्णागिरि	सलेम	वनियामबाडी

फतेहपुर	नीम का थाना	जवार माइन्स

ट्रांसपोजर (2)

जमुवा रामगढ़	लालसोंट

	मरथांदम	शंकरांकोविल	वल्लोर
	मयूरम	तंजावूर	विल्लुपुरम
	नागपट्टीनम		
	अ. अ. श. ट्रां. (5)		
	वल्लीयूर	वजा पाडी	मेट्टूपलायम
	वलपराई	गिनेजी	
	ट्रांसपोजर (2)		
	डिंडीगुल	कांचीपुरम	
त्रिपुरा	उ. श. ट्रां. (2)		
	अगरतला	अगरतला (डीडी-2)	
	अ. श. ट्रां. (3)		
	केलासहर	तेलियामूरा	केलासहर (डीडी-2)
	अ. अ. श. टां. (1)		
	धर्मनगर		
	ट्रांसपोजर (1)		
	बेलेनिया		
उत्तर प्रदेश	उ. श. ट्रां. (14)		
	आगरा	लखनऊ	
	इलाहाबाद	मऊ	
	बरेली	वाराणसी	
	गोरखपुर	लखनऊ (डीडी-2)	वाराणसी (डीडी-2)
	कानपुर	इलाहाबाद (डीडी-2)	आगरा (डीडी-2)
			बांदा
	अ. श. ट्रां. (59)		
	अकबरपुर	हरदोई	पुरनपुर
	अलीगढ़	जगदीशपुर	रायबरेली
	अमरोहा	झांसी	रामपुर
	अथडामा	करबी	रथ
	औरैया	कासगंज	रूदाली
	बहराइच	कोसी	सम्बल
	बलिया	लखीमपुर	शाहजहांपुर
	बलरामपुर	लांल गंज (रायबरेली)	सिकन्दरपुर
	बस्ती	ललितपुर	सीतापुर
	छिब्रमऊ	महोबा	सुल्तानपुर
	देबरिया	महरोनी	तालबेहात
	दूधीनगर	मैनपुरी	थिरबा
	एटा	मऊ रानीपुर	आजमगढ़ (डीडी-2)
	इटावा	मौहम्मदाबाद	कानपुर (डीडी-2)
	फैजाबाद	मुरादाबाद	लालगंज (प्रतापगढ़) (डीडी-2)
	फर्रुखाबाद	नानवारा	मथुरा (डीडी-2)
	फतेहपुर	नौगढ़	मऊ (डीडी-2)
	गजदुन्दपाड़ा	ओबरा	रामपुर (डीडी-2)
	गौरीगंज	ओराई	रातरा (डीडी-2)
	गोंडा	पीलीभीत	
	अ. अ. श. ट्रा. (4)		
	कुकिया नंगल	मानकपुर	
	मानिकपुर	ठाकुरद्वारा (डीडी-2)	
	ट्रांसपोजर (1)		
	चुर्क		

उत्तरांचल उ. श. ट्रां. (2)

मसूरी मसूरी (डीडी-2)

अ. श. ट्रा. (13)

चम्पावत	काशीपुर	न्यू टिहरी
डाक पत्थर	कोटद्वार	पौडी
हल्द्वानी	नैमीडांडा	पिथौरागढ़
हरिद्वार	नैनीताल	टनकपुर
कालागढ़		

अ. अ. श. ट्रा. (29)

अल्मोड़ा	घन्डयाल	ओखीमठ
बद्रीनाथ	गोपोश्वर	पोखरी
बागेश्वर	जोशीमठ	प्रतापनगर
बसोत	कलजोखाल	राजग्रही
भटिआरी	कर्णप्रयाग	रानीखेत
चौखटिया	कसौनी	रूद्रप्रयाग
देवप्रयाग	मानेश्वर	साहिया
धारचूला	मुनशियारी	थराली
डीडीहाट	नंदप्रयाग	उत्तरकाशी
गज्जा	नागांवखाल	

ट्रांसपोजर (2)

मसूरी श्रीनगर

प. बंगाल उ. श. ट्रा. (9)

आसनसोल	कुर्सियांग	कलकत्ता (डीडी-2)
कलकत्ता	मुर्शिदाबाद	आसनसोल (डीडी-2)
कृष्णनगर	मुर्शिदाबाद (डीडी-2)	कलकत्ता (बंगला चैनल)

अ. श. ट्रा. (21)

अलीपुरद्वार	दार्जलिंग	मालदा
बलरामपुर	फरक्का	मिदनापुर
बलूरघाट	गढ़बीटा	पुरूलिया
बर्धमान	झारग्राम	रानाघाट
बिष्णुपुर	कलिमपोंग	राइना
कौन्तई	कालना	शांतिनिकेतन
कूच बिहार	खड़गपुर	बासंती (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रा. (3)

एगरा	झालदा	बागमंडी

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह कार निकोबार पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर (डीडी-2)

अ. अ. श. ट्रा.

बारातंग	हेबलांक	मायाबुन्डर
कैम्पबेल बे	हटबे	नानकोवरी
दिग्लीपुर	कच्चल	रंगत

ग्रेट निकोबार

चण्डीगढ़ अ. श. ट्रां

चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ (डीडी-2)

दादर और नगर हवेली अ. श. ट्रा. (1)
सिलवासा

दमन और दीव अ. श. ट्रा (2)

दमन दीव

दिल्ली उ. श. ट्रा.

दिल्ली दिल्ली (डीडी-2)

	अ. श. ट्रा. (2)		
	दिल्ली (लोक सभा)		
	दिल्ली (राज्य सभा)		
लक्षद्वीप	अ. श. ट्रा. (1)		
	काबारत्ती		
	अ. अ. श. ट्रा. (9)		
	अगाती	बेतलात	किल्टॉन
	अमीनी	कदमात	मिनिकॉय
	अंदरोत	बालपेनी	काबारत्ती (डीडी-2)
पांडिचेरी	अ. श. ट्रा. (3)		
	कड़ैकाल	पांडिचेरी	पांडिचेरी (डीडी-2)
	अ. अ. श. ट्रा. (2)		
	माहे		
	यनम		

[अनुवाद]

उड़ीसा द्वारा वित्तीय संकट का सामना किया जाना

4944. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य सरकार राज्य में एक के बाद एक बाढ़ आने के कारण गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को वित्तीय संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राजस्व वसूली के निर्धारित व्यय से कम होते जाने तथा आपदा राहत के साथ-साथ गैर-योजना खर्च के बढ़ते जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों से उड़ीसा सरकार की वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली गई है।

(ख) राहत की जरूरतों से तुरन्त निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए (तदर्थ आधार पर) की राशि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत जारी कर दी गई थी। यह आपदा राहत कोष की 86.21 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त है जो कि वर्ष 2001-02 के लिए भारत सरकार का अंशदान है। राज्य की प्राप्तियों और व्यय के बीच अस्थायी विषमताओं को केन्द्र द्वारा जारी संयुक्त साध्य राशियों द्वारा पूरा किया जाता है।

शेयरों की निजी बिक्री और प्राथमिकता आधार पर आवंटन

4945. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयरों की निजी बिक्री और प्राथमिकता के आधार पर इनके आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) शेयरों को इस प्रकार जारी करने से प्रीमियम किस प्रकार वसूला जाता है;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इस संबंध में क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूर्ववर्ती प्रावधान क्या थे;

(ङ) क्या बेइमान प्रवर्तकों द्वारा इस प्रक्रिया के दुरुपयोग के कारण छोटे निवेशकों को भारी घाटा उठाना पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वस्तु विनिमय एक्सचेंज

4946. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्तु विनिमय एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में प्रस्तावित एक्सचेंज की स्थापना हेतु सभी संभावित सहायता की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। कोर ग्रुप की सिफारिशों के अनुसरण में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के परिसंघ, आई सी आई सी आई, महिन्द्रा एंड पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को सरकार ने जुलाई, 2001 में नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज स्थापित करने की सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी थी। प्रवर्तक परिसंघ के द्वारा देरी किए जाने के कारण नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज अभी तक चालू नहीं हो पाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कमोडिटी एक्सचेंज (नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज सहित) सरकारी संगठन नहीं हैं। उनका गठन इच्छुक निजी निकायों/व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है और उनको कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। केन्द्र सरकार सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है।

गारंटी शुल्क की वसूली

4947. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा जारी की जाने वाली गारंटी के लिए निर्धारित दर पर गारंटी शुल्क लगाने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के मंत्रालयों/सरकारी विभागों द्वारा जारी की गई गारंटी का मूल्य कितना है;

(ग) इन गारंटियों के संबंध में एकत्रित गारंटी शुल्क की धनराशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार कई मामलों में गारंटी शुल्क एकत्रित करने में असफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गारंटी शुल्क की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को गारंटीशुदा बकाया राशि निम्नानुसार थी :-

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1998	73,877.00
1999	74,606.12
2000	83,954.28

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान संग्रहीत गारंटी शुल्क की राशि निम्नानुसार थी :-

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1997-1998	220.70
1998-1999	320.35
1999-2000	280.07

(घ) से (च) प्रत्येक मामले में गारंटी शुल्क के वास्तविक संग्रहण संबंधी आंकड़े केन्द्र के पास नहीं रखे जाते। तथापि, गारंटियों को तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि पूर्वावधि के लिए विनिर्दिष्ट शुल्कों का भुगतान न कर दिया गया हो।

बांग्लादेश द्वारा चावल के आयात पर रोक

4948. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश द्वारा भारत से चावल के आयात पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे भारतीय निर्यात पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार द्वारा बांग्लादेश के इस निर्यात से उत्पन्न स्थिति का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का निर्यात

4949. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने सरकार से नई नीति जो भारतीय खाद्य निगम से सीधे गेहूं खरीदने के लिए निजी व्यापार की अनुमति देती है का पूर्णरूप से लाभ उठाने के लिए गेहूं निर्यात निविदाओं में हिस्सेदारी हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाई गई शर्तों से स्थापित निर्यातकों को छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी इस संबंध में विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन सुझावों की जांच कर रही है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुझावों को क्रियान्वित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स के सुझाव इस प्रकार हैं:-

(i) निविदा प्रणाली को समाप्त करना और निर्यातकों को एक निर्धारित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदने की अनुमति देना।

(ii) नियमों और कार्यप्रणाली को सरल बनाना।

(iii) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साफ गेहूं की आपूर्ति करना।

(iv) भारतीय खाद्य निगम की वसूली प्रणाली को मजबूत बनाना—किसानों से गेहूं और चावल को खरीदते समय भारतीय खाद्य निगम द्वारा कड़े गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देना ।

(घ) से (च) भारतीय खाद्य निगम को गेहूं 4200 रुपए प्रति टन, रॉ चावल 5650 रुपये प्रति टन और सेला चावल 6000 रुपए प्रति टन की दर से निर्यात करने के अनुमति का प्रस्ताव दिया गया है। निर्यात सुविधाओं के लिए परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने ऐसे नियम और प्रक्रियाएं बनाई हैं जिससे निर्यात के लिए लक्षित गेहूं और चावल वास्तव में निर्यात हों। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार स्टाकों के विपथन को रोकने के लिए बैंक गारंटी उपलब्ध कराना आवश्यक है। निर्यातकों को निर्यात के लिए अपने स्टॉक को पहचानने और चुनने की अनुमति दी गई है। भारतीय खाद्य निगम, सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टयों के अनुसार चावल और गेहूं की वसूली करता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का काले धन संबंधी सुझाव

4950. श्री जी०एस० बसवराज :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने सुझाव दिया है कि सरकार देश में काले धन से ठोस ढंग से निजात पाने के लिए तीन चरण वाले समेकित दृष्टिकोण पर विचार कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस संबंध में अनेक उपायों की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो काले धन को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) देश में काले धन से ठोस ढंग से निजात पाने के लिए तीन चरण वाले समेकित दृष्टिकोण हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर बजट, 2001 के लिए बजट पूर्व प्रक्रिया के दौरान विचार किया गया है और सरकार के निर्णय को वित्त विधेयक, 2001 के उपबंधों में प्रतिबिम्बित किया गया है।

उपभोक्ता कल्याण कोष, बिहार के बारे में दिनांक 10.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2942 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद): प्रश्न के भाग (ग) में इस कोष से राज्य-वार गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता के संबंध में सूचना मांगी गई थी। प्रश्न के इस भाग के उत्तर में अनुबंध में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध में दी गई सूचना! भूलवश उन संगठनों को शामिल कर दिया गया था जो अब क्रमश: झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल राज्य में आते हैं।

मैं 24.8.2001 को सदन के पटल पर लिखित प्रश्न सं. 2942 का संशोधित अनुबंध रखना चाहता हूं।

उपभोक्ता कल्याण कोष, बिहार

2942. श्री राजो सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर बिहार में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कोष से राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) इससे उपभोक्ता किस हद तक लाभान्वित होंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण, उपभोक्ता जागरुकता के विकास तथा देश में समग्र रूप से उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1992 में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई। उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के तहत कोई भी एजेन्सी/संगठन जो तीन वर्षों से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में लगा हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के तहत पंजीकृत हो, इस कोष से वित्तीय सहायता पाने का पात्र है।

(ग) जिन गैर-सरकारी संगठनों को इस कोष से सहायता प्रदान की गई है उनकी राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) अनुदानों का उपयोग उपभोक्ताओं में जागरुकता को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधाएं सृजित करने तथा उसके द्वारा देश में उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया।

अनुबंध

उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	74
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	1
बिहार	30
झारखण्ड	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
चंडीगढ़	3
दादर व नगर हवेली	—
दमन और दीव	—
दिल्ली	35
गोवा	—
गुजरात	15
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू व कश्मीर	2
कर्नाटक	18
केरल	8
मध्य प्रदेश	11
छत्तीसगढ़	1
महाराष्ट्र	7
मणिपुर	6

1	2
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैण्ड	1
उड़ीसा	61
पंजाब	1
राजस्थान	18
सिक्किम	—
तमिलनाडु	62
उत्तर प्रदेश	74
उत्तरांचल	2
पश्चिम बंगाल	13
कुल	456

उपभोक्ता संगठन के बारे में दिनांक 10.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2977 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में बिहार में वर्तमान में कार्यरत उपभोक्ता संगठनों और बिहार के उन संगठनों जिनको उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, की संख्या/विवरण मांगा गया था। भूलवश इसमें ऐसे 10 उपभोक्ता संगठनों की सूचना शामिल हो गयी जो अब झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आते हैं।

मैं दिनांक 24.08.2001 को सदन के पटल पर लिखित प्रश्न संख्या 2977 के सही उत्तर और अनुबंध क और ख की प्रति रखना चाहता हूं।

उपभोक्ता संगठन

2977. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में काम करने वाले स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन संगठनों को अनुदान/आवंटन देने के लिए मापदंड तैयार कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान इन संगठनों में से प्रत्येक को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार को इन संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन संगठनों में से प्रत्येक के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में इस समय 20 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों की एक सूची अनुबंध ''क'' पर दी गई है।

(ख) और (ग) ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो कम से कम तीन साल से पंजीकृत हैं और जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण/जागरुकता से संबंधित गतिविधियां चला रहे हैं, वे उन परियोजनाओं के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनसे उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) बिहार के जिन संगठनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त की उनकी सूची अनुबंध ''ख'' पर है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध ''क''

बिहार में कार्य कर रहे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची

1. अध्यक्ष,
   बिहार प्रदेश उपभोक्ता सेवा संघ,
   त्रिशूल मन्दिर लेन, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001

2. अध्यक्ष,
महिला उपभोक्ता सेवा संघ,
गोपालदास संगत, प्रभात सिनेमा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार

3. अध्यक्ष,
बिहार राज्य कंज्यूमर फेडरेशन,
छत्त भवन, दक्षिणी मन्दिरी, पटना, बिहार-800001

4. अध्यक्ष,
बिहार राज्य उपभोक्ता सेवा संघ,
24-सी, कंकर बाग कालोनी, पटना, बिहार-800020

5. अध्यक्ष,
नेशनल कंज्यूमर यूनियन फॉर लीगल एसोसिएशन,
शिमला भवन, पश्चिमी लोहानी,
पटना, बिहार-800003

6. अध्यक्ष,
कटिहार डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता संग्राम संघ,
मंगल बाजार, बडा चौक, कटिहार, बिहार

7. अध्यक्ष,
कोसी डिविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन,
नूतन प्रेस कटिहार, बिहार-854105

8. अध्यक्ष,
ग्रामीण उपभोक्ता सग्राम ग्राम मांकरी इसमिल,
पोस्ट लाडोरपट्टी, मुजफ्फरपुर, बिहार

9. अध्यक्ष,
मानिला उपभोक्ता सेवा संघ, सी-27, पुनयचाक,
पटना, बिहार

10. अध्यक्ष,
प्रीति महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार,
अबुलास लेन, मछुआटोली, पटना, बिहार

11. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राम पंचायत, रामरेसाघर, बक्सर, बिहार

12. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
बिनयपुर प्रचंड ग्राम, चेसांछपरा,
पोस्ट पुखरी, सारन, बिहार

13. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, परू प्रचंड, गांव व पोस्ट,
देबरिया कोठी, मुजफ्फरपुर, बिहार

14. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, साहसुपान मोहल्ला, नाका नं, 5,
दरभंगा, बिहार

15. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ग्राम व पोस्ट सिदुवेदी,
पुर्णिया, बिहार

16. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
टोला, कटिहार, बिहार

17. अध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
सत्यमकुटीर, पालीसराय एंड मार्ग,
पिलवारपुर, मुंगेर, बिहार

18. अध्यक्ष,
सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडी एंड रिसर्च,
रेंटल फ्लैट नं. 344, कंकड बाग कालोनी, पटना, बिहार

19. अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता संघ रोहतास, 3/57, करनसराय,
पोस्ट सासाराम, डिस्ट्रिक्ट रोहतास, बिहार-621115

20. अध्यक्ष,
उपभोक्ता संरक्षण संस्थान, ग्राम-गोपालपुर (पुरान्टोला)
पोस्ट माथर, डिस्ट्रिक्ट नवादा, बिहार

अनुबंध "ख"

बिहार के उन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची जिनको गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई

क्र. सं.	संगठन का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	रूरल लेडीज वैलफेयर सोसाइटी, ग्रा०-धरमपुर, पो०-निकासी, वाया पिनधारूच जिला दरभंगा	1998-99	27,000
2.	जन जागरण समिति, यारपुर, एन.सी. घोष लेन, कैलाश भवन के समीप, एम.ओ.-यारपुर, पो.-जी पी ओ, पटना-800001	1998-99	8,100

1	2	3	4
3.	लोक मंगलम, मोहल्ला-गुडरी, पो. लहेरिमा, जिला दरभंगा	1998-99	22,500
4.	सेवा संस्थान, मार्फत रामबिलास राय, (चन्दवाडा) कन्होली मठ रोड, पो. रमन, जिला मुजफ्फरपुर	1998-99	18,000
5.	विकासयान, ग्रा० पो० शेखपुर, अखरघाट, मुजफ्फरपुर	1998-99	22,500
6.	दरोगा प्रसाद राम महिला प्रशिक्षण एवम औद्योगिक केंद्र, सुनिहार, नवादा (सारण)	1999-2000	27,000
7.	महिला एवं बाल विकास केंद्र जयप्रकाश नगर, पटना-800001	1999-2000	13,500
8.	नार्थ बिहार समाज कल्याण संस्थान पैगम्बरपुर वाया सिलओट, जिला मुजफ्फरपुर	1999-2000	22,500
9.	राधिका सेवा संस्थान, ग्रा०-परतापू, पो. मेहसी (थाना), जिला ईस्ट चम्पारण	1999-2000	22,500

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) तथा महानिदेशक (दूरदर्शन)(भर्ती) विनियम, 2001, जो 5 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एन. 10/4/200-पीबी सेल में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4040/2001]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्मर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 4041/2001]

(3) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिये हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 4042/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4043/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 2001 जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/पीएम/एसपीएल/1244 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4044/2001]

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी० संख्या 2/2001 जो 28 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ट्रावनकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4045/2001]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अजर्न ओर अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 2001 जो 26 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०पीई:आईआरडी:974: 2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 30 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सीओ: पीआरएस: लीगल: मिस: 2869-ए 3:एसएके: 01-02:234 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4046/2001]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 28 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 3 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 311(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2001 जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 386(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2001 जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 387(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2001 जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 388(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2001 जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 389(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 25 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 702(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 25 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 703(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 744(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यामक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4047/2001]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 385(अ)

जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसाय को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4048/2001]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 582(अ) जो 7 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पुन:पूर्ति लाइसेंस के अंतर्गत सोना/चांदी/प्लैटीनम और इसकी फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स/सोल्डर्स पर भारत में उनका आयात किए जाने पर उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4049/2001]

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2001 जो 7 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा०का०नि० 559(अ) जो 27 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियम) (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील) नियम, 2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4050/2001]

(8) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 558(अ) जो 27 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा निक्षेपागार (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील) नियम, 2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4051/2001]

(9) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1991 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 560(अ) जो 27 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रतिभूति अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4052/2001]

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल)—(2001 की संख्या 3)—निष्पादन मूल्यांकन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4053/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का०आ० 15(अ) जो 8 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2000 के सीजन में कर्नाटक राज्य में उत्पादित 'फ्लू क्योर्ड वरजीनिया तम्बाकू' की बिक्री को अधिकृत किया गया है।

(दो) का०आ० 16(अ) जो 8 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तम्बाकू बोर्ड नियमित और पंजीकृत व्यापारियों और व्यावहारियों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर्नाटक राज्य के पंजीकृत और अपंजीकृत किसानों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू की उपज को उसके नीलामी स्थलों पर खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है।

(तीन) का०आ० 243(अ) जो 20 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तम्बाकू बोर्ड के नियमित और पंजीकृत व्यापारियों और व्यावहारियों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन आन्ध्र प्रदेश राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू को उसके नीलामी स्थलों पर खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है।

(चार) का०आ० 244(अ) जो 20 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी स्थलों पर अनधिकृत 'फ्लू क्योर्ड वरजीनिया तम्बाकू' की बिक्री को अधिकृत किया गया है।

(पांच) का०आ० 461(अ) जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तम्बाकू बोर्ड को आन्ध्र प्रदेश में अनधिकृत 'फ्लू क्योर्ड वरजीनिया तम्बाकू' को उसके नीलामी स्थलों पर खरीदने तथा उसे भारत अथवा विदेश में बेचने के लिए अधिकृत किया गया है।

(छः) का०आ० 462(अ) जो 25 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तम्बाकू बोर्ड को आन्ध्र प्रदेश राज्य के अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा 2000-2001 के सीजन में उत्पादित अनधिकृत फसलों को अधिकतम समर्थन मूल्य पर खरीदने तथा उसे भारत अथवा विदेश में बेचने के लिए अधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4054/2001]

(2) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 708(अ) जो 26 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4055/2001]

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4056/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) वनस्पति तेल उत्पाद (विनियम) (संशोधन) आदेश, 2000 जो 29 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) वनस्पति तेल उत्पाद (विनियम) दूसरा संशोधन आदेश, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 621(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) (संशोधन) आदेश, 2000 जो 9 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 97(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4057/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 23 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गए संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमो के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का आदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त, 2001 को पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02¼ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि यह सभा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी, जिन्होंने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी, जिन्होंने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02¾ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का "विरासत में महिलाएं" विषय पर तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति का स्टार क्षेत्र में जनशक्ति आयोजना और प्रबंधन नीति संबंधी बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेन गुप्ता (कोन्टाई) : मैं रेल संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 'वर्ष 1996 97 की अनुदानों की मांगों' संबंधी चौथे प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के संबंध में की गई-कार्यवाही संबंधी 8वें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तरों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'भारतीय रेल में जोनल कार्यालयों का पुनर्गठन' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी 11वें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तरों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'अनुदानों की मांगों (1997-98)' संबंधी छठे प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के संबंध में की-गई कार्यवाही संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तरों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'भारतीय रेल में कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण और उनकी क्षमता का उपयोग' संबंधी चौदहवें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तरों के संबंध में सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'अनुदानों की मांगों (1998-99)' संबंधी छठे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) के संबंध में की गई-कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तरों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(6) 'रेलवे द्वारा वैगनों की खरीद' संबंधी 12वें प्रतिवेदन (11वीं लोक सभा) के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी 5वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) 'अनुदानों की मांगों (1999-2000)' संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी 7वां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच के बारे में अंतिम उत्तरों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, दूरसंचार विभाग से संबंधित दूरसंचार विभाग/भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में परिवाद/शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयां

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं वस्त्र मंत्री के ध्यान में अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को लाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

"जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : महोदय, शुरू में उन माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले पर चर्चा के लिये नोटिस दिया है कि सरकार जूट क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर सदैव संवेदनशील रही है और इस क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न उपाय करती रही है।

जूट वर्ष 2000 2001 में कच्चे जूट का उत्पादन अनुमानत: 9 लाख गांठ हुआ और जूट वर्ष 2001-2002 में इसके अनुमानत: 100 लाख गांठ होने का अनुमान है।

[श्री काशीराम राणा]

जूट उत्पादकों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के मद्देनजर सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति है और भारतीय जूट निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी प्रक्रिया को चलाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान टीडी-5/एम्स-असम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 785 रुपये प्रति क्विंटल था जिसे वर्ष 2001-2002 में बढ़ाकर 810 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जूट वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय जूट निगम ने अपने 171 केन्द्रों और 50 सहकारी समितियों की सहायता से कच्चे जूट की 4.62 लाख गांठ की खरीद की जो गत तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक है। अक्टूबर 2000 से कच्चे जूट का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक था। कच्चे जूट का मूल्य वर्ष जून में 1450 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। जूट वर्ष 2001-2002 में भारतीय जूट निगम ने 171 केन्द्रों के माध्यम से और करीब 90 सहकारी समितियों के सहयोग से खरीद के लिये सारी व्यवस्था की है। भारतीय जूट निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कीमत नीचे गिरने पर बाजार में हस्तक्षेप करेगा। कच्चे जूट का वर्तमान बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है।

जूट पैकेजिंग मटेरियल्स (कम्पल्सरी यूज इन पैकिंग कमाडिटीज) अधिनियम, 1987 में कुछ वस्तुओं की पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य प्रयोग का प्रावधान है। सरकार अधिनियम के अतंर्गत जारी पैकेजिंग की सीमा के बारे में फैसला करते समय जूट किसानों, जूट उद्योग में लगे कामगारों, चीनी और खाद्यान्नों के उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के हितों में संतुलन बनाये रखा है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान जूट निर्मित वस्तुओं का उत्पादन 1999-2000 में 15.90 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 16.25 लाख टन हो गया था। इस अवधि के दौरान निर्यात भी बढ़ा। वर्ष 2000-2001 के दौरान खाद्यान्नों और चीनी की पैकेजिंग के लिए 2.20 लाख टन एटी बिग बैग और 6.10 लाख टन वीटी बिग बैगों की आपूर्ति की गई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बैगों की आपूर्ति अधिक थी। वर्ष 2000 के खरीफ मौसम के लिये खरोद करने वाली एजेंसियों ने अब तक 7.35 लाख गांठ की मांग दर्शायी है जिसमें से 4.62 लाख गांठ की आपूर्ति की गई है। जूट क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये सरकार राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 में यथावर्णित जूट के संबंध में एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि इसकी उत्पादकता बढ़ाने और इस पर्यावरण अनुकूल रेशे के विविधीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव कदम उठाये हैं कि जूट किसान और जूट उद्योग किसी कठिनाई में न रहे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप केवल विशेष स्पष्टीकरण वाला प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

बसुदेव आचार्य : महोदय यह लाखों जूट उत्पादकों और जूट कामगारों का सवाल है। अत: आपको समय आबंटन में कठोरता नहीं दिखानी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि सरकार जूट क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रही है। सरकार जूट क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कभी संवेदनशील नहीं रही।

जब हमें आजादी मिली और बंगाल का विभाजन हुआ, जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान में चले गये और जूट मिलें पश्चिम बंगाल में रह गयीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के किसानों से जूट का उत्पादन करने की अपील की। उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया और पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल, कर लिया. . .*(व्यवधान)*

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : ऐसा केवल पश्चिम बंगाल ने ही नहीं किया बल्कि बिहार और उड़ीसा भी इसमें शामिल थे।

श्री बसुदेव आचार्य ' लेकिन 80% पश्चिम बंगाल में ही उगाया जाता है . . . *(व्यवधान)* ठीक है यही बात बिहार, उड़ीसा, असम, आन्ध्र प्रदेश और अन्य जूट उत्पादक राज्यों के साथ भी थी। लेकिन आज जूट उत्पादक और जूट कामगार दोनों संकट का सामना कर रहे हैं। भारतीय जूट निगम की स्थापना किसानों, जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने और उत्पादकों से सीधी खरीद करने के लिये की गई थी। भारतीय जूट निगम ने गत वर्ष 94 लाख गांठ में से कितना जूट खरीदा? केवल 4.62 लाख टन।

भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.) के साथ समस्या यह है कि वे सही समय पर बाजार में नहीं आता। बाद में जब सस्ते में औने पौने बिक्री होती है, तब जे०सी०आई० के बाजार में आने से जूट उत्पादकों को बहुत कम ही सहायता मिलती है। हो सकता है कि इस साल जूट बाजार में आना शुरू हो गया हो। कभी-कभी मूल्य बढ़ता है लेकिन हमने देखा है कि जूट उत्पाद राज्यों में जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर अपना जूट सस्ते में बेचना पड़ता है। यहां तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित मूल्य जितना जूट उत्पादकों को मिलना चाहिये, उससे काफी कम होता है।

चूंकि जूट उद्योग संकट में था, अत: जूट उद्योग और जूट उत्पादकों की सुरक्षा के लिये जूट पैकेजिंग मटेरियल्स (कम्पल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमाडिटीज) अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया। इसका

अधिनियमन जूट उद्योग, जूट कामगारों और जूट उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिये किया गया था। खाद्यान्नों और चीनी की 100% पैकिंग और उर्वरकों में 20% तक पैकिंग जूट बैग में किया जाना अनिवार्य है। इस अधिनियम की प्रभावी अवधि 30 जुलाई को समाप्त हो गई। तब इसकी अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। एक स्थाई परामर्शदात्री समिति है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह समिति वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई थी।

महोदय, उन्होंने समीक्षा की है। समिति ने खाद्यान्न, चीनी, उर्वरक और यहां तक कि सिंथेटिक क्षेत्र के विचारों और अन्य हितों की बात सुनी। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जुलाई 2001 से जून 2002 वर्ष के लिये खाद्यान्नों और चीनी के संबंध में वर्तमान 100% आरक्षण की नीति बनाई जानी चाहिये और जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कमी आने पर वस्त्र मंत्रालय संबद्ध मंत्रालय की सलाह से खाद्यान्नों और चीनी हेतु आरक्षण को अधिकतम 20% तक करने की छूट दे सकता है। इस समिति ने यह भी निर्धारित की कि उर्वरकों हेतु 20% आरक्षण समाप्त कर देना चाहिये।

सिंथेटिक लाबी के दबाव के कारण यह हुआ। अनाज और चीनी दोनों के मामले में आरक्षण कम करके 10% करने के लिये संगठित अभियान चलाया गया। उनका कहना यह है कि यदि 10% की कमी आती तो इससे जूट के सामानों के उत्पादन में एक लाख टन का वार्षिक घाटा होगा, इससे जूट उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही सही नहीं है। यदि अधिनियम में ढील दी गई, और यदि उर्वरकों को इस अधिनियम से अलग किया जाता है, तो इससे जूट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि खाद्यान्न और चीनी पैकेजिंग में जूट उत्पादों का अधिक प्रयोग होता है, इसलिये आरक्षण व्यवस्था में आंशिक ठीक भी—जूट उद्योग की समाप्ति की शुरूआत होगी, जोकि ढाई लाख औद्योगिक मजदूरों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और पूर्वी राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के जूट और मेस्टा की खेती करने वाले राज्यों में 40 लाख जूट उगाने वालों को आजीविका प्रदान करता है। इससे जूट और संबंधित गतिविधियों वाले क्षेत्रों पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित रहने वाले लाखों लोगों पर भी असर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा होगा? इसके परिणामत: जूट माल के बाजार को जो घाटा होगा उससे कई जूट मिलें बन्द हो जायेंगी। इससे न केवल संपूर्ण जूट उद्योग को ही, बल्कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य को भी भारी नुकसान होगा।

महोदय, मेरे पास एक रपट की प्रति है। जूट निर्मित-पैकेजिंग-सामग्री अधिनियम को लागू न किये जाने के कारण कितनी राजस्व राशि की हानि हो रही है? 1997 में, एक वर्ष भर में, इसके लागू न होने की वजह से 3,522 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यद्यपि यह एक अनिवार्य प्रावधान है कि सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त पैकेजिंग-सामग्री का 20 प्रतिशत-भाग जूट निर्मित पैकेजिंग सामग्री का ही होना चाहिये, किन्तु हमने देखा की प्राय: सभी सीमेण्ट विनिर्मात्री इकाइयों द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है। सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार जूट उद्योग को बचाने के लिये कुछ भी नहीं कर रही है। वर्ष 2000 में कपड़ा नीति की घोषणा की गई थी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार जूट उद्योग के विविधीकरण के लिये विभिन्न उपाय कर रही है।

इस अधिनियम की कार्यावधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसे और एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं वस्त्र मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा होगा कि वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल न करके अनिवार्य प्रावधान को अनेक वर्षों तक यथातथ रखा जाये ताकि जूट उद्योग संरक्षित रह सके? जूट-विनिर्माताओं के लाभार्थ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार भारतीय पटसन निगम की सहायता करने की पहल करेगी ताकि निगम यथापूर्व बाजार में जाकर सीधे जूट-विनिर्माताओं से ही माल खरीद सके और जिससे फिर वे औने-पौने दामों में अपनी सामग्री बेचने पर बाध्य न होवें।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग कीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, अर्थात्, एन०जे०एम०सी० की छह इकाइयां हैं। समाचारपत्रों में हमने पढ़ा कि भारत सरकार ने कामगारों की सहकारी समिति बनाने का एक प्रस्ताव रखा है। इनमें से पांच इकाइयां पश्चिम बंगाल में हैं और एक बिहार में। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का यह प्रस्ताव क्या है—जिससे कि एन०जे०एम०सी० की सभी इकाइयों में कार्यरत 23,000 कामगारों की आजीविका सुरक्षित रह सकें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरे दो प्रश्न हैं, बल्कि कहूं तो, एक ही प्रश्न के दो भाग हैं। प्रथम, भारत सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जूट क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास कार्यक्रम का संचालन करती है और भारतीय पटसन निगम इनमें से एक है। यद्यपि इस प्रक्रिया में जूट कमिश्नर की भी भूमिका होती है, किन्तु शायद ही कभी राज्य सरकारों—चाहे फिर पश्चिम बंगाल हो या बिहार, जहां कच्चे जूट का उत्पादन होता है और जहां अधिकांश जूट मिलें स्थित हैं—कोई नियमित रूप से संवाद होता हो। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार, यथावश्यक, द्विमासी या मासिक रूप से नियमित विचार-विमर्श बनाए रखने के वास्ते कोई नियमाधीन अभितंत्र बनायेगी?

[श्री रूपचन्द पाल]

मेरा मानना है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस बात से अवगत होंगे कि कई बार जूट कमिश्नर कानून को अपने हाथ में ले लेता है, नियमों का उल्लंघन तक करता है और स्थायी समिति का कोई भी स्पष्टादेश किए बगैर स्वयं ही निर्णय लेने लगता है। जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने भी कहा था—सिंथेटिक बैग-विनिर्माता लॉबी के वक्त में लिए गए एकपक्षीय, भेदभावपूर्ण और पक्षपाती निर्णयों से न केवल जूट उद्योग को नुकसान होता है, अपितु सरकार को प्राप्त होने वाली राजस्व राशि को भी हानी होती है। जूट कमिश्नर ने जान-बूझकर जुर्माना वसूल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

दूसरी बात यह कि जूट का मूल्य बी०आई०सी०पी० के आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। होता यह है कि यदि किसी वर्ष विशेष में जूट की फसल अच्छी आई तो फिर इसका परिणाम यह होगा कि उसके अगले वर्ष जूट-उत्पादकों को अच्छा मूल्य बचत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय पटसन निगम द्वारा बी०आई०सी०पी० आकलन के आधार पर मूल्य तय ही ऐसे ढंग से किया गया होता है! इसी प्रकार, बी-ट्विल बैगों को दिये जाने वाले संरक्षण-मूल्य को भी बी०आई०सी०पी० के आकलन के आधार पर ही तय किया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार खुली निविदा प्रणाली अपनाने के लिए तैयार है?

अंत में, पटसन-क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफी अनुसंधान हुआ है—चाहे इसकी विविधीकरण की बात हो या इसके पर्यावरणनुकूल उपयोग की—और इसका बाजार भी बढ़िया तथा विकासशील है। लेकिन उच्च-उत्पादकता वाले पटसन-बीजों के विषय में अनुसंधान सीमित रहा है तथा उत्पादकता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पटसन-कृषि में भी तीव्र गिरावट आ रही है। आने वाले दिनों में इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अलाभकारी मूल्य और इससे संबद्ध अनिश्चितताओं के कारण पटसन की खेती करने वाले किसान बागवानी तथा अन्य नकद फसलों की कृषि की तरफ जा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में क्या सरकार जूट की उच्च-उत्पादकता वाली किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करेगी व उस पर जोर देगी ताकि पर्यावरणनुकूलता व विविधीकरण के विभिन्न प्रयासों में इनसे गुणताकर न केवल सहायता मिले, अपितु वे अपने कृषि कार्यकर्ताओं के लिए लाभकर-मूल्य भी सुनिश्चित करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं केवल प्रश्न ही सामने रखूंगा। 27.07.1994 को हुई एक त्रिपक्षीय बैठक में, जिसमें वस्त्र मंत्री भी उपस्थित थे, यह निर्णय लिया गया था कि एन०जे०एम०सी०—मिलों के लिए एक पुनरुद्धार-योजना तैयार की जायेगी। चूंकि सरकार इस परियोजना को समुचित रूप से, समय पर तैयार नहीं कर सकी अथवा इसमें विलम्ब हो गया अथवा इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकी, एन०जे०एम०सी० रुग्ण संस्था बन गई। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार तत्काल संशोधित योजना पेश करेगी?

दूसरी बात यह है कि जूट उद्योग एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार विभिन्न जूट-मिल मालिकों को लघु ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ताकि वे अपने कामगारों को बकाया राशि, वैधानिक देयता इत्यादि का भुगतान कर सकें?

तीसरी बात, क्या सरकार जूट पैकेजिंग अनिवार्य अधिनियम की शिथिलता का विचार छोड़कर इसे मूंगफली इत्यादि अन्य फसलों के लिए भी लागू करेगी?

और अंत में, जैसा कि ज्ञात है—बोनस अधिनियम में संशोधन न किए जाने की वजह से 1965 से जूट कामगार बोनस से वंचित हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार श्रम मंत्रालय से बोनस अधिनियम में संशोधन करने और न्यूनतम मजदूरी की सीमा बढ़ाने की अनुशंसा करेगी ताकि लाखों जूट-कामगारों को बोनस प्रदान किया जा सके।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया एक मिनट बोलने का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सूची में केवल तीन ही नाम हैं, और फिर; नियम भी इसकी अनुमति नहीं देता।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो स्टेटमेंट मैंने रखा है और जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं, उनमें से अधिकांश का जवाब उसमें दे दिया है। अन्य दो-तीन प्रश्न उठाए हैं, उनमें से एक जेपीएम एक्ट के बारे में है। कहा गया कि हमने सिन्थेटिक लाबी के प्रभाव में आकर इसको डाइलूट किया है, इसका जवाब भी मैं एक प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी प्रैशर में इस एक्ट को डाइलूट नहीं किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें एक्सटैंशन क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री काशीराम राणा : हमने जो भी डाइलूजन किया है, वह इसीलिए किया है कि हमारे जूट बैग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। फूड क्राप और शूगर क्राप बढ़ती जाती है, तो उसके आधार पर जूट बैग की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तीसरा बिन्दू यह है कि आइएलओ ने हमें इन्स्ट्रक्शन दी है कि 100 केजी के बैग को 50 किलो में कन्वर्ट कीजिए। इससे भी जूट बैग की डिमान्ड बढ़ती जाती है। इसको देखते हुए, जब-जब भी लगा कि शार्टेज होगी और फूडग्रेन तथा शूगर कहां पैक होगी, ऐसी स्थिति में हमने इसमें डाइलूजन करने की कोशिश की है।

दूसरी बात यह बताई कि वहां जूट ग्रोवर्स को ज्यादा दाम नहीं मिलते। जैसा मैंने बताया कि जेसीआई के जो 171 सैंटर हैं तथा जो कोपरेटिव सोसायटियां हैं, उसके जरिए जब भी एमएसपी से भी प्राइस कम होते हैं, तब मार्किट में आकर हमारे सैंटर्स उसे परचेज करते हैं. . . .*(व्यवधान)*

आचार्य साहब जो भी कहें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी से ज्यादा भाव जूट ग्रोसर्व को मिले, ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से होती है। इतिहास में पहली बार हमारे जूट ग्रोवर्स को जून के महीने में 1450 रुपये हमने दिलवाये। मैं पूरे साल का ब्यौरा देना चाहता हूं। . . .*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा हर साल नहीं होता है। . . .*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : हमने न सिर्फ एमएसपी का प्राइस बढ़ाया बल्कि इससे भी ज्यादा उन्हें मिले, जो जूट ग्रोवर्स हैं, जो गरीब किसान हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मार्कैट प्राइस मिले, इसकी भी हमने कोशिश की और उन्हें अच्छे प्राइस दिलाये। इसमें भी हमने एमएसपी बढ़ा कर 810 रुपए किया है। हमारा आज भी 930 रुपए में मार्केट में जूट बिक रहा है और किसान को जूट का अच्छा दाम मिल रहा है। . . .*(व्यवधान)* एनजेएमसी की बात यहां उठाई गई। इसके बारे में हमने बीआईएफआर को प्रपोजल भेजा है। हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे वर्कर्स कई सालों से एनजेएमसी की मिलों में काम करते रहे हैं, उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाए। हमने जो भी प्रपोजल बनाए, वे वर्कर्स के इंटरस्ट को देखते हुए बनाए हैं। हमने पूरे प्रपोजल बीआईएफआर के सामने रखे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके आधार पर हम एनजेएमसी की जो मिले हैं, जिस पर अभी भी सरकार की ओर से बजटरी सपोर्ट 96 करोड़ रखा है, जबकि लॉस है, हम अपने वर्कर्स को आज भी 133 करोड़ की वेजेस दे रहे हैं। लॉस होते हुए भी, एनजेएमसी के वर्कर्स के इंटरस्ट को देखते हुए हमने आज भी बीआईएफआर के सामने प्रपोजल रखा है।

महोदय, यहां आर एंड डी के बारे में बात की गई। मुझे लगता है कि यह सही सवाल है। हमारी जूट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिये यह बंगलादेश से इम्पोर्ट होता है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का जूट प्रोडक्टस बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इसके लिए जो रॉ जूट यूज होता है, वह इम्पोर्ट होता है। हमारा प्रयास है कि जूट की क्वालिटी अच्छी हो। उसके लिए आर एण्ड डी का रूपचन्द पाल जी ने सुझाव रखा। सरकार उसके बारे में टैक्नॉलोजी मिशन ऑफ जूट बनाने जा रही है जिससे एक हमारी जूट की क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरी उसके अच्छे रेम्यूनरेटिव प्राइस डोमैस्टिक और इंटरनैशनल मार्किट में मिलेंगे। हम टैक्नॉलोजी मिशन ऑन जूट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिल कर बना रहे हैं और बहुत जल्दी हाउस में टैक्नॉलोजी मिशन ऑन जूट यहां लाएंगे। . . .*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : बीआईसीपी ओपन टैंडर के बारे में क्या हुआ?

श्री काशीराम राणा : यह जूट का सवाल है, यहां कॉटन कहां से आ गया? रैगुलर इंटरैक्शन का सवाल उठाया गया। इसकी स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी है। जेपीएमए ऐक्ट के अनुसार सभी की राय ली जाती है। इससे संबंधित जो राज्य सरकारें हैं, अगर उनके पास अच्छे सुझाव होते हैं और उन्हें वे देते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि इंटरैक्शन करके हमारे किसान जो जूट ग्रोवर्स हैं, उसके आधार पर हम उन्हें सहूलियत देने के लिए आगे बढ़ें। आज भी जूट की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार की ओर से जूट गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं है।

जूट पैकेजिंग एक्ट में जो मैटिरियल एक्ट है उसमें 16 लाख में से हम 8 लाख जूट गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर 35 करोड़ रुपया हम जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उसके प्राइस ऑपरेशन के लिए देते हैं। इसके अतिरिक्त 96 करोड़ रुपया हम एनजेएमसी को चलाने के लिए देते हैं।. . .*(व्यवधान)*, 26 करोड़ रुपया हम एक्सपोर्ट मार्किटिंग तथ जूट एक्सपोर्ट करने के लिए देते हैं। . . .*(व्यवधान)* 6 करोड़ रुपया हम जूट . . .*(व्यवधान)* डायवर्सिफिकेशन के लिए देते हैं। . .*(व्यवधान)* स्टेट सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे जूट ग्रोवर्स हैं और जूट के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी स्थिति को सुधारने में वे सहायता करें। .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अनिवार्य आदेश की प्रभाविता-अवधि बढ़ाने के बारे में क्या विचार है? . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) **:** 31 अगस्त के बाद लाखों लोग बिहार और ईस्टर्न यूपी में बेकार हो जाएंगे .*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी हमें यह बताइये कि 31 अगस्त के बाद एक्सटेंशन होगा या नहीं। .*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : सीसीईए ने जेपीएमए के बारे में डिसीजन ले लिया है और थोड़े दिनों में हम उसको नोटिफाई कर देंगे। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अनिवार्य आदेश की प्रभाविता-अवधि बढ़ाने के विषय में इन्होंने कुछ नहीं कहा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : वर्कर्स के बारे में जो इन्होंने सवाल उठाया है तो वर्कर्स के हितों को हम देख रहे हैं। . . .(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : 31 अगस्त के बाद जूट इंडस्ट्री का क्या होगा ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पूछे गये एक भी प्रश्न का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे सभी प्रश्न प्रासंगिक हैं।. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ईस्टर्न यूपी और बिहार में 31 अगस्त के बाद लाखों लोग बेकार हो जाएंगे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : बिहार में जूट का कोई परचेजिंग सेंटर नहीं है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आय मंत्री को उनका उत्तर पूरा नहीं करने दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह कोई उत्तर नहीं हुआ। हमें पूछे गये प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अपने एक समुचित और पूर्ण चर्चा के बदले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी ताकि उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। तथापि, श्री हन्नान मोल्लाह पूछे गये एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। . . .*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : 3,222 करोड़ रु० की राजस्व-हानि का क्या हुआ जो . . .*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसे ही मौकों पर अनुशासन छोड़ना पड़ता है। हम इस पर आपत्ति जताते हैं . . .*(व्यवधान)* इसके विषय में हम बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.38 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय पिछले चार दिनों से मैं 'शून्यकाल' में अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 15 पर विचार करेंगे।

अपराह्न 13.39 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि चालू सत्र के शेष भाग के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. आज के आदेश पत्र से लिये गये सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।
2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना :-
   (i) द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्साहन) और अन्य विधि निरसन विधेयक, 2001
   (ii) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001
   (iii) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 2001
3. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना :-
   (i) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2001
   (ii) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001
4. राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित विधेयकों को पारित करने के पश्चात् उन पर विचार करना और उन्हें पारित करना :-
   (i) भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, 2000
   (ii) दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी तो आप लैपटोप कम्प्यूटर का उपयोग कर रहे हैं!

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी लैपटोप कम्प्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। फिर तो, वह प्रत्येक सदस्य को लैपटोप कम्प्यूटर दे सकते हैं।

श्री किरीट सौमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : वह तो पहले ही दिया जा चुका है। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री ए०सी० जोस : हमें केवल डेस्कटोप कम्प्यूटर प्रदान किये गये हैं। उन्हें हम सभी को लैपटोप कम्प्यूटर देने चाहिए।

श्री ए०पी० अब्दुल्ला कुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाना चाहिए :-

(i) रेल दुर्घटना के पश्चात् मालाबार क्षेत्र मे रेल सुविधाएं बहाल करने से संबंधित चर्चा।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग - 17 के रख-रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 300 से अधिक छोटी बड़ी दुकानों, होटलों आदि की तोड़-फोड़ से बचने तथा अपव्यय को रोकने हेतु चार या छः लेन वाले एक्सप्रेस हाई-वे के किशनगढ़ नसीराबाद बाईपास चौराहे पर फ्लाई ओवर नहीं बना कर पार्कयुक्त गोलाकार चौराहा विकसित करने की आवश्यकता।

(2) राष्ट्रीय जल नीति एवं राष्ट्रीय जल संग्रहण नीति का निर्माण कर वर्षा ऋतु में बह कर जाने वाले पानी को रोक कर वर्ष भर की जरूरतों के लिए काम में लेने हेतु राष्ट्रीय संग्रहण नीति बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में सूखे की स्थिति होने के कारण सम्पूर्ण राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर राज्य को विशेष निधि आबंटित कर अन्नपूर्णा योजना को युद्ध स्तर पर लागू किया जाए ताकि राज्य के गरीब लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके।

अपराह्न 12.42 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

दामोदर घाटी निगम में करीब 10-15 वर्षों से लंबित मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले का शीघ्र निष्पादन हेतु एक कार्य नीति बनाई जाए।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, 18 नवम्बर 1997 को वजीराबाद पुल पर एक बस हादसा हुआ था जिस में 28 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 62 बच्चे घायल हो गए थे। उस समय डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बैठी थी जिस की रिपोर्ट के अनुसार जहां इस हादसे के लिए बस का ड्राइवर व ट्रैफिक पुलिस को दोषी पाया गया था, वहीं यमुना पार की बढ़ती आबादी भी एक कारण थी। इस पुल के साथ एक अतिरिक्त पुल बनाने का भी सुझाव दिया गया था। मेरा आग्रह है कि इसे शीघ्र शुरू किया जाए।

गीता कालोनी शमशान घाट से शांतिवन तक एक पंटून पुल बना हुआ है जो हर बरसात के मौसम में टूट जाता है। उसे दोबारा बनाने में लाखों रुपए व्यय होते हैं। यहां पर भी एक पुल बनाने का प्रस्ताव था परन्तु इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसे शीघ्र शुरू किया जाए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के सहरसा एवं दरभंगा दोनों जिले एवं प्रमंडल मुख्यालय कोशी प्रभावित क्षेत्र हैं। वहां आवागमन का अत्यधिक अभाव है। इसलिए सहरसा, बलुवाहा, गंडौल, बिरौल, दरभंगा-100 कि०मी० पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

कोसी नदी के ऊपरी हिस्से बैराज क्षेत्र में डैम का निर्माण करा कर उत्तर बिहार के सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, खगड़ियां एवं मधेपुरा जिले में बाढ़ से प्रत्येक वर्ष हो रही बर्बादी का निदान किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये :-

(i) बैंक से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों की कई समस्याएं हैं। वे ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी सहायता की जानी चाहिए। वर्ष 1986 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी पेंशन के स्थान पर अनुग्रह राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यह सुविधा उनके पति/पत्नी को भी प्रदान की जानी चाहिए। सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(ii) एस०टी०डी० पब्लिक ऑपरेटर 2/- रुपये सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त करने के हकदार थे। लेकिन इस प्रभार को वापिस ले लिया गया है। उन्हें मिलने वाले कमीशन की राशि भी कम कर दी गई है। लेकिन अब एसटीडी

[श्री पी०सी० थामस]

और लंबी दूरी की कॉल पर कम खर्चा आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में भी अत्यधिक कमी आयी है। इसीलिए, सेवा शुल्क को बढ़ाकर पहले जितना कर देना चाहिए और कमीशन की दर में वृद्धि करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें :-

1. कारगिल युद्ध के बाद गठित सुब्रह्मणियम कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा; और

2. देश के विभिन्न भागों में दलितों एवं अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित समस्या पर विचार।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

(1) मुम्बई में स्थित माटुंग और परेल रेलवे वर्कशाप तथा महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत कुर्डवाड़ी में स्थित रेलवे वर्कशाप का जीर्णोद्धार किये जाने से संबंधित विषय।

(2) कुर्डवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे बुकिंग की स्थापना किये जाने, वहां पर गुड्स शटल ट्रेन रुकने के परिणामस्वरूप यात्रियों को जो असुविधा होती है, उसे दूर किये जाने के लिये नये प्लेटफार्म की स्थापना किये जाने और वहां से गुजरने वाली विशेषकर चेन्नई मेल में स्लीपर क्लास में बर्थों का कोटा बढ़ाये जाने से संबंधित विषय।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने प्रीवलेज मोशन लाना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह जी ने मुम्बई एडीशन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू दिया है कि ''यदि मेरी पार्टी को इसकी आवश्यकता हुई तो मैं संसद सदस्यों को दुबारा खरीदूंगा।''

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है और मैं यह निवेदन करता हूं . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : सभापति महोदय, मैं श्री बूटा सिंह के खिलाफ प्रीवलेज मोशन लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जब मेरी पार्टी ने मुझ से कहा था, तब मैंने एम.पीज़ खरीदे थे। अगर अब मेरी पार्टी मुझे आदेश देगी, मैं पुन: एम.पीज़ खरीदूंगा। यह सदन का अपमान है।

[अनुवाद]

यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

[हिन्दी]

क्या हम सदस्य लोग बिकने के लिये यहां आये हैं? चूंकि माननीय बूटा सिंह जी हम सदस्यों को खरीदना चाहते हैं, इसलिये मैं उनके खिलाफ प्रीवलेज मोशन लाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि श्री बूटा सिंह तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ यह मामला प्रीवलेज कमेटी को भेजना चाहिये।

सभापति महोदय : किरीट जी, आपका नोटिस माननीय स्पीकर साहब को रिसीव हुआ है, वह विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह मामला सभा के एक प्रतिष्ठित सदस्य से संबंधित है, इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, ऐम्ज़ में डाक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। हजारों मरीज़ परेशान हैं। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये, मैं लिस्ट के अनुसार नाम पुकारूंगा। आपको समय मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : दासमुंशी जी, क्या आप इस प्रीवलेज मोशन पर बोलना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं लगातार तीन दिन से नोटिस दे रहा हूं . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं लिस्ट के अनुसार चल रहा हूं। आपको समय मिलेगा। ज़ीरो ऑवर शुरू हो रहा है। आप लोग बैठें। श्री रामजीलाल सुमन।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजीडेंट डाक्टर्स दो दिन से हड़ताल पर हैं और आज तीसरा दिन है। बाह्य रोगी और आपातकालीन सेवायें बुरी तरह से प्रभावित हैं। हजारों मरीज़ ऐम्स से वापस आ गये हैं। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि पिछले 6 महीनों में विभाग के कर्मचारियों और रेजीडेंट डाक्टरों के बीच में यह आठवां विवाद है। उसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और बजाय समझाने-बुझाने के 'एम्स' के निदेशक ने सात सदस्यीय समिति बना दी है, जो इस मामले की जांच करेगी।

सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान से विभिन्न प्रकार के रोगी राहत पाने के लिए वहां आते हैं और ओ०पी०डी० में छः से लेकर सात हजार मरीजों को रोजाना देखा जाता है। लेकिन कल सिर्फ सौ मरीजों को 'एम्स' में देखा गया। वहां बहुत दिनों के बाद लोगों को आपरेशन कराने के लिए तारीख मिलती है। कल वहां तीन सौ लोगों के आपरेशन होने वाले थे, लेकिन सभी मरीज वापिस चले गये। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। वहां से हजारों मरीज वापस जा रहे हैं। कल तीन सौ लोगों का वहां आपरेशन नहीं हुआ। सबसे दुखद बात यह है कि इतना बड़ा सवाल होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय आप बहुत चिन्तित हैं कि यह सदन व्यवस्थित रहे, हम भी चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित हो, उसकी एक आचार-संहिता हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब गम्भीर सवालों पर सरकार रीएक्ट नहीं करती, जब जनजीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। यह इतना गम्भीर मामला है, वहां के निदेशक ने कमेटी बना दी है . . .*(व्यवधान)* संसदीय कार्यमंत्री श्री प्रमोद महाजन यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करके इस समस्या का जल्दी समाधान करे। धन्यवाद। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जिन सदस्यों ने सूचना दी है, उन्हें मौका मिलेगा, आप बैठिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, आपका नाम लिस्ट में है, आपको बुलायेंगे।

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के जबलपुर, सिवनी जिलों के ग्रामीण तथा आदिवासी अंचलों में उल्टी-दस्त तथा मलेरिया की भीषण बीमारी फैली हुई है। जबलपुर जिले के पाटन तहसील के चरगवां क्षेत्र जो वहां का एक आदिवासी हिस्सा है उसके ग्राम दफकिया में दो लोगों की उल्टी-दस्त से मौत हो चुकी है। वहां स्वास्थ्य सेवाओं का कहीं अता-पता नहीं है और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मचारी ग्रामवासियों की सुधि लेने के लिए वहां पहुंच रहा है। जबलपुर और सिवनी जिले के आदिवासी अंचलों के सैकड़ों ग्राम उल्टी-दस्त और मलेरिया से प्रभावित हैं। उन इलाकों में साफ-सफाई नहीं हुई, रोगों और मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए दवाइयों का छिड़काव जो होता रहता है, वह वर्षों से नहीं हुआ। जिसके कारण सारे गांव के गांव उल्टी-दस्त और मलेरिया की चपेट में हैं। मेरा केन्द्रीय शासन से आग्रह है कि वहां शीघ्र हस्तक्षेप करके इन बीमारियों को महामारी बनने से रोके और ग्रामीण जनों तथा आदिवासियों की जान और माल की हिफाजत करें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आतंकवाद पर यह सदन सदैव विचार करता रहा है। परंतु अभी जो परिस्थितियां हैं उनमें पूर्वांचल, जम्मू-कश्मीर और बिहार में दर्जनों की संख्या में हत्याएं होती हैं। लगता है कि जहां पर लोग अधिक संख्या में मारे जाते हैं, अब वही मामला गम्भीर रह गया है, परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के नजदीक मध्य प्रदेश से आता हूं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शांत क्षेत्र माने जाते थे। परंतु आज वहां जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जहां मेरा बालाघाट जिला है, वहां नक्सलवादियों ने एक बस को जला दिया। बस को जलाना महत्वपूर्ण बात नहीं है। परंतु जब यह बस जलाई गई थी तो उस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, गृह सचिव और डी०सी०पी० वहां से चार किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी का मुआयना कर रहे थे। दिन के साढ़े तीन बजे यह घटना घटी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार पांच दिनों तक यह फैसला नहीं कर सकीं कि आखिर किस राज्य में यह घटना घटी। वह जली हुई बस खड़ी रही और रास्ता बंद रहा। वहां नक्सलवादियों ने बैनर लगा दिया, पर्चे गिरा दिये, परंतु वहां यह देखने वाला कोई नहीं था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री बालाघाट एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन घटनास्थल पर नहीं जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मैंने केन्द्र सरकार के संज्ञान में यह बात ला दी है। मेरा कहने का आशय यह है कि पूर्वांचल . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बारी आने पर बोलिये, बीच में खड़े मत होइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें, आपकी बात आ गई है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : एक संसद सदस्य होने के नाते मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले में उदासीनता न दिखाकर सक्रियता का परिचय दे, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : सभापति जी, मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

सभापति महोदय : जीरो आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। आप पुराने सदस्य हैं। बैठे जाइए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां तथा रायगढ़ जिले में हैजा, आंत्रशोथ तथा भुखमरी से 106 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज की परिस्थिति में 152 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार न उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, न स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था है। वह बिल्कुल संवेदनहीन है। ऐसी परिस्थिति में मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आंत्रशोथ तथा भुखमरी अभी भी बनी हुई है, . . . *(व्यवधान)* उसके बावजूद वहां विपक्ष के नेता अनशन पर बैठे हैं। *.(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी बात रेकार्ड पर आ गई है।

श्री पुन्नू लाल मोहले : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार वहां भुखमरी की जांच कराए।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी कई माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है।

श्री पुन्नू लाल मोहले : जितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, उनके लिए सरकार राहत राशि दे। . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। अब आपकी बात रेकार्ड पर नहीं जाएगी। श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

*(व्यवधान)**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, दामोदर घाटी निगम में परिवहन कार्य में भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर लूटखसोट की प्रवृत्ति बनी हुई है। वहां का जो ठेका दिया जा रहा है, वह असैनिक लोगों के नाम पर काम कर रहा है, जब कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी काम है, ओपन टेन्डर के तहत होना चाहिए ताकि वहां के जो बेरोज़गार लोगों को रोजगार मुहैया हो और उसका रेट भी घट सके। आपसे निवेदन है कि इस मामले में जांच गठित करवाई जाए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, हरियाणा इस देश का विकासशील प्रदेश है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा देश के लिए सबसे ज्यादा मर मिटने वाली फौज देने वाली धरती रही है। कारगिल में सबसे ज्यादा युद्ध में मरने वाले लोग दक्षिण हरियाणा के रहे हैं। इतने शहीदों के परिवार दक्षिण हरियाणा में होने के बावजूद भी आज यहां के गांवों में पानी की कोई सुविधा नहीं पहुंची है। जो भी सरकार हरियाणा में बनी, दक्षिण हरियाणा के पानी के सवाल पर बनी, लेकिन कोई सरकार इसका समाधान नहीं ढूंढ पाई। जिनकी भी सरकारें बनी, केन्द्र से उसके संबंध अच्छे होने के बावजूद भी यह काम नहीं हो पाया। वहां पानी का स्तर धरती से 1000 फुट नीचे चला गया है। मैं चाहता हूं कि सतलुज जमुना लिंक कैनाल, जिसमें पंजाब से बेकार पानी को डाइवर्ट करना था, उसका काम पूरा कराने की व्यवस्था करें। साथ-साथ पंजाब से जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उत्तरी हरियाणा को 18 लाख हैक्टेयर फीट पानी मिल रहा है जो जरूरत से ज्यादा है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन की फसल बरबाद हो जाती है और वहां के किसान बरबाद हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तरी हरियाणा का पानी दक्षिण हरियाणा में लाने की व्यवस्था सरकार करे ताकि यहां के घरों में परिवारों को शुद्ध पानी की व्यवस्था हो सके और वहां के किसान इससे संपन्न हों और लाभान्वित हों। हरियाणा के जो युवा किसान संघर्ष सभा के अध्यक्ष हैं नरेश यादव या और भी जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बड़ा आंदोलन किया है। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात रखने दीजिए। आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं चाहता हूं कि उस आंदोलन को केवल भावनात्मक रूप में ही न लिया जाए। . . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

सभापति महोदय, यह लाखों लोगों का सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके बारे में कुछ कहें। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और वाई०एस० एल० के जरिए भारत का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यमुना सतलुज लिंक को शीघ्र बनाया जाए और पंजाब का फालतू पानी दक्षिणी हरियाणा में लाया जाए।. . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पप्पू जी, आप बैठिए। आपकी बात पूरी हो गई है।

(व्यवधान)

डा० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति जी, चूंकि हरियाणा की बात आई है। इसलिए इस पर मुझे भी दो शब्द कहने की इजाजत दी जाए। *.(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। आप अपने को सिर्फ एसोसिएट कर सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : सभापति जी, इसमें एसोसिएट करने से काम नहीं बनेगा। मैं दो शब्द कहना भी चाहता हूं। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इंदौरा जी आपको भी इस विषय के साथ एसोसिएट मान लिया गया है। अब आप बैठ जाइए।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और चूंकि हरियाणा से संबंधित है इसलिए मुझे कृपया इस पर दो मिनट बोलने का अवसर जरूर दिया जाए।

सभापति महोदय, हरियाणा में माननीय ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक दल की सरकार है और उसके वे मुख्य मंत्री हैं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में वहां के किसानों और आम जनता का पूरा विश्वास है और वे सबकी समस्याओं का ध्यान रखते हैं तथा उनका समाधान करते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जिस विषय को माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव उठा रहे हैं, वह मामला न्यायालय में लंबित है। इसलिए इस मामले में हरियाणा सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती है। यह जो मामला उठाया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी दक्षिणी हरियाणा का ही हूं इसलिए मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं। यदि यमुना सतलुज लिंक नहर बन जाती है, तो इससे पूरे हरियाणा को बहुत फायदा होगा। मैं भी चाहता हूं, लेकिन मामला अदालत में लंबित है इसलिए हरियाणा सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन महोदय, यदि वाई०एस०एल० के नाम पर कोई राजनीति करे, तो यह ठीक नहीं है। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : डॉ० इन्दौरा जी, अब आपकी बात हो गई। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिर्फ श्री सुरेश कुरूप का भाषण ही रिकार्ड पर जाएगा। अन्य किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, सदन में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वे इस विषय में कुछ कहें। *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : रूडी जी, कृपया बैठिए। जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत सरकार को दिये गये उस निर्देश की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें इस देश के भुखमरी के शिकार करोड़ों लोगों की भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्न को बांटने के लिए कहा गया है। महोदय, इस सभा के और शासक दल के सदस्यों ने बार बार यही मांग उठाई है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे खाद्यान्न को देश के गरीब लोगों में बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन यह सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

महोदय, सभा के लिए यह शर्म की बात है कि न्यायपालिका को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके लिए सरकार को निर्देश देना पड़ा कि वह गरीब लोगों में खाद्यान्न का वितरण करें सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। सरकार को सभा में वक्तव्य देना चाहिए और उसे हमें यह बताना चाहिए कि वह इस निर्देश के बारे में क्या करने जा रहे है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त कर दिया है। अब, इस देश के लोग भूखों मर रहे हैं। अब, उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। एक सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं?

अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सभा में वक्तव्य के माध्यम से बताए कि वह उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश के संबंध में क्या कदम उठायेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैंने उस दिन इसी विषय पर बात की थी लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं आया था।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब अगले वक्ता, श्री एम० चिन्नासामी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हमने ऑलरैडी नाम बुला लिया है।

[अनुवाद]

श्री एम० चिन्नासामी (करूर) : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान तमिलनाडु के किसानों से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कावेरी के किसानों ने तमिलनाडु के थंजावुर और तिरूचिरापल्ली जिलों में यह सोचकर धान की फसल लगायी कि उन्हें कावेरी नदी से पर्याप्त पानी मिल सकेगा। दुर्भाग्यवश मैत्तूर में जल भंडारण की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। हजारों हैक्टेयर भूमि में खड़ी धान की फसलें पानी के अभाव में नष्ट हो रही हैं।

[श्री एम० चिन्नासामी]

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। उन्होंने माननीय लोक कार्य विभाग मंत्री के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम को कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी के पास भेजा ताकि कर्नाटक से पानी छोड़ा जा सके। उन्होंने अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को तत्काल कावेरी जल निगरानी समिति की बैठक बुलाने के लिए कहा है जिसके तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य सचिव भी सदस्य हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जो खाद्यान्न उत्पादन और कृषि मजदूरों के रोजगार के अवसरों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।

[हिन्दी]

डा० संजय पासवान (नवादा) : सभापति महोदय, बिहार में सात दिनों से लगातार हत्याएं हो रही हैं। . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पासवान जी, आप बैठ जाइए। आपको बोलने का समय मिलने वाला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० चिन्नासामी : यह राजनीतिक मामला नहीं है। यह किसानों से संबंधित एक गंभीर विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ जवाब चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

डा० संजय पासवान : आर०जे०डी० के लोग यहां से भाग गए हैं। *(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार में सात दिनों से लगातार कत्ले आम हो रहा है। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम आपको कॉल करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप रूलिंग पार्टी में होते हुए भी व्यवस्था खराब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : (दरभंगा) : सभापति महोदय, यह औरतों और बच्चों का मामला है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, श्री ए०के०एस० विजयन माननीय सदस्य श्री चिन्नासामी द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहते हैं। वे प्रभावित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सभापति महोदय : उन्हें इससे सम्बद्ध करने दिया जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं गत तीन दिनों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने की अनुमति दी है। मैं पहले ही इस मामले को संसदीय कार्यमंत्री और संबद्ध मंत्री को भेज चुका हूं।

सभी को हमारे प्रतिष्ठित नेता या भारत के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान और सीमा पार के आतंकवाद के सम्बंध में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था। हमारी पार्टी कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वहां की स्थिति से निपटने हेतु माननीय प्रधान मंत्री और सरकार के साथ है। हमारी पार्टी सीमा पार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रधान मंत्री और सरकार के साथ है। हमारी पार्टी भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए प्रधान मंत्री और सरकार के साथ है।

सभापति महोदय : आपका नोटिस सरकार के एशियन क्रिकेट चैम्पियनशिप के बहिष्कार करने के निर्णय के संबंध में है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं विषय पर आ रहा हूं।

मैं सरकार के अतिरिक्त कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना केवल यह अपील करना चाहता हूं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यक्ति-व्यक्ति के संबंध . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या आप लोगों को बोलते हुए मैंने टोका है?

[अनुवाद]

क्या मैं बोलूं? क्या मैंने आप में से किसी को टोका है? मैं आप पर आश्रित नहीं हूं। मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से बोल रहा हूं।

माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति-व्यक्ति के सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अफ्रीकाई और एशियाई देशों के प्रथम अफ्रीका

एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए देश में अनर्ह श्रेय लेने जा रहे हैं, जैसाकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई स्कूलों के लिए किया था। पूरी खेल बिरादरी प्रधान मंत्री के पीछे है। यह उनका समर्थन करती है और अपनी एकजुटता प्रकट करती है। हम सभी इसकी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं।

किन्तु, अक्तूबर के महीने में हमारा एशियाई क्रिकेट चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान जाना तय है। इसी बीच मुझे पता चला कि हम **इस खेलों का बहिष्कार कर रहे हैं**. . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, एक तरफ मौत का खेल हो रहा है और ये क्रिकेट का रोना रो रहे हैं। बिहार में दलित मारे जा रहे हैं और बिहार सरकार सक्षम नहीं है।. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप को बाद में बुलाएंगे, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे इस बात का गर्व है कि क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में भारत के एक महान् सपूत श्री कीर्ति आजाद जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, इस सभा के सदस्य हैं। मैं सरकार से इस स्थिति को स्पष्ट करने की अपील करता हूं कि जब हम पाकिस्तान के साथ फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो उसके साथ क्रिकेट खेलने का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। मैं इस संबंध में सरकार से वक्तव्य देने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : खेल मंत्री को आपके नोटिस पर रैस्पोंड करने के लिए कहा गया है।

श्री कीर्ति झा आजाद : इन्होंने जो कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कन्सर्न्ड मिनिस्टर को आपको नोटिस रैस्पोंड करने के लिए भेज दिया गया है।

श्री कीर्ति झा आजाद : एशियन गेम्स का क्रिकेट से क्या सम्बन्ध है?. . .*(व्यवधान)*

डा० संजय पासवान : सभापति महोदय, बिहार में पहले साल में एकाध घटना हुआ करती थी, लेकिन पिछले छः महीने से हर महीने घटनाएं घटने लगी हैं और पिछले सात दिनों में . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वे पहले ही कह चुके हैं कि इसे खेल मंत्री के पास भेज दिया है।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई अहमियत नहीं है, कहीं पर टैस्ट चैम्पियनशिप नहीं हो रही है। यह सिर्फ यहां पर पैसा कमाने के लिए हो रही है। अगर उनको करनी है तो करें, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं। . .*(व्यवधान)*

डा० संजय पासवान : सभापति महोदय, पिछले सात दिनों से लगातार पटना राजधानी के आसपास और खासकर पटना जहानाबाद के बीच में 50 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पिछले सात दिनों में हर दिन घटनाएं घट रही हैं। आठ दिन पहले छः दलितों की हत्या हो गई। उसके बाद एक महिला को जहानाबाद के पास चार दिन पहले नंगा करके जला दिया गया। उसके बाद परसों एक बूढ़ी और उसके बेटे को पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया और कल सात दलितों की हत्या कर दी गई, जिसमें चार महिलाएं और तीन बच्चे थे। आज भी रिपोर्ट मिली है कि उसी युवक ने दो लोगों की हत्या कर दी। यह चिन्ता की बात है कि इतनी अधिक घटनाएं घट रही हैं और एक घटना में भी सरकारी पक्ष की ओर से कोई नहीं जा रहा है। जब हम सब लोगों ने बन्द का आह्वान किया और उसको जब जनता का समर्थन मिला तो वहां लोगों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहां हत्याएं हो रही हैं, वहां तमाम जगहों पर एन०डी०ए० के एम०पीज० और एम०एल०एज० जीते हुए हैं तो आखिर यह कौन सी बात है? जो गिरोह है, वह गिरोह आर०जे०डी० के मुख्यमंत्री के द्वारा और आर०जे०डी० के अध्यक्ष के द्वारा संरक्षित है। आज शर्म के कारण आर०जे०डी० का एक भी मैम्बर सदन में मौजूद नहीं है। . . .*(व्यवधान)* उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए आज उनमें से यहां कोई नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि मामला गम्भीर है। .*(व्यवधान)* वहां कांग्रेस, सी०पी०एम० और बी०एस०पी० के समर्थन से सरकार चल रही है, ये कांग्रेस और सी०पी०एम० की तरफ से सरकार चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर वहां कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?

यह चिंता की बात है कि वहां हर रोज दलितों की हत्या हो रही है. .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आप सब भी अपने आपको इससे एसोसिएट करते हैं।

श्री कीर्ति झा आजाद : मैं भी अपने को इसके साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं भी अपने को इसके साथ सम्बद्ध करता हूं। . . .*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्थिति गम्भीर होती जा रही है. . .*(व्यवधान)* वहां पिछले सात दिनों से दलितों की हत्या हो रही है।. . . *(व्यवधान)*

डा० संजय पासवान : सभापति महोदय, इस समय आर०जे०डी० के सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संजय पासवान जी आप बैठ जाएं। आपने शून्य काल में अपना मामला उठाते हुए अपनी बात कह दी है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं दिनेश चन्द्र जी को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : वहां की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और कांग्रेस के सदस्य यहां बैठे हुए हैं . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमारी पार्टी पर लगाए गए आरोप का मैं कड़ा विरोध करता हूं . . .*(व्यवधान)* मुझसे बात मत कीजिए, सरकार से कीजिए . . .*(व्यवधान)* जवाब देना मेरा काम नहीं है। यह सरकार का काम है . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, दिल्ली में बिहार से कई लाख लोग आकर मजदूरी का काम करते हैं और यहां के उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं . . .*(व्यवधान)* उनके दुख दर्द को कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाए, घायल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है।. .*(व्यवधान)* मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। 19.8.2001 को दिल्ली में आई०टी०ओ० ब्रिज पर एक ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ यमुना नदी में जा गिरा था। उस ट्रक का नम्बर डी०आई०जी० 4668 था। उसके ड्राइवर अशोक यादव और मजदूर सिकन्दर यादव की नदी में गिरकर मृत्यु हो गई। इसके साथ ही तीन अन्य मजदूर ब्रह्म देव, उमेश एवं कमल भी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, घायल हो गए। ट्रक को तो निकाल लिया गया, लेकिन जिस ड्राइवर मजदूर की नदी में गिरकर मृत्यु हुई थी, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। घायल मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि घायल मजदूरों की उचित देखभाल की जाए और मृतक मजदूर के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए।. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के अलावा और किसी का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, इस देश में कई प्रांतों में करीब 15 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलने वाले हैं। उनकी कई समस्याएं हैं। इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जहां कम या ज्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग न हों।

उत्तर प्रदेश और बिहार में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। पिछली बार इसी दिल्ली में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हुआ था जिसमें सात देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। अभी 3 और 4 नवम्बर को उत्तरांचल में ऊधमसिंह नगर में सम्मेलन होने जा रहा है। . . .*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमने इस सवाल को उठाया था तो हमने कहा था कि समाचार प्रसारण में भोजपुरी के समय का निर्धारण किया जाये और समाचार प्रसारण विभाग से पदाधिकारी भी हमसे मिलकर गये थे। उन्होंने हमसे कागजात की मांग की थी कि आपके सम्मेलन में क्या हुआ था तो हमने कागजात सौंप दिये थे। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि टी०वी० चैनल में इसको समय दिया जाये और समाचार प्रसारण में भोजपुरी भाषा को समय दिया जाये। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं और दिल्ली राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने भोजपुरी भाषाभाषियों की मांग को देखते हुए भोजपुरी और मैथिली अकादमी का निर्माण दिल्ली में करने का आश्वासन दिया है। हम केन्द्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली की राज्य सरकार ने भोजपुरी भाषाभाषियों की संख्या को देखते हुए भोजपुरी अकादमी के निर्माण का आश्वासन दिया है, उसी तरह से केन्द्र सरकार इस सदन में आश्वासन दे कि भोजपुरी भाषा का प्रसारण भी टी०वी० चैनल पर कराया जाएगा और भोजपुरी भाषा को टी०वी० सीरियल में भी स्थान दिया जाएगा। . . .*(व्यवधान)* हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करना चाहती हो तो कम से कम आप ही आसन से यह निर्देश दे दीजिए कि सरकार इसे गंभीरता से ले ताकि भोजपुरी भाषा के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की मांग पूरी हो सके। . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरकार को जवाब देने के लिए कम्पैल नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, पूरे देश में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। . . .*(व्यवधान)* पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और यह गणेश जी का त्यौहार होता है। . . .*(व्यवधान)* गणेश जी देवों के देव हैं। . . .*(व्यवधान)* गणेश उत्सव हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। . .*(व्यवधान)* 22 तारीख को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में छुट्टी मिलनी चाहिए थी। इसके बारे में शिव सैना के सांसदों का दल भी माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन गणेश चतुर्थी को कोई छुट्टी नहीं दी गई। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, यह हो चुका है। अब खत्म करिए।

(व्यवधान)

डा० रमेश चंद तोमर (हापुड़) : सभापति महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग साढ़े चार करोड़ है लेकिन वहां पर कोई हाई कोर्ट की बैंच नहीं है। . . .*(व्यवधान)* वहां की जनता बहुत दिनों से मांग करती आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाए। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की दूरी कम से कम 600 कि०मी० है और वहां लोगों को जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। . . .*(व्यवधान)* सन् 1980 में जसवंत सिंह आयोग की स्थापना की गई थी जिसके द्वारा पूरे देश में कहां कहां हाईकोर्ट की बैंच स्थापित होनी है, उसके बारे में जानकारी चाही थी।

30 अप्रैल, 1985 को जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी थी उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना हो। इसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान लिया था। इस बात को 16 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना नहीं की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पिछले एक हफ्ते से आन्दोलित है। अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, में एक हाईकोर्ट बैंच की स्थापना करे।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, मैं देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति की ओर इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले खबर थी कि वर्तमान तिमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन 6 प्रतिशत से घटकर लगभग 2.1 प्रतिशत रह गया है। . . .*(व्यवधान)* यह एक गंभीर स्थिति है। मुझे आशंका है कि सरकार औद्योगिक उत्पादन में आई इस तरह की गिरावट पर उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही जो उसे दिखानी चाहिए . . .*(व्यवधान)*

इस वर्ष फरवरी के महीने में स्वाभाविक बजट पेश किया गया है। किन्तु मुझे आशंका है कि इस स्वाभाविक बजट में की गई बहुत सी बातें पूरी नहीं की गई हैं। मांग में पूरी गिरावट आ चुकी है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि माल का उत्पादन नहीं हो रहा है और माल बेचा नहीं जा रहा है, तो बड़े-बड़े उद्योग कैसे चलेंगे? विदेशी-मुद्रा के भंडार को छोड़ दिया जाए तो करीब-करीब प्रत्येक मदों के संदर्भ में स्थिति बहुत गंभीर है। निर्यात कम हो रहा है। नए और पुराने दोनों ही उद्योगों में मांग की तुलना में उत्पादन में भारी कमी आ चुकी है। और तो और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) ने भी हमें एक प्रकार की निन्दा रिपोर्ट दी है। मुझे नहीं मालूम कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) का हमें ऐसी रिपोर्ट देने का क्या मतलब है जबकि हम पर फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) का कोई ऋणी नहीं है। अत:, इस मामले में हम सरकार से सच्चाई जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री राशिद अलवी, यह मामला पहले ही प्रिवलेज के ऐंगल से एक्जामिन हो रहा है। इसलिए आप इस मुद्दे को नहीं उठा सकते।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, मुझे मैंशन तो करने दीजिए।

सभापति महोदय : मैंशन नहीं होगा। सदन की कार्यवाही नियमों से चलेगी। जब यह मामला पहले ही विचाराधीन है, तो इस विषय को अब नहीं उठाया जाएगा।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, सदन को ज्ञात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों पर और सीतामढ़ी, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, रोटी मांगने वालों पर 6 तारीख को गोली चलाई गई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे और 50 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए थे। उनकी चिकित्सा चल रही है। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के सभी लोगों की ओर से बन्द का आयोजन किया गया था। पूरे प्रदेश में न्यायिक जांच और सरकार के इस्तीफे को लेकर आन्दोलन चल रहा है। 9 अगस्त को क्रान्ति दिवस मनाया गया। मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है, इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि 6 तारीख . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका मामला यादव जी के साथ एसोसिएट कर दिया है।

श्री नवल किशोर राय : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। .*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मेरा प्रिवलेज का मामला है।

सभापति महोदय : पप्पू जी, आप रूल्स आफ प्रोसीजर पढ़कर आइए। प्रिवलेज का मामला ऐसे नहीं उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नवल किशोर जी, आप जिन बातों का जिक्र करना चाहते हैं, आप लिख कर अध्यक्ष जी को दे दीजिए। मामला बहुत गम्भीर है, आप लिख कर दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अड्डूर) : महोदय, ओणम मलयालियों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। केरल में, ओणम का त्यौहार पहले ही शुरू हो चुका है. .*(व्यवधान)* ओणम पर्व के दौरान विदेशों में रहने वाले सभी मलयाली केरल आकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए उन सबों को विदेशों से केरल तक यात्रा करने के लिए एअर इण्डिया की उड़ानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न गंतव्य स्थानों से केरल तक एअर इंण्डिया की सभी उड़ानें बंद हो चुकी हैं। प्रतीक्षा सूची के अनेक यात्री अपने टिकटों की सम्पुष्टि के इंतजार में हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे विदेशों से, विशेषकर खाड़ी देशों से अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू कराएं। इतना ही नहीं, भारत सरकार की ओर से केरल तक अतिरिक्त उड़ानों के परिचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जम्बो एअरक्राफ्ट के परिचालन हेतु तिरूवनंतपुरम में विमानों के उतरने की सुविधा है। यह अतिआवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे केरल तक अतिरिक्त उड़ानों के शीघ्र परिचालन की आवश्यक व्यवस्था करें .*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले तिरूवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से जुड़े एक अतिमहत्वपूर्ण मसले को उठा रहा हूं। मंत्रालय ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। काम शुरू करने के प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार भी पहले ही आगे आई थी। दुर्भाग्यवश, कोई काम नहीं हो रहा है और नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भी चालू नहीं हुआ है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य सरकार की योजना को स्वीकार करें और त्रिवेन्द्रम में नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : महोदय, मेरे क्षेत्र में बावला, धौलका, धुंधका, राणपुर, वीरमगांव, सानन्द, बोटाद, धौला जंक्शन सब ऐतिहासिक स्थल हैं। सारे देश में बावला से चावल जाते हैं और और सारे देश से तीर्थ यात्री गढडा आते हैं, उन्हें वापस दिल्ली और मुंबई जाने के लिए रिजर्वेशन चाहिए। इन स्टेशनों पर रिजर्वेशन का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा, मैं बार-बार इसके लिए निवेदन करता आ रहा हूं। गढडा श्री भगवान स्वामी नारायण जी का स्थान है और धौलका श्री पार्श्वनाथ का स्थान है। वहां भी रिजर्वेशन का कोटा नहीं बढ़ाया गया तो लोग कैसे आएंगे, इसलिए यहां रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए। रिजर्वेशन पाने के लिए लोगों ने रेल रोको कार्यक्रम किया। आज तक उन पर केस चल रहा है। लोग परेशान हैं।

महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द दिल्ली और मुंबई के लिए इन स्टेशनों से रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया जाए ताकि लोग संतुष्ट हों और आने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिले।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : महोदय, वाणिज्य मंत्रालय के वक्तव्य से केरल के लाखों किसान परेशान हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि रबर का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के रुख से यह समझा जा सकता है कि कदम उठाए गए हैं और इसके परिणाम भी सामने आयेंगे। किन्तु, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रबर के समर्थन मूल्य से लगभग 10 लाख किसान और 40 लाख श्रमिक प्रभावित होंगे। केरल की अर्थव्यस्था से जुड़ा यह एक अतिमहत्वपूर्ण सवाल है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तत्काल कदम उठाए। न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि रबड़ का समर्थन मूल्य अविलम्ब निर्धारित किया जाए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में समुचित कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी : महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 70 कालेज आते हैं वहां के कर्मचारियों के साथ बहुत

अन्याय हो रहा है। 30 नवम्बर, 1999 व 19 फरवरी, 2000 के जो फैसले एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुए थे, उन्हें लागू न कर वापस ले लिए गए।

लैबोरेट्री व टैक्निशियन स्टाफ में काफी विसंगतिया थी जिन्हें खत्म करने का फैसला हुआ था, परन्तु यूजीसी के चेयरमैन की जिद के कारण उसे वापस ले लिया गया।

वन टाइम अपवर्ड मूवमैंट (नैक्स्ट ग्रेड) 31.12.96 से 31.12.97 तक बढ़ाया था। 8 साल में नैक्स्ट ग्रेड मिल जाता था। 1986 से 1996 तक मिलता रहा। बाद में बंद कर दिया गया।

यूनिवर्सिटी व कालेज में रिक्त स्थान भरने की परमिशन न देकर उसे बंद कर दिया, जिसमें से टोटल पोस्टिंग का दस प्रतिशत टीचिंग व नॉन टीचिंग में से कट गया था। इसमें से टीचिंग स्टाफ का बैन हटा दिया गया लेकिन नॉन टीचिंग का नहीं हटाया गया, जबकि दोनों वर्ग बराबर की सेवा देते हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारियों की मांग को लागू करवाने की कृपा करें।

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, एक महीना पहले तक माननीया फूलन देवी जी इस सभागृह की सदस्या थीं। यह ठीक है कि उनके गुनहगारों को अरैस्ट कर लिया गया है लेकिन जो उनकी हत्या के सूत्रधार थे उनका अभी तक पता नहीं चला है और उनके पति राजघाट पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी हत्या की जांच सी०बी०आई० से कराई जाए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, बिहार में एक "केयर" क्रिश्चियन एसोसिएशन रिलीफ एवरीवेहर, नाम की संस्था है जो बरसों से गरीब बच्चों और बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का काम कर रही है। लेकिन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने बदनीयती से "केयर" संस्था को बिहार से हटवा दिया है। वहां के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है लेकिन अभी तक उसको रैस्टोर करने का काम नहीं किया गया है। अत: आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि उसको रैस्टोर करने का काम शीघ्र किया जाए।

अपराह्न 1.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुई]

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब मद संख्या 16 अर्थात्, व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी। मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में नियोजकों तथा कामगारों के व्यवसाय संघों के पंजीकरण का प्रावधान है तथा कतिपय संदर्भों में यह पंजीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है। यह पंजीकृत व्यवसाय संघों को कानूनी तथा निगमित स्तर प्रदान करता है। इस अधिनियम को सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा एसोसिएशन अथवा संघ बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है। समय गुजरने के साथ-साथ, औद्योगिक संगठनों तथा श्रम बल के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तथापि, व्यवसाय संघ अधिनियम में अभी तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

व्यवसाय संघों तथा राज्य सभा में पुर:स्थापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 द्वारा उक्त अधिनियम में पर्याप्त रूप से संशोधन करने के प्रयास किए गए थे। संसद द्वारा इसे विचारार्थ नहीं लिया गया और जब "एक नए औद्योगिक संबद्ध विधेयक हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने" के संबंध में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में नियोजक संगठनों और केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के प्रतिनिधियों वाली एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई तब 1990 में इसे वापस ले लिया गया था। उक्त समिति ने 1990 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

[डा० सत्यनारायण जटिया]

रामानुजम समिति की सिफारिशों और तत्पश्चात्, विभिन्न मंचों पर उनके संबंध में हुये विचार-विमर्शों के आधार पर, विधि मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन हेतु एक विधेयक तैयार किया गया। श्रम मंत्री ने उक्त विधेयक को संसद में पुर:स्थापित किए जाने हेतु 2.5.1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया। तथापि, इसे प्रस्तुत किए जाते ही अनेक सदस्यों ने प्रारम्भिक आपत्तियां कीं। अत्यधिक विचार-विमर्श के बाद, इस बात पर मतैक्य हो गया कि उक्त विधेयक को श्रम एवं कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के लिए संदर्भित कर दिया जाए।

श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में संशोधन विधेयक की जांच की, श्रम मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की तथा अन्तत: 08.08.95 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत कर दी।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1994 में शामिल प्रस्तावों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में पुन: जांच की गई तथा संशोधन विधेयक में समुचित संशोधन किए गए। संक्षेप में संशोधित प्रस्ताव निम्नवत है :-

किसी भी कामगार संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रतिष्ठान अथवा उद्योग, जिससे वह जुड़ा है, में लगे अथवा नियोजित कामगारों के कम से कम 10 प्रतिशत अथवा 100, जो भी कम हो, पंजीकरण के लिये आवेदन करने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य न हों। किसी भी मामले में 7 सदस्यों की न्यूनतम नफरी वाले किसी भी संघ को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

कामगारों के पंजीकृत व्यवसाय संघ में कामगारों के 10 प्रतिशत अथवा 100 से कम सदस्य कभी भी नहीं होने चाहिए बशर्ते कि सदस्यों में से कम से कम 7 व्यक्ति उसी प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में लगे अथवा नियोजित होने चाहिए जिससे यह जुड़ा है।

पंजीकरण न किए जाने/पंजीकरण को पुन: बहाल करने के मामले में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के समक्ष अपील दायर किए जाने का प्रावधान किया गया है।

पदाधिकारियों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा पांच से अधिक नहीं, जो भी कम हो, को छोड़कर पंजीकृत व्यवसाय संघ में सभी पदाधिकारी वे व्यक्ति होंगे जो उस प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में वास्तविक रूप से लगे अथवा नियोजित होंगे जिससे उक्त संघ जुड़ा है।

व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंशदान की न्यूनतम दर को संशोधित करके ग्रामीण कामगारों के लिये एक रुपया प्रतिवर्ष, अन्य असंगठित क्षेत्रों के लिये तीन रुपये प्रतिवर्ष तथा अन्य सभी मामलों में 12 रुपये प्रतिवर्ष किये जाने का प्रस्ताव है।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 को राज्य सभा में 28.4.2000 को पुर:स्थापित किया गया था। यह विधेयक 8.5.2000 को संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को 29.11.2000 को प्रस्तुत कर दी।

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 राज्य सभा ने 2.8.2001 को पारित कर दिया।

मैं, सदन से उक्त विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

विधेयक पर चर्चा करने के लिए हमारे पास तीन घंटे का समय है। श्री पवन सिंह घाटोवार।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदया, मैंने संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय : संशोधनों पर चर्चा विधेयक पर खंडश: चर्चा के दौरान की जाएगी।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : सभापति महोदया, व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001 ने अपनी लम्बी यात्रा के दौरान लम्बी दूरी तय की है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि व्यवसाय संघ तथा औद्योगिक संबंध संशोधन विधेयक को 1998 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 1990 में उक्त विधेयक को वापस ले लिया गया था। इसके बाद, सरकार ने पहली बार दीर्घानुभवी व्यवसाय संघ नेता स्वर्गीय श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्वि-पक्षीय समिति गठित की और इस समिति में लगभग सभी राष्ट्रीय व्यवसाय संघ केंद्रों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1926 के व्यापार संघ अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित औद्योगिक संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1990 में प्रस्तुत कर दी। इस विधेयक को तत्कालीन श्रम मंत्री ने 1994 में राज्य सभा में पुन: प्रस्तुत किया। विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के समय ही विस्तृत अध्ययन के लिए 9.6.1994 को विभाग की संबंधित संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया। श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस संशोधन विधेयक का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट 8.8.1995 को लोक सभा में प्रस्तुत की।

देश में चल रहे व्यवसाय संघ आंदोलन को इस समिति की रिपोर्ट से कहीं अधिक अपेक्षाएं थीं। इसलिए मांग की गई कि 1926 के पुराने व्यवसाय संघ अधिनियम में और बहुत से बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस विधेयक में केवल पांच मुद्दों को ही शामिल किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 4 श्रमिकों के व्यवसाय संघ के पंजीकरण संबंधित है जिसके अनुसार पंजीकरण के श्रमिकों की संख्या कम से कम दस प्रतिशत या सौ होनी चाहिए। पहले, किसी औद्योगिक संस्थान के व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए श्रमिकों की निर्धारित संख्या सात थी। इस विधेयक के अनुसार व्यवसाय संघ के रूप में पंजीकरण के लिए श्रमिकों की संख्या कम से कम सौ होनी चाहिए।

मूल अधिनियम की धारा 6 में ग्रामीण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मामले में व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम अंशदान को निर्धारित किया गया है।

धारा 9 'क', जिसे मूल अधिनियम में अन्त:स्थापित किया जाना है, के अनुसार :

> ''किसी भी पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या किसी भी समय संघ से संबंधित प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्यरत या विनियोजित की कुल संख्या के दस प्रतिशत या एक सौ, इनमें से जो भी कम हो, लेकिन सात से कम नहीं होनी चाहिए।''

मैं नहीं जानता कि वे ''किसी भी समय.....से कम नहीं होनी चाहिए'' इस उपबंध को किस प्रकार समझेंगे। व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार किसी भी समय आकर दस प्रतिशत श्रमिकों की उपस्थिति की मांग कर सकते हैं, जो कि व्यावहारिक नहीं है।

मूल संशोधित अधिनियम की धारा 11 में किसी अधिकरण और श्रमिक अदालत में पंजीकरण के लिए अपील संबंधी प्रावधान हैं।

मूल अधिनियम की धारा 22 में पदाधिकारियों की संख्या के बारे में उल्लेख है। पहले यह संख्या एक तिहाई थी। जिसे अब घटाकर पांच कर दिया गया है। मेरे विचार में बाद में यह संशोधन किया गया है कि जो व्यक्ति मंत्री या किसी सांविधानिक अधिकारी का पद ग्रहण करता है, वह व्यवसाय संघ का पदाधिकारी नहीं रह जाता है।

मेरा विश्वास है कि यह संशोधन विधेयक आवश्यक है क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पूरा आर्थिक वातावरण बदल रहा है और औद्योगिक वातावरण भी बदलने वाला है।

मैं नहीं समझता कि श्रमिकों को विश्वास में लिए बिना ऐसा कर पाना संभव हो सकेगा। मेरा विचार है कि बदलाव की इस प्रक्रिया में एक मजबूत, सक्रिय और प्रतिनिधित्व वाले व्यवसाय संघ की बेहद आवश्यकता है। लेकिन इन संशोधनों से ही बदलते हालात के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। मेरा विचार है कि ये संशोधन मामूली हैं और एक लिहाज से आप श्रमिकों के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं और उनके अधिकारों पर अधिक बंदिशें लगा रहे हैं। पहले ये श्रमिक 7 सदस्यों के साथ अपने व्यवसाय संघ को पंजीकृत करा सकते थे अब सदस्यों की अपेक्षित संख्या 100 कर दी गई है।

महोदया, स्थायी औद्योगिक संबंधों, औद्योगिक शांति और व्यवसाय संघों की मान्यता के लिए प्रक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से यह बहुत आवश्यक है। उनके वार्ताकार एजेंटों की पहचान करना मेरे विचार से व्यवसाय संघ आंदोलन का प्रमुख मुद्दा है। कुछ व्यवसाय संघ केंद्रों का कहना है कि व्यवसाय संघ के प्रतिनिधित्व संबंधी स्वरूप के सत्यापन के लिए सदस्यता के सत्यापन की पद्धति अपनाई जानी चाहिए। कुछ व्यवसाय संघों ने व्यवसाय संघों के प्रतिनिधित्व संबंधी स्वरूप के सत्यापन के लिए गुप्त मतदान की मांग की है। मेरे विचार से यह मामला काफी समय से लंबित है। यह मामला पिछले दो या तीन दशकों से लंबित है। हम इसे हल नहीं कर सके। मेरे विचार से यह तात्कालिक महत्व का क्षेत्र है। मैं माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मामले की जांच करें और व्यवसाय संघ केंद्रों की बैठक यथाशीघ्र आयोजित करें क्योंकि व्यवसाय संघों से संबंधित बहुत से मामले व्यवसाय संघों की मान्यता से संबंधित है। मेरा विचार है कि यदि हम व्यवसाय संघों के प्रतिनिधित्व संबंधी स्वरूप के निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देंगे तो हम इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। आपने ठीक ही कहा कि इसके लिए व्यवसाय संघों में आम सहमति होना आवश्यक है। लेकिन उनकी भलाई के लिए सोचने मात्र से हमारी समस्या हल नहीं होगी। मेरे विचार से इस समस्या के समाधान के लिए आपकी ओर से तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

रामानुजम समिति ने और भी ऐसे कई मुद्दों पर विचार किया था जिन्हें इस संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि सरकार इन संशोधनों के बारे में भी अपनी नीति तय करे। लेकिन, देश में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण हमें तत्काल कुछ कदम उठाने होंगे।

सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उनकी नीति क्या है? देश की श्रम नीति को कौन तय करेगा? इस देश की श्रम नीति का निर्धारण माननीय श्रम मंत्री करेंगे या फिर माननीय वित्त मंत्री? निःसंदेह, मैं इस अवसर पर देश के श्रमिक वर्ग की आशंकाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय एक ऐसी बात कही जो परेशान कर देने वाली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ठेका श्रम अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिए माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह किया है। यह कदम

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

बहुत खतरनाक होगा। मुझे यह कहते हुए खेद है। इन संशोधनों का प्रभाव क्या होगा? माननीय श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इन संशोधनों को करने से पहले यह निश्चित कर लें कि इन संशोधनों का क्या प्रभाव होगा।

ठेका श्रम अधिनियम की धारा 10 के अधीन श्रमिक वर्ग को स्थायी स्वरूप के रोजगार में स्थायित्व का दावा करने का अधिकार कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। यदि कोई श्रमिक किसी संगठन में एक से पांच वर्ष तक कार्य करता है तो वह स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपने नियोक्ता को कह सकता है। अब ये लोग धारा 10 को पूरी तरह हटाना चाहते हैं। ऐसा करके ये नियोक्ताओं को इन प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले गरीब श्रमिकों का शोषण करने की छूट देने वाले हैं। यदि कोई श्रमिक किसी संगठन में दस वर्ष तक कार्य करने के बाद भी उस संगठन में स्थायी किए जाने के अधिकार को खो देता है, तो मैं नहीं समझता कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेगा। मेरे विचार से यह बेहद खतरनाक कदम है। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ऐसा कदम न उठाएं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक और संशोधन का उल्लेख किया है जो और भी घातक है। यह संशोधन औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित है। यह सरकार की 'एक्जिट पॉलिसी' के बारे में है। उन्होंने इसे लागू करने की कोशिश की है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि श्रम मंत्री यथाशीघ्र इस संबंध में संशोधन लाएंगे। यह संशोधन क्या है? ये लोग 1,000 कर्मचारियों तक की संख्या वाली औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वे इन इकाइयों को बंद कर सकें और इन प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की छंटनी कर सकें। पहले निर्धारित संख्या 100 थी और किसी औद्योगिक इकाई को बंद करने से पहले संबंधित सरकार, चाहे वह सी०पी०आई०(एम०) की सरकार हो, या भा०ज०पा० की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, से अनुमति लेना आवश्यक था। उन्हें उद्योग को बंद करने और कर्मचारियों की छंटनी करने से पहले संबंधित सरकार से अनुमति लेनी होती थी। मेरे विचार से श्रमिकों के हित में यह बहुत अच्छा है कि किसी भी राजनैतिक दल की किसी भी सरकार ने अपने राज्य में अभी तक किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद करने की अनुमति नहीं दी है।

मैं किये गये सर्वेक्षणों में से एक का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 1997-98 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1,35,551 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं। अब, इन संशोधनों से 90 प्रतिशत इकाइयां औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगी। मेरे पास आंकड़े हैं। 1,35,551 पंजीकृत फैक्टरियां हैं। इनमें से एक हजार से अधिक श्रमिक वाले फैक्टरियों की संख्या 1120 है और एक हजार से कम श्रमिकों वाली फैक्टरियों की संख्या 1,34,000 है। इन 1,34,000 फैक्टरियों को अपनी इकाई बंद करने या श्रमिकों को निकालने के लिए किसी सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इन पंजीकृत फैक्टरियों के श्रमिकों की क्या स्थिति है। पंजीकृक फैक्टरियों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 99,25,810 है। एक हजार तक श्रमिकों वाले कारखानों में यह संख्या 74,82,470 है। अत: 74,82,470 श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगे। माननीय वित्त मंत्री महोदय का यह सुझाव बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस उपाय से श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी गतिविधियों में निवेश में वृद्धि होगी। इससे औद्योगिक विकास दर में तो वृद्धि होगी ही साथ ही साथ श्रमिकों के हितों की भी रक्षा होगी। मुझे आश्चर्य होता है कि वे किस प्रकार श्रमिकों और ठेका मजदूरों के हितों की रक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथी माननीय श्रम मंत्री जी औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेका श्रम अधिनियम को संशोधित करने के लिए इसी सत्र में विधेयक लाएंगे।

सौभाग्यवश संशोधन पिछले सत्र में नहीं आ सके। माननीय श्रम मंत्री जी एक श्रमिक संगठन के एक विख्यात नेता रहे हैं और यहां श्रम मंत्री का दायित्व संभालने से पूर्व वे श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि रहे हैं। और इस नाते उन्हें देश के श्रमिकों के हितों की चिंता है। इस देश में कुल श्रमिक वर्ग का केवल 18 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में है। लेकिन बाकी 82 प्रतिशत जो असंगठित क्षेत्र में हैं उनके बारे में क्या है? देश में कुल श्रमिक वर्ग की संख्या 37 करोड़ है। इनमें से 82 प्रतिशत जिनमें कृषि श्रमिक, ठेका श्रमिक, निर्माण के क्षेत्र में लगे श्रमिक सम्मिलित हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या प्रबन्ध किये गये हैं? कृषि श्रम अधिनियम और ठेका श्रम अधिनियम के बारे में क्या किया गया है? हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा।

कल हम नियम 193 के अंतर्गत विनिवेश पर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने इस सदन से अनुरोध किया था कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उन पर ध्यान देना होगा और दूसरों पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने अनुरोध किया कि असंगठित क्षेत्र की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे दूरस्थ गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले असंगठित क्षेत्र के 82 प्रतिशत श्रमिकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। वे दो वक्त का भोजन जुटा पाने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हालांकि देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों आदि के नाम पर तीव्र आर्थिक सुधारों की अनुमति दी गई है परंतु फिर भी हमें यह देखना पड़ेगा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की भी रक्षा की जाए। वे असली भारत हैं; वे असली भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे विचार से हमें उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा।

माननीय श्रम मंत्री जी दूसरे श्रम आयोग का गठन कर एक सही काम किया है। मेरे विचार से वे पूरे देश में घूमकर साक्ष्य ले रहे हैं। जब वे पूरे देश में घूम रहे हैं तो उनकी नजर निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र पर भी पड़ेगी और वे उनके संबंध में भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। मेरे विचार से हमें इन सिफारिशों पर ध्यान देना होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उतना महत्वपूर्ण संशोधन नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी श्रमिक वर्ग के लिए बहुत सी चीजें की जानी चाहिएं। माननीय मंत्री महोदय को श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव है। वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की परेशानियों और तकलीफों के बारे में जानते हैं। मुझे विश्वास है कि असली भारत के प्रतिनिधियों और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए वे अवश्य ही एक व्यापक श्रम विधेयक लेकर आएंगे। मेरे विचार से इस व्यापक श्रम विधेयक से हम इस देश के श्रमिक वर्ग की कुछ सहायता करने में सक्षम हो सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि लम्बे विचार-विमर्श के बाद, श्रमिक संगठनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो व्यवसाय संघ अधिनियम है, उसकी लगभग 6-7 धाराओं में संशोधन का प्रावधान किया गया है। आप और हम सब इस बात से सहमत होंगे कि औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए, व्यवहारिक श्रम संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए . .*(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कामगारों की भलाई के लिए पहले बोलिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : वह भी बोल रहा हूं।

श्रम संगठनों का व्यवस्थित और व्यावहारिक होना बहुत आवश्यक है। हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस देश में श्रमिकों के हित में श्रम संगठनों का महत्व है। देश की आजादी के पहले से और देश की आजादी के बाद बहुत सारे श्रम संगठनों ने देशहित और उद्योग हित को सर्वोपरि मानकर अपने श्रम संगठन चलाये। लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे रहे हैं, जिन्होंने केवल अपना ही हित देखा है, उद्योगों का, देश का हित नहीं देखा। आज जो हम इस देश का वातावरण देख रहे हैं, औद्योगिक मंदी है, श्रमिक असंतोष है, इन सब बातों पर भिन्न भिन्न नीतियों से काम करने वाले श्रम संगठनों का सहयोग रहा है, वे उसमें भागीदार रहे हैं।

यह जो संशोधन लाया गया है, यह श्रमिक संगठनों के हित में है और जो वास्तव में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके अत्यधिक हित में है। अभी तक कई श्रम संगठन ऐसे थे जो इस व्यवसाय संघ में प्रावधान नहीं होने के कारण सम्बन्धित उद्योग में नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, उनका उससे कोई लेना-देना नहीं है, वे राजनीति में काम करते हैं या अन्यान्य क्षेत्रों में नेतागिरी करते हैं, इस प्रकार के लोगों ने श्रम संगठन बना लिए और वे अपना हितसाधन करने के लिए ट्रेड यूनियन, जो उन्होंने गठित की है, उसका लाभ अपने स्वार्थ में, अपने हित में करते रहे और श्रमिकों का हित नहीं देखा। इतना ही नहीं, जो वास्तविक श्रमिक जिस संस्थान का काम करते हैं, उनकी समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और भिन्न-भिन्न प्रकार से अवैधानिक तरीके से आन्दोलनात्मक कदम उठाते रहे। उससे वास्तव में उन श्रम संगठनों और श्रमिकों को तो हानि हुई ही, उद्योग को भी साथ में हानि हुई और कुछ लोग इस कानून का या इस योजना का दुरुपयोग करते रहे। इसमें जो संशोधन किया गया है, वह धारा पांच में ऐसा संशोधन है कि पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति मिलकर सात या सात से अधिक पदाधिकारी बन जाते थे और पंजीयन करने के लिए रजिस्ट्रार के यहां आवेदन कर देते थे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। उनका वास्तविक श्रमिकों से और श्रमिक समस्याओं से उनका कोई लेना-देना नहीं था। इसमें संशोधन करके इस सरकार ने और श्रम मंत्री जी ने प्रावधान कर दिया है कि अब जो भी पदाधिकारी होंगे, वे उस संस्थान में काम करने वाले श्रमिक ही हो सकेंगे और उनकी संख्या भी निर्धारित कर दी। अब उस श्रम संगठन का पंजीयन करने के लिए मिनिमम सदस्य संख्या भी निर्धारित कर दी, पहले कोई निर्धारित संख्या नहीं होती थी। सात लोगों ने मिलकर पदाधिकारी बना लिये, विधान बना लिया और पंजीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया। अब यह कड़ाई होने से निश्चित रूप से जो उस उद्योग में काम करने वाले लोग ही पदाधिकारी बन पाएंगे, वही उस श्रम संगठन के वास्तविक हकदार होंगे और उनका प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसलिए वे वास्तविक समस्याओं को और औद्योगिक हित को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे।

धारा छः में भी संशोधन किया गया है। पहले जो सदस्यता शुल्क होता था, उसके सम्बन्ध में संशोधन किया गया है। पहले केवल 25 पैसे वार्षिक सदस्यता शुल्क होता था तो कोई भी 5-7 लोग मिलकर 25 25 पैसे के हिसाब से 7, 10 या 15 फर्जी सदस्य बनाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर देते थे। अब इस शुल्क में भी वृद्धि की गई है। शुल्क में जो वृद्धि की गई है, उसमें एक रुपये से लेकर 12 रुपये तक है, जो श्रम संगठन अपने विधान में इसका प्रावधान जिस प्रकार से करेगा, वह इस पर लागू हो जायेगा। पहले एक बात और

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

होती थी, पहले जो श्रम संगठन बन जाते थे, वे पदाधिकारी की नियुक्ति कर लेते थे, लेकिन इसमें सीधे-सीधे साधारण सदस्य सम्मेलन में पदाधिकारियों का चयन करेंगे। नियुक्ति करने और चयन करने में भी बहुत अन्तर रहता है। पहले पांच सात लोग मिलकर पदाधिकारी बन जाते थे और एक दूसरे की नियुक्ति कर लेते थे, लेकिन अब जो वास्तविक श्रमिक हैं, वे सब मिलकर उनका चुनाव करेंगे। निश्चित रूप से इसके कारण प्रजातंत्र भी मजबूत होगा, श्रम क्षेत्र में वास्तविक लोग आएंगे, जिनको श्रमिक पसन्द करते हैं, वही श्रम संगठनों पर काबिज हो सकेंगे, फर्जी लोग नहीं हो सकेंगे।

इसके साथ ही साथ न्यायालय के जो अधिकार थे, जैसे रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी या ट्रेड यूनियन एक्ट में किसी प्रकार की समस्या आ गई तो पहले केवल हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान था। हम सब जानते हैं कि देश के हाई कोर्टों में लाखों केस लम्बित पड़े हैं। कोर्ट को सुनवाई का समय नहीं मिलता और इस प्रकार के केस तो कई वर्षों से लम्बित पड़े रहते हैं। अब श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय को भी इस दायरे में लाया जा रहा है। किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कोई विवाद है तो श्रम न्यायालय और इंडस्ट्रियल कोर्ट में वे जा सकेंगे। इससे शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सकेगा, यह भी बात इस विधेयक में परिलक्षित होती है।

असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब धारा 22(1) में संशोधन किया गया है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, श्रम संगठनों में उनका भी अधिकतम् प्रतिनिधित्व होगा। मैं समझता हूं कि इससे उनको भी इन संगठनों का लाभ मिल सकेगा।

धारा 29 में भी संशोधन किया गया है। उसके अनुसार जो एक्ट बन रहा है, इसके बाद, इसकी मंशा के अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। पहले वह नियम संसद या सम्बन्धित विधान मंडलों में बन जाते थे, लेकिन उसकी जानकारी देना शायद आवश्यक नहीं था। लेकिन अब यह प्रावधन किया जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर सरकार कोई नियम बनाएगी तो उसकी एक-एक प्रति संसद में और राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत की जाएगी। उन प्रतियों पर या उन नियमों पर संसद को या विधान मंडलों को बहस करके निर्णय करने का अधिकार होगा। अगर कोई नियम सही नहीं बनाया गया है, श्रमिकों के विरोध में है, उनका हित संरक्षित नहीं होता है, तो संसद को यह अधिकार होगा कि उस नियम को निरस्त कर सके। इसीके साथ राज्य विधान मंडल को भी यह अधिकार होगा कि इस तरह के नियम को वह निरस्त कर सके।

हम यह महसूस कर रहे हैं कि जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, यह श्रम संगठनों के हित में है। इससे औद्योगिक हित में भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। वैसे तो सरकार ने श्रम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक श्रम आयोग का गठन किया है। उस आयोग ने पिछले डेढ़ वर्ष से काम प्रारम्भ कर दिया है। मैं महसूस करता हूं जैसा अभी पवन सिंह घाटोवार जी कह रहे थे, औद्योगिक विवाद संघ के अंतर्गत जो प्रावधान है, उसमें जो उन्होंने जानकारी दी, मैं भी उसमें अपना थोड़ा योगदान देना चाहता हूं। एक हजार से अधिक जहां श्रमिक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को बंद करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन वह नहीं दिया गया है, छंटनी का अधिकार दे दिया गया है। जहां एक हजार से कम श्रमिक हैं, वहां मिल-मालिक चाहे तो श्रमिकों की अपनी इच्छानुसार छंटनी कर सकेगा। देश की जनता को और श्रमिकों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि अगर कोई मिल मालिक छंटनी करेगा-तो पहले जहां उस मजदूर की जितने साल की सर्विस हो, एक साल पर 15 दिन का वेतन उसे देना पड़ता था, अब उसे बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। उसका लाभ यह होगा कि छंटनी करने से पहले अब मिल मालिक को कई बार सोचना पड़ेगा। मैं भी पहले ट्रेड यूनियन में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था और वहां से निकाल दिया गया था। मैंने 15 साल नौकरी की तो मुझे प्रति वर्ष में 15 दिन के हिसाब से करीब साढ़े सात महीने का वेतन मिला, लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो करीब 21 माह का वेतन मिलेगा। अगर किसी श्रमिक को यह वेतन देना पड़ेगा तो मिल-मालिक एक बार नहीं दस बार सोचेगा कि छंटनी करूं या न करूं।

इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार ने श्रमिकों के हित में कानून बनाया है। श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए विचार किया है और जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं, उन्होंने तो इस देश में श्रमिक संगठनों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, क्षेत्र की राष्ट्रीयकरण की मांग करते-करते इस देश में औद्योगिक मंदी का उन्होंने वातावरण बना दिया। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे और हम दोनों ही एक ही भारतीय मजदूर संघ में काम करते रहे हैं और मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे सांसद तो वे हैं। मैं इनके क्षेत्र में ही रहता हूं। मैं अन्यत्र क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं और मेरे अग्रज वे हैं। भारतीय मजदूर संघ में मैंने और इन्होंने काम किया है और यही एकमात्र ऐसी संस्था है और मैं कहूंगा कि इनके विचारों को इस देश में लागू किया जाना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए अर्थात् उद्योगों में प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रबन्धन में भागीदारी नहीं होने के कारण मैनेजमेंट मनमर्जी तरीके से निर्णय ले लेता है। मजदूर पसीना बहाता है, मालिक पैसा लगाता है। एक का पसीना और दूसरे की पूंजी लगती है तब दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं और जो उत्पादन होता है तो उसका लाभ दोनों को मिलता

है। इसलिए औद्योगिक व्यवस्था में प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करो और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करने से मेरा आशय यह है श्रमिक देशभक्त होने चाहिए। अगर श्रमिक देशभक्त होंगे तो उद्योगों का भी फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। देश का औद्योगीकरण होना चाहिए। जहां अगर ये तीन बातें लागू हो गईं तो इस देश में अमन चैन का वातावरण होगा और न श्रमिक दुखी होगा और न देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी। इस दिशा में सरकार अग्रसर हो रही है। सरकार ने जो श्रम आयोग बनाया है, श्रम आयोग में जो भी निर्णय लिये जाएं और जो भी कानून बनें, उनमें इन सब बातों का समावेश किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि जिस उद्देश्य से श्रम आयोग बना है, उसकी जब सिफारिशें आएंगी तो उन सब को लागू करने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर देश हित में और कानून बनाये जा सकते हैं। मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि माननीय श्रम मंत्री श्री सत्यानारायण जटिया जी एक ऐसा श्रमिक-वर्ग विरोधी विधेयक लाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री जी० रामानुजम समिति की सिफारिशों के आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस समिति का गठन 1990 में किया गया था और इसकी सभी सिफारिशें सर्वसम्मति से की गई थीं। लेकिन इसमें कई असहमतियां भी दर्ज कराई गई थीं और मैंने उन असहमतियों का अध्ययन किया है। इस समिति ने बहुत सी सिफारिशें की थीं परंतु माननीय मंत्री महोदय ने वर्तमान व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन के लिए उनमें से केवल एक सिफारिश को चुना गया। अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया?

महोदया, इस समिति ने प्रबन्धन के श्रमिकों की भागीदारी की सिफारिश की थी। इस बारे में 1990 में एक विधेयक लाया गया था परन्तु वह अभी भी लंबित है। इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है। रामानुजम समिति ने सिफारिश की थी कि प्रबन्धन में श्रमिकों की अर्थपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय के इस विधेयक से कतिपय वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन होगा जिससे विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में उदारीकरण पक्षपात की स्थिति में हमारे उद्योगों को हड़पने में मदद मिलेगी। माननीय मंत्री महादेय ऐसा कैसे कर सकते हैं?

इस समिति ने औद्योगिक संबंध अधिनियम (इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट) के संबंध में भी सिफारिश की थी परन्तु उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए मंत्री महोदय कोई विधेयक नहीं लाए। लंबे समय से मांग की जा रही है कि श्रमिक संघों को गुप्त मतदान के माध्यम से मान्यता दी जाए। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य 'श्रमिक संगठनों की संख्या घटाने', आंतरिक लोकतन्त्र को बढ़ावा देने, श्रमिक संगठनों में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने और व्यवस्थित और विनियमित विकास का मार्ग प्रशस्त करने का है। सरकार श्रमिकों को अनुशासित करना चाहती है। लेकिन नियोक्ता को अनुशासित करने के संबंध में क्या किया गया है? इस संशोधन से मंत्री महोदय श्रमिक संगठनों की संख्या कम करना चाहते हैं। इसी कारणवश वह इस संख्या को 10 प्रतिशत या 100 पर निर्धारित करना चाहते हैं। इन हस्ताक्षरों का सत्यापन कैसे किया जाए? इन सभी 100 श्रमिकों को पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। क्या उन सभी को उनके सामने प्रस्तुत करना संभव है? मंत्री महोदय इन पाबंदियों को क्यों लगा रहे हैं? यदि वे श्रमिक संगठनों की संख्या में कमी लाना चाहते हैं तो उन्हें इस संबंध में एक विधेयक लाना चाहिए जिससे गुप्त मतदान के माध्यम से मान्यता की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रमिक संगठनों की बढ़ती संख्या के क्या कारण हैं? मुझे श्रमिक संगठनों का अनुभव है। श्रमिक संगठनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रबन्धन ही जिम्मेदार है। प्रबन्धन ही संगठनों में प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देता है। यदि एक ही संगठन होगा तो वह सौदेबाजी करने में अधिक सक्षम होगा। इसलिए उसकी इस शक्ति को कम करने के लिए प्रबन्धन हमेशा एक से अधिक संगठन बनवाने की कोशिश करता रहता है। श्रमिक संगठनों की संख्या में पाबंदियां लगाकर कम नहीं किया जा सकता। संगठनों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अंशदान निर्धारित कर सकें। अब सरकार अंशदान का निर्धारण कर रही है। यह संगठनों को निर्धारित करना चाहिए कि उनके पदाधिकारियों की संख्या कितनी हो। सरकार पदाधिकारियों की संख्या को सीमित कर रही है।

सिफारिश में कहा गया है :

> "श्रमिक संगठनों के कार्यसंचालन के संबंध में बहुत विचार-विमर्श हुआ है। श्रमिकों को अपने नेता चुनने का अधिकार है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।"

श्रमिकों को अपने नेता चुनने का अधिकार है। सरकार उनके अधिकार पर रोक लगा रही है। बाहरी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी?

महोदया, आजकल हम क्या अनुभव कर रहे हैं? हम 1970 में लागू किए गए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ कमियां हैं। इसिलिए नियोक्ता इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

अपना बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था कि केन्द्रीय अधिनियम 1948 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 दोनों में परिवर्तन किया जाएगा। यह आवश्यक है। यहां तक कि माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हमारे श्रम कानूनों के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हो पा रहा है और इन कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

[श्री बसुदेव आचार्य]

यह केवल ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) में संशोधन करने के लिए नहीं अपितु उसे समाप्त करने के लिए कहा गया है। फिर, ठेका श्रमिकों का क्या होगा? उन कामगारों का क्या होगा जो स्थायी रूप से लगे हुए हैं?

महोदया, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसी श्रमिक को स्थायी रोजगार देना नहीं चाहती हैं। वे केवल ठेका श्रमिकों को रोजगार देना चाहती हैं ताकि वे उनका शोषण कर सकें। उनका शोषण करके वे अधिक लाभ कमाना चाहती हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्रम मंत्री बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इच्छाओं के सामने झुक रहे हैं।

महोदया, उस अधिनियम को काफी विचार-विमर्श के बाद अधिनियंत्रित किया गया था। एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई थी जिसने सभी श्रमिक संगठनों और कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तार से चर्चा की थी। उन सभी ने इसे अधिनियमित करने की सिफारिश की थी। उसके बाद ही अधिनियम अधिनियमित किया गया था और उसमें यह प्रावधान था कि उन कतिपय क्षेत्रों जहां बारहों महीने रोजगार है इस ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और कामगार जो इन क्षेत्रों में ठेका श्रमिकों के रूप में लगे हुए हैं उन्हें स्थायी श्रमिकों के रूप में खपा लिए जाना चाहिए।

यहां, उन ठेका श्रमिकों का क्या होगा जो वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि नियोक्ता को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और कामगार अपने वेतन संशोधन की मांग नहीं करेंगे। उन्हें न्यूनतम वेतन पर कार्य करना होगा। क्या श्रम मंत्री वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारे श्रमिक दास बन जाएं? महोदया, ठेका श्रमिक (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम में संशोधन अथवा इसका निरसन करके दास प्रथा लागू की जा रही हैं।

महोदया, औद्योगिक सम्बंध अधिनियम 1945 की धारा 10 में संशोधन किया जा रहा है। क्यों? अपने भाषण के दौरान श्री गेहलोत कह रहे थे कि वह एक मजदूर थे और बाद में उन्हें छंटनी के समय निकाल दिया गया था। अब, वह भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध हैं और वह इस बात को तहेदिल से समर्थन कर रहे हैं कि अतंर्राष्ट्रीय कम्पनियों को न केवल छंटनी का अधिकार होना चाहिए बल्कि उपक्रमों को बंद करने का भी अधिकार होना चाहिए।

[हिन्दी]

रिट्रेंच नहीं, नौकरी से हटाना नहीं, कारखाने को बंद करने का अधिकार वे लोग चाहते हैं।

[अनुवाद]

कामगारों की क्या मांग थी? यह प्रोत्साहन योजना में संशोधन के बारे में थी। इस बारे में स्थायी आदेश हैं और उस स्थायी आदेश का प्रबंधन और कामगारों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि स्थायी आदेश में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। यद्यपि उनका यह स्थायी आदेश है फिर भी कामगारों से अलग-अलग अंडरटेकिंग (वचन) देने के लिए कहा गया था। जब तक कामगार अलग-अलग वचन नहीं देते तब तक उन्हें कारखाने में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रम मंत्री असहाय हैं और भारी उद्योग मंत्री भी असहाय हैं। मैं आश्चर्यचकित था जब उन्होंने बताया कि भारत सरकार को मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन को निर्देश जारी करने की शक्ति नहीं है।

एक समझौता किया गया था और वह भी माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में थे, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वहां थे और उन्होंने कहा था कि वे इस शोषण की इस प्रथा को बंद करेंगे और कामगार भी नई प्रोत्साहन योजना के संशोधन पर जोर नहीं देंगे। उन्होंने इसे मान लिया था? कामगार इसे लिखित में देने के लिए राजी हो गए थे; लेकिन प्रबंधन ने इस समझौते को बाद में लागू नहीं किया जिस पर माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद कामगारों ने अपना धरना समाप्त किया जो उद्योग भवन में दिसम्बर, 2000 में एक महीने से दिया जा रहा था। जब उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कम्पनी में प्रवेश किया, प्रबंधन ने इस शोषण प्रथा को वापस नहीं लिया और उन्होंने कामगारों का पुन: शोषण करना शुरू कर दिया। एक ऐसे उपक्रम में यह सब कुछ हो रहा है जहां भारत सरकार का 50 प्रतिशत शेयर है। इसलिए, यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चाहती हैं कि वर्तमान श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया जाए और उन्हें कामगारों का शोषण करने की आजादी दी जानी चाहिए। वे लाभार्जन भी चाहते हैं और इसे अपने देश को ले जाना चाहते थे।

इसीलिए, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि दोनों विधेयकों को संसद के समक्ष लाया जाएगा। हमने भी इन दोनों विधेयकों का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया हैं।

मेरे पास आई०एल०ओ० की रिपोर्ट है। कामगारों का यह कहकर नुकसान किया जा रहा है कि वे हड़ताल में शामिल हैं और वे सभी गैर-अनुशासित हैं। सभी कर्मचारी अनुशासित हैं। केवल इसी प्रयोजन के वजह से बिलियन डॉलरों की एफ०डी०आई० आ रही है। चीन ने श्रमिक बल के कारण ही 40 बिलियन डॉलर की एफ.डी.आई. आकर्षित कर रहा है।

सभापति महोदय : आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपनी बात अभी समाप्त करूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी को आबंटित किया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : 1991 और अब की अवधि के बीच औसतन मज़दूरी लागत पांच प्रतिशत तक बढ़ी है और उसी अवधि में श्रम लागत पचास प्रतिशत कम हो गई है। उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। तालाबंदी के कारण आज और 1991 के बीच कुल 135 श्रम दिवसों की बर्बादी हुई; और हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अनुपात जो 1991 में 1:1 था आज 1:4 तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि जब एक जगह हड़ताल होती है तो चार स्थानों पर तालाबंदी होती है। उद्योगों को बंद किया जा रहा है और कामगारों की छंटनी की जा रही है। कामगारों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। यहां तक कि सेवानिवृत्त कामगारों और सेवानिवृत्त होने वाले कामगारों को भविष्य निधि; पेंशन और उपदान आदि जैसे उनके देय नहीं मिल रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

डा० सत्यनारायण जटिया ने कहा कि इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने यह मुझे तीन महीने पहले बताया था। आज यह 2200 करोड़ रुपए अथवा 2300 करोड़ रुपए तक बढ़ गया होगा। यह कोई कम नहीं है। मैं जानता हूं कि कामगारों को उनका वेतन भी नहीं मिल रहा है।

हम कामगारों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक कानून चाहते हैं। हम उस कानून अथवा विधेयक को चाहते हैं जिसे 1990 में इस सभा में प्रस्तुत किया गया था जो प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी विधेयक के नाम से है। उसे यहां रखा जाना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : गुप्त मतदान के जरिए मान्यता दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा कोई अधिनियम अथवा विधेयक लाना चाहते हैं तो यूनियनों की अधिकता को कम किया जा सकता है। सरकार को ऐसे विधेयक लाने होंगे। इस अधिनियमन को रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे ठेका श्रमिक (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम का निरसन कर देना चाहिए। यह विद्यमान अधिनियम में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए एक संशोधनकारी विधेयक लाना चाहिए।

महोदया, यह एक खतरनाक विधेयक है। यह एक मजदूर विरोधी विधेयक है। इस विधेयक को केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं माननीय श्रम मंत्री को बधाई देता हूं। मैं, कुछ सुझावों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि खंड चार में एक संशोधन है जिसके अनुसार :

> "(जज) वह समयावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसके लिए कार्यकारिणी के सदस्य और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी चुने जाएंगे।"

मैं इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में; ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक चुनाव पांच वर्ष के लिए होते हैं। इस संशोधन में, सरकार ने इसे तीन वर्ष कर दिया है, जो कार्यकारी परिषद की समयावधि होगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : आचार्य जी, कार्य संचालन नियमों में है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के तत्काल बाद नहीं जाएगा। आप पैनल ऑफ चेयरमैन हैं इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उन्हें उसी चीज को अपनाना चाहिए जो ग्राम पंचायतों से संसद तक के निकायों के चुनावों के मामले में अपनाया जाता है।

दूसरे, जब हम खेत में कार्य करते हैं तो हमें कामगार की परिभाषा से सम्बंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह हमारा अनुभव है। इसलिए, परिभाषा की स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब कभी हम इन समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें अनेक बार अदालतों में जाना पड़ता है। तीसरे, हमारी राष्ट्रीय नीति यह है कि प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश इसका अनुसरण व्यावहारिक रूप से विभिन्न उद्योगों में नहीं किया जाता है। इसे मजदूर संघ अधिनियम में लाया जाना चाहिए।

[श्री आनन्दराव बिठोबा अडसुल]

इसे सभी निगमों, सभी सहकारी संस्थाओं और अन्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्रबंधन में कामगारों की प्रभावी भागीदारी बहुत आवश्यक है।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : सभापति महोदय, श्रम मंत्री द्वारा व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन लाये गये हैं। इस एक्ट को अवलोकन करने के बाद स्पष्ट दिखाई देता है कि यह संशोधन प्रथम दृष्टया में मजदूरों के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जैसा इसको रंग देने का प्रयास किया गया है, यह संशोधन मजदूरों के हित के लिये है। मेरा यह भी कहना है कि यह संतुलित भी नहीं है। देश की जनता वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा करती है कि जब भी यह कोई चोट पहुंचायेगी तो देश के गरीब मजदूरों को पहुंचायेगी। इस सरकार का पूंजीपतियों का पक्ष लेना इस दल की सरकार का वर्षों से चरित्र रहा है।

सभापति महोदय, कई दिनों से भू-मंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन—ये चार-पांच शब्द ऐसे चले हैं जिसके तहत मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि यह देश इसलिये भटक रहा है कि किस रास्ते चले। क्योंकि कभी डिसइन्वैस्टमेंट की बात करते हैं, कभी ब्रेक दे देते हैं लेकिन आज के विधेयक का विषय मजदूरों से जुड़ा हुआ है। जब सदन में कोई प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में तेजी क्यों नहीं आ रही है, तब सरकार की तरफ से यह जवाब नहीं आता कि मजदूरों ने कोई कमी की है, बाजार में इनके कारण मंदी आ गई है या आर्थिक मंदी चल रही है। लेकिन जब यहां बहस होती है तो कहा जाता है कि जब उद्योग नहीं चल रहे होते हैं तब उसका कारण बताया जाता है कि मजदूर सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी स्वयं मजदूरों के नेता रहे हैं। हम जानते हैं कि उनकी ये भावनायें मरने वाली नहीं चाहे वे मंत्री ही क्यों न हो जायें। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया है तो पूंजीपतियों की स्थिति भी जानते हैं। वे यह भी जानते हैं व्यवसाय संघ में रजिस्ट्रेशन के लिये किन्ही सात मजदूरों को इकट्ठा कर लेने में कितनी दिक्कतें आती हैं। सारा देश जानता है कि जब श्रमिक इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो पूंजीपति उनका किस तरह से दमन करते हैं। हम अखबारों में पढ़ते आये हैं कि हत्यायें होती हैं, मजदूर मारे जाते हैं, संगठनों का निर्माण नहीं हो पाता, गठन नहीं हो पाता। माननीय मंत्री जी ने सैक्शन-4 के अंतर्गत जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसमें यह शर्त रखी है :

[अनुवाद]

> "बशर्ते कि किसी भी श्रमिक व्यवसाय संघ को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रतिष्ठान या उद्योग जिससे उसका संबंध है में कार्यरत या नियोजित श्रमिकों में से कम से कम दस प्रतिशत या सौ श्रमिक, जो भी कम हो, पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हों।"

[हिन्दी]

यह अमेन्डमैंट आपने प्रस्तावित किया है। मेरा निवेदन है कि कई घटनाएं इस देश में इस तरह की हुई हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सात मजदूर इकट्ठे न हो सके, आप यहां सौ की बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि रामानुजम कमेटी के द्वारा ऐसा रिकमेंड किया गया है, यह सही है कि उस कमेटी के द्वारा रिकमेंड हुआ है, लेकिन इस पर आप भी थोड़ा विचार करिये। जहां सात मजदूर इकट्ठा होना मुश्किल थे, वहां सौ आदमी इकट्ठे कर पाना क्या संभव है और पूंजीपतियों के हाथ क्या इतने कमजोर हैं कि सौ लोग एकदम इकट्ठे हो जायेंगे। इसके साथ आपने एक बात और कही है कि हर वक्त सौ रहने चाहिए, 100 से 99 नहीं होने चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैन्सिल हो जायेगा। मेरा ख्याल है कि इस सैक्शन में अमेंडमैंन्ट करते समय आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किसी उद्योग में अगर कोई कैजुअल्टी हो जाए और सौ में से पांच आदमियों का देहान्त हो जाए, तब क्या होगा। इसके लिए आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, ऐसे में उद्योगपति तुरंत जाकर आवेदन पत्र दे देंगे कि इस यूनियन को अनरजिस्टर्ड किया जाए, तब क्या स्थिति बनेगी। इन स्थितियों के लिए आपने इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मेरी आपसे मांग है कि आप इस स्थिति को भी स्पष्ट करें। अगर ऐसी कोई कन्टीजेन्सी की स्थिति अराइज होती है तो मजदूरों के पक्ष में क्या स्थिति बनेगी या किस तरह से मजदूर अपने आपको प्रोटेक्ट कर पायेंगे, इसके लिए भी आपको कोई क्लाज या अमेन्डमैंन्ट एड करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सौ आदमी बने रहें, आपने कहा है—

[अनुवाद]

> "9क. किसी भी पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या किसी भी समय संघ से संबंधित प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्यरत या नियोजित श्रमिकों की संख्या के दस प्रतिशत या एक सौ, इनमें से जो भी कम हो, लेकिन सात से कम नहीं होनी चाहिए।"

[हिन्दी]

यह सैक्शन-नौ में आपने अमैन्डमैन्ट किया है। अब इसमें क्या स्थिति आयेगी कि एक आदमी का भी देहान्त हो गया, उसका उद्योग वाले लाभ ले लेंगे, कहेंगे कि अब ये 99 रह गये हैं, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन कैन्सिल होना चाहिए। इसलिए आप इसमें कुछ अवधि दीजिए।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा कहना है कि जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि सौ आदमियों की मैम्बरशिप आवश्यक है, सात में दिक्कत होती थी, उसे आपने सौ कर दिया, चलिये हमने यह भी मान लिया। लेकिन उन्हें कुछ प्रोटेक्शन दे दीजिए और अमेन्डमैंट कीजिए कि एक साल या दो साल तक उन लोगों को विरुद्ध कोई सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगा। कोई अदालत या आपकी कोई समिति जब तक कुछ फैसला न दे दे, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। इस तरह से वे अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकेंगे और संगठन का निर्माण भी हो सकेगा। तब वे बाहर आ सकेंगे और उद्योगपतियों से लड़ने की स्थिति में खड़े होंगे। अन्यथा मजदूर खड़े होने वाले नहीं हैं। सौ आदमी इकट्ठे होना बहुत ही मुश्किल है। इससे मजदूरों की आवाज दबेगी।

सभापति महोदय, यह कानून आजादी के पहले 1926 का है, जब हम गुलाम थे। तब मजदूरों को संगठित करने का कानून बना था। उनकी आवाज को इस देश में मजबूत करने का कानून बना था। आज आप उनकी आवाज को यदि दबाना नहीं चाहते। तो उनकी आवाज को एक दूसरी दिशा देना जरूर चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि आप उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचिये। यह सोचिये कि शुरू में जब सौ आदमी होंगे तो उन्हें एक-दो साल के लिए कोई न कोई प्रोटेक्शन दी जाए जिससे उनके खिलाफ कोई दुर्भावना से सख्त कार्रवाई न हो सके।

सभापति महोदय, अभी यहां से गेहलोत जी चले गये, वह कह रहे थे कि आज देशभक्त मजदूरों की आवश्यकता है। संभवत: वह यह कहने से पहले भूल गये कि इस देश की आजादी में मजदूरों की अहम् भूमिका रही है।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी, इस देश के महान् नेता स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी का नाम इस देश के सभी लोग जानते हैं। बंबई में जब उनके ऊपर लाठी से प्रहार अंग्रेजों ने किया था तो बंबई के इन्हीं मजदूरों ने चार दिन तक पूरा बंबई ठप्प कर दिया था और आजादी की लड़ाई के साथ खड़े हुए थे। इन संगठनों को तोड़ा जाए, इनको खराब किया जाए, इनकी शक्ति को खराब किया जाए। आज विकास की अगर कोई नींव है तो हमारे देश का मजदूर है लेकिन कितना परसेंट हमारे देश का मजदूर संगठित है? अगर हमारे पास 30-35 करोड़ मजदूर हैं तो बामुश्किल दो करोड़ मजदूर संगठित हैं। बाकी का कोई संगठन नहीं है, वे तो अत्याचार सह रहे हैं। दो करोड़ मजदूर भी संगठित न रहें, ऐसा अवसर आप प्रदान न करें, उनको संगठित करने का प्रयास करें, क्योंकि भविष्य में जब कभी इस देश को आवश्यकता पड़ेगी तो संगठन देश के काम भी आएगा।

रामानुजम कमेटी रिपोर्ट की सिफारिश आपने इस बिल में शामिल की है और इसका उद्देश्य और कारणों में उल्लेख भी किया है। आपने बताया है कि हम आंतरिक लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं, संघों को नेतृत्व में सुधार देना चाहते हैं। आपने उसमें ऐसी व्यवस्था की है कि कोई लाभ का पद जिसने ग्रहण कर लिया है, वह उन यूनियनों का अध्यक्ष नहीं रहेगा। बाहर के लोगों की संख्या को उसमें कम किया है। बहरहाल इसमें ज्यादा एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा इतना ज़रूर कहना है कि कई बार इन अनपढ़ मजदूर संगठन यूनियनों को बाहर से भी विचारों को लेने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि दूसरे पढ़े-लिखे लोग, बुद्धिजीवी, इनको कोई राय दें, संगठन को लीड करें, ऐसी आवश्यकता इनको पड़ती है। हमें अगर कोई संशोधन करना है तो हमारी टीम अमेरिका चली जाएगी, घूम आएंगे, वहां की व्यवस्था को देख आएंगे, लिबरलाइज़ेशन को देखने जाएंगे और फिर यहां बहस करेंगे कि चीन में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है और मजदूर अगर बाहर से बुद्धि लेना चाहें, किसी आदमी से राय लेना चाहें तो उनकी संख्या घटाने की बात कर रहे हैं। कोई नेतृत्व लेना चाहे तो उनकी संख्या घटाने की बात कर रहे हैं। इस पर भी विचार किया जाए। मेरा कहना है कि जो संशोधन आपके द्वारा लाया गया है, उसमें संतुलन करने की आवश्यकता है। मजदूरों को भी प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है।

हमें मालूम है कि हमारे उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है, संघ की आवश्यकता है, शांति की भी आवश्यकता है और हमारे देश की भी आवश्यकता है। उस आवश्यकता का सारा देश अहसास कर रहा है। हम चाहते हैं कि मजदूर भी अनुशासित रहें, लेकिन अनुशासन के नाम पर उनकी आवाज़ को दबाया न जाए। हमारी यही अपेक्षा है माननीय मंत्री जी से कि आप अपनी पार्टियों के विचारों को अलग रख दीजिए। आप खूब मदद कीजिए इस देश के पूंजीपतियों की लेकिन इन मजदूरों की कीमत पर नहीं। मुझे मालूम है और सारा देश जान रहा है कि डिसइनवैस्टमेंट की बात जो चली है, उसे एक अच्छा अवसर आपको मिल गया है और सारे देश में धड़ाधड़, साल दो साल में, चाहे अमेरिका वाले मिलें या पाकिस्तान वाले मिलें, उनको सौंपने की तैयारी आपके द्वारा ही गई है। गेहलोत जी चले गए। वे पूंजीपतियों की भी बात कर लेंगे, मजदूरों की भी बात कर लेंगे। दोनों तरफ आप बात करना जानते हैं। आप पाकिस्तान और भारत की बात भी कर लेंगे। एक तरफ

[श्री सुन्दर लाल तिवारी]

कहेंगे कि हम पड़ोसी देशों से शांति चाहते हैं और जब क्रिकेट खेलने की बात आएगी तो आप हमारे देश के खिलाड़ियों को खेलने नहीं जाने देंगे। यही रुकावट है। इसे तो संबंधित मंत्री जी देखेंगे।

मेरा अंत में यही कहना है किं आप एक संतुलित बिल लाइए जिसमें मजदूरों के हितों का संरक्षण हो सके और हमारे उद्योग भी चल सकें और उनका भी विकास हो सके।

[अनुवाद]

***श्री ए०के०एस० विजयन** (नागापट्टिनम) : माननीय सभापति महोदय, भारत आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित देशों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कर रहा है। इसका स्वागत करते समय हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि इससे कामगार वर्ग प्रभावित होगा। ऐसे समय जबकि उनपर कम्प्यूटरीकरण की कड़ी मार पड़ने वाली है, सरकार ने व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने हेतु इस विधेयक को पुर:स्थापित किया है और मैं अपनी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, जोकि श्रमिक वर्ग के हितों के लिए काम करती रही है, की ओर से इसका स्वागत करता हूं। यह ऐसे समय में राहत प्रदान करेगा जब छंटनी और बंदी कामगार वर्ग पर बुरा प्रभाव डाल रहे हों। व्यवसाय संघ अधिनियम के लागू होने के पचहत्तर वर्ष बाद, हम कामगार वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए और औद्योगिक शांति लाने के लिए अब एक संशोधन ला रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

यह विधेयक व्यवसाय संघों के अपने सदस्यों से अंशदान संग्रह करने के लिए अधिकृत करता है और अपने सदस्यों से वसूल की जाने वाली अंशदान राशि का निर्धारण व्यवसाय संघों पर छोड़ देना एक लोकतांत्रिक कदम होगा।

यह विधेयक बाहरी लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा को तय करता है जिन्हें व्यवसाय संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। इसे पचास प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

यह विधेयक पदाधिकारियों को नियुक्त करने की बजाय उनको निर्वाचित करने की आवश्यकता पर जोर डालता है। इस विधेयक में तीन वर्षों के कार्यकाल का प्रावधान है। मैं महसूस करता हूं कि इसे कम करके 2 वर्ष किया जाना बेहतर होगा। इससे व्यवसाय संघों में लोकतंत्र सुनिश्चित होगा।

इसलिए कई व्यवसाय संघ दो साल में एक बार चुनाव आयोजित कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करते रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर चार बार रह चुके हमारे नेता डा० कलाइंगर ने, जब विगत वर्ष वह सत्ता में थे, कृषि कामगारों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए दो अलग-अलग बोर्ड गठित किए थे। उनकी इस पहल के कारण, अब श्रामिक वर्ग को दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपए क्षतिपूर्त्ति के रूप में मिलेगा। बीमा योजना उन कृषि मजदूरों को भी 1 लाख रुपए तक मुआवजा प्रदान करती है जो दुर्घटना के कारण घायल अथवा निशक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रत्येक श्रमिक के परिवार के दो बच्चों को स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी।

सरकार बदल सकती है। परन्तु एक शासन के दौरान लोगों के लाभ के लिए प्रारम्भ की गई योजना को दूसरे के शासन में बंद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी आदर्श कल्याणकारी योजनाएं सम्पूर्ण देश में लागू की जानी चाहिएं। मैं माननीय श्रम कल्याण मंत्री से आग्रह करता हूं कि ऐसे कल्याणकारी उपाय करें।

इस अवसर पर मैं हमारे प्रधानमंत्री की देश के मजदूर वर्ग के विषय में चिंताओं को सम्मानीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। वे धीरे-धीरे उनका जीवन स्तर सुधारने में विश्वास करते हैं। इसीलिए उन्होंने विकसित देशों पर जोर डाला है कि वे अभी श्रम मानकों के लिए दबाव न डालें और इस पर विश्व व्यापार संगठन में होने वाली आगामी वार्ताओं में चर्चा करें। उन्होंने धनी राष्ट्रों से यह भी आग्रह किया है कि विकासशील देशों पर प्रतिबंध न लगायें जिससे अंततोगत्वा श्रमिक वर्ग के हितों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा स्थिर करने हेतु अवसर और समय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुवर्ती कदम के रूप में श्रमिक मानकों में एक-एक करके सुधार किए जा सकते हैं। मैं प्रधान मंत्री की उनके साहसिक कदम के लिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने उन विकसित देशों को चेतावनी दी है जो श्रमिक मानकों को प्राथमिकता दिए जाने के लिए हम मे अनावश्यक रूप से आग्रह करते हैं, जो कि एक प्रबल आर्थिक आधार की अनुपस्थिति में वास्तव में हानिकारक सिद्ध होगा। वे श्रम कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में विश्वास करते हैं। मैं विज्ञान भवन में हाल ही में हुई एक बैठक में विश्व व्यापार संगठन के संबंध मे उनकी टिप्पणी का स्वागत करता हूं। उन्होंने बताया था कि श्रम कल्याण और श्रम मानकों को संबंधित देशों पर छोड़ देना चाहिए। हम दूरदृष्टि वाली पहल पर आधारित इस पुनरावृत्ति का स्वागत करते हैं। श्रम मानकों के बारे में विकसित देशों द्वारा की गई आलोचना की निंदा करते

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

हुए हमारी सरकार की श्रमिक वर्ग हेतु बेहतर मंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की विधि है। हम देखते हैं कि इस विधेयक में इसे प्रतिबिम्बित किया गया है। सरकार की संतुलित चिंता स्पष्ट है।

अत: मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं जिसमें कामकाजी वर्ग के हितों तथा अधिकारों की रक्षा की बात की गई है जिससे उनका कल्याण होगा।

*श्री सी० श्रीनिवासन (डिंडीगुल) : सभापति महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, इस सभा में लाया गया व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 में किसी व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या को निर्धारित करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि यदि न्यूनतम संख्या घट जाती है तो उस व्यवसाय संघ का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

मैं अपनी गंभीर आशंका व्यक्त करना चाहूंगा कि यदि विधेयक के खंड 2 और खंड 6 को साथ मिलाने से यह सुविधाजनक हो जाएगा और यह ऐसे लोगों की मदद करेगा जो व्यवसाय संघ को समाप्त करना चाहते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण और विचार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में यह आशंका हो सकती है। इस भय को दूर करना सरकार का कर्तव्य है।

कामगारों के लिए कतिपय लाभ और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का पंजीकरण रद्द नहीं किया जाना चाहिए और न इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि दो सदस्य भी हों तो पंजीकृत व्यवसाय संघ को चलते रहने देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें नये मुद्दों पर चर्चा नहीं करने के लिए कह सकते हैं किन्तु आप उन लंबित मुद्दों को सुलझाने से इंकार नहीं कर सकते जिसके लिए वे लड़ते हैं।

व्यवसाय संघ अधिनियम केवल व्यक्तिगत कामगारों की सामूहिक सौदेबाजी का प्रावधान करने के लिए है। प्रत्येक श्रमिक की तकलीफों और बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके आंसुओं को पोछें।

अपराह्न 3.26 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियमित किया गया था में स्वतंत्र भारत में अक्सर संशोधन कर दिया जाता है। मैं शिद्दत से महसूस करता हूं कि इस सरकार को आधुनिक समय के बदलावों विशेषक हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भूमंडलीकरण को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधान लाना चाहिए या इसे पारित करने का समय अब आ गया है। इससे अधिष्ठापनों का अधिग्रहण, व्यवसाय में कर्मचारियों की छंटनी और प्रतिष्ठानों में कामगारों को कम किये जाने का दौर शुरू हो चुका है। यह समय कारखानों के बंद होने और नौकरियां समाप्त होने का समय बन गया है। सरकार के विनिवेश संबंधी प्रयासों से औद्योगिक इकाइयों का बंद होना शुरू हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को बंद करना अपना कर्त्तव्य मानती है।

मजदूर संघों के लिए श्रम कानूनों को बनाने एवं विधेयक लाते समय सरकार को यथार्थ से मुख नहीं मोड़ना चाहिए और उसे व्यावहारिक रवैया अपनाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूर वर्ग किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

जब सरकार मजदूर संघों को यह सुझाव देने का काम कर सकती है कि वे अपने कामगार वर्ग से अंशदान संग्रहण कर सकते हैं, तो सरकार को संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याण कोष गठित करके अथवा अपने अंशदान के द्वारा मजदूर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी आगे आना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि यह कामगार वर्ग ही है जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

भारत की सौ करोड़ जनसंख्या में से 35 करोड़ लोग मजदूर वर्ग के हैं। इस कामगार वर्ग में से 91% असंगठित क्षेत्र में हैं। दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषि मजदूरों की संख्या लगभग 31 करोड़ है। दुर्भाग्यवश उनके पास उनका कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनके हित के लिए काम करे। उनका कोई मजदूर संघ भी नहीं है, उनका पंजीकरण करने और उन्हें मान्यता देने की तो बात ही नहीं उठती।

मैं सरकार से असंगठित क्षेत्र के इन असहाय लोगों के लिए संगठित मंच बनाए जाने को सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं। दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषि मजदूर और अलग थलग पड़े कुटीर उद्योगों में कार्य कर रहे लोग ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बल के बहुसंख्यक लोग हैं। इस विधेयक में एक प्रावधान है जो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर संघों की कार्यकारी समिति के लगभग 50% सदस्य बाहर से हो सकते हैं। इससे उन्हें पूरी तरह नहीं बल्कि आंशिक रूप से सहायता मिलेगी। तथापि यह स्वागत योग्य कदम है परन्तु यह पर्याप्त नहीं होगा।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री सी० श्रीनिवासन]

इसलिए मैं सरकार से विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का आग्रह करता हूं।

तमिलनाडु में वित्तीय सहायता, अनुग्रह राशि का भुगतान और दुर्घटना बीमा योजना जैसे श्रमिक कल्याण उपाय हमारे संस्थापक नेता पुरात्चि थालैवी एम जी आर के समय से ही मौजूद है। यह तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के रूप में हमारे नेता डा० पुरात्चि थालैवी के शासन-काल के दौरान सतत् रूप से जारी है। मैं माननीय श्रम मंत्री से तमिलनाडु की आदर्श योजनाओं का अनुकरण कर हमारे देश में सभी जगह ऐसी योजनाओं को आंरभ करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कामगारों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू करने के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता देने हेतु असंगठित क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण कोष गठित किया जाए।

डी.एम.के. के मेरे सहयोगी जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, ने कहा कि प्रत्येक चुनावों के पश्चात् होने वाले सत्ता परिवर्तन से योजनाओं को ताक पर नहीं रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी और सरकार जाएगी। तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं रही। परन्तु केन्द्र में उनके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। ''कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे'' हमारे प्रणेता एम जी आर और हमारी नेता और तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री डा० पुरात्चि थालैवी की आदर्शोक्ति रही है जिन्होंने उन महान आदर्शों को बनाए रखा। हमारी सरकार सभी श्रमिक कल्याणकारी उपायों को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखेगी चाहे सरकार क्यों न बदल जाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी नेता डा० पुरात्चि थालैवी के नेतृत्व वाली तामिलनाडु सरकार किसी भी जारी समाज कल्याण योजना के रास्ते में नहीं आएगी।

जैसा कि केन्द्र अब इस व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक को खंडशः ऊधार पर ले कर आई है और चूंकि वे भारतीय समाज के व्यापक हिस्से को लाभ पहुंचाने वाले एक व्यापक विधेयक को नहीं ले कर आए हैं, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

इमके साथ, मैं समाप्त करता हूं।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, मैं व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि मजदूर संघों की समृद्धि और कामगारों के कल्याण पर निर्भर करती है। यदि कामगार अच्छी स्थिति में हैं तो सामान्यतः उद्योग भी अच्छी स्थिति में होंगे। अन्यथा, कोई उद्योग बच नहीं सकता और पनप नहीं सकता है। यह उद्योग और कामगारों, दोनों के लिए एक साथ कार्य करने और राष्ट्र के कल्याण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। तथापि, उदारीकरण और विनिवेश के मद्देनजर उनके हित में मजदूर संघवाद से संबंधित कानून बनाने हेतु एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है। औद्योगिक क्षेत्र में कई बातें घटित् हो रही हैं परन्तु मजदूरों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज नहीं तो कल, माननीय डा० सत्यनारायण जटिया को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिससे किसी कामगार की नौकरी न छूटे। ऐसा इसलिए है कि कल्याणकारी राज्य में समाज की पहली अर्हता यही है। किसी उद्योग में कामगारों की संख्या कितनी भी हो सकती है परन्तु किसी कामगार के पास कोई दूसरी नौकरी नहीं होती। नौकरी तलाश करना बड़ा ही कठिन है और हमारा राष्ट्र बहुत गरीब है। हमारी जनसंख्या 100 करोड़ है और आज की समस्या उनको नौकरी उपलब्ध कराने की है। युवा हताश है। हमारी सरकार ने प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया है और युवा अभी भी उसके प्रलोभन में हैं लेकिन अभी तक यह सरकार नहीं हो सका है। इस संदर्भ में आपको लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए उनको और अधिक रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान देते हुए उपाय करने चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि सभा सहमत हो तो, हम इस विधेयक को पारित करें और तत्पश्चात् दूसरा मद, नामतः गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य को लें। विधेयक पर केवल दो सदस्यों को बोलना है और इसमें केवल लगभग 15-20 मिनट लगेंगे।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके लिए चार घंटे का समय था। अब प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का समय हो गया और हम लोगों को अभी बोलना बाकी है। अब कैसे होगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप ही बोल रहे हैं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : यह कैसे होगा, ये दोनों क्लेश कर रहे हैं। 3.30 बजे तो प्राइवेट मैन्बर्स बिजनेस शुरू होगा और इसमें चार घंटे का समय है, जिसमें से डेढ़ घंटा तो बिता ही दिया। . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें केवल हम 15-20 मिनट लेंगे।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : किसी-किसी बिल में आधे घंटे का समय रहता है—उसमें हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं—इसके लिए तो चार घंटे का समय है, फिर समय की क्यों कटौती हो रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सत्ता पक्ष की तरफ से भी अनुरोध है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हमें इस विधेयक को पारित करने के लिए सायं 6 बजे के बाद तक बैठना होगा क्योंकि मंत्री जी को सोमवार को एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना है। यही समस्या है। या तो इसे अभी पारित किया जाए या फिर इसे सायं 6 बजे के बाद लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक को 15-20 मिनट में पारित कर सकते हैं अथवा गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य समाप्त करने के पश्चात् इस विधेयक को फिर से लें।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : छः बजे के बाद कैसे होगा?

श्री प्रमोद महाजन : अभी एक चीज में तो कोआपरेट करिये।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : मंत्री जी नहीं रहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : आप ऐसा मत कहिये कि मंत्री नहीं रहेगा। आप बैठे रहिये।

[अनुवाद]

हम यहां केवल आपसे बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। कृपया कुछ जिम्मदारी के साथ बोलिये।. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मंत्री जायेगा, आप बोलते हैं तो बोलते रहिये। यहां स्पीकर है तो आप बीच में क्यों आते हैं? मंत्री नहीं हैं, आप बोलते रहिए, आप क्या समझते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ से मैं केवल सभा के विचारों के बारे में अनुमान लगा रहा हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं उनकी इस टिप्पणी का विरोध करती हूं कि मंत्री चले जाएंगे तो भी हम बात करते रहेंगे। सभा किसी अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन से अधिक महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, हम यहां किसलिए आ रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सदस्यों की पीड़ा से मेरा भी सरोकार है। वास्तव में, इस विधेयक के लिए चार घंटे आवंटित किए गए हैं। लेकिन दो घटनाओं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, के कारण यह विधेयक आगे खिंचता चला गया था। इस विधेयक के संबंध में मंत्रीजी ने मुझसे भी अनुरोध किया था। चूंकि अब बोलने के लिए दो सदस्य ही बाकी हैं इसलिए मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और उन अन्य सदस्यों से अपील करूंगा जो चले गए हैं कि यदि हम इस विधेयक को पारित करने के लिए 15-20 मिनट का समय लेते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य के समय को 6 बजे से 6.30 बजे तक बढ़ा दें तो हम उनका भी सामंजस्य कर सकते हैं। मैं हर बार टकराव नहीं चाहता हूं। इस मामले में मैं सहयोग करना चाहता हूं। पिछले दो दिनों की घटनाओं से हमें महसूस हुआ है कि समय बेशकीमती है और वह हमारे हाथ में ही है। हमारी ओर से तीन वक्ताओं को बोलना था। इस समय एक सदस्य अनुपस्थित है और दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। यदि सरकार की ओर से भी वक्ताओं की संख्या घटा दी जाती है और विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित किया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है. . .(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाइं : आप मुझे डांट रही हैं, मेरा भी नाम था, लेकिन मैंने बोलने से मना कर दिया।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आपका नाम उन्होंने विदड्रा किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैंने रघुवंश बाबू को पुकारा है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित संशोधन विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है। यह कामगारों से सम्बन्धित विधेयक है। देश में सारा उत्पादन का काम कामगार करते हैं। मजदूर ही कारखाना चलाते हैं, खेती करते हैं, कपड़ा बनाते हैं और बड़े-बड़े मकान बनाते हैं। दुनिया में सारा कुछ मेहनतकश मजदूर ही करते हैं। लेकिन ये चालाक लोग, पूंजीपति लोग पूंजी पर कब्जा जमाकर बैठे हैं। उनके द्वारा इन मजदूरों का शोषण होता है। उस शोषण के खिलाफ कोई कानून सरकार को बनाना चाहिए। रामानुजम समिति बैठी थी, सरकार ने दावा किया है कि उस समिति की अनुशंसा के मुताबिक हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं। लेकिन रामानुजम समिति की जो अन्य सिफारिशें हैं, उन पर इन्होंने गौर नहीं किया। केवल जो बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को सूट करती हैं, जो पूंजीपतियों को सूट करती हैं, उन सिफारिशों को सरकार मानकर यह विधेयक यहां लाई है। मजदूरों के लिए कोई काननू नहीं है। रामानुजम समिति ने कहा था कि प्रबंधन में मजदूरों को शामिल किया जाना चाहिए। क्या कठिनाई है सरकार को मजदूरों

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

को प्रबंधन में शामिल करने में? यह सही है कि ट्रेड यूनियनिज्म हो, मजदूरों को अधिकार मिले, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा कंफंट्रेशन हो जाता है कि उद्योग ही बर्बादी की तरफ चला जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उद्योग को बचाया जाना चाहिए। लेकिन मजदूरों की कीमत पर नहीं, उनके हितों की अनदेखी करके नहीं। अभी कहा गया कि मजदूर को देशभक्त होना चाहिए। हम लोग दावा करते हैं कि जो मेहनतकश लोग हैं, पसीना बहाने वाले हैं और जो उत्पादन और निर्माण करते हैं, वे हिन्दुस्तान में किसी से भी ज्यादा देशभक्त हैं। लेकिन इनको लगता है कि पूंजीपति ही देशभक्त हैं, यही इन लोगों की मानसिकता है और इसको सहन नहीं किया जा सकता। मजदूर लोगों को आजादी मिलनी चाहिए थी। वे जिसको चाहे चुनें, लेकिन इस बिल में प्रावधान है और उसी में से लीडर चुना जाना चाहिए। जबकि बाहर के लोग भी उनकी भलाई के लिए अच्छा काम करने वाले होते हैं। मजदूर अधिकतर अनपढ़ होते हैं। वे सारा दिन फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर घर का काम करते हैं इसलिए वे इतना नहीं सोच सकते कि किसको इसी में से चुना जाए। इसमें यह भी प्रावधान है कि 100 मजदूर वाली यूनियन होनी चाहिए, तब ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इस सरकार के बजट भाषण में है कि एक हजार मजदूर जिस कारखाने में काम कर रहे हों, उसका मालिक जब चाहे, वह कारखाना बंद कर सकता है। हमारे पास कई मजदूर लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए कोई वेलफेयर नहीं है, सब कुछ मेनेजमेंट के लिए है। वे लोग हमें दो-चार साल के लिए काम पर रखते हैं और फिर निकाल देते हैं। अभी दिल्ली में एक फैसले के तहत छोटे कारखानों और उद्योगों को यहां से बाहर कर दिया। इ कारण बड़ी संख्या में मजदूर बेकार हो गए और अब वे बेहाल हो रहे हैं। जो मेहनतकश लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके लिए प्रोटेक्शन का इंतजाम होना चाहिए।

महाभारत की कहानी मुझे इस समय याद आ रही है। जिस समय भीष्म पितामह बाण शैया पर थे, वे ज्ञान की बातें करने लगे। यह सुनकर द्रौपदी हंसने लगी। इस पर पितामह ने पूछा कि हंस क्यों रही हो। इस पर उसने कहा कि पितामह जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, अनर्थ हो रहा था, उस समय तो आप चुप थे और आज ज्ञान की वाणी बोल रहे हैं। इस पर पितामह ने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। इस कारण मेरे शरीर में उसी का खून दौड़ रहा था। इसलिए तब जो गड़बड़ी और अनर्थ हो रहा था, मुझ में बोलने की, उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उस समय यह ज्ञान नहीं था।

जब बाण शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुन रहे हैं न?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय उनके शरीर का सारा खून बह गया और अब मैं ऊंचे ज्ञान की बात कर रहा हूं। महाभारत की यह कहानी जग जाहिर है और वही मैं कहना चाहता हूं। चूंकि यह सरकार पूंजीपतियों की मदद से बनी है और उनका अन्न खाये हुए है, इसीलिए पूंजीपतियों के मुताबिक कानून बना रही है। जब भीष्म पितामह जैसा प्रतापी दुर्योधन का अन्न खाने से उनका मन दुर्योधन की तरफ हो गया था और इसीलिए वे धर्म और नीति के मुताबिक सही आकलन नहीं कर सके तो यह सरकार जो बड़े आदमी और पूंजीपतियों की मदद से बनी हुई है, यह सरकार क्या मजदूरों का हित देख सकेगी? नहीं देख सकेगी। इसीलिए सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि रामानुजम कमेटी की सिफारिशों को लाने का काम उन्होंने क्यों नहीं किया? जो पूंजीपतियों को सूट किया, वही कानून ही यह सरकार ला रही है। मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलानी चाहिए। जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए यह सरकार गड़बड़ कानून ला रही है और उनको देखने वाला कोई नहीं है। पहले भी कानून बना हुआ था लेकिन उस कानून को दबाने वाले देश के जो स्वार्थी तत्व हैं, जो अवसरवादी हैं, जो शोषक लोग हैं, वे सरकार पर हावी हैं। वे चाहते हैं कि किसी हालत में मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब आदमी के लिए कानून नहीं बने और उसे प्रोटैक्शन नहीं मिले। इससे देश के लिए खतरा है और यह देश के लिए चुनौती है कि मजदूरी करने वालों का शोषण देश में जारी रहेगा। जब तक यह सरकार मेहनत मजदूरी करने वाले, गरीब आदमी के पेट के सवाल का हल नहीं करेगी तो अभी जो स्थिति है, उससे भी ज्यादा दयनीय हालत हो जाएगी और खूनी क्रांति की संभावना हो सकती है क्योंकि पेट की आग मस्तिष्क से जब बाहर निकलती है तो आग फैलाती है। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि जो मेहनतकश लोग हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम सरकार न करे। मजदूरों को छंटनी का खतरा रहता है। उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। उन्हें आधा काम मिलता है, उन्हें पूरा रोजगार नहीं मिलता है। कम दाम पर उन्हें काम करना पड़ता है। दिल्ली में जो फैक्टरियां हैं, उनमें मजदूरों को 1200 रु., 1500 रु. या 2000 रु. महीने पर काम करना पड़ता है। इतने कम पैसे में जिंदगी कैसे चलेगी? साल भर में उन्हें केवल दो-चार महीना काम मिलता है। मजदूरी करने वाले लोगों के लिए यह संकट है। इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का कानून नहीं हो जो मल्टी-नेशनल और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला हो। 'एनरॉन' जो आया था, 7 रुपये बिजली हुई। जो विदेश से यहां आ रहे हैं, वे यहां शोषण करने के लिए आ रहे हैं। यहां सस्ता मजदूर है, इसीलिए वे यहां आना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको लाभ होगा। वे यहां परोपकार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि उसे राष्ट्रीय हित की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और दबे हुए लोग जो

हैं चाहे वे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में हों, उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मजदूर भी अब कह रहे हैं : अब लौ नसैनी, अब न सहियो। अब जो हुआ, सो हुआ लेकिन आगे मैं अब नहीं सह सकता हूं। इसलिए ये सारी बातें देखकर सरकार को एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए जो मजदूरों के हितों के खिलाफ नहीं हो, जो रामानुजम कमेटी की अनुशंसाओं के खिलाफ नहीं हो और जो मल्टी-नेशनल और पूंजीपतियों के पक्ष में नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं मानता हूं कि यूनियनों की बहुलता से बचना अच्छा है लेकिन किसी यूनियन की सदस्यता के लिए किसी को बाध्य करना अच्छा नहीं है। इसलिए, न्यूनतम सीमा को निर्धारित करना उपयुक्त नहीं हो सकता है। इस आशय का परन्तुक कि यह दस प्रतिशत हो सकता है या कुछ और प्रतिशत हो सकता है और वह भी न्यूनतम के अधीन होगा, बिल्कुल ठीक है।

जहां तक कुछ प्रतिष्ठानों का संबंध है तो दूसरा परन्तुक कुछ कष्टप्रद है क्योंकि इसमें कामगारों की संख्या बहुत कम होगी। इसलिए, न्यूनतम सीमा के रूप में सात का निर्धारण उपयुक्त नहीं होगा। मैं इसी बात को मुख्य पहलू के रूप में कहना चाहता हूं।

जैसा कि लगभग सभी वक्ताओं ने कहा है, मैं भी विशेषकर उस नए परिदृश्य में जहां हमारे पास वैश्वीकरण, निजीकरण और विनिवेश हो रहा है पर एक व्यापक विधेयक चाहता हूं। श्रमिकों के बीच कई समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। रेलवे स्टेशनों पर पोर्टर (भार वाहकों) का ही उदाहरण ले लीजिए। रेलवे ने उन्हें सामान की ढुलाई की अनुमति दी है, उन्हें रेलवे पास की सुविधा भी दी गई थी। लेकिन दक्षिण में मंगलौर रेलवे स्टेशन पर अचानक ही निजीकरण कर दिया गया। वहां निविदाएं आमंत्रित की गईं और इन श्रमिकों के साथ विचार-विमर्श किए बिना ही इन कार्यों को अन्य लोगों को दे दिया गया। इस प्रकार का कदम आगे नहीं उठाया जाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निजीकरण के कारण कामगारों की तबाही हो रही है।

हमें प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में भी नया कानून बनाना चाहिए। इसमें कुछ हद तक निवेश और लाभ की भागीदारी पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे श्रमिक संघ, 2001 पर बोलाने के लिए समय दिया।

इस विधेयक में नियोजकों, कर्मकारों के व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रेशन का उपबन्ध किया गया है। मेरे विचार से इससे एक भ्रम उत्पन्न होता है। मजदूरों के हितों के लिए इस विधेयक का नामकरण ट्रेड यूनियन के स्थान पर लेबर यूनियन रखा जाता, तो उचित होता। कारण यह कि 761 नियोजकों के व्यवसाय संघ और लगभग 50 हजार कर्मकारों के ट्रेड यूनियंस रजिस्टर हुए हैं। इसमें जो भावना है, वह मजदूरों के संदर्भ में इस विधेयक में है और दूसरे, जहां तक ओटोमेशन और कम्प्यूटराईजेशन का सवाल है, उस हिसाब से यह सरकार विपरीत दिशा में जा रही है। पहले न्यूनतम सात की संख्या में रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब दस प्रतिशत पर बैन लगाना और सौ लेबर की मैम्बरशिप देना उचित नहीं है। कारण यह है कि हर उद्योग में लेबर्स की संख्या क्रमशः कम होती जा रही है, इसलिए इस संख्या को और कम करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

डा० सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस बिल को आपने इतना महत्व दिया। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में जिस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं वह प्रायः श्रम संगठनों के संबंध में सबसे पुराना 1926 का बिल है। उसमें अभी तक ऐसा कोई संशोधन नहीं हो पाया। यह कोई बात नहीं है, जैसा कहा जा रहा है कि इससे मजदूरों का अहित हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में नेतृत्व विकास एक बहुत बड़ी बात है। जितने लोग बंटते जाते हैं, उतनी ताकत घटती जाती है और ट्रेड यूनियंस में जो लोग काम करते रहे हैं वे जानते हैं कि उनकी जितनी ताकत बढ़ती है उतनी बारगेनिंग केपेसिटी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अधिक यूनियंस के बन जाने से हम किसी के अधिकार को सीमित कर रहे हैं। अधिक यूनियंस बन जाने से उनकी जो संगठित ताकत है और आप जानते हैं कि वे केवल किसी के मोटिवेशन से या कोई यूनियन बनाने के लिए स्वतः प्रेरणा से काम करते हैं, किन्तु अन्यान्य लाभ भी बाकी के लोगों के जुड़े होते हैं। उसके कारण भी ट्रेड यूनियंस की स्थिति इस तरह की हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है। इसमें किसी भी की ऐसी कोई बात नहीं हैं, क्योंकि बहुत लम्बे विचार के बाद रामानुजम कमेटी बनी थी। उसमें सारा विचार हुआ। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनी। सब की राय लेकर, सलाह-मशिवरा करके उसमें हमने एक कदम आगे बढ़ाया।

हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि इसमें रिकॉग्नेशन की बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इसमें रिकॉग्नेशन की बात हो जाए, गुप्त मतदान के माध्यम से और जो अन्य पद्धतियां उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से रिकॉग्नेशन जरूर हो जाना चाहिए। अब यह व्यवस्था है कि दो वर्ष तक किसी को भी मान्यता देने के लिए हमने नियम बनाया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वस्थ ट्रेड यूनियन यहां विकसित

[डा० सत्यनारायण जटिया]

हो तथा स्वस्थ वातावरण में, औद्योगिक दृष्टि से भी हम काम कर सकें। उसमें किसी भी तरह से उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कानून में प्रावधान थे, उनमें जो नेतृत्व विकास है, पहले भी प्रावधान थे कि बाहर से लोग आएं और अब भी प्रावधान है कि बाहर के लोग उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अब पांच तक संख्या सीमित कर दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमने किसी को रोक दिया है। जिसे मार्गदर्शन करना है, बारगेनिंग करनी है वह टेबल पर आ कर बात कर सकते हैं और नेतृत्व करने के लिए मौके हैं। अब पांच लोग भी नेतृत्व कर सकते हैं और दस लोग भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई रुकावट नहीं है। मोटे तौर पर जो विचार-विमर्श हो गया था, जैसे मैंने सारे उद्देश्य को पढ़ते हुए और उसके कारण को रखते हुए कहा था कि हमारे नेतृत्व का विकास हो गया। हम देख रहे हैं कि 1926 का कानून बना हुआ है, जिसे 75 साल हो गए हैं। इन 75 वर्षों में हमारे देश में श्रमिक क्षेत्र का, श्रम संगठनों का नेतृत्व विकसित नहीं हो रहा है, ऐसा हम कैसे मान लें। निश्चित रूप से इनका नेतृत्व हुआ है। जहां तक कानून की बात है—एक साथ पूरा कानून लाने पर सैकिंड लेबर कमीशन काम कर रहा है। वह रिपोर्ट आ जाने के बाद हम कॉम्प्रीहैंसिव पूरी तरह से, जिस तरह माननीय सदस्यों की राय थी, उसे मानते हुए, हम ठीक प्रकार का मजदूरों के हित में कानून ला सकें. . . *(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी हो, ऐसा कानून लाइए।

डा० सत्यनारायण जटिया : सरकारी उपक्रमों में बहुत जगहों पर इसे लागू किया हुआ है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी का क्या हुआ?

डा० सत्यनारायण जटिया : हम जान रहे हैं कि श्रम और पूंजी को कम मानने की जरूरत नहीं है। मेरी और बाकी सब लोगों की मान्यता यह है कि कोई भी पूंजी का, समृद्धि का निर्माण अगर होता है, विकास और प्रगति होती है तो केवल पूंजी से नहीं होती, श्रम से तकनीकी का निर्माण होता है और श्रम के कारण ही तकनीकी बनती है। उसके कारण कौशल बनता है और कुशलता के कारण अच्छा प्रोडक्शन होता है तथा उसके कारण उसका मूल्य बनता है। इसलिए किसी भी वस्तु को मूल्यवान बनाने में श्रम और तकनीकी दोनों की जरूरत है। किसी भी समृद्धि में अगर श्रम, तकनीकी और पूंजी को तीन हिस्से मान लिए जाएं तो उसमें श्रम और तकनीकी दो हिस्सों का योगदान है। यह श्रम के माध्यम से ही होने वाला है। इस दृष्टि से किसी भी रूप में यदि श्रम और तकनीकी को प्रभावित करना, इसे कम करना, इसका आकलन करना, यह कभी भी नहीं होगा। इसे जो नज़रअंदाज करेगा, उसे निश्चित रूप से उसका खामियाजा, उसके नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा।

आज हम यह चाहते हैं और बहुत लोगों के विचार करने के बाद, राज्य सभा ने भी इसे पारित किया है और कमेटी में भी पारित हुआ है। आप सब के विचारों को बहुत ध्यान से मैंने सुना है और माननीय सदस्यों ने जो विचार दिए हैं निश्चित रूप से हमारे लिए वे बहुत मूल्यवान हैं। श्री पवन सिंह घाटोवार ने बात कहते हुए निश्चित रूप से बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि रिकग्निशन की बात भी होनी चाहिए और लेबर पॉलिसी का निर्धारण कौन करेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि लेबर पॉलिसी का निर्धारण हम करेंगे, देश करेगा, यह संसद करेगी और ऐसी नीति हम बनाएंगे जिसमें श्रम के क्षेत्र में, उसकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में बाकी के प्रबंध किए जाएं और किसी भी तरह से श्रमिक को ऐसे न छोड़ा जाए जिसके कारण उसे असुरक्षा महसूस हो। बदलते हुए परिवेश में जरूर यह दिखाई देता होगा कि हम आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं किंतु पिछले समय जब मैंने आईएलओ में अपनी बात कही तो हमने कौशल वैश्वीकरण की बात कही है, स्किल-ग्लोबलाइजेशन की बात कही है। यदि पूंजी दुनिया के किसी हिस्से से आने में कोई प्रतिबंध नहीं है तो हमारा श्रम कौशल भी दुनिया में जा सकता है और उस बात की पैरवी करने का काम, अगुवाई करने का काम हिंदुस्तान बखूबी कर सकता है। हमारे यहां कौशल की जो पद्धति है वह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आज के अवसर पर श्री पवन सिंह घाटोवार ने, श्री थावरचंद गहलोत ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके विचारों को मैंने बहुत बारीकी से और गहराई से लिया है। माननीय बसुदेव आचार्य जी ने जो कहा है, उसके बाद श्री अरसूले जी ने अपनी बात को कहा है, श्री तिवारी जी इस पर बोले हैं, माननीय विजयन जी बोले हैं, श्री श्रीनिवासन जी बोले हैं, श्री मूर्ति जी बोले हैं और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने तो बहुत अच्छा बोला है, वे बोलते भी बहुत अच्छा हैं और निश्चित रूप से इस आधार पर श्री थामस जी का विचार हुआ है और श्री चौहान साहब का भी विचार हुआ है।...*(व्यवधान)* इन सारी बातों पर जब हम विचार करते हैं तो यह सारा सर्वांगीण विचार है और हम सब श्रमिक क्षेत्र से आते हैं और मजदूरों के हित की बात करते हैं और चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ को कमाने के लिए शोषण की तरफ तवज्जोह नहीं देना चाहिए। मेहनतकश की कीमत पर अगर कोई लाभ कमाया जाता है तो वह अन्याय है। मेरा विश्वास है कि मेहनतकश को उसकी मेहनत का हक देना चाहिए और हम उसके पक्ष में हैं। उसकी मेहनत

को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा तो हम उनकी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं, यह राष्ट्र कृतज्ञ है। आप सबने जो सुझाव दिए हैं उनका स्वागत करते हुए मैं सोचता हूं कि हम आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें श्रम के कल्याण की दिशा है, श्रम के नेतृत्व की दिशा है और देश की उन्नति की दिशा है। मुझे विश्वास है कि आप इस विधेयक को पारित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी ।

खंड 2—धारा 4 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री ए०सी० जोस—उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4—धारा 6 का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : श्री ए०सी० जोस—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5—नई धारा 9क का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.सी. जोस—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 8—धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

अध्यक्ष महोदय : खंड 8 में संशोधन श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 8—

"नहीं" का लोप किया जाए। (1)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 22 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 अगस्त, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

[अनुवाद]

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 177 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलूर बसवनागौड : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.02½ बजे

[अनुवाद]

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 130 का संशोधन)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.03 बजे

[अनुवाद]

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.2001 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.2001 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलूर बसवनागौड : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.04 बजे

[अनुवाद]

(चार) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*
(धारा 2 का संशोधन)

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित काने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामानन्द सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05 बजे

[अनुवाद]

(पांच) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.2001 में प्रकाशित।

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.05½ बजे

[अनुवाद]

(छह) चलचित्र (संशोधन) विधेयक*
(धारा 2, आदि का संशोधन)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.06 बजे

[अनुवाद]

(सात) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*
(नई धारा 298क से 298ग का अंत:स्थापन)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.2001 में प्रकाशित।

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.06½ बजे

[अनुवाद]

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 85, आदि का संशोधन)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने के अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

[अनुवाद]

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 189 का संशोधन)

श्री कोलूर बसवनागौड (बेल्लारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.2001 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कोलूर बसवनागौड : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.07½ बजे

[अनुवाद]

(दस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
(पहली अनुसूची का संशोधन)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.08 बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 117 आदि का संशोधन)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 24.8.2001 में प्रकाशित।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.09 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

(बारह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक—विचाराधीन

सभापति महोदय : सभा अब आज की कार्य सूची की मद संख्या-60 पर चर्चा करेगी। श्री अधीर चौधरी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : धन्यवाद, सभापति महोदय। श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित किया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मेरा इस पूरी सभा से अनुरोध है कि वह भी इस विधेयक के समर्थन में आगे आए क्योंकि इस विधेयक में निहित मुख्य तत्वों का संबंध किसी निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश या राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। यह हमारे राष्ट्रीय महत्व का सवाल है क्योंकि इस विधेयक का मूलभाव भारत में उन पददलित और दबे-कुचले लोगों के कल्याण और उनकी कुशलता से जुड़ा हुआ है जो अभी भी अलग-थलग समुदाय से संबंधित हैं।

कौल के अनुसार, कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें प्रत्येक नागरिक के पास जीवन-यापन और अवसर के सभी संभावित न्यूनतम स्तर प्राप्त हो जाता है। हमने आजादी के बाद से अब तक काफी प्रगति की है और हमने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास दर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। किन्तु, बहुतों ने देखा कि हम अभी भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनकी कुशलता के लिए पुन: चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए थोड़ा अपमानजनक है। महोदय, हमें इस सभा का इस मामले में नाजायज राजनीतिक फायदा उठानेवाले राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल कर इसका अपमान नहीं करना चाहिए। आरक्षण हमारे समाज के पिछड़े और दबे कुचले वर्ग का उत्थान सुनिश्चित करने का एक रचनात्मक तंत्र है। अत:, हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी अफर्मेशन एक्शन, मलेशिया में भूमि पुत्रों को दी गई प्राथमिकताओं की तर्ज पर आरक्षण नीति की परिकल्पना की थी। फिर भी, ऐसा पाया गया है कि ढेरों विधान और नाना उपायों के बावजूद आज भी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव बेरोक-टोक जारी है।

महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की कि राज्य कमजोर तबके के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष रूप से संवर्धन करेगा तथा सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

किन्तु, आज हमारी चेतना को उद्वेलित करने वाले समाचार प्रमुखता से देखने को मिल रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की संख्या अब भी 5,77,000 है। पौ फटते ही वे लोग अपने सिर पर मैला ढो रहे होते हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 1991 से 1998 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं पर हुए अत्याचार के 27,485 मामले प्रकाश में आए थे? हालांकि वर्ष 1989 में हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचार से बचाने के लिए इस सभा में एक विधेयक पारित किया था। अब मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों में हमने जो कुछ भी किया है उनका आत्म-विश्लेषण और सिंहावलोकन करने का अब उचित समय आ गया है। यहां हमारी मंशा एक दूसरे पर किसी प्रकार का दोषारोपण करने की नहीं है। यदि डा० अम्बेडकर के कुछ वाक्यों को उद्धृत करूं तो उन्होंने कहा था :-

> "अस्पृश्य लोग आज असहाय हो सकते हैं। किन्तु, एक न एक दिन वे निश्चय ही ताकतवर होंगे। चूंकि इस धरती पर न्याय है, इसलिए दलित लोगों के संचित क्रोध को पचा पाने के लिए यहां कोई जगह नहीं है।"

अगले 20 वर्षों में भारत की वास्तविक प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने उन दबे-कुचले लोगों के लिए क्या किया है। अत: पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आपने जो कुछ किया है उसी में भारत की प्रगति निहित होगी। यह कहना मूर्खता होगी कि भारत आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अनेक प्रकार के सामाजिक भेदभावों और अत्याचारों से ग्रसित है। हमारे संविधान ने संसद में, विधानमंडलों में, शिक्षा में और नौकरियों में भी कई तरह के आरक्षण का प्रावधान किया है।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको इस पक्षपात को समझने में सहायता होगी। केन्द्रीय सेवाओं में दिये जाने वाले 15 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में—श्रेणी-1 के पदों के लिए इनका प्रतिनिधित्व 8.23 प्रतिशत था, श्रेणी-2 के पदों के लिए यह 10.47 प्रतिशत और श्रेणी-3 के पदों के लिए 14.76 था। बैंकिंग क्षेत्र में, श्रेणी-1 के पदों के लिए यह 7.29 प्रतिशत तथा लिपिकीय वर्ग के पदों के लिए 13.7 प्रतिशत है।

सभापति महोदय : श्री अधीर चौधरी, हम पूरी आरक्षण नीति पर चर्चा नहीं कर रहे। आप विधेयक की बात कीजिए।

श्री अधीर चौधरी : यह बात विधेयक से बहुत सम्बन्ध रखती है।

सभापति महोदय : यह तो निजी प्रतिष्ठानों में आरक्षण के बारे में है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, सार्वजनिक उद्यमों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रथम श्रेणी के पदों हेतु लगभग 4.86 प्रतिशत और दो अन्य श्रेणियों के पदों के लिए 6.17 प्रतिशत—इतना ही है।

वास्तव में, मेरा सोचना यह है कि यह बात यहां बहुत प्रासंगिक है। कुछ दिनों पहले देखने में आया था कि यह सरकार इस संबंध में हर संभव तर्क दे रही थी ताकि उस समय डरबन में होने वाले विश्व सम्मेलन में जाति का मुद्दा न उठ सके। इसने इस हेतु अपने सारे संसाधन झोंक दिये कि क्या-क्या बाधाएं खड़ी कर दी जाएं, जिससे हमारे दलित वर्गों को विश्व समुदाय के सम्मुख अपनी आवाज़ उठाने का मौका न मिल सके। इसके लिए इन लोगों ने एक बड़ा हास्यास्पद तर्क दिया कि यह तो हमारे देश का आंतरिक मामला है। मैं 7-13 जुलाई, 2001 के 'इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली' से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा :-

> ''अम्बेडकर ने दिखाया कि जातिगत भेदभाव की समस्या के समाधान की सीमा केवल ग्राम, जिला, राज्य या देशगत ही नहीं होनी चाहिए। किसी भी आंतरिक या बाह्य व्यवधान की भौगोलिक सीमाओं अथवा राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। कोई समाधान तभी आंतरिक माना जाता है जबकि उसके निर्णय में उन सभी लोकतांत्रिक, सांविधानिक तथा विधिक आधारों, निकायों तथा अभितंत्रों का उपयोग हो, जिनके प्रति राज्य स्वेच्छा से निष्ठा रखता हो। भारत के संदर्भ में 'संयुक्त राष्ट्र नस्लवाद-विरोधी सम्मेलन' एक आन्तरिक तंत्र माना जा सकता है, क्योंकि भारत ने 1969 में स्वेच्छा से सी.ई.आर.डी. को उचित ठहराया था और इस प्रकार उसे राष्ट्र के लिए बाध्यकारी माना था। अंतकवाद या इस प्रकार के कुछ अन्य अलोकतांत्रिक तरीके बाह्य समाधान हैं। अतएव, सी.ई.आर.डी. और डब्ल्यू.सी.ए.आर. के ध्यानार्थ और कार्रवाई-हेतु जातिगत भेदभाव को रखना बाह्य समाधान चाहना नहीं है। अपितु, यह तो एक संविधान सम्मत, विधिसम्मत और लोकतांत्रिक तरीका ही है, जिसके माध्यम से दलित और ऐसे ही अन्य भेदभावग्रस्त समुदाय उन कानूनों को अधिक सशक्त बनाने की आशा कर सकते हैं, जो अन्यथा आज तक उन्हें भेदभाव से बचाने में विफल ही सिद्ध हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विषयक तंत्रो का उपयोग तो संबंधित देशों की सरकारों को इस हेतु अधिकृत ही करेगा कि वे अपनी सांविधानिक और वैधानिक वचनबद्धताओं को पूरा कर सकें और इस प्रकार राष्ट्र के संविधान में परिकल्पित आदर्शों की प्राप्ति के प्रयास में राष्ट्रीय अखण्डता की भावना मजबूत कर सकें तथा उसका नवनिर्माण कर सकें।''

इस तरह एन०डी०ए० सरकार ने अपना गुप्त एजेंडा प्रकट कर दिया है। यह एजेंडा के अनुसार वे लोग जो हमारे समाज की वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जो मध्ययुगीन विचारधारा में विश्वास करते हैं; वे यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आगे न आएं और न ही इस देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कोई स्थान बनाएं। मैं एक खास बात पर जोर दूंगा कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण होने के तुरंत पश्चात् से ही नौकरियों और रोजगार के अवसरों में तेजी से कमी आने लगी है और इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पहले से ही खराब स्थिति और खराब हो जायेगी। अत:, मैं इस सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह 'डाइवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका' की तरह ही एक तंत्र बनाए और उसे अमल में लाए ताकि निजी क्षेत्र में भी अ०जा० और अ०ज०जा० वर्ग के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि शरीर का एक अंग रोगग्रस्त हो, तो पूरे शरीर में दर्द अनुभव होता है। यदि देश के अ०जा० और अ०ज०जा० वर्ग के लोग—जिनकी संख्या बहुत अधिक है — पीड़ित रहेंगे तो स्वाभाविक ही है कि भारत भी पीड़ित होगा। और, यही कारण है कि भारत ने विगतकाल में काफी पीड़ा भोगी है।

माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपात ने जो विधेयक पुर:स्थापित किया है उसमें उन्होंने केन्द्रीय सर ार तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के विषय में उल्लेख किया है, यहां तक मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं।

यदि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि नौकरियों का एक निश्चित भाग अ०जा० और अ०ज०जा० वर्ग के लिए सुरक्षित रखा जायेगा, तो ऐसा किया जाना चाहिए; और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। अब निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया जाता है। जी हां, यह सम्भव है। हम इसकी मांग कर सकते हैं। उदारीकरण और भूमंडलीकरण किये जाने से धीरे-धीरे अधिकांश सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र में जा रहे हैं। निजीकरण की वजह, से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिसंख्यक लोगों की अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन यहां मुद्दा यह है कि यदि आप आरक्षण के लिए प्रावधान करते हैं तो यह सुनिश्चित कौन करेगा कि

आरक्षण सम्बन्धी नीतियों का पालन किया भी जा रहा है या नहीं? अब हम यहां विधेयक लेकर आ रहे हैं और हर दिन संसद में चिल्ला रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र तक में – जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने ही कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, विधायक, संसद-सदस्य आदि – हैं, वहां भी हम सरकारी नियमों को सौ-फीसदी लागू नहीं कर पाये हैं! फिर, आप यह उम्मीद कैसे रखते हैं कि निजी क्षेत्र में ऐसा होगा? इसे कौन देखेगा?

यहां मेरा कहना यह है कि भारत की जनता का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस तरह के आरक्षण का समर्थन नहीं करता। चूंकि इस तरह के लोग काफी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, तो पूरे समय वे इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे इस आरक्षण-नीति के रास्ते में रोड़े अटकाये जाएं! मैं यह जानता हूं। निजी क्षेत्र में भी ऐसा होने लगेगा। मेरा कहना यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति का दायित्व, दूसरों की बजाय खुद उसी वर्ग पर – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर – ज्यादा है। यह उम्मीद रखना कि सरकार ऐसा कर देगी या अन्य समुदाय ऐसा कर देंगे—मैं नहीं सोचता, कि इससे कोई संगत परिणाम निकलेगा।

यहां मैं एक बुनियादी सवाल रखता हूं। मैं किसी का विराधी नहीं हूं। मैं एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाऊंगा। केन्द्र सरकार में आई०ए०एस० और प्रथम श्रेणी में अनुसूचित जातियों के अनेक अधिकारी हैं। इनमें से कितनों ने अपने ही समुदाय में विवाह किया है? आप यदि इसका विवरण देखेंगे, तो चकित रह जाएंगे। मैंने अपने राज्य में और अधिकांश राज्यों में यह देखा है कि जैसे ही अनुसूचित जाति वर्ग का कोई व्यक्ति आई०ए०एस० बनता है तो वह अपने से ऊंची जाति में विवाह-सम्बन्ध करता है। अपने समुदाय को, वे बिलकुल भूल जाते हैं! जहां भी वे जाते हैं संस्कृतीकरण की प्रक्रिया में वे अपने को अनुसूचित जाति का न समझकर उच्च जातिवर्ग का समझने लगते हैं।

महोदय, मेरा कहना यह है कि यह कौन देखेगा कि आरक्षण का वास्तविक लाभ निर्धनतम व्यक्तियों तक पहुंच भी रहा है या नहीं? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में आप पायेंगे कि पहली पीढ़ी में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, दूसरी पीढ़ी में उनके ही बच्चों को यह लाभ मिला। इसी समुदाय के निर्धनतम व्यक्तियों तक तो यह पहुंचा ही नहीं! यह किसकी जिम्मेदारी थी? बेशक, मैं यह बात मानता हूं कि जब तक इन लोगों की दो या तीन पीढ़ियों को आरक्षण का यह लाभ नहीं मिलता, वे उच्चवर्ग के लोगों के बराबर खड़े नहीं हो पायेंगे—जो हजारों वर्षों से विशेषाधिकार संपन्न रहे हैं। मैं इस तर्क से सहमत हूं। लेकिन, फिर भी, मेरा मानना यह है कि उस समुदाय के लोग इस बात पर भी ध्यान दें कि इस व्यवस्था का लाभ नीचे तक पहुंचे।

दूसरी बात यह है कि आपने एक निजी कारखाना-मालिक का उदाहरण लें, जिसे अपना फायदा दिखाई देता है। यदि उसे यह लगे कि अनुसूचित जातिवर्ग का कोई लड़का या लड़की बहुत अच्छा काम करता है, तो वह खुद ही उसे काम पर रखेगा। क्योंकि उसे वह सस्ता पड़ेगा। श्रम पर खर्च भी अपेक्षाकृत कम रहेगा। एक अनुसूचित जाति का कार्मिक निश्चित रूप से उससे कम वेतन पर ही काम करेगा, जितने पर एक उच्च वर्ग का कर्मचारी करता होगा।

अब प्रश्न यह है कि स्वयं को समर्थ सिद्ध करना भी आवश्यक है। हमारे देश में बाल मजदूरी का क्यों विकास हो रहा है? यह इसका कारण यह है कि यह सस्ती है। इसी प्रकार, यदि प्रतिष्ठान के मालिकों को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के समर्थ और सस्ते मजदूर मिलते हैं तो वह स्वयं उन्हें अपने प्रतिष्ठानों में ले लेगा। वहाँ पर किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अब, हम अभी अमेरिका के बारे में, अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई के बारे में और मलेशिया में भूमिपुत्र प्रणाली के बारे श्री चौधरी द्वारा दिए गए उदाहरण को लेते हैं। वे इन सभी बातों के बारे में बोल रहे थे। भूमिपुत्र प्रणाली के अन्तर्गत, स्थानीय गरीब लोगों अर्थात् स्थानीय मुसलमानों जिनकी संख्या मलेशिया में 52 प्रतिशत है, को आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रावधान है। उन्हें कुछ आरक्षण मिलता है। एक महीना ही हुआ है, मैं मलेशिया गया था और मलेशिया के प्रधानमंत्री श्री महासिर ने एक वक्तव्य जारी किया था कि 'मैं जहां भी जाता हूं, मेरे अपने लोग आरक्षण की ज्यादा से ज्यादा मांग करते हैं। शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से और व्यवसाय के क्षेत्र में यदि वे स्वयं को समर्थ सिद्ध नहीं करते तो मैं उन्हें कब तक आरक्षण देता रहूंगा?'

महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि जब सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के उपाय करती है तो यह उतरदायित्व भी उसी समुदाय का है कि वह स्वयं भी देखभाल करे। आप अमेरिका का उदाहरण लें। अमेरिका में अश्वेत भी न्यायाधीश क्यों हैं? वहां के उच्चतम न्यायालय में अश्वेत न्यायाधीश क्यों हैं? इसका कारण यही है कि अश्वेत लोगों और अल्पसंख्यकों की ओर से दबाव के कारण ही वहां पर अश्वेत न्यायाधीशों का होना संभव हुआ है। अमेरिका में अल्पसंख्यक और अश्वेत लोग केवल उन्हीं कार्यक्रमों को देखते हैं जिनका संचालक भी उनकी जाति से संबंध रखता है। वे उन्हीं उत्पादों को खरीदते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए होते हैं। वे उन्हीं उद्योगों में जाते हैं जो उनके हितों का ध्यान रखते हैं।

[श्री खारबेल स्वाइं]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से मेरी केवल यही अपील है कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। उनका समाज और उद्योग पर आर्थिक दबाव होना चाहिए ताकि उनके लिए उद्योग विशेष उत्पादों का उत्पादन कर सकें और जिन्हें केवल उन्हीं के उपयोग के लिए बेचा जा सके। मेरा सुझाव यह है कि उदारीकरण एक धीमी प्रक्रिया और धीर-धीरे सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

मैं यहां केवल एक बात कहना चाहता हूं। यहां आ रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदाहरण लें। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में प्रवेश करेंगी, तो प्रबंधन विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। वे इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के स्नातकों को नहीं लेंगे; उन्हें प्रबंधन विशेषज्ञों, प्रणाली विश्लेषकों और अभियन्ताओं की आवश्यकता होगी। उन्हें सभी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण के स्थान पर शिक्षा में आरक्षण की अधिक मांग करनी चाहिए जिससे ऐसे अभियन्ताओं, शिक्षाविदों और कम्प्यूटर अभियंताओं की संख्या में वृद्धि होगी जिससे वे भी राष्ट्र-निर्माण और कंपायमान समुदाय का अंग बन सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सेवाओं के आरक्षण विधेयक, 2000 का मैं समर्थन करता हूं। यह जो विधेयक लाया गया है, यह बहुत ही उपयुक्त विधेयक है। वास्तव में आजादी के 53-54 साल बीतने के बावजूद अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो स्थिति है, उसके विषय में मैं जितना ज्यादा कहूं, उतना ही कम है।

दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद अभी भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो स्थिति है, वह विषम है। निजी क्षेत्र में तो आरक्षण की सुविधा नहीं है। लेकिन जहां तक सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की पदोन्नति का सवाल है, वहां बड़े पदाधिकारी के पास जब उनकी फाइल जाती है, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की अनुमति दी गई है, जिसके बारे में राज्य को यह लगता हो कि उसको सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। प्रावधान के अंतर्गत सरकार को अपने नियंत्रण वाले पदों में और सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जिनको संघीय अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 335 में संघीय राज्य की गतिविधियों से सम्बन्धित किसी भी पद या सेवा में नियुक्ति, प्रशासनिक कुशलता बनाए रखने के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को लगातार ध्यान में रखने की व्यवस्था की गई है। संविधान में जो बात लिखी हुई है, उस पर कितने प्रतिशत अमल होता है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए जो कुछ रियायतें दी गई हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के मामले में जहां जरूरी है अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट का प्रावधान प्रमुख हैं। इसी तरह इन लोगों की पदोन्नति में आरक्षण की जो 15 नवम्बर, 1997 को अवधि समाप्त होने वाली थी, को जारी रखने के लिए संविधान में 77वां संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत एक खंड चार जोड़ा गया, जिसके जरिए राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यदि उनकी दृष्टि में अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों को राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। परिणामत: इन वर्गों की आरक्षण नीति का निर्धारित प्रतिशत पूरा होने तक 15 नवम्बर, 1997 के बाद भी आरक्षण जारी रखने के लिए 13 अगस्त, 1997 को नोटिस जारी किया गया। यहां जो स्थिति बनी हुई है, कई बार लोक सभा में भी यह मामला उठाया गया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे अपने सीनियर्स के कारण कई जगह नौकरी छोड़ चुके हैं या छुट्टी लेने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन संविधान में जो बात वर्णित है, लोक सभा में भी चर्चा हो चुकी है, उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर कोई ठोस निर्णय या कानून नहीं बनाया गया है। जिस कारण सरकारी अधिकारी बाध्य हो। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, उससे उनको वंचित किया जा रहा है, जबकि यह संविधान में निहित है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर गम्भीरता से ध्यान दे ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो कष्ट दिया जा रहा है, उसको दूर किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 19 दिसम्बर को लोक सभा में प्रमोद महाजन जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण को लागू करने में आ रही त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। सरकार की ओर से संकेत दिया गया कि सार्वजनिक

क्षेत्र में निजीकरण से इन लोगों के लिए नौकरियों में जो अवसर कम होते जा रहे हैं, इस स्थिति पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रमोद महाजन जी का जवाब आया कि संसद में यह आश्वासन उस समय दिया गया था जब लगभग सभी पक्षों के सदस्यों ने एससीएसटी के लोगों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए संविधान संशोधन और अनुसूचित अधिसूचना जारी होने के बावजूद उसका कार्यान्वयन करने में आई दिक्कतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और उन्हें दूर करने के लिए आग्रह किया। प्रमोद महाजन जी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार केन्द्र सरकार ने 1997 में पांच शासकीय आदेश जारी किये थे। उसके अनुसार एससीएसटी के सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। मौजूदा सरकार ने इस बारे में जारी दो आदेशों को निरस्त करने के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया।

सभापति महोदय : यह आप कहां से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री सुकदेव पासवान : प्रमोद महाजन जी ने लोक सभा में आश्वासन दिया था। उसके विषय में बताना चाहता हूं। 19 दिसम्बर 2000 को लोक सभा में प्रमोद महाजन जी ने इस पर बयान दिया था। इसे अमल में लाने के लिए शिकायतों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पत्र लिखने के काम में कोई कमी रह गई है तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों की चिंता से सहमति जताई कि आरक्षण की नीति भले ही कागज पर अच्छी हो लेकिन उसके कार्यान्वयन में जो त्रुटि है, उसे दूर किया जाना चाहिए। निजीकरण में आरक्षण की सुविधा समाप्त हो जाती है और इससे एससीएसटी के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इस अवसर पर सरकार और सदन को मदद करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून बनाये जाएं कि वे कानून केन्द्र और राज्य सरकार दोनों पर लागू हों और एससीएसटी पर जो अन्याय होता है, वह नहीं हो। उनकी पदोन्नति में जो दिक्कतें आती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सके। शहर के रहने वाले बच्चे 90 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन जो ग्रामीण इलाके के एससीएसटी के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग भी हैं जो साधन सम्पन्न लोग नहीं हैं, उनमें 80-90 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे जिले के उत्तरी बिहार के लोगों के बच्चे और खासकर बिहार के ग्रामीण इलाके के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो सरकारी नौकरी का सवाल कहा रह जाता है? जब सरकारी नौकरी ही नहीं होगी तो उसमें आरक्षण का सवाल कहां उठता है? इसलिए केन्द्र सरकार को ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे एससीएसटी और कमजोर वर्ग के बच्चे किसी भी जाति के क्यों न हों, सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाये और कानून बनाकर अमल में लाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करे कि केन्द्र और प्रदेश में या जिला स्तर पर एससीएसटी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ऐसा बोर्ड बनाया जाये जिसमें दूसरे वर्ग के अधिकारी नहीं हों और उसमें सिर्फ एससीएसटी के अधिकारी हों ताकि वे एससीएसटी की समस्याओं को हल कर सकें।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाता है। हमने इस बात को लोक सभा में कई बार उठाया है और लोक सभा के बाहर भी उठाया है कि न्यायालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी न्यायालयों में जज बनने का मौका मिले। हम लोगों को जानकारी मिली है, बिहार से बहुत लोग यहां धरने पर आए थे और उनकी मांग थी कि न्यायालयों में आरक्षण होना चाहिए। संविधान को बाबासाहेब अम्बेडकर ने बनाया और संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और आजादी के 54 वर्ष बीत जाने के बाद आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी न्यायालयों में आरक्षण नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस बात को मैं पूर्व में भी कह चुका हूं। जिस प्रकार से लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण हैं, उसी प्रकार विधान परिषदों और राज्य सभा में भी आरक्षण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ऐसा विधेयक लाए, प्रावधान करे और संविधान में संशोधन करना पड़े, तो वह संशोधन करे, ताकि विधान परिषदों और राज्य सभा में भी आरक्षण की व्यवस्था हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, प्रखर वक्ता, माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपालजी, द्वारा गैर-सरकारी विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को तो फायदा है ही, लेकिन सरकार को ज्यादा फायदा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक आरक्षण से संबंधित इस तरह का कोई कानून नहीं बना है। जबानी-जमाखर्च एग्जीक्यूटिव आर्डर्स के माध्यम से यह सब काम चल रहा है, इस कारण न्यायालयों में आर्डर्स पर रोक लगा दी जाया करती है। खास तौर से प्रमोशन्स के मामले में, सेवाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते, चार-पांच

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

आदेश निकल चुके हैं। सरकार से मिलने पर कहा जाता है कि हम कर रहे हैं, न्यायालय को क्यों नहीं मानेंगे। इसीलिए माननीय राष्ट्रपाल जी जो विधेयक लाए हैं, यदि इसको मंजूरी दे दी जाती है, तो सरकार का बड़ा भारी झंझट खत्म हो जाएगा। लाचारी है, आर्डर गलत निकल जाता है, फैसला हो जाता है, तो कोर्ट को कैसे नहीं मानेंगे। इस विधेयक के पास होने के बाद सारा झंझट खत्म, सारे पेंच खत्म हो जायेंगे। संविधान की भावना के मुताबिक आरक्षण दिया जाए, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जब हम भोज में जाते हैं, तो हम अपनों को ज्यादा दही और मिठाई परोसते हैं। आप लाख कानून बनायें, इनको लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, अधिकारी ही होते हैं, इसलिए उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए।

तक जरूर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ उपेक्षा वाला गैर-कानूनी व्यवहार नहीं हो पाएगा। जैसे सामान परोसने वाला आपका अपना आदमी नहीं होगा तो वह ठीक से नहीं परसेगा। उसका अपना आदमी होगा तो उसे ठीक से देगा और दूसरे को थोड़ा-थोड़ा बांटता हुआ चला जाएगा। उसी तरह एग्जीक्यूटिव में जो लोग लगे हुए हैं, वे कोई नीति एससी, एसटी के हितों के लिए बनाएंगे तो उसे लागू करने में आफिसर हेरा-फेरा कर देते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं और महान सोचने वाले लोगों ने प्रावधान किया, क्योंकि जब एससी, एसटी के लोगों को विभिन्न महकमों में देखा गया तो पता लगा कि उनका एक भी अधिकारी या कर्मचारी वहां नहीं है। ये सब डिटेल में हिसाब है।

जिस समय आरक्षण हुआ था। राष्ट्रपति भवन में कौन ऐसा कर्मचारी है, अनेक विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है। तब इस पर विचार हुआ और इसे लागू किया गया। यही इसका मूल सिद्धांत और रहस्य है। ये लोग कोर्ट में जाकर अपने अधिकार ले लेते हैं, जहां-जहां इनका हिस्सा नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव आर्डर ऐसा है, जिसमें प्रमोशन का भी कुछ प्रावधान नहीं है। इस वजी से उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा। यह विधेयक एससी, एसटी के लिए है लेकिन इससे ज्यादा सरकार की मदद होने वाली है। इनका जो झंझट और गड़बड़ी होती है, उसे दूर करने का काम इस विधेयक को पारित करने से हो जाएगा। यह सरकार आरक्षण विरोधी है। केवल आरक्षण कहने के लिए है। पिछड़ी जाति का आरक्षण हुआ था तो मंडल आयोग के कारण हुआ, लेकिन मंडल के खिलाफ लोग कमंडल लेकर निकल गए कि किस हिसाब से आरक्षण में हेरा-फेरी की जाए ताकि यह लागू न हो। आरक्षण के खिलाफ बोलता कोई नहीं है, लेकिन यह सब कुछ चलता रहता है। बहुत से लोग आरक्षण भीतर से पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका उपाय क्या है। कानून बन जाने से ये लोग अपने अधिकार ले सकते हैं और दूसरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह आरक्षण लागू न करें तो इन लोगों ने यह कर दिया है कि जितने सरकारी संस्थान, अंडरटैकिंग्स हैं, उन सब को प्राइवेटाइज कर दो। प्राइवेट संस्थानों के लिए अभी तो कानून ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव आर्डर से सारा आरक्षण होता है। ये कहीं-कहीं लागू हो रहा है, कहीं-कहीं नहीं हो रहा है। जब संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे, सरकार के हाथ से जब ये संस्थान निकाल जाएंगे तो फिर उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। हमें लगता है कि इन लोगों का परपज शायद यही है। ये लोग कहते हैं कि देश की भलाई के लिए आर्थिक संकट है, जो अंडरटैकिंग्स बंद हैं उन्हें हम चालू करना चाहते हैं, आदि बहाने बना कर डिसइनवेस्टमेंट, प्राइवेटाइज करा रहे हैं। उनमें आरक्षण नहीं है। अब लोग जानने लगे हैं और हम भी समझने लगे हैं इसलिए इसमें किसी कानून का प्रावधान करना है ताकि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी उसमें आरक्षण का कानून लागू रहना चाहिए, नहीं तो घुमा-फिरा कर, हेरा-फेरी करके किसी हालत में गरीबों को आरक्षण न मिले, वंचित, शोषित लोगों को न मिले, हमें लगता है कि उदारीकरण, डब्लूटीओ, इनवेस्टमेंट और डिसइनवेस्टमेंट आदि के पीछे यही मूल कारण है।

जो सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो सके। श्री सुखदेव पासवान जी चले गये। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ। उसमें माननीय लालू यादव जी थे और राष्ट्रीय जनता दल के हजारों कार्यकर्ता आये हुए थे। माननीय रमई राम जी बिहार सरकार में मंत्री हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। हम लोगों की पहले से मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वह सही नहीं है। इसलिए नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन की बहाली होनी चाहिए और इस पर मतैक्य भी हो रहा है। कहते हैं कि क्या बात हो कि इस पर मतैक्य है तो मेरा कहना है कि इस पर मतैक्य है। जब सभी नियुक्तियों में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान किया तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण क्यों नहीं है? उसमें भी आरक्षण होना चाहिए और यही हमारी मांग भी है। नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन और न्यायपालिका में आरक्षण को लेकर कल बड़ा भारी प्रदर्शन जंतर-मंतर पर हुआ। हम लोगों ने अब संघर्ष का निश्चय किया है और हम देशव्यापी संघर्ष इसके लिए चलाएंगे। जो समाज में बदलाव चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को यथास्थितिवाद से निकालना चाहते हैं वे हमारे साथ आएं। देश गुलाम रहा, इस कारण से देश बहुत पीछे गया। . . . *(व्यवधान)* गांधी-लोहिया-जयप्रकाश जी के जमाने से हमारा यही नारा रहा है कि जब तक शोषित लोग रहेंगे।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर दो घंटे नियत किए गये थे और अब दो घंटे का समय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मैं सदन की सहमति चाहूंगा कि इस पर एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, बढ़ा दिया जाए। सदन सहमत है।

सभापति महोदय : एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय डा० लोहिया जी ने बड़ी लाचारी से कहा था कि दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों का सम्मेलन होता है तो हिंदुस्तान उसमें सबसे पीछे और कमजोर की तरह बैठता है। इसका मूल कारण है कि जिस देश में गरीबों का शोषण होगा और उन्हें अछूत माना जाएगा तो वह देश दुनिया के देशों के सामने कैसे अपना माथा ऊंचा करके बैठ सकेगा। जब ये शोषित और पिछड़े लोग उठ खड़े होंगे तब दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक नम्बर में और सबसे आगे बैठेगा। जब तक यहां पर करोड़ों लोगों का शोषण होता रहेगा तब तक हिंदुस्तान आगे नहीं आयेगा। यहां पिछड़ी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति कहकर बड़ी खराब सामाजिक बीमारी पैदा की गयी है। उस समय कहा गया कि ऊंची जाति, क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। यानी जो काम नहीं करेगा और अंग्रेजी में गिटपिट बोलेगा, उसको ऊंची जाति का कहा जायेगा। पिछड़ी जाति क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। मेहनत मजदूरी का सारा काम वही करेगा लेकिन समाज में उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

यह मूल सिद्धांत हम लोगों का था। यह बीमारी जब तक समाज में रहेगी तब तक समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सिद्धांत के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमने विशेष अवसर का सिद्धांत चलाया। हमने उसमें कहा कि जो दबे, पिछड़े लोग हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। यथास्थितिवादी लोग नहीं चाहते कि समाज में बदलाव आए। वे पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं और उसी में चाहते हैं कि देश चले। इससे देश नीचे जाने वाला है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो समाज में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। आरक्षण सरकारी नौकरियों में ठीक ढंग से लागू नहीं होता है और मामला कोर्ट में चला जाता है। नौ राज्यों में कानून बना है और बिहार में भी यह कानून बना है कि जो आरक्षण ठीक से लागू नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कानून यहां क्यों नहीं बन रहा है? कानून बना कर इसे नौवें शेड्यूल में क्यों नहीं रखा जा रहा है जबकि 8-9 राज्यों ने इसे नौवें शेड्यूल में रखा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बस का नहीं है कि वह इस मामले को लेकर अदालत में जाएं। नौवें शेड्यूल में रखने से उन्हें अधिकार मिलेंगे। उनके साथ छल नहीं होना चाहिए और कानूनी दाव-पेंच में इसे नहीं डालना चाहिए। सभी जगह इसकी लड़ाई शुरु हो गई है। मैं इस बारे में सरकार को सावधान करना चाहता हूं।

महोदय, राष्ट्रपाल जी दबे लोगों को आगे लाने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। यदि सरकार इन्हें इंसाफ देना चाहती है तो इसे पूरा करे। संविधान में सोशल जस्टिस को मूल सिद्धांत में रखा है। दबे और पिछड़े लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। उन्हें अभी तक सामाजिक न्याय नहीं मिला। बड़े-बड़े लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और कपड़ा गंदा होने पर धोबी उन्हें साफ करता है। कपड़े साफ करने वाले को कह दिया जाता है कि यह छोटा आदमी है और कपड़े गंदा करने वाले को बड़ा आदमी कह दिया जाता है। छोटा आदमी कह कर उसके साथ बहुत अन्याय होता है। इस अन्याय को दूर करने का इलाज सामाजिक न्याय है। बिना मेहनत से देश और दुनिया नहीं चल सकती लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको छोटा आदमी कहा जाता है और बैठकर खाने वाले को बड़ा आदमी कहा जाता है। यह सामाजिक भेदभाव है। इस कारण हिन्दुस्तान पीछे चला गया। दूसरे मुल्कों की तुलना में यदि हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना है तो इस विषमता को दूर करना होगा। जिन दिनों समाज में यह बीमारी नहीं थी उस समय हिन्दुस्तान नम्बर एक पर था लेकिन उस समय राजधानी दिल्ली में नहीं थी। वह पाटलीपुत्र में थी। दिल्ली में राजधानी 1911-12 में आई थी। जब पाटलीपुत्र में राजधानी थी तो चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय हिन्दुस्तान नम्बर एक पर था। जब यह बीमारी बढ़ती गई तो भगवान बुद्ध आए। उन्होंने कहा कि यह भेदभाव और ऊंच-नीच खत्म किया जाए। दोनों विचारों में संघर्ष चलता रहा। फिर महात्मा गांधी, डा० लोहिया, महात्मा फुले आए। इन सब ने समाज सुधार के लिए प्रयास किया और यह उसी की कड़ी है। जिस उद्देश्य के लिए यह प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जाए। इससे सरकार की बड़ी भारी उलझन समाप्त हो जाएगी।

इसलिये सरकार इस विधेयक को मंजूर करे, इसका समर्थन करे। इसे पारित किया जाना चाहिये ताकि यह झंझट खत्म हो सके। इसके अलावा जो कुछ छूटा हुआ है—न्यायपालिका में आरक्षण, नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन का गठन, प्राइवेट संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण वगैरा, सरकार को इसके लिये कानून बनाना चाहिये। अगर सरकार डिसइन्वैसटमेंट, निजीकरण, विदेशीकरण करेगी तो हम समझ जायेंगे कि इस मामले में कोई पेंच है—"कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना"। सरकार आरक्षण खत्म करके निजीकरण पर ज्यादा जोर दे रही है। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो वंचित लोग और वंचित हो जायेंगे। इसे सहन नहीं किया जा सकता। इसलिये सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वह आरक्षण की व्यवस्था करे वरना लड़ाई के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगा। यदि यह सरकार नहीं मानेगी तो हम संघर्ष करेंगे।

सभापति महोदय, सरकार से यही प्रार्थना है कि इस विधेयक को पारित किया जाये ताकि गरीब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का हित हो।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : मैं श्री प्रवीण राष्ट्रपाल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को पेश करने के लिए उचित तैयारी करने के लिए बधाई देता हूं।

उन्होंने सभा में इस सेवाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक को प्रस्तुत किया है, दुर्भाग्यवश उसमें उन्होंने जिन उपबंधों को शमिल किया है उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के चार पहलू हैं। पहला पहलू आरक्षण के क्षेत्र-विस्तार से संबंधित है। उन्होंने इसी निर्णायक समस्या को विधेयक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खंड 2(ख) की परिभाषा में उन्होंने न केवल सरकारी सेवाओं, अर्ध-सरकारी सेवाओं को बल्कि गैर-सरकारी सेवाओं और कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों, संगठनों और निकायों को भी शामिल किया है। मैं इनके गुण-दोषों की बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं केवल चार प्रकार के उन मामलों को गिनाऊंगा जिन्हें उन्होंने इस विधेयक में शामिल किया है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण स्थायी रूप से जारी होना चाहिए। तीसरा पहलू--न केवल नियुक्ति के समय वरन् पदोन्नति के समय के मानदंडों में छूट देने से संबंधित है। चौथे पहलू का संबंध न्यायालय के आदेशों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रति आम माफी से है जिसका अग्र है--अनुच्छेद 141 में संशोधन जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की किसी भी व्याख्या को कानून माना जाना चाहिए। यही बात संविधान कहता है। लेकिन उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके यह कहने का प्रयत्न किया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 निष्फल होगा। उन्होंने इन चार मुद्दों को लोक सभा में प्रस्तुत अपने विधेयक में सम्मिलित किया है।

जब उन्होंने इस विधेयक पर बातचीत की तो उनका रवैये में उत्साहहीनता थी। यह उत्साहहीनता उचित भी है क्योंकि सदियों तक अनुसूचित जाति के लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें वंचित रखा गया और उनके बारे में नहीं सोचा गया। इस विभाजन की शुरूआत जैमिनि के 'कर्मकाण्ड' से आरम्भ हुआ। इस विभाजन को सुदृढ़ किया मनु संहिता ने और बाद में ब्राह्मण समुदाय ने एक समूह के लिए समस्याएं उत्पन्न कीं जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया। यद्यपि इन लोगों की भाषा बहुत समृद्ध थी और उनका शासन भी था। महाभारत काल के दौरान जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को जुलूस में ले जाया जा रहा था, दुर्योधन ने सुनिश्चित किया था कि विधुर उससे बात न कर पायें।

वे चतुर गृह जा रहे थे। विदुर ने युधिष्ठर से म्लेच्छ भाषा में बात की और वह भाषा दुर्योधन नहीं जानता था। उन दिनों म्लेच्छ भाषा समेत सभी भाषाओं को सीखना जरूरी था। आप भी इस बात को मानेंगे कि सातवीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य में कथा सरित सागर जो उत्तर भारत में प्रचलित था म्लेच्छ कहानियों के अनुवाद के सिवा कुछ नहीं था।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : क्या विदुर म्लेच्छ थे?

श्री अनादि साहू : आधुनिक काल में म्लेच्छ, अनुसूचित जाति है। उन दिनों ऐसा नहीं था।

सरदार बूटा सिंह : क्या आप जानते हैं कि विदुर भी शूद्र थे?

श्री अनादि साहू : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

सरदार बूटा सिंह : उन्होंने म्लेच्छ भाषा सीखी नहीं थी; यह उनकी मातृभाषा थी।

श्री अनादि साहू : जो भी हो, युधिष्ठिर ने वह भाषा सीखी थी। 64 कलाओं में उन्हें म्लेच्छ भाषा के बारे में भी पढ़ाया गया था क्योंकि साम्राज्य का प्रशासन चलाने हेतु म्लेच्छ भाषा जानना जरूरी था। इसी कारण सांदीपन गुरू के आश्रम में कृष्ण और बलराम को सीखायी गई 64 कलाओं में एक कला म्लेच्छ भाषा सीखना था।

सरदार बूटा सिंह : म्लेच्छ शूद्र से भी अधिक अपमानजनक है।

सभापति महोदय : आप इस विषय पर बोलने जा रहे हैं। उस समय आप इन बातों को उठा सकते हैं। वह अपनी बात कह रहे हैं। श्री अनादि साहू कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनादि साहू : आप कह सकते हैं कि मेरा ज्ञान कम है; मैं इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता।

मैं अनुसूचित जातियों की तुलना जनजातियों से नहीं करना चाहता क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लोगों में कोई हीन भावना नहीं होती। लेकिन युगों से हाशिये पर होने के कारण अनुसूचित जातियों में हीन-भावना होती है। वे ऊंची जातियों के साथ रहे लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। हाशिये पर रखे जाने के कारण यह समस्या पैदा हुई। इसी कारण संरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धान्त आया और विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुसूचित जाति के लोग ऊंची जातियों के समकक्ष कुछ स्तर तक आ सकें, यह व्यवस्था में बना रहा। मैं भी खारबेल स्वाइं द्वारा अन्तर्जातीय विवाहों के बारे में कही गई बात से सहमत नहीं हूं कि इस तरह के विवाह कुछ समूहों की हीनभावना समाप्त करने के लिये जरूरी हैं। एक बार हीनभावना मिटने पर वे समाज की मुख्य धारा के साथ चल सकेंगे।

समाज-शास्त्रियों ने कहा कि अनुसूचित जाति की हीन मन:स्थिति तीसरी पीढ़ी के बाद जायेगी। पहले एक पीढ़ी बीस वर्षों की होती थी। अब चूंकि जीवन चक्र में बढ़ोत्तरी हुई है, तो एक पीढ़ी 30 से 40 साल हो गयी है। अत: हीनभावना समाप्त होने में करीब 120 वर्ष लगेंगे। उस मन:स्थिति को बदलने के लिये आरक्षण देना जरूरी है और इसे लंबी अवधि तक जारी रखना होगा। लेकिन इसका क्षेत्र बढ़ाने से समस्या उत्पन्न होगी। मेरा कहना है कि अगर आप एक नीबू निचोड़ो तो कुछ हद तो ठीक है लेकिन बाद में यह कड़वा लगेगा। कड़वापन आने पर समस्या उत्पन्न होगी। यह कड़वापन शहरी मध्यवर्ग में व्याप्त है।

अब क्या हो रहा है? वर्ष 1947 से आरक्षण लागू है। मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह की इस बात से सहमत नहीं हूं कि आरक्षण का कोई कानून नहीं है। आरक्षण प्रदान किये जाने के लिये संविधान में अनुच्छेद 16(4) और 335 का प्रावधान है। जब हमने संविधान (88वां संशोधन) विधेयक से संबंधित 66वीं रिपोर्ट पर चर्चा की, तो वे गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। यह बात उस समय उठी कि क्या अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 335 के उपबन्ध के अन्तर्गत प्रोन्नति में छूट, नियुक्ति के समय अर्हता अंक कम किये जाएं।

ऐसा इसलिये क्योंकि अनुच्छेद 335 में कहा गया है "प्रशासन की दक्षता बनाए रखने को संगति के अनुसार।" इसमें ऐसा ही कहा गया है मैं केवल एक अंश पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है :-

> "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जायेगा।"

संविधान निर्माताओं को यह उचित लगा कि प्रशासन चलाने के लिये कुशल लोग होने चाहिये। मेरा यह कहना बिल्कुल नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कुशल लोग नहीं हैं। डा० बी०आर० अम्बेडकर का मामला लें। क्या वे आरक्षित श्रेणी में थे? नहीं। उनके जैसे लोग अभी भी हैं लेकिन कुछ अन्य तरह से यह जरूरी है कि संरक्षात्मक भेदभाव की नीति एक हद से आगे नहीं बढ़ायी जानी चाहिये क्योंकि हमें प्रशासन सुचारू रूप से चलाना है। सरकार का प्रशासन तो धीमी गति से चल सकता है क्योंकि प्रणाली ही ऐसी है कि आप इसमें लोग भरिये और यह चलती रहेगी। हो सकता है यह 100 किलोमीटर की गति से न चले लेकिन यह 20; 30 या 40 किलोमीटर की गति से तो चलती रहेगी। अत: यदि आप सरकारी नौकरी में आरक्षण देते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आज के समाज के प्रतिस्पर्धा माहौल में श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा प्रस्तावित प्रतिष्ठान की परिभाषा के अनुसार निजी क्षेत्र में आरक्षण देना खतरनाक कदम है। मेरे विचार से आरक्षण क्षेत्र निजी प्रतिष्ठान तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। इससे और बड़ी समस्याएं उत्पन्न होगी।

दूसरी बात जैसा कि मैंने कहा कि मैं आरक्षण नीति को सदैव चलाये जाने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि आरक्षण देते रहने से हीनभावना बनी रहेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमें किसी न किसी समय आरक्षण सुविधा में कमी करनी पड़ेगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हीन मन:स्थिति से बाहर आना मुश्किल होगा। एक अच्छे पत्रकार श्री कामथ ने लोगों से चर्चा करने के बाद संकेत दिया था कि आरक्षण नीति में कमी करते रहने से ही यह हीनभावना समाप्त हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा है यह कमी 100-120 वर्षों बाद होनी चाहिये।

मैं आपसे आरक्षण लाभों का अवलोकन करने का अनुरोध करता हूं जिससे विभिन्न समूहों के लोग अनुसूचित जातियों में शामिल हुये हैं। आप देख सकते हैं कि इससे वे नेता क्रीम तबका ही लाभान्वित हुआ है।

जहां तक मेरी जानकारी है अनुसूचित जातियों में तीन तरह के लोग हैं। सरदार बूटा सिंह मुझसे सहमत नहीं हो सकते। इनमें से एक तो स्पृश्य हैं दूसरे मध्य श्रेणी के लोग और तीसरे वे लोग हैं जो श्रेणी व्यवस्था में नीचे हैं, अस्पृश्य हैं और जिन्हें गांवों से अलग रखा गया है। जो लोग स्पृश्य श्रेणी के हैं, इन्होंने ही आरक्षण नीति का पूरा-पूरा लाभ उठाया है। मेरे राज्य, उड़ीसा में धोबी, मछुआरे और पन्ना जाति के लोग हैं। वे स्पृश्य जातियों के हैं। पन्ना बुनकर हैं, यह मोर मछली पकड़ने का काम करते हैं, धोबी कपड़े धोने का काम करते हैं। आरक्षण नीति से इन लोगों को फायदा पहुंचा है। मछुआरे, धोबी और पन्ना, हादियों को, जो कि सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं, अस्पृश्य मानते हैं। मेरे राज्य में हादियों को कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिये अब क्या हुआ? आरक्षण नीति के कारण ही ये श्रेणी उपर उठीं। क्रीमी- लेयर आरक्षण नीति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि मैने पहले कहा है यह सुविधा हमेशा के लिये नहीं होनी चाहिये। इस पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि अनुसूचित जातियों के उन लोगों को जो पददलित हैं और समाज व्यवस्था के हाशिये पर हैं, को ऊपर उठाया जा सके। यही कारण है कि मेरा कहना है कि अब हम इसे कम करने की बात सोचें तो यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर करना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था की निरंतरता संबंधी मुद्दे पर तत्काल की बजाय विचार-विमर्श के बाद कार्रवाई की जानी चाहिये।

अब मैं प्रोन्नति संबंधी मानदण्डों पर छूट दिये जाने के मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा स्थायी समिति में इस मामले पर चर्चा हुई थी। स्थायी समिति ने इस संबंध में अपने तरीके से विचार किया। आपकी अनुमति से मैं स्थायी समिति की रिपोर्ट के दो या तीन वाक्य पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

[श्री अनादि साहू]

"ऐसा विचार किया गया था क्या अर्हक परीक्षा और मानकों के मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नति देना संभव होगा।"

लेकिन समिति इस संबंध में आश्वस्त नहीं थी कि यह एक सही तरीका होगा। श्री राष्ट्रपाल ने भी रोस्टर प्वाइंट्स के बारे में बताया है। एव पुलिसकर्मी के रूप में मैंने देखा है कि यदि आप रोस्टर प्वाइंट्स के आधार पर प्रोन्नति देते हैं तो इससे नाराजगी पैदा होती हो एवं कनिष्ठ अधिकारी, जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशिक्षित किया हो, वह उससे वरिष्ठ हो जाता है। पुलिस उप-निरीक्षक के मामले को लें। चूंकि मैं पुलिस कर्मी था इसलिए मैं सिर्फ पुलिस विभाग के बारे में बात करने का इच्छुक हूं। एक व्यक्ति जो आरक्षित श्रेणी से संबंध रखता है, उसे उसके वरिष्ठ उप-निरीक्षक द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है जो कि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी भी होता है। रोस्टर प्वाइंट्स के कारण यह कनिष्ठ अधिकारी इससे वरिष्ठ हो जाता है और वरिष्ठ अधिकारी उप-निरीक्षक ही रह जाता है। मैं श्री राष्ट्रपाल की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सामान्य श्रेणी के उप-निरीक्षक को पहले प्रोन्नति दिये जाने से उसे आरक्षित श्रेणी के निरीक्षक के ऊपर वरिष्ठता मिलेगी। यह सच नहीं है . . . *(व्यवस्था)*

श्री राष्ट्रपाल आपको जवाब देने का अधिकार है आप बातों को नोट कर सकते हैं और बाद में इसका खंडन कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं आप अपना अनुभव भाषण समाप्त करने के समय बता सकते हैं।

लेकिन इससे नाराजगी पैदा होती है। यह नाराजगी पैदा होने दें क्योंकि पूर्व के दिनों में एक ब्राह्मण अथवा एक क्षत्रिय जो मंदबुद्धि वाले थे, वे सेना का नेतृत्व कर रहे होते थे लेकिन दूसरी जातियों के बहादुर लोगों को सेनापति नहीं बनाया जाता था। ऐसा नियम था। इस प्रकार वहां संरक्षणात्मक भेदभाव था और इसमें संरक्षणात्मक भेदभाव को जारी रहने दिया गया। साथ ही हमें देखना होगा कि कतिपय अर्हक परीक्षाएं आयोजित की जाएं और उनके लिए मूल्यांकन संबंधी मानदंड निर्धारित किये जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तब प्रशासन की संपूर्ण कार्यकुशलता धराशायी हो जाएगी। जब हम एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति देने की बात सोचते हैं तो हमे कुछ मानदंड निर्धारित करने होंगे।

अगला विषय व्यापक संरक्षण के बारे में है। श्री राष्ट्रपाल इस विधेयक के माध्यम से व्यापक संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान की भावना के विपरीत है। मैं आपका ध्यान इस विधेयक के खंड 4 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों से संबंधित वह उम्मीदवार जो मेरिट के आधार पर चुने गये हैं उन अभ्यर्थियों को किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण या प्राधिकरण आदेश के बावजूद मानदंडों संबंधी छूट अथवा ढील की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह यथार्थ से बहुत दूर है और यह हमारे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत स्वीकार्य नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला है। इस प्रक्रिया में उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के बारे में भी टिप्पणी की है। लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति, श्री के०आर० नारायणन के बारे में भूल गए। उनके लिए यह दुभार्ग्यपूर्ण है और श्री के०आर० नारायणन के लिए सौभाग्यपूर्ण कि वह दिल्ली में अनुसूचित जाति के नहीं हैं। वे रूप में अनुसूचित जाति के हैं। यह मुद्दे से हटकर है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और कुछ सीमा तक अनुसूचित जनजाति के लोगों की दुर्दशा को उजागर करने का है।

मुझे आशा है कि वह इस विधेयक को वापस ले लेंगे क्योंकि माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किये गए अधिकांश मुद्दे उन संवैधानिक संशोधनों में विधिवत हैं जिसे प्राप्त किया जा चुका है या जिन्हें निकट भविष्य में प्राप्त किए जाने की संभावना है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन को जारी किया जा चुका है।

सभापति महोदय : सरदार बूटा सिंह के बाद मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। . . . *(व्यवधान)* हमारे माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने इस विधेयक को सदन में पेश करके राष्ट्र हित का एक बहुत बड़ा काम किया है। यह समस्या जो इस वक्त अनुसूचित जाति अथवा जनजातियों की कही जाती है, सही मायने में वह हमारे राष्ट्र की समस्या है। इसे किसी वर्ग विशेष की समस्या कहना अपने आप में अन्याय है क्योंकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके साथ कब से अन्याय हो रहा है। भले ही सब माननीय सदस्य इसका उल्लेख करते हैं मगर जब इसकी जिम्मेदारी या निवारण करने की कोई बात आती है तो तुरन्त उनका माइंड सैट बदल जाता है।

मुझसे पूर्व हमारे विद्वान सदस्य साहू साहब दलितों की दो श्रेणियां कह कर बैठ गए - टचेबल और अनटचेबल। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, न ही ग्रंथों में जाऊंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि जिनको टचेबल कहा जाता है, वे शूद्र हैं और जिनको अनटचेबल कहा जाता है, वे शूद्र भी नहीं हैं। आपके वर्णाश्रम की प्रथा में केवल चार वर्ण आते हैं - क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इनकी कैटेगरी में अनुसूचित

जाति अथवा जनजाति के लोगों का शुमार नहीं हैं, वे इनमें दाखिल नहीं हैं। उनके लिए ग्रंथों में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह पंचमा, चंडाल है। इसलिए शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स में जितनी भी जातियां, उपजातियां हैं, साहू जी, उनमें से कोई शुद्र नहीं है। वे आपकी संज्ञा के मुताबिक चंडाल या म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ शब्द गैर-हिन्दु के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूं कि शूद्र शब्द में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों का दर्जा नहीं है। इसलिए इस बात पर चर्चा करते समय अपने दिमाग से यह निकाल देना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामाख्या से काठियावाड़ तक, वे सब अनटचेबल्स थे।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : मैं आपको आपके भाषण में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता हूं! लेकिन मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हूं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मैं आपके साथ सहमत हूं कि इनमें कुछ वे जातियां जो व्यापार करती हैं, छोटे धंधे, छोटी इंडस्ट्री चलाती हैं, उनकी हालत इतनी खराब नहीं है जितनी उन लोगों की, जिनको अछूत कहा गया था, उनका नाम ही अछूत है, अछूत मायने अनटचेबल है। इसलिए वह कास्ट, वह कम्युनिटी, जो इतने निम्न दर्जे में चली गई है कि आज अछूत लोग भी उनसे छुआछुत करते हैं। मैं आपके साथ सहमत हूं कि देशभर में बहुत से ऐसे वर्ग हैं, समाज हैं जिनके साथ अछूत भी छुआछूत करते हैं, विशेषकर जिनको आप भंगी नाम से बोलते हैं, न जाने कितने नाम हैं, उनके जितने भी नाम हैं, दरअसल यदि आप उन्हें डिक्शनरी में देखना चाहें तो वह गाली है, नाम भी नहीं है। उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ है कि उनका नाम भी गाली के रूप में है। मैं इस विषय पर फिर कभी बोलूंगा, आज केवल विधेयक पर बोलूंगा।

एक छोटा सा प्रश्न और करना चाहूंगा। आपने महात्मा विदुर का जिक्र किया। शायद भारतवर्ष की पुरातन राजनीति में, *[अनुवाद]* प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा *[अनुवाद]* में जो विचार महात्मा विदुर के हैं, वे न कौटिल्य के हैं और न मनु के हैं। मैं उनको इन सबसे ऊपर का दर्जा देता हूं। यदि हमारा देश महात्मा विदुर की नीति को अपना ले तो इस देश में जो असमानता और सामाजिक अन्याय है, वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यह भी एक अलग विषय है, मैं इस पर फिर कभी बोलूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा विदुर के बारे में हमने पंजाबी में जो पढ़ा है, मेरे अकाली दोस्त उसके साथ सहमत होंगे।

हमें जो शिक्षा मिली है, उसमें मैं पंजाबी कविता के दो शब्द ही कहूंगा:

"आया सुण्या विदुर दे, बोले दुर्योधन होये रूखा,
धर असां दे छड्ड के, गोले दे घर आये के सूखा।"

[अनुवाद]

ये दोनों छंद महात्मा विदुर को परिभाषित करते हैं। जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण शांति समझौते के लिए आए हैं वे राजमहल और किसी राजा के आवास में नहीं ठहरे बल्कि वह विदुर के घर से जुड़े सेवक घर में ठहरे थे। दुर्योधन को इस पर आपत्ति हुई। पहला सवाल उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि "आप नौकर के घर क्यों ठहरे? आप हमारे यहां क्यों नहीं ठहरे ?" भगवान कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे विचार से विदुर आपके तथाकथित राजपरिवार और आप सभी से बहुत ऊंचे हैं। वे एक सच्चे आदमी हैं इसलिए मैं उनके पास ठहरा।" इससे जाहिर होता है कि विदुर की श्रेणी एक ऐसे दीन हीन नौकर की थी जो अछूत थे, जो शूद्र थे और जिन्हें राजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसलिए मैं यह सूचित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अब मैं इस बिल की तरफ आते हुए, आपने जो दो-तीन बातें कहीं हैं, उनका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन जो राष्ट्रपाल जी ने प्रस्ताव किया है, उस प्रस्ताव को सामने रखते हुए मेरा भी कुछ विचार है। राष्ट्रपाल जी, मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूं, जो अपने क्लाज दो में लिखा है कि :

[अनुवाद]

> "उनकी जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगी लेकिन यह 15 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।"

नवीनतम जनगणना 1991 की थी। मैं नहीं जानता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता के निर्धारण के लिए सरकार ने किस जनगणना को आधार माना है। मैं समझता हूं कि यह पहली जनगणना है जिसे हमारी सरकार ने आधार माना और जिसे आधार बनाया गया है। इसके बाद चार लगातार' जनगणना संपन्न हो चुकी हैं और पांचवीं जनगणना हो रही है। संविधान कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की अद्यतन प्रतिशतता ही संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

[सरदार बूटा सिंह]

[हिन्दी]

इनका 54 साल की आजादी के बाद भी 15 प्रतिशत और सात प्रतिशत रिजर्वेशन चल रहा है। मैं सरकारी रिकार्ड के हिसाब से कह रहा हूं, जो जवाब इस सदन के सामने दिया गया है। 54 साल के बाद भी क्लास वन जॉब्स में जो इनके हिसाब से 15 प्रतिशत और सात प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए था, आज शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 10.15 प्रतिशत है और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए 2.8 परसेंट है। माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें और हमें बताएं कि इसका क्या कारण है। आज 2001 में आप दिल्ली, मुम्बई, कोलकता, चेन्नई और कानपुर की किसी भी अनुसूचित जाति की बस्ती में चले जाइये, आपको पोस्ट ग्रेजुएट, डाक्टेट, डी०लिट० लड़कियां और लड़के मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्राप्ति के बाद भी क्या कारण है कि उनका प्रतिशत आज भी आपके दिये हुए प्रतिशत के मुताबिक नहीं हो पाया, इसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें एक चीज मिसिंग है, जो यह विधेयक पूरा करने जा रहा है, राष्ट्रपाल जी करने जा रहे हैं।

कल हमारी आदरणीय मंत्री जी ने मेरे ऊपर यह कह दिया कि कांग्रेस ने यह नहीं किया, कांग्रेस ने वह नहीं किया। हम किसी पार्टी की शिकायत करने के लिए नहीं आये हैं, मैंने पहले ही कहा है कि यह राष्ट्र का मुद्दा है, इसको राष्ट्र का मुद्दा मानकर देखना चाहिए। आज आप यहां हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है, इससे पहले कोई दूसरा था, मगर यह राष्ट्र का मुद्दा तो राष्ट्र का मुद्दा ही रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार हुए, जिसको आप इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे-बच्चियों में कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्पलैक्स नहीं है, उन्होंने कम्पीट करके आई०ए०एस० में, आई०पी०एस० में और आई०एफ०एस० में सब जगह साबित कर दिया है कि सो काल्ड ऊंची जाति के मुकाबले मैरिट्स के लिहाज से, सक्षमता के लिहाज से वे कम नहीं हैं। आप कॉम्पीटेंस की बात करते हैं, एफिशेंसी की बात करते हैं -- क्या इस देश में आजादी की लड़ाई में बाबा साहेब अम्बेडकर के मुकाबले कोई दूसरा एफिशेंट नहीं मिला; जिसको संविधान लिखने के लिए नियुक्त किया जा सके। आज एक-एक मोहल्ले में बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हो चुके हैं। एफिशेंसी के नाम पर यदि हमारे लिए दरवाजे बंद करना चाहते हो तो आप भ्रम में हैं और इससे देश का नुकसान ही करेंगे। मेरा मतलब पर्सनली आपसे नहीं है। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता है वे समझते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे इनएफिशेंट हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सी०वी०सी० की रिपोर्ट उठाकर देखें।

डा० जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : ओ०बी०सी० को भी शामिल कर लें।

सरदार बूटा सिंह : मैं उनके साथ हूं। लेकिन इस वक्त चर्चा सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति और जनजाति पर हो रही है। जब ओ०बी०सी० पर बिल आएगा, तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। हमारे देश का संविधान एक ऐसा डाक्युमेंट है, जिसने इस देश की एकता और अखंडता को सम्भालकर रखा हुआ है। यदि यह संविधान नहीं होता तो इस देश की क्या हालत होती, हम सोच भी नहीं सकते। इस संविधान के अंदर राष्ट्रपति महोदय के ऊपर सीधे दायित्व है। आर्टिकल 338 है, जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, उसमें कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

संविधान का अनुच्छेद 338(1) कहता है:

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के नाम से ज्ञात होगा।"

[हिन्दी]

इसमें राष्ट्रपति जो की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और इसकी क्लाज 9 क्या कहती है।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 338(9) कहता है:

"संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी नीति संबंधी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करे।"

मंत्री महोदया मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब आपने डी०ओ०पी०टी० का मेमोरंडम निकाला, क्या आपने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से कंसल्ट किया था? जब उसने आपको पत्र लिखा, आपके सचिव के साथ मीटिंग करके आग्रह किया कि आप जो मेमोरंडम निकाल रहे हैं या निकाल चुके हैं, इस पर हमारी मोहर नहीं है इसलिए इसको जारी न करें, लागू न करें तो आपके सचिव ने जवाब दिया कि यह हमारा नहीं सुप्रीम कोर्ट का है। क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्डर संविधान से ऊपर है? संविधान अनइक्वोकली कहता है कि:

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से परामर्श किये बिना किसी भी नीति को बदला नहीं जा सकेगा।"

[हिन्दी]

यदि ऐसी बात थी तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में यह क्लाज लेकर नहीं जाना चाहिए था? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया हम बाध्य हो गए, लेकिन यह संविधान हमें बाध्य कर रहा है, उसके लिए आपका क्या विचार है? अफसोस है कि भारत सरकार ने यह कदम भी नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए हैं, उसमें यह लिख दिया गया है कि यह आर्डर सुप्रीम कोर्ट का ला आफ द लैंड है। संविधान के एक चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स हैं, वे सुप्रीम हैं या सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून सुप्रीम है। यदि उसने ला कायम करना है तो फिर सदन की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट किसी रेअर केस में घोषित कर सकता है। क्या यह रेअर केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के प्रश्न को लेकर कह दिया कि ला आफ द लैंड है। आर्टिकल 64 क्या कहता है। 64(ए) में 77वां संविधान संशोधन हुआ। उसके अनुसार यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार के वकील ने क्यों नहीं रखी कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट महोदय यह आर्टिकल संशोधित है, इसका संशोधन हो चुका है।

इसका संशोधन हो चुका है, पार्लियामेंट ने संशोधन कर दिया है और फंडामेंटल राइट है। इसके ऊपर आप लॉ ऑफ दि लैंड पास नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ दि लैंड कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अजीब इंटरप्रिटेशन है कि आर्टिकल 16(4) तो फंडामेंटल राइट है लेकिन 16(4)(ए) नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि यह बॉडी तो बूटा सिंह है लेकिन यह हाथ बूटा सिंह नहीं है। यह कैसी न्याय संगति है, यह उन न्यायाधीश महोदयों का कैसा लॉजिक है कि *[अनुवाद]* अनुच्छेद 16(4) एक मूल अधिकार है लेकिन इस सभा द्वारा मंजूर अनुच्छेद 16(4)(क) जिसे अनुच्छेद 16(4) का अंग बनाया गया है, मूल अधिकार नहीं है यह इस बिल की जान है, *[अनुवाद]* श्री राधाकृष्णन अनुच्छेद 16(4)(क) अनुच्छेद 16(4) का एक अभिन्न अंग है। *[हिन्दी]* और यदि इन चीजों पर फैसला नहीं होगा तो यह बिल भी कुछ नहीं होगा। जो आरक्षण नीति है, यह परपीच्यूटी क्यों आई? यह इसलिए आई कि एक तो ईमानदारी के साथ इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर दस साल में ईमानदारी से इम्पलीमेंट कर दिया गया होता तो इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। सरकार का कर्तव्य था कि जो लोग सदियों से विकलांग हैं, अपंग हो चुके हैं, सामाजिक अन्याय की वजह से उन्हें इसके लिए तैयार नहीं किया गया, भारत सरकार को करना चाहिए था, राज्य सरकारों को करना चाहिए था। दस साल की अवधि उनकी पूरी हो जाती तो किसी का भी अभिप्राय नहीं था कि इस सदन में आकर हम एक्सटेंशन मांगे। अभी कोई भी एक्सटेंशन नहीं मांग रहा है। हर सरकार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई, इत्तफाक से इस सदन में सभी पार्टीज की सरकारें आ चुकी हैं, सबसे पहला कदम जो भी सरकार आती है, यह कदम लेती है कि रिजर्वेशन को दस साल के लिए एक्सटेंड करती है। किसके कहने पर? किसने एक्सटैंशन मांगा है? अभी दो दिन पहले इसी सरकार ने 2026 तक अपने संशोधन के मुताबिक इसको और बढ़ा दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सरदार बूटा सिंह, हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह अंतर्निहित है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

मेरा आग्रह है कि आप लोगों के अंदर उत्तेजना भड़काने के लिए यह मत कहो कि यह खैरात है, यह कंसैशन है। न यह खैरात है और न कंसैशन है। यह एससीएसटी के लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए इसे रहना जरूरी है। जब तक आपकी कास्ट रहेगी, कास्ट का साया साथ रहेगा, यह कास्ट का साया है, आपने तो चतुर्थ तो वर्ण में भी इनको जगह नहीं दी। पांचवां बनाकर फेंक दिया। सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं। कोई प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें दलितों और आदिवासियों की बस्ती गांव के अंदर है। मैं चैलेंज करता हूं। लाखों गांव हिन्दुस्तान में हैं। आज तक 54 वर्ष में कोई एक गांव ऐसा बता दो। आज तक आप अपनी पैरीफैरी में इन्हें बाहर से लाकर अंदर तक तो ला नहीं पाये और आप कहते हैं कि हम आरक्षण छोड़ दें। ठीक है, हम छोड़ देते हैं, आप कास्ट को छोड़ दो। जिस दिन आप कास्ट को दफन कर देंगे, उस दिन आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। यह कास्ट जब तक रहेगी, उसका साया जब तक साथ चलेगा, यह मिनिमम है जो आप कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने इसे पश्चाताप कहा था। सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह पैनल्टी के रूप में करना चाहिए, पीनान्स के रूप में करनी चाहिए और आप कहते हैं कि बंद कर दो। आप कास्ट को दफन करो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। अमेंडमेंट आप लाइए या हम लाएं, इसका जो रिजर्वेशन है, उसका प्रतिशत लेटेस्ट सेंसेक्स के मुताबिक 27.5 प्रतिशत होना चाहिए।

सन् 2001 के सैंसस के टेबुलेशन के मुताबिक 30 प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए। 1991 के सैंसस के मुताबिक जो 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत का पुराना रिजर्वेशन चला आ रहा है, इसको स्क्रैप करना चाहिए।

दूसरी बात, जिस ढंग से देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सैक्टर का, बैंकिंग का, मेजर पोर्ट्स का, मेजर एयरलाइन्स का, उनमें सरकार अपने पास 49 परसेंट शेयर रख रही है और 51 प्रतिशत मल्टीनेशनल्स को दे रही है। कार्पोरेशन बनाने के लिए तो पैसा उस

[सरदार बूटा सिंह]

बजट का लगा है, जो इस सदन ने पास किया है। इसलिए 49 प्रतिशत शेयर रखने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। आप मुनाफे के लिए बड़े-बड़े लोगों को कम्पनियां दे रहे हैं। उनमें जब तक भारत के बजट का पैसा लगा हुआ है, तब तक कोई भी प्राइवेट कम्पनी हो, उनमें रिजर्वेशन अनिवार्य होनी चाहिए। इस व्यवस्था को नवें शैड्यूल में रखने की बात भी कही गई है। मैंने इस विषय में कुछ अध्ययन किया, तो देखा कि 10 हाईकोर्ट्स आरक्षण के हक में फैसला दे चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले आरक्षण के पक्ष में है। आरक्षण को फन्डामेंटल राइट में भी रखने की बात है। उनके ऊपर डीओपीटी या जो भी महकमा है, उसने कभी अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट की बात आई, तो उस जजमेंट में हमें सुनने का मौका ही नहीं दिया गया। नेचुरल जस्टिस के मुताबिक किसी भी कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिसके बारे में फैसला सुनाना है, उसको सुनना तो चाहिए कि उसके क्या विचार हैं। यह काम भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर सौभाग्य से उस दिन अनुसूचित जाति के जज बैठे हुए थे, कम से कम उनको ही बैंच पर ले लेते, जो हमारा दृष्टिकोण पेश कर देते, वह भी नहीं हुआ। भारत सरकार के सोलिसिटर जनरल का फर्ज़ था वे हमारी वकालत करते। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। यह उच्चतम न्यायालय की निंदा है। इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सरदार बूटा सिंह : मैं निर्णय की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं भाषा शैली की आलोचना कर रहा हूं।

श्री अनादि साहू : महोदय, सरदार बूटा सिंह ने खंडपीठ के गठन के बारे में चर्चा की है।

सभापति महोदय : सरदार बूटा सिंह, आप इन सब बातों की चर्चा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : यह तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संसदीय समिति ने फैसला दिया है, जिसमें सभी दलों के लोग होते हैं और सदन की इलैक्टेड समिति है, जब तक हमारे लोगों की किस्मत का फैसला करते हुए कोई जज हमारी बात नहीं सुनेगा, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक काम नहीं हो सकता है। हम जजमेंट को माने हुए हैं। हमने जजमेंट को चैलेंज नहीं किया है, वह तो सरकार का काम है। सरकार ने अच्छा नहीं समझा, तभी तो इस सदन में उस अमेंडमेंट को लाए और इस सदन में लाकर उस जजमेंट को खत्म किया। हम यह नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वह बुरा है, लेकिन सरकार ने उसको अच्छा कर दिया और उसके लिए हम सरकार के कृतज्ञ हैं। लेकिन आइन्दा के लिए जब कभी किसी वर्ग के लिए मामला कचहरी में आए, मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कह रहा हूं, वहां हमारी बात तो सुनी जाए। राष्ट्रपाल जी ने एक बात यही कही है कि इसको नवे शैड्यूल में रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जुडिशियरी तथा आर्मी में रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। इसकी सिफारिश भी संसदीय समिति ने की है, जिसमें सभी दलों के लोग हैं और सभापति श्री कड़िया मुण्डा जी हैं और बीजेपी के हैं।

महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जिस जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर ज्यादा अत्याचार होते हैं, उस जिले के कलेक्टर और एसपी की कान्फिडेंशियल रिपोर्ट में दर्ज किया जाए कि इनके जमाने में इतने अत्याचार बढ़े हैं। ज्यादा बढ़े हैं, तो सजा मिले और कम हुए हैं, तो पुरस्कृत किया जाए। जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह समस्या खत्म होने वाली नहीं है।

अंतिम बात, संविधान में जो संशोधन किया गया है, उसका प्रभाव पूरे देश पर होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि इस विभाग को देखने के लिए चार मंत्रालय हैं।

एक मंत्रालय माननीय मंत्री महोदया के पास है। उनका दायित्व केवल इस पार्लियामेंट तक है। वह नीचे कोई डायरेक्शन देती नहीं हैं। इनका एक ब्रोशर है, जो होम मिनिस्ट्री का पुराना छपा हुआ है, उसे कोई पढ़ता नहीं है। इनके सैक्रेट्री महोदय भी नहीं पढ़ते हैं। दूसरा सामाजिक न्याय विभाग है। सामाजिक न्याय विभाग हमारे साथ कोई न्याय नहीं करता। तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस विभाग है। इनका काम शिक्षा से संबंधित है। . . .*(व्यवधान)* वहां कोई जवाब नहीं देता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट। एट्रोसिटीज़ हैं। होम मिनिस्ट्री है, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक भी सर्कुलर या लेटर केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को नहीं गया, चिन्ता भी व्यक्त नहीं की गई। आप समझिए कि इतना कुछ होते हुए भी हमारी जो हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं इतना ही कहूंगा और उर्दू का एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

"तसल्ली दे गए उनको, जिन्हें दुश्वार था जीना,
अर्ज यह थी कि मरना भी उन्हें दुश्वार हो जाए।"

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मैं सिद्धान्त रूप में इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आरक्षण नया विचार नहीं है। जब संविधान बनाया गया था तो डा० अम्बेडकर ने विधानसभाओं तथा संसद में सीटें आरक्षित करने के लिये संविधान में एक प्रावधान किया था। यह विशेष उद्देश्य के साथ किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं; यह शाश्वतता नहीं है। उन्होंने विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण अवधि 10 वर्ष निर्धारित की थी। हमें वह अवधि 5 बार बढ़ानी पड़ी। प्रत्येक दस वर्ष बाद हम उस अवधि को बढ़ाते रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां बदली नहीं हैं, बल्कि उन्हें बड़ी तेजी के साथ पैदा किया गया है। जैसी स्थिति 1950 में थी वही 2001 में भी है। इसी कारण राज्य विधानसभाओं और संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में आरक्षण अवधि को बढ़ाना पड़ा है। यह हमारी गलती के कारण हुआ है क्योंकि ये पददलित थे और इन्हें अस्पृश्य समझा जाता था, इन्हें सार्वजनिक मार्गों पर चलने की अनुमति नहीं थी यहां तक कि पब्लिक स्कूलों में भी उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। इस तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। इस सबके बावजूद हमारे संविधान बनाने वालों को लगा कि आजादी के 10 साल के अन्दर स्थिति बदल जायेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हमारे संविधान के तीन मुख्य स्तम्भ हैं। संविधान में केवल विधायिका में आरक्षण का प्रावधान है। अन्य दो स्तम्भों अर्थात् कार्यकारिणी और न्यायपालिका में यह आरक्षण कार्यकारी आदेशों पर लागू किया जा रहा है। हम यह भी मानते हैं कि उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज स्वाधीनता के 50 वर्ष के बाद भी न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इन अस्पृश्यों की वास्तविक स्थिति जिसके वे हकदार हैं, से भी काफी नीचे है। शीर्ष न्यायपालिका यानि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में, उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्हें ठीक जगह पर प्रोन्नति भी नहीं मिलती। क्यों? ऐसा इसलिये कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके नियुक्यिां करता है। ये सभी सलाह मशविरा नाममात्र की होता है। वे इच्छानुसार लोगों को नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायपालिका को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि क्या कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, इसकी इसको कोई परवाह नहीं है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है—इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हम एक न्यायिक आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। जैसे उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक लोक सेवा आयोग की तरह स्वतंत्र निकाय न्यायिक आयोग हो। अब इस प्रकार के आयोग को कार्य सौंप दिया जायेगा तब ही वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ न्याय कर सकेंगे। यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है तो उच्च-न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा। अत:, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि पूर्ण शक्तियों से युक्त एक न्यायिक आयोग बनाया जाये अथवा इसका गठन किया जाये। इस न्यायिक आयोग के होने से न केवल नियुक्ति के मामले में, अपितु कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के मामले में भी, निर्णय लिया जा सकेगा।

अभी न्यायपालिका कानून से ऊपर है। न्यायापालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। आप न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने न्यायालय की अवहेलना किये जाने की कार्यवाही है। इस तरह अब न्यायपालिका जवाबदेह नहीं है। इस कार्यपालिका को जवाबदेह बना रहे हैं। लोकपाल विधेयक इसी दिशा में एक और कदम है। लेकिन कार्यपालिका निश्चय ही जवाबदेह है। संसद अथवा विधायिका जनता के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह है। किन्तु ये भद्रजन, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आसन पर विराजमान हैं — ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। वे जैसा चाहें, कर सकते हैं। अत:, न्यायिक आयोग गठित हो जाने से उच्च न्यायपालिका में इन असमानताओं और इस प्रतिनिधित्व को समाप्त किया जा सकेगा। अतएव, मेरी प्रथम बात यही है कि न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को उनकी संख्या के अनुपात में निश्चित रूप से, पूरी तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। ऐसा करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि यदि सुपात्रता नहीं है तो न्यायपालिका स्वयं ही भूमिगत हो जायेगी। जिन लोगों के अपने निहित स्वार्थ हैं, उन्होंने ये बातें काफी पहले ही कह दी हैं।

सभापति महोदय : कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं दोषी नहीं हूं क्योंकि मैंने उन्हें अभ्यावेदन दिया है। बीच में दखल मत दीजिए। मैं बस अब खत्म ही करूंगा। मैं केवल वही बातें बोलूंगा जो प्रासंगिक होंगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए जो निर्धारित समय था वह पूरा हो गया तथा जो एक घंटा समय और बढ़ाया गया था वह भी पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

इस विधेयक के लिए बढ़ाया गया समय भी पूरा होने जा रहा है। अत:, मैं सभा से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि एक घंटा का समय और बढ़ा दिया जाए। क्या इस पर सभा की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : हां, महोदय।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए एक घंटा का समय और बढ़ा दिया गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : उच्च न्यायपालिका में बैठे सभी लोग अनूसूचित जातियों के लोगों को किसी न किसी कारण से नौकरी नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि ये लोग उनके बीच हों। जाति के प्रति पूर्वाग्रह है। यहां तक कि उनमें सामाजिक मानसिकता से ग्रसित पूर्वाग्रह भी है। इसलिए, उच्च न्यायपालिका में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसी बात को मैं सबसे पहले कहना चाहता था और उस पर जोर देना चाहता था। इस अन्याय को केवल एक स्वतंत्र एजेंसी अर्थात् आयोग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। न्यायायिक आयोग के पास पूरी शक्तियां होंगी नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश अथवा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्यपालिका, मुख्यमंत्री अथवा प्रधान मंत्री द्वारा की जाती हैं।

जब परामर्श होगा तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जायज हकों को नजरअंदाज कर दिया जायेगा परामर्श के दायरे में ये सभी बातें नहीं आयेंगी। न्यायधीशों की नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के रूप में कार्यपालिका द्वारा होती है, किन्तु जब मुख्य न्यायाधीश मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री परामर्श करेंगे तो वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति पर विचार-विमर्श नहीं करेंगे। वे केवल राजनीतिक पहुंच वाले लोगों पर ही विचार करेंगे और ये गरीब लोग छोड़ दिये जायेंगे।

सायं 6.00 बजे

[डा० रघुवंश प्रसाद प्रसाद *पीठासीन हुए*]

पिछले 50 वर्षों से इक्के-दुक्के मामलों को छोड़कर इनका बिल्कुल भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। उच्च न्यायालयों में आप अधिक से अधिक एक या दो लोगों को पाएंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के लगभग 40 न्यायाधीशों में से आपको अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित केवल एक आदमी ही मिलेगा। इसलिए मैं जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियां स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। जैसा कि एक न्यायिक आयोग ने हाल ही में कहा है, ये नियुक्तियां एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिएं और उस आयोग को पूरी शक्तियां दी जानी चाहिएं।

इसका एक दूसरा पहलू भी है। नौकरशाही इसे पसंद नहीं करेगी। वर्तमान नौकरशाही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नौकरी पर न रखने के लिए उनकी फाइल पर कोई न कोई कारण लिख देगी। जब वे किसी फाइल को पढ़ेंगे तो वे यह सुनिश्चित करने के लिए कोई न कोई सर्विस रूल ढूंढ लेंगे जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को बाहर किया जा सके। वे ऐसा कमी नहीं लिखेंगे कि इन उम्मीदवारों को रख लिया जाए। नौकरशाही की सोच कभी ऐसी नहीं होगी। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति का संबंध है, इस बारे में नौकरशाही का रवैया हमेशा नकारात्मक रहेगा। वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नकारने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेंगे। इसके लिए वे नियुक्ति आदेश में कोई असाधारण नियम या चक्रानुक्रमण ढूंढ लेंगे जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को वह नौकरी न मिल सके।

राज्य सेवाओं में भी एग्जिक्यूटिव नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। यहां तक कि लोक सेवा आयोग भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्हें न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है। स्थिति तो यह है। फिर इसका हल क्या है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुदृढ़ मशीनरी तैयार करने की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साथ न्याय हो। मंडल आयोग के मामले को ही लें। उच्चतम न्यायालय ने सम्पन्न वर्ग की नई अवधारणा की शुरूआत की। कुछ लोगों ने इस अवधारणा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी लागू करने का प्रयास किया। यह बहुत अच्छी फंतासी है! लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच निचला तबका, मध्यम तबका और ऊपरी तबका जैसा कोई भेद नहीं है। यह भेद काल्पनिक है। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले को देखें तो उनके साथ समान व्यवहार करना होगा। उनके साथ इस प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है जैसा कि मंडल आयोग के निर्णयों को लागू करने संबंधी प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों के मामले में संपन्न वर्ग की अवधारणा

को लागू करते समय किया जाता है। इस मामले में कोई संपन्न वर्ग नहीं बनाया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच ऐसा कोई भेद नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें इस संबंध में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक पिछड़ेपन का कारण उनका अपना कोई दोष नहीं था, बल्कि हमारे देश की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था इसकी जिम्मेदार थी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। पशु भी सार्वजनिक सड़कों पर चल सकते थे, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इन सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी। इन लोगों की दशा ऐसी थी। इसलिए, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का सूत्र तैयार किए जाने को न्यायसंगत और उचित माना।

अब हम इस आरक्षण के सूत्र को व्यापक बनाना चाहते हैं। अब इसका विस्तार लिंग भेद के आधार पर किया जा रहा है। हम केवल लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को विधानसभाओं और लोक सभा में आरक्षण देने पर विचार कर रहे हैं। हमने पाया कि महिलाएं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं और उन्हें देश के प्रशासन में और राज्यों के विधानमंडलों और संसद में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसका आधार उनका पिछड़ापन है। यह स्थिति सभी महिलाओं की है चाहे वे उच्च जातियों की हों या निम्न जातियों की। यह बात बेमानी है। इस समय हम महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं।

अब आप लिंग भेद के आधार पर आरक्षण की अवधारणा को लें। फिलहाल स्थिति यह है। इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि पिछड़े वर्गों की महिलाओं को महिलाओं के लिए मांगे गए आरक्षण में से आरक्षण दिया जाए। यह इसलिए भी युक्तिसंगत है क्योंकि यदि महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षण लागू किया जाता है तो उच्च जाति की महिलाओं को इस प्रकार के आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों की महिलाओं को विधानमंडलों और लोक सभा में भी उनको आरक्षण में समुचित हिस्सा मिलना चाहिए। अब आरक्षण के भीतर ही आरक्षण का यह नया मुद्दा निकल आया है। मैं नहीं जानता कि इस आरक्षण के अन्दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए किसी प्रकार का आरक्षण होगा या नहीं। ऐसी स्थिति आ भी सकती है और नहीं भी। फिलहाल, लिंग भेद के आधार पर आरक्षण का मुद्दा सामने आया है। मौजूदा स्थिति में यह बेहद गर्मागर्म बहस का मुद्दा है।

अब आरक्षण की सुविधा लिंग भेद, सामाजिक पिछड़ेपन आदि जाति आदि के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस समय हमारे सामने स्थिति यह है। इन सभी पहलुओं और स्थितियों पर विचार करने के बाद मेरा सुझाव यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए 'संविधि पुस्तक' में स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए। इस कानून को न्यायिक संवीक्षा से संरक्षित रखना चाहिए। इसे संरक्षण दिया जाना चाहिए और इसे किसी भी मौलिक अधिकार या किसी दूसरे नियम के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस सांविधि को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को जीवन के सभी पक्षों में उनका हिस्सा दिलाने के लिए सुस्पष्ट सांविधिक प्रावधान किए जाने चाहिए। मौजूदा संदर्भ में यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है।

अब हम निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में हैं। हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि निजीकरण की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। वे हमारी सलाह स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। आज तक सरकार ही इनमें प्रमुख अंशधारक थी और वही उनमें निर्णय लेने वाली संस्था थी। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। उनका निजीकरण किया जा रहा है। निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र अपनी पसंद के कर्मचारी ले सकते हैं। वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण के अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं हैं। निजीकरण के दौर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अवसर कम होंगे। उन्हें कुछ कठिनाई होगी। निजीकरण की प्रक्रिया से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे।

आप स्कूलों का मामला लें जहां सरकार सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। इस बात पर जो दिया जाना चाहिए कि गैर-सरकारी स्कूलों में आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। अभी इसका अनुपालन नहीं किया जाता है।

निजी प्रबंध वाली शैक्षिक संस्थाएं जो कि केन्द्र और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त कर रही हैं; वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में आरक्षण का पालन नहीं कर रही हैं। इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। परन्तु हम पूर्णरूप से निजी कम्पनी को अ०जा०/अ०ज०जा० लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। संविधान के अंतर्गत वह संभव नहीं है।

महोदय, इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए और इसे और स्पष्ट करने के लिए मेरा सुझाव है कि संविधान में संशोधन अथवा एक विधेयक लाया जाना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति की रिजर्वेशन पालिसी को स्ट्रैन्थन करने के लिए और प्राइवेट सैक्टर को मजबूत करने का जो प्रयास केन्द्रीय सरकार के द्वारा हो रहा है तथा प्राइवेट सैक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, यह एस०सी० और एस०टी० का कांस्टीट्यूशनल राइट है, यह बताने के लिए, रिजर्वेशन पालिसी को स्ट्रैन्थन कराने के लिए तथा उसका इंम्पलीमैन्टेशन कराने के लिए जो बिल यहां रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। अनुसूचित जाति, जमाति को जो रिजर्वेशन मिला है उसकी पृष्ठभूमि में सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय, अनटचेबिलिटी, चतुर्वर्ण सिस्टम और इस सिस्टम के द्वारा इस समाज पर जो अन्याय हुआ, वह सब इसके पीछे है। उस अन्याय के खिलाफ बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने आवाज उठाई। जब इस देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबासाहेब पर आई तो बाबासाहेब ने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देकर एक बहुत बड़ा काम किया।

सभापति महोदय, इसका मतलब यह नहीं है कि बाबासाहेब हिन्दु धर्म के विरुद्ध थे। बाबासाहेब स्वयं हिन्दु थे। बाबासाहेब का जन्म महाराष्ट्र के महार समाज में शैड्यूल्ड कास्ट के समाज में हुआ था। बाबासाहेब ने समानता की मांग सभी हिन्दु समाज के सामने की। इसके लिए बाबासाहेब ने महाड चौदार तालाब में सत्याग्रह भी किया था और गांव में जहां सब लोग पानी पीते हैं वहां हमारा भी पानी पीने का अधिकार है, उस अधिकार के लिए बाबासाहेब ने महाड में सत्याग्रह किया तो वहां के हाई कास्ट लोगों ने बाबासाहेब और दलित समाज पर बहुत बड़ा हमला भी किया था। उसके बाद बाबासाहेब ने नासिक में तालारा मंदिर का सत्याग्रह किया था। हम भी हिन्दु हैं, हमें भी मंदिर में प्रवेश चाहिए। राम केवल तुम्हारे नहीं हैं, राम हमारे भी हैं, यह एजीटेशन भी बाबासाहेब ने किया था। मगर बाबासाहेब को मंदिर में प्रवेश देने के लिए वहां के पंडितों ने रिफ्यूज कर दिया था, इसलिए बाबासाहेब को बुद्धिज्म एक्सैप्ट करना पड़ा था।

सभापति महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। मगर यह रिजर्वेशन दस साल के लिए नहीं हैं, दस साल बाद हम जो भी अमेन्डमैंट करते हैं, वह पोलिटीकली रिजर्वेशन होता है। जो लोक सभा और विधान सभाओं में सीटें होती हैं, उन सीटों को बढ़ाने का जो कांस्टीट्यूशन अमेन्डमैंट होता है, वह हम लोग दस साल बाद करते हैं तथा जो सर्विसेज का रिजर्वेशन है, वह कास्ट पर आधारित रिजर्वेशन है। जब तक कास्ट एग्जिस्टैन्स में है, तब तक रिजर्वेशन रहेगा। कानूनी तौर पर हमने कास्टिज्म को खत्म कर दिया है। मगर हिन्दू मैन्टेलिटी और हाई कास्ट के लोग दिल से कास्टिज्म को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो लोग रिजर्वेशन के विरोधी हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि यदि आपको रिजर्वेशन बंद करना है तो उसके लिए हमारी रिजर्वेशन को छोड़ने की तैयारी है। आप लोग कास्ट्स को छोड़ दो, आप कास्ट्स को खत्म करो और देश में इक्वालिटी का संदेश फैलाओ और अपने देश में इक्वालिटी लाओ, हम रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कम्पिटीशन करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब तक कास्टिज्म एग्जिस्टैन्स में हैं, तब तक यहां रिजर्वेशन रहना चाहिए। यहां शैड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी 50 प्रतिशत थी और रिजर्वेशन 22.5 प्रतिशत था। लेकिन 1991 की सैन्सज के मुताबिक यह पापुलेशन 27.5 प्रतिशत है और रिजर्वेशन 22.5 को मिलता है। हमारी मांग है कि रिजर्वेशन को पांच परसेन्ट और बढ़ाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हमारे देश में 52 प्रतिशत लोग ओबीसी के हैं, 15.5 प्रतिशत लोग माइनॉरिटीज के हैं। इन सब लोगों को मिलाकर कुल 95 प्रतिशत होते हैं। बचे हुए जो पांच प्रतिशत लोग हैं वे देश पर राज कर रहे हैं। ये देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ 95 प्रतिशत लोग हैं और दूसरी तरफ पांच प्रतिशत लोग इस तरह इस तरह का अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं। मेरा कहना है कि एस०सी० के लिए जो 22.5 प्रतिशत रिजर्वेशन है और मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी के 52 प्रतिशत लोगों के लिए 27 प्रतिशत रिजर्वेशन है, इसका मतलब यह है कि 49.5 प्रतिशत रिजर्वेशन 79.5 प्रतिशत लोगों के लिए है और वह कोई ज्यादा नहीं है। रिजर्वेशन का प्रोटैक्शन करना है तो इस पॉलिसी को 9वीं अनुसूची में डालने की आवश्यकता है।

आपने कहा है कि रिजर्वेशन को संरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी संस्था में कोई पोस्ट निकाली जाती है तो जो थोड़े से सीनियर अधिकारी लोग हैं, वे कोर्ट में जाते हैं। हरेक आदमी को पीछे नहीं जाना चाहिए यह सही बात है लेकिन आप लोग हमेशा हमसे आगे चले हैं। एक बार हमें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर हमारा आदमी आगे जाता है तो आपको लगता है कि ये आगे जा रहे हैं। अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। हमें आगे जाने का मौका संविधान ने दिया है। हमारा कहना है कि जितना हमारा रिजर्वेशन एस०सी० का है, वह क्लास वन, टू और थ्री की सभी पोस्टों में मिलना चाहिए। पहले इनका बैकलॉग पूरा करो, फिर हमारे आदमी आगे नहीं जाएंगे। इसलिए सभी कैटागरीज में जितना रिजर्वेशन संविधान ने हमें दिया है, वह सब भर देंगे तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि हमारे आदमी पीछे से आगे जा रहे हैं। ज्यूडीशियरी में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, यह बात महामहिम राष्ट्रपति जी श्री के०आर० नारायणन ने भी कही है लेकिन फिर भी सरकार इस बारे में विचार नहीं कर रही है। मेरी मांग है कि वाजपेयी जी

की जो सरकार है, उसको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर आप विचार नहीं करेंगे, तो अगली बार हम उसका विचार करेंगे। आप सत्ता में ज्यादा दिन रहने वाले हैं ऐसा नहीं है। आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ इनजस्टिस करते रहेंगे तो फिर सत्ता में नहीं आएंगे। हम आपस में झगड़ते रहे इसलिए आप इधर आए हैं लेकिन आप में भी झगड़ा होने की संभावना है, आपकी भी सरकार 24 पार्टियों की सरकार है। आप लोग झगड़ा करते हैं मगर हम जैसा झगड़ा नहीं करते हैं इसलिए आप इतने दिन सत्ता में रह गए। अटल जी के नेतृत्व में आप जो काम कर रहे हैं आप अच्छा काम करें मगर एस०सी० और एस०टी० के लिए भी काम किया जाना चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने जो सुझाव दिया है, उसके मुताबिक हमें ज्यूडीशियरी में भी एस०सी० और एस०टी० को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरी मांग है कि मंत्रिमंडल में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। पंथ प्रधान और मुख्य मंत्रियों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। एक बार हायर कास्ट का प्रधान मंत्री बन गया तो दूसरी बार एस०सी० या एस०टी० का बनना चाहिए। इस प्रकार का कानून बनाएंगे तो डैमोक्रेसी में किसको नेता बनाना है, यह तो अपने ऊपर निर्भर होता है मगर उसके बावजूद भी जैसे राज्यों में है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष या मेयर अगर रिजर्व्ड पोस्ट होती है तो सभी पार्टियों के लोग चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या कम्युनिस्ट हों, सभी पार्टियों के लोग रिजर्वेशन के मुताबिक अपने नेता का नाम देते हैं। आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सर्विसेज में रिजर्वेशन मिला है। आर्टिकल 335 के अंतर्गत जो प्राइवेट जॉब है, उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान है।

सभापति महोदय, बात इम्प्लीमेंटेशन की है वह ठीक नहीं हो रहा है और प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन करने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसलिए प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने जो बिल यहां प्रस्तुत किया है और जिसके माध्यम से प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन की मांग की गई है उसके लिए पार्लियामेंट को एक कानून बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जा सके। रिजर्वेशन का अर्थ यह नहीं है कि प्राइवेट सैक्टर को पदों का अधिक सृजन करना है, बल्कि यह है कि उन्हीं पदों में से कुछ पदों पर एस०सी० एवं एस०टी० के लोगों को भर्ती किया जाए। यदि 100 लोग काम कर रह हैं तो उसमें 22.5 प्रतिशत पदों को इन जातियों के लोगों से भरा जाए। इसमें न हम पे ज्यादा देने की बात कर रहे हैं और न पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो पगार सबको मिल रही है वही इन जातियों के लोगों को भी दी जाए।

सभापति महोदय, 19 अप्रेल, 2000 को पायोनियर न्यूजपेपर ने आंकड़े प्रकाशित किए हैं जिसके अनुसार क्लास-वन में 8.23, क्लास दो में 3.47 और क्लास तीन में 14.67 प्रतिशत एस०सी० एवं एस०टी० के लोग हैं। इनके अंदर बैंकिंग क्षेत्र में क्लास-वन में 7.29, क्लास दो एवं तीन में 13.7 प्रतिशत एस०सी० एवं एस०टी० का आरक्षण का कोटा भरा गया है। इसी प्रकार से पब्लिक सैक्टर में क्लास वन 4.86 तथा क्लास दो एवं तीन में 6.17 प्रतिशत रिजर्वेशन का कोटा भरा गया है जबकि होना चाहिए 22.5 प्रतिशत, मगर बहुत कम भरा गया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन को बढ़ाने एवं इसको लागू करने के लिए एक एक्ट की आवश्यकता है। अगर एक्ट बन जाता है, तो वह बंधनकारी होगा और जो रिजर्वेशन के पदों को नहीं भरेगा उसे पनिशमेंट देने का प्रावधान होगा। इससे हम सब लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है। देश में 37.41 प्रतिशत एस०सी० एवं एस०टी० के लैंडलैस लोग हैं और 80 प्रतिशत लोग इस देश में गरीब हैं। इनको रिजर्वेशन के जरिए स्ट्रैंगथन करने की आवश्यकता है। इसलिए जो बिल प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने प्रस्तुत किया है, उसे सरकार को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, डी०ओ०पी०टी० ने एस०सी०एस०टी० के खिलाफ पांच ओ०एम० निकाले, जिनमें से दो को सरकार ने विदड्रा कर लिया है, लेकिन उनके बारे में राज्यों को अभी तक सूचना नहीं दी गई है और उनके ऊपर इम्पलीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। इसलिए उस तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तीन डी०ओ०पी०टी० बचे हैं, उनको भी सरकार को विदड्रा करने के बारे में विचार करना चाहिए। श्री प्रमोद महाजन, संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने एश्योरेंस दी है कि वे भी वापस लिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ढेरों आश्वासन प्रतिदिन दिए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंत्रियों को आश्वासन देने की ट्रेनिंग दे रही है। मंत्री लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन उस काम को करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। उस काम की इम्प्लीमेंटेशन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। मंत्रियों को अधिकारियों पर दबाव होना चाहिए, लेकिन यहां उलटा है, अधिकारियों का मंत्रियों पर दबाव है। जब तक मंत्रियों पर अधिकारियों का दबाव बना रहेगा तक तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो तीन डी०ओ०पी०टी० के ओ०एम० बचे हैं, उन्हें भी सरकार शीघ्र वापस ले। यह बिल बहुत इम्पौर्टेंट बिल है। उधर के लोग जो अभी तक बैठे हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस बिल का समर्थन करना चहिए। जो यहां नहीं हैं उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वे समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसलिए इसके लिए सबको समर्थन देना चाहिए। इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। जय भारत।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 की भावना से तो सहमत हूं कि ये जिस भावना से लाए हैं कि उन्हें सामाजिक न्याय मिले, समाज में समानता पैदा हो, समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिले, छुआछूत का उन्मूलन न हो और संविधान में आरक्षण की जो सुविधा प्रदान की गई है, वह मिलती रहे। लेकिन इसमें कई कारणों से कुछ ऐसी तकनीकी कमियां हैं या उन्होंने बहुत चतुराई से अपनी योग्यता का उपयोग करते हुए इसमें ऐसे क्लॉज रखने का प्रयत्न किया है, जिनके कारण मैं चाह कर भी, उनकी भावना का आदर करते हुए भी, इस बिल का समर्थन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं। हम सब चाहते हैं कि संविधान के अंदर आरक्षण का जो वायदा किया गया है और समाज के कमजोर, दलित, शोषित, वंचित, दमित या जो भी लोग हैं, उन सबको आरक्षण के आधार पर पन्द्रह प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत, जो अधिकार दिए गए हैं, वे मिलते रहने चाहिए, शिक्षा में भी मिलें और नौकरियों में भी मिलें।

लेकिन 'अति सर्वत्र वर्जयेत', हर चीज की अति बुरी होती है। खेद से कहना पड़ता है, वोट की राजनीति के नाम पर जिस प्रकार आरक्षण की माला रटी जा रही है और जिस प्रकार बिना कुछ सोचे-समझे उसे बढ़ा-चढ़ाकर अतिरेक के साथ कहा जा रहा है, जो जख्म भर गए हैं, समाज में ममता और समता पैदा होने लग गई है, समाज के अंदर समरसता की भावना पैदा होने लग गई है, जातिवाद मिटने लग गया था, लेकिन वोटों की राजनीति ने उस जातिवाद की आग को फिर से सुलगाना शुरू कर दिया है और आरक्षण के नाम पर, वोट लेने के नाम पर आरक्षण को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है, परिणामस्वरूप समाज में भेद की खाइयां और भी गहरी होती जा रही हैं जबकि हम सब चाहते हैं, वेद कहता है – अज्येष्ठास, अकनिष्ठास – न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, एक ईश्वर के सब पुत्र, सारे पुत्र समान, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन बड़ा कौन छोटा, यह तो इंसान ने अपनी अक्ल के अनुसार इस प्रकार के भेद पैदा कर दिए और जिन्होंने ऐसा किया, वह अज्ञानता थी। वह दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा जिस दिन जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर प्रारंभ हुई। हमारे यहां वर्णाश्रम व्यवस्था थी। कहने की आवश्यकता नहीं, वेद में जो मंत्र है – ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृत, उरूस्यतद्वैश्य पदभ्यांशूद्रोऽजायत – लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। यह समाज ने कल्पना की है, रूपक अलंकार है। जैसे तुलसीदास कहते हैं – मुख चन्द्र, मुख रूपी चन्द्रमा, ऐसे ही समाज को शरीर की उपमा दी गई है और शरीर में जैसे मोटे रूप से चार भाग होते हैं – समझाने के लिए, बताने के लिए, सारे समाज में एकात्मकता हो, सारे समाज में एकरसता हो, सारे समाज में समग्रता हो, इसलिए वह समझाया कि सारा समाज एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर के मस्तिष्क का काम देखना, सुनना, समझना, कल्पना की है, उसे बांधा गया है, ऐसे ही समाज को जो वर्ग पढ़ाई-लिखाई का काम, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का मतलब क्या है – ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म विद्या को जानता है, वेद को जानता है, ज्ञान को जानता है, शिक्षा को जानता है, अध्यात्म को जानता है और परमात्मा को जानता है, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी था, यह नहीं कि ब्राह्मण की कोख से पैदा होने वाला ब्राह्मण बन जाता था। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं – चातुर्वर्णम्यासृष्टं गुण कर्म विभागश: – चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है। डिवीजन ऑफ लेबर, जो आज का पाश्चात्य जगत मानता है कि श्रम विभाजन, अमरीका में कुछ मिशनरी क्लास हैं जो समाज की सेवा करने वाले, ज्ञान-दान करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म का स्वाध्याय करने वाले, अध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए, दूसरा मिलिट्र क्लास, देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक वर्ग हैं, उसमें जो चाहे सेना में भर्ती हो सकता है, तीसरा बिजनस, ट्रेड एंड कम्युनिटी क्लास और चौथा मकैनिक क्लास। जैसे एक आदमी एक विशेषज्ञता, ऐसे हमारे यहां डिवीजन ऑफ लेबर था, जिनको ब्राह्मण कहा गया, यह कहा गया कि वह समाज के शरीर का मुख है, मुख का मतलब यह नहीं है कि पैर कह दिया तो नीचे हो गया और मुख कह दिया तो ऊंचा हो गया, शीर्षासन करेंगे, मुख नीचे और पांव ऊपर, सोएंगे तो पैर और सिर एक समान होता है। रूपक बांधा गया, ऊंचा-नीचा नहीं कहा गया। अज्येष्ठास, अकनिष्ठास, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत – ब्राह्मण समाज रूपी शरीर का मुख था, बाहु राजन्यकृत – जैसे शरीर में कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले हाथ आगे बढ़ते हैं, हाथ उसका मुकाबला करते हैं।

जो समाज का शक्तिशाली वर्ग था, जो क्षात्र धर्म कहलाया, वह क्षत्रिय कहलाये और जैसे पेट स्वयं नहीं खाता, हम मुंह के द्वारा जो ग्रहण करते हैं, उससे एड़ी से चोटी का विकास होता है। ऐसे ही जो मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक। ऐसे ही पेट में जो अन्न जाता है, उससे सारे शरीर का एड़ी से चोटी तक का विकास होता है। वैश्य वर्ग वह था, जो धन कमाना और धन को सारे समाज तक बराबर समानता के साथ पहुंचाना, समाज का कोई वर्ग दुखी नहीं रहे, कोई दमित, दलित और वंचित नहीं रहे, यह काम वैश्य का था और कोई जो विद्या का काम नहीं कर सकता, यह किसी की ठेकेदारी नहीं थी, किसी की बपौती नहीं थी। शूद्र ब्राह्मण बन सकता था और ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त हो सकता था – समाज में ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

मैं जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि जन्मगत जाति व्यवस्था समाज का बहुत बड़ा दोष था। यह जाति व्यवस्था मिटने लगी थी, लेकिन आज 53 साल के बाद प्रजातंत्र

के बाद हम फिर से वोटों की राजनीति के नाम पर आरक्षण की आड़ में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।

बूटा सिंह जी ने कोई नई पांचवीं जाति बता दी। हमारी जाति मानवता है, हम मानव हैं, मनु की संतान हैं। मनु कोई ऋषि नहीं, मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो मननपूर्वक कर्मों का सेवन करता है, जो विचार करके किसी कार्य को करता है, वह मानव है, जिसने मन मथ दिया और 'तन्मे मन : शिव संकल्पमस्तु' हमारा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, इसलिए हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हम छुआछूत के विरोधी हैं। स्वराज्य के प्रथम मंत्रदृष्टा महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि सारे इंसान इंसान सब समान हैं। चाहे स्वामी विवेकानन्द हों, महात्मा गांधी हों, फुले साहब हों या बाबासाहेब अम्बेडकर हों, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वे समाज सुधार करने वाले हुए हैं, समाज में चेतना पैदा करने वाले, समाज में जागृति दिलाने वाले, सब समाज में समानता के पक्षधर थे, छुआछूत के विरोधी थे। जो कुछ लोग वंचित रह गये, उनके लिए राष्ट्रपाल जी यह जो बिल लाये हैं, इस बिल में कुछ प्रावधान ऐसे हैं...

सभापति महोदय : समय 6.31 बजे तक था, वह समाप्त हो गया। आपका भाषण आगे जारी रहेगा। अब सभा दिनांक 27 अगस्त, 2001 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 अगस्त, 2001/5 भाद्रपद, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 24 अगस्त,2001/ 2 भाद्रपद ,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
68	23-24	के बीच इस प्रकार पढ़िएः गणेश /बटारिया और बारदोली चीनी	मिलों के क्रमशः
168	12	सदस्य का नाम इस प्रकार पढिएः श्री रामदास आठवले	
349	9	को इस प्रकार पढ़िएः इन खेलों का बहिष्कार कर रहे हैं..(व्यवधान)	

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।